# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7 चतुर्थ विधान सभा के सप्तम सत्र का 16वां दिवस संख्या 13

मंगलवार,

दिनांक 24 मार्च, 1970

विधान सभा की बैठक प.म. 2.31 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

[यातायात, चिकित्सा, अकाल सहायता, योजना, खाद्य, आबकारी, पंचायत, सिंचाई, शिक्षा, वित्त, समाज कल्याण और राजस्थान केनाल विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या 238

श्री देवीलाल बुरासिया :

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 239

श्री बृज बल्लभ :

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या 240

श्री सूरजमल :

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री ओमदत्त भाटी।

### जैसलमेर-फलोदी में प्रसूति गृह का निर्माण

241. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैसलमेर व फलोदी में प्रसूति गृह कब निर्माण किये गये ?

(2) उपरोक्त प्रसूति गृहों को आज तक क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष फलोदी का प्रसूति गृह अतिशीघ्र आरम्भ करने का आश्वासन दिया था ?

(4) क्या यह सत्य है कि जैसलमेर व फलोदी जैसे महत्वपूर्ण केन्द्रों में लेडी डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) :
(1) क्रमशः सन् 1970 एवं 1965 में।

(2) उक्त दोनों केन्द्र प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

(3) जी हां, आश्वासन के अनुसार प्रारम्भ किया जा चुका है।

# Page No. 2



(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

(4) जी हां । राज्य में महिला चिकित्सक एवं योजना मद में अर्थ के अभाव के कारण अतिरिक्त पद स्वीकृत नहीं किये जा सके ।

**श्री ओमदत्त भाटी** : मंत्री महोदय कृपया बतायें कि उद्घाटन से ही मतलब आपका प्रारम्भ करना है ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : सिर्फ लेडी डाक्टर भेजना है, वह भी ज्यों ही पास करके निकलेगी तो डेप्यूट करेंगे ।

**श्री ओमदत्त भाटी** : कितने बेड्स हैं, कितना सामान है, कितना बजट में प्रावधान है ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : जैसे प्रसूति गृह का बजट होता है, वैसे इसके लिए भी है ।

**श्री ओमदत्त भाटी** : 5) है, 10) है या 20) है ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : डाक्टर तो हूँ नहीं कि मैं जबानी याद रखूं ।

**श्री ओमदत्त भाटी** : अभी तो उद्घाटन ही किया है । बेड्स क्या हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : आरम्भ किया है, उद्घाटन नहीं किया है ।

**श्री ओमदत्त भाटी** : इसका मतलब अभी तक उद्घाटन ही किया है । लेडी डाक्टर होगी, सामान होगा, बजट होगा, कैसे किया प्रारम्भ ?

**श्री अध्यक्ष** : बजट की जानकारी है आपको ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : बजट इस साल सब स्वीकृत किया जा चुका है चिकित्सा का फौरन पहुँच जायगा ।

**श्री ओमदत्त भाटी** : फिर प्रारम्भ कैसे हुआ ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : सब एरेंजमेंट्स किये गए हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री वृद्धिचन्द जैन ।

## बाड़मेर, जैसलमेर तथा जालोर जिलों का विकास

242. **श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चौथी योजना बनाते समय सन् 1964 तक की भौतिक उपलब्धियों के आधार पर जिलेवार आर्थिक संकेत संकलित किये गए थे जिनके आधार पर बाड़मेर, जैसलमेर एवं जालोर जिलों को पिछड़ा हुआ इलाका माना गया था ?

(2) अगर हां तो इसके क्या कारण हैं ? कारणों की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त जिलों के विकास हेतु क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ?

**उप मंत्री, योजना (श्री खेतसिंह)** : (1) योजना आयोग, भारत सरकार की सम्पति से विकास के कुछ प्रमुख संकेतों (इंडीकेटर्स) के आधार पर जालोर तथा सवाई माधोपुर जिले सबसे पिछड़े हुए माने

# Page No. 3



(श्री खेतसिंह)
गये थे न कि बाड़मेर एवं जैसलमेर।

(2) जिन आर्थिक संकेतों पर उपरोक्त निष्कर्ष निकाला गया उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) नई चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-70) बनाते समय यह महसूस किया गया कि किसी क्षेत्र विशेष को इन अंकों के आधार पर ही पिछड़ा हुआ मानना उपयुक्त नहीं है। इन आर्थिक संकेतों की स्थिति प्रतिवर्ष बदलती रहती है। अतः प्रत्येक वर्ष भिन्न भिन्न जिले पिछड़े की श्रेणी में आ सकते हैं। अतः यह निश्चय किया गया है कि विभिन्न विकास मदों जैसे सिंचाई, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें आदि में सभी जिलों की स्थिति आंकी जाय और चौथे योजना काल में प्रत्येक विकास कार्यक्रम में उस मद के अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जावे।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिए)

**श्री वृद्धिचन्द जैन** : क्या यह सही है कि दूसरी व तीसरी योजना व 1966 से 1969 तक प्रति व्यक्ति व्यय बाड़मेर जिले में सबसे कम हुआ है ?

**श्री खेतसिंह** : मैंने आपसे निवेदन किया कि कुल मिलाकर सम टोटल में आपका जिला सबसे पिछड़ा नहीं है, सबसे पिछड़े जालौर व सवाई माधोपुर हैं।

**श्री वृद्धिचन्द जैन** : मुझे रिपोर्ट मिली है जो मेरे पास है उसमें जिलेवार योजना व्यय के लिए स्पष्ट लिखा है कि बाड़मेर जिले में प्रति व्यक्ति व्यय सबसे कम हुआ और 62.11 रुपए हुआ है।

**श्री खेतसिंह** : आपने पूछा था कि योजना आयोग की जो इन्डीकेशन्स हैं, उनके आधार पर कौनसा जिला पिछड़ा हुआ है। योजना आयोग ने जो इन्डीकेशन्स दे रखें हैं, उनके हिसाब से जो हमने आंका है, तो आपका जिला सबसे पिछड़ा हुआ नहीं है।

**श्री वृद्धिचन्द जैन** : ये योजना के अनुसार दिए गए हैं, यही आंकड़े प्रति व्यक्ति के अनुसार दिए हुए हैं ?

**श्री खेतसिंह** : जी हां, उसके अनुसार हैं लेकिन उसमें सम टोटल मिलाकर बोर्डर रोड्स का जो काम हुआ है, उसको शामिल किया जाय तो आपका जिला पिछड़ा हुआ नहीं रह सकता।

**श्री वृद्धिचन्द जैन** : मेरे पास जो आंकड़े हैं, वे दूसरी, तीसरी योजना के और 1966 से लेकर 1969 तक और उसमें प्रति व्यक्ति जो व्यय हुआ है वह 65.11 रुपये बाड़मेर जिले में सबसे कम हुआ है और दूसरा नम्बर जालौर का है जिसमें 75.22 रुपये हुआ है क्या यह सही है ?

**श्री खेतसिंह** : बिल्कुल सही है. लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया बार्डर रोड्स का खर्चा इसमें शामिल नहीं है।

**श्री वृद्धिचन्द जैन** : बाड़मेर और जैसलमेर का कौनसा नम्बर आता है।

**श्री खेतसिंह** : जालौर व सवाई माधोपुर के बाद में जैसलमेर और बाड़मेर का नम्बर आता है।

# Page No. 4



श्री मूलचन्द डागा (पाली) : विकास योजनायें बनाते समय किसी जिले को प्राथमिकता देते हैं या नहीं ?

श्री खेतसिंह : प्राथमिकता का प्रश्न नहीं है। वहां की भौगोलिक स्थिति और जैसे सिंचाई का मामला है, सिंचाई के लिए जहां साधन होंगे नदी होगी वहां पर बांध बन सकते हैं या नहीं · ·

श्री मूलचन्द डागा : जो अविकसित क्षेत्र हैं, वह तो अविकसित ही रहेंगे।

श्री वृद्धिचन्द जैन : जो बाड़मेर जिला है वह आपने तीसरे नम्बर पर बताया है, चौथा जैसलमेर बताया, जालौर दूसरा बताया है। जो दूसरे जिलों के मुकाबिले पिछड़े हुए जिले हैं उनको बराबर लाने के लिए क्या सरकार विशेष व्यवस्था चौथी योजना में करने जा रही है ?

श्री खेतसिंह : जैसा मैंने निवेदन किया, चौथी पंच वर्षीय योजना में इस बात का ध्यान रखा जायगा कि जो पिछड़े हुए जिले हैं उनको दूसरे जिलों के बराबर लाने के लिए क्या क्या कार्यवाही की जा सकती है ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : उसके लिए विद्युत् के दृष्टिकोण से चौथी योजना में बाड़मेर ·

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आवश्यक प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे · ·

श्री खेतसिंह : उप मन्त्री महोदय।

श्री भैरोंसिंह : मैं चाहता हूं कि आप मन्त्री हो जायं। माननीय सदस्य जो बाड़मेर से आए हैं, उन्होंने प्रति व्यक्ति व्यय के आंकड़े दिए हैं और आपने जो आंकड़े दिए हैं वह भिन्न हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिए हैं वह भी सरकार द्वारा दिए हुए हैं। उन आंकड़ों में प्रति व्यक्ति व्यय का शुमार लगाते हुए बोर्डर रोड्स के अलावा और कोई आइटम है जो शामिल नहीं किया गया है ?

श्री खेतसिंह : मैंने जो आपको बताया है कि पिछड़े हुए किस तरह से हैं, व्यय के आधार पर नहीं हैं ये तो योजना आयोग के जो इन्डीकेशन्स हैं उनके आधार पर कौनसे जिले पिछड़े हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : योजना आयोग का इन्डीकेशन तो यह है कि जालौर और सवाई माधोपुर सबसे पीछे हैं। राज्य सरकार का इन्डीकेशन यह है कि बाड़मेर, जालोर व जैसलमेर सबसे पीछे हैं, तो इस इन्डीकेशन में जो अन्तर आया है उसके लिए आपने कहा कि बोर्डर रोड्स का खर्चा शामिल नहीं है। तो बोर्डर रोड्स के अतिरिक्त और कोई आईटम है जो शामिल नहीं किया गया है जो राज्य सरकार के इन्डीकेशन्स में शामिल है ?

श्री खेतसिंह : मेरे पास जो इन्फरमेशन है उसमें बोर्डर रोड्स लिखा हुआ है और कोई जैसे एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल्स नहीं हैं शायद अलग खर्चा हो लेकिन मेरे पास नहीं है।

# Page No. 5



**श्री अध्यक्ष:** नेक्सट।

प्रश्न संख्या 243

श्री कृष्णकुमार गोयल

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये।)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

**बीकानेर जिले के मजदूरों की बकाया का भुगतान**

244. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा):** क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि बीकानेर जिले में पिछले वर्ष मजदूरों ने फैमिन कैम्पों पर कार्य किया था उसकी मजदूरी का उन्हें भुगतान अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो ऐसे मजदूरों की संख्या, कैम्पों की संख्या और बकाया राशि के वर्णन सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि बकाया राशि के भुगतान के संबंध में संबंधित अधिकारियों को सरकार ने आदेश भी दे दिये थे परन्तु उन्हें इसका भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

**उप मंत्री अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी)** (1) जी हां, बीकानेर जिले में पिछले वर्ष मजदूरों ने फैमिन कैम्पों पर कार्य किया उसमें से कुछ मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। ऐसे मजदूरों की संख्या, कैम्पों की संख्या और बकाया राशि सहित सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां, बकाया राशि के भुगतान के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को सरकार ने आदेश दे दिये थे परन्तु उनका भुगतान निम्न कारणों से नहीं हुआ:—

(क) भुगतान की तिथि के दिन मजदूर अनुपस्थित रहते थे और उसके बाद अब बकाया चुकाने की कोशिश की गई उस समय भी उपस्थित नहीं मिले।

(ख) कुछ मजदूरों के पास सरकारी सामान-तगारी, फावड़ा गेंती इत्यादि थे–जो उन्होंने जमा नहीं करवाये थे। भुगतान उनको जमा कराने के पश्चात् ही किया जा सकता था।

(ग) लोग अभी भी गांवों में उपलब्ध नहीं हैं और वे रोजगार के लिये अन्यत्र चले गये हैं।

(3) सरकार को इस सम्बन्ध में जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन्हें सम्बन्धित अधिकारियों को भेज कर अविलम्ब निपटारे की व्यवस्था की गई है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया:** यह भुगतान कब तक करा दिया जावेगा?

**श्री गंगाराम चौधरी:** जल्दी ही कराने के आदेश दे दिये गये। कुछ दिन पूर्व मंत्री

(श्री गंगाराम चौधरी)

महोदय ने भी विधान सभा में आश्वासन दिया था कि एक महीने में भुगतान का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या यह सही है कि जो इन्क्वायरी के लिये आश्वासन दिये थे कि जांच के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दिया गया है इसके बजाय तो यहां से ही इन्क्वायरी के लिये कोई अफसर भेजो तो जांच हो क्योंकि सम्बन्धित अधिकारियों ने ही तो सारी गड़बड़ की है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री सालोदिया।

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : बकाया का भुगतान कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : गैंती, फावड़ा और दूसरे सामान के लिये मजदूरों पर आरोप लगाये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 245

श्री जयनारायण सालोदिया

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री फूलचन्द बाफना।

**अकाल की स्थिति और भोज आदि पर रोक**

246. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर डिविजन के सातों जिलों एवं बीकानेर जिले में अकाल होने से इन आठ जिलों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है?

(2) क्या उपर्युक्त आठों जिलों में पुराने विचार के लोग धर्म, विवाह एवं मृत्यु के निमित्त बड़े बड़े भोज करते हैं और उन पर हजारों रुपये खर्च करते हैं?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार अकाल की भयकर स्थिति को देखते हुए इस प्रकार के भोजों एवं आडम्बरों पर किये जाने वाले खर्च को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो यह कब तक रोक दिये जावेंगे?

उप मंत्री खाद्य (श्री रामदेवसिंह) : (1) जी हां।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह मामला मजदूरों से सम्बन्धित है। बार बार कहने पर भी पेमेन्ट नहीं किया जा रहा है और टालने की चेष्टा की जा रही है।

श्री रामदेवसिंह : (2) बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में इस प्रकार के . . .

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर नहीं दिया गया। क्या यह समझा जाय कि उसका उत्तर नहीं दिया जाय? आपकी तरफ से भी हमें पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है। आप उत्तर दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : सारा सदन इसको जानता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक साल से ज्यादा समय हो गया है। यह कह कर कि फावड़े, गैंती वगैरह रह गये हैं इसलिये उन

# Page No. 7



(श्री रामचन्द्र आर्य)
मजदूरों को पेमेन्ट नहीं किया जा रहा है। यह कहा तक सही है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर माननीय सदस्य।

श्री लादूराम सुलानिया ( फागी ) : बात तो सही है।

श्री अध्यक्ष : वह सही दूसरा है और आपका सही-दूसरा है।

श्री लादूराम सुलानिया : उनको पैसा नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ! ऑर्डर।

खाद्य मंत्रीजी ? शुरू से ही वापिस उत्तर दे दें।

श्री रामदेवसिंह : (1) जी हां।

(2) बाड़मेर एव जैसलमेर जिलों में इस प्रकार के क्रमशः 10 व 3 मुकदमे विचाराधीन हैं जिनकी कार्यवाही न्यायालय में चल रही है। बाकी 6 जिलों में ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(3) राज्य सरकार गेस्ट कन्ट्रोल ऑर्डर सन् 1965 तथा राजस्थान मृतक भोज अधिनियम के अन्तर्गत बड़े बड़े भोज एवं आडम्बरों पर रोक लगा चुकी है।

श्री फूलचन्द बाफना : क्या यह सही है कि आपके इस कानून का कोई पालन नहीं हो रहा है ?

श्री रामदेवसिंह : ऐसी बात नहीं है।

श्री फूलचन्द बाफना : इस बात की सूचना कौन देता है और कैसे मालूम होता है ? सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि जब यह ध्यान में लाया गया है कि ऐसे वक्त में और ऐसे क्षेत्र में लाखों रुपयों का, हजारों का नहीं, विवाह और मृत्यु भोज के नाम पर खर्च किया जा रहा है तो रोक लगाये ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मनोहरसिंह सेहरा : आपके हुक्म का पालन भी हो रहा है और बड़े बड़े भोज भी हो रहे हैं, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न सं. 247

श्री विजयसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हरजीराम बुरड़क

## लाडनूं में चीनी का वितरण

248. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि क्रय-विक्रय समिति, लाडनूं जिला नागौर को चीनी वितरण के लिये होलसेलर नियुक्त किया गया था ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त होलसेलर ने रिटेलरों को चीनी देते समय चीनी के निर्धारित मूल्य के अलावा ब्याज भी वसूल किया है ? यदि हां तो किस आधार पर ?

(3) क्या उक्त होलसेलर ने उनके साथ किये गये एग्रीमेन्ट का कभी उल्लंघन भी किया ? यदि हां, तो कब और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उप मंत्री खाद्य (रामदेव सिंह) : (1) जी हां।

(2) तहसीलदार लाडनूं को इस विषय की जांच करने के लिए दिनांक 10–12–69 को निर्देश दिये हैं। जांच अभी पूर्ण नही हुई है। जांच पूर्ण होने के उपरान्त ही सही स्थिति का पता चल सकता है।

(3) जी हां, उक्त होलसेलर द्वारा मिलों को चीनी प्राप्त करने हेतु अग्रिम राशि समय पर नहीं भेजी गई फलस्वरूप माह जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर तथा अक्टूबर का चीनी का कोटा समय पर प्राप्त नहीं हुआ। उक्त माह की चीनी समय पर नहीं उठाने के कारण दिनांक 17–10–69 से उक्त होलसेलर को कार्य मुक्त किया जाकर नागौर सहकारी समिति उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. ब्रांच लाडनूं को होलसेलर नियुक्त कर दिया गया है।

श्री हरजीराम बुरडक : तहसीलदार से जांच किस बात की करवायी जा रही है ?

श्री रामदेवसिंह : इस बात की कि उनसे ब्याज लिया या नहीं।

श्री हरजीराम बुरडक : राज्य सरकार के पास शिकायतें आयीं होलसेलर रिटेलर्स से ब्याज वसूल कर रहा है तो रसीदों आदि से ही मालूम हो सकता है ब्याज लिया या नहीं।

श्री रामदेवसिंह : रिटेलर्स ने शिकायत की है। दूसरे दिन ही तहसीलदार को हिदायत कर दी गयी है।

श्री हरजीराम बुरडक : 69 में लिखा गया। तो तीन महीने में भी रिपोर्ट नहीं आई ?

श्री रामदेवसिंह : अभी नहीं आयी है।

श्री हरजीराम बुरडक : इस जुर्म के तहत प्रोसिक्यूशन भी किया जा सकता है ?

श्री रामदेवसिंह : जांच के बाद ही होगा।

श्री हरजीराम बुरडक : ब्याज लिया है तो प्रोसिक्यूशन हो सकता है क्या ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

### परिवहन निगम के ड्राइवरों एवं कन्डक्टरों को बोनस

249. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान परिवहन निगम में ड्राइवरों एवं कन्डक्टरों की कुल कितनी संख्या है इनमें स्थायी सेवा वाले कितने हैं ?

(श्री भगवानदास शास्त्री)

(2) क्या जनवरी, 1968 से दिसम्बर, 1969 तक किन्हीं ड्राइवरों व कन्डक्टरों को स्थायी किया गया है ? यदि हां, तो कितनों को ?

(3) क्या यह सत्य है कि कर्मचारियों को बोनस आदि की सुविधा प्रदान करने में ढील बरती जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

उपमंत्री (यातायात) श्री समर्थलाल : (1) निगम में ड्राइवरों व कन्डक्टरों की कुल संख्या क्रमशः 366 व 348 है जिनमें से 12 ड्राइवर और 16 परिचालक स्थायी हैं।

(2) जी नहीं।

(3) निगम के कर्मचारियों को कोई बोनस नहीं दिया जाता हैं, क्योंकि निगम पर बोनस एक्ट लागू नहीं होता है।

**श्री भगवानदास शास्त्री** : इन ड्राइवरों और परिचालकों को पक्का किसने किया है ? जनरल मेनेजर ने या चेयरमेन ने ?

**यातायात मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा)**: सम्बन्धित अधिकारी हैं वे ही परमानेन्ट करते हैं।

**श्री भगवानदास शास्त्री** : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ड्राइवरों और कन्डक्टरों की क्रमशः संख्या 366 और 348 है जो टेम्परेरी हैं उनको कौन करते हैं कन्फर्म ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : जो भी स्थिति प्रश्न के उत्तर में बतायी गयी है वह कोई अच्छी स्थिति नहीं हैं और उसका खेद भी है। परमानेन्ट के रूल्स हमने बना डाले हैं। आने वाली बोर्ड की मीटिंग में एप्रूव होंगे और उसके अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी। इससे पहले चालक और परिचालक की सीनियोरिटी लिस्ट है परिचालकों की हो चुकी है और चालकों की 30 मार्च तक हो जावेगी। खेदजनक जो स्थिति है उसको जल्दी ही ठीक करने की कोशिश की जावेगी।

**श्री मूलचन्द डागा** : बोनस क्यों नहीं देते ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री हाड़ा।

सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

250. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिंडोली) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सरपंच श्री प्रभूलाल मेहन्डो के खिलाफ धारा 17 (4) की कार्यवाही कब से चल रही है और इस पर कितने आरोप है ? सूची सदन की मेज रखें।

(2) क्या जांच रिपोर्ट सरकार को पेश करदी गई है ? यदि हां, तो कब और उस पर सरकार ने क्या आदेश दिये ? क्या सरपंच को निलम्बित कर दिया गया है ?

(3) यदि सरकार द्वारा अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

(श्री केसरीसिंह हाडा)

(4) क्या यह सत्य है कि इस केस में अनावश्यक तौर से बार बार तारीखें तब्दील की जाती हैं ?

पंचायत मन्त्री : (श्री परसराम मदेरना): (1) अभी कोई कार्यवाही नहीं चल रही है। पूर्व में चली थी जिसमें निर्णय लिया जा चुका है।

(2) अन्तिम जांच प्रतिवेदन दिनांक 7-10-69 को राजस्थान पंचायत अधिनियम, सन् 1953 की धारा 17 (4) परन्तुक के अन्तर्गत सरपंच के विरुद्ध परिनिर्णय लेखबद्ध किया गया। आराप पूर्व कार्यकाल के होने से निलम्बित नहीं किया गया।

(3) दिनांक 5-10-69 को निर्णय लिया जा चुका है।

(4) जी नहीं।

श्री केसरीसिंह हाडा : अध्यक्ष महोदय, अभी जो कहा गया है वह बहुत ऊंची हिन्दी में कहा गया है। मैं उसको समझ नहीं पाया। जरा इसको स्पष्ट करदें।

श्री अध्यक्ष : इसका क्या किया जाय। हिन्दी बड़ी सरल है।

श्री परसराम मदेरना : फाइन्डिंग रिपोर्ट की गयी है।

श्री अध्यक्ष : परिनिर्णय माने फाइन्डिंग और लेखबद्ध रिपोर्ट की गयी।

नेक्स्ट।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

घग्घर योजना पर व्यय

251 श्री दुर्गालाल बाढ़दार : (हवा-महल, जयपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) सन् 1966 तक घग्घर योजना पर कुल व्यय कितना हुआ ?

(2) क्या यह सच है कि इस योजना द्वारा निर्मित नहर कई बार टूटी है ? यदि हां, तो कब कब और इसके सुधार में कितना कितना व्यय करना पड़ा ?

(3) नहरों पर कुल कितने पुल बने और उनमें से कितने पुल नष्ट हो गये ? ये पुल निर्माण काल के कितने समय बाद टूटे या नष्ट हुए ?

(4) क्या यह सच है कि सरकार ने इस योजना के कार्य की जांच करने के लिये कोई कमेटी बनाई है ? यदि हां, तो उसके सदस्य कौन कौन हैं और निर्णय हेतु मुद्दे क्या रखे गये थे ?

(5) क्या कमेटी अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को दे चुकी है ? यदि हां, तो उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखें। सरकार ने कमेटी की सिफारिश के अनुसार क्या क्या कार्य किया ?

(6) क्या यह सच है कि प्रति वर्ष सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ का रेलवे व मोटर मार्ग इन नहरों के कारण वर्षाकाल में अवरुद्ध होता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसमें सुधार के लिये क्या निर्णय लिया है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (1) सन् 1966 तक घग्घर योजना पर कुल व्यय 225.88 लाख रु हुआ।

# Page No. 11



(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(2) जी हां। यह नहर तीन बार क्रमश: सन् 1966-67 और 68 में टूटी तथा टूटी नहर की मरम्मत में कुल 13 लाख रुपया व्यय हुआ।

(3) इस नहर पर कुल 10 पुल बने हुए हैं, इनमें से एक पुल (आर. डी. 152720) का कुछ भाग सन् 1967 में क्षतिग्रस्त हुआ यह पुल उस समय निर्माणाधीन ही था।

(4) जी हां, इसके लिये एक कमेटी भारत सरकार ने नियुक्त की व दूसरी राज्य सरकार ने नियुक्त की थी।

(ए) भारत सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी के निम्न सदस्य हैं :

(1) श्री. पी. आर. आहुजा जोइन्ट सेक्रेटरी, सिंचाई एवं विद्युत्।

(2) श्री पी. एन. कमरा, मुख्य अभियन्ता डी. डब्ल्यू. एण्ड. पी. सी. केन्द्रीय विद्युत् आयोग।

(3) श्री जी. एस. शास्त्री, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई राजस्थान। इस कमेटी के मुद्दे प्रस्तावित अतिरिक्त सुधार कार्यों की जांच करना था।

(बी) राज्य सरकार ने जो कमेटी नियुक्त की थी उसके सदस्य निम्न हैं :

(1) श्री मोतीराम चौधरी, अवकाश प्राप्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई।

(2) श्री चन्द्र शेखर, कमिश्नर, विभागीय जांच, जयपुर।

इस कमेटी को बाढ़ परिवर्तन नहर के टूटने के कारणों का पता लगाने व इससे हुई क्षति का अनुमान लगाने तथा इस योजना को सुदृढ़ बनाने के लिये आवश्यक तकनीकी सुझाव देने के मुद्दे सौंपे गये थे।

(5) जी हां। जांच कमेटियों की रिपोर्ट से औपचारिक उपायों से सम्बन्धित उद्धरण की प्रति सदन की मेज पर रख दी है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी की सिफारिशों के अनुसार सुधार कार्य हो रहा है।

(6) इसके सुधार के लिये राज्य सरकार ने रेल विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग को कुछ पुलियां बनाने व चौड़ा करने के लिये कई बार कहा है। साथ ही इस योजना के पूर्ण हो जाने पर कदाचित यह समस्या नहीं रहेगी।

(रिपोर्ट के उद्धरणों की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री दुर्गालाल बाढदार : यह रिपोर्ट कब मिल गई थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : करीब साल भर हुआ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : इसकी क्रियान्विति करने के कारण किन की गलती से नुकसान हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मोतीरामजी की रिपोर्ट मिलने के बाद साथ साथ भारत सरकार की इर्रीगेशन मिनिस्ट्री ने इसे देखा, उस मौके को देख कर उन्होंने कुछ सुझाव

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
दिये इस तरह से जो सेन्ट्रल कमेटी ने सुझाव दिये उनको मोतीरामजी ने शरीक कर दिया। उन सुझावों के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की कमेटी ने ठीक तरह से सुधार करने की दृष्टि से आयन्दा रह न टूटे इसके लिए कई सुझाव दिये। आठ-नौ सुझाव थे उनमें से पांच सुझाव क्रियान्वित हो चुके हैं; बाकी के सुझाव ज्यों ज्यों फण्ड्स की प्राप्ति होगी उनको भी किया जावेगा। प्रोपरली इन सुझावों को क्रियान्वित करने से तो आयन्दा रिपीटेशन नहीं होगा।

श्री दुर्गालाल बाढदार : इस योजना का एस्टीमेट कितना था और इसके टूटने पर कितना खर्च करना पड़ा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो टूटा उसको वापस रेस्टोर करने में 13 लाख रुपया खर्च हुआ। यह योजना 5½ करोड की है। जो सुझाव गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की मिनिस्ट्री ऑफ इर्रीगेशन ने दिये उससे अधिक मजबूती आयी। फण्ड्स की उपलब्धि के हिसाब से उनकी क्रियान्विती की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : नहरें दुबारा टूटी उसकी व्यवस्था के संबन्ध में सुझाव दिये हैं नहरें क्यों टूटीं इसके लिए समितियों ने क्या कहा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मोतीराम जी चौधरी की जो रिपोर्ट है उसके लास्ट पैरेग्राफ में लिखा है : „They did their best to avert it but it happened inspite of their best efforts. We cannot say that they were negligent."

श्री भैरोंसिंह : नेगलीजेन्स उस समय नहीं बतायी और बाढ का पानी भी नहीं आया। कन्स्ट्रक्शन में डिफेक्ट तो नहीं रहा इस कारण टूट गई हो ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डिफेक्ट तो नहीं रहा। सूरतगढ़ के आसपास टूटी हुई थी। जहां बहुत गहराई है। फिलिंग बहुत है। नीचे की जो सोइल है वह कुछ डिफेक्टिव थी Which gave way ऐसी मिट्टी होने से संभवतया टूटी हो। अब उसको पक्की करके अच्छी सोइल भरदी गई है।

श्री भैरोंसिंह : जिस जगह से नहरें टूटीं वह दो बार टूट गई हैं उसके बारे में इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने राज्य सरकार को यह सूचना भी दी थी जिस प्रकार का कन्स्ट्रक्शन हो रहा है उससे नहरें टूटेंगी इसलिए डिफेक्टिव कन्स्ट्रक्शन को रोका जाय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी मुझे जानकारी नहीं।

श्री दुर्गालाल बाढदार : रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को इस पर 125 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो बचा हुआ खर्चा है जो इस स्कीम को पूरा करने में व्यय किया जायेगा। टूटे हुए काम की मरम्मत में केवल 12 लाख खर्च हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दुर्गालाल बाढदार : The total cost as indicated above may be of 25 lacs,

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : The additional cost but not on account of these breaches.

ब्रीच को रेस्टोर करने में 13 लाख 12 हजार का खर्चा है और बचे हुए काम को करने में 125 लाख का खर्चा होगा।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : जिस जगह से नहर टूटी है उस जगह की आगे की रेत नहीं निकाली गई इस कारण वह टूटी है इसकी जांच करायेंगे ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : रेत कहां की नहीं निकाली इतनी डिटेल्स की मुझे जानकारी नहीं है और यह संभव भी नहीं है।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : अध्यक्ष महोदय, यह नहर अधिकारियों की गलती से टूटी है इसकी जांच करवाई जाय, क्या मंत्री महोदय इसका आश्वासन देंगे ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

प्रश्न सं. 252।

श्री दिग्विजयसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये।)

प्रश्न सं. 253।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये।)

प्रश्न सं. 254।

श्री जयनारायण सालोदिया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये।)

प्रश्न सं. 255।

श्री कृष्णकुमार गोयल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये।)

श्री केसरीसिंह हाडा।

**ग्राम पंचायत, देई के सरपंच द्वारा गेहूं का वितरण**

256. **श्री केसरीसिंह हाडा (हिण्डोली)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरपंच ग्राम पंचायत, देई जिला बूंदी को कितने मन गेहूं किस किस सन् में दिया गया था और उसका मूल्य क्या होता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या जो 1600 मन गेहूं सरपंच द्वारा वसूल किया गया था उसका हिसाब समय पर पेश कर दिया गया था ? अगर नहीं, तो क्यों ? सरकार ने अब तक सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(3) यदि सरपंच ने इसका हिसाब नहीं रखा तो क्या यह गबन की तारीफ में नहीं आता ? यदि आता है, तो क्या मामले में कार्यवाही करने हेतु यह पुलिस को दिया गया था ?

(4) क्या सरपंच ने पुनः अपने बचाव के लिए फर्जी रेकार्ड, तैयार किया ? यदि हां,

(श्री केसरीसिंह हाडा)
तो क्या मामला वास्ते जांच के सुपुर्द पुलिस किया गया था ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या सरपंच काश्तकारों से वसूली कर रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि वसूली फर्जी रेकार्ड के आधार पर की जा रही है ? क्या सरकार द्वारा सरपंच को वसूली नहीं करने का नोटिस जेर दफा 40 सी. पी. सी. का दिया गया था ?

(6) क्या यह सत्य है कि सरपंच ने पंचायत द्वारा उक्त केस का 1200 रुपये तक खर्च करने का प्रस्ताव पारित कर लिया है ?

(7) उक्त 1600 मन गेहूं की राशि को स्वयं श्री मानमल जमा करायेगा अथवा यह राशि पंचायत कोष से जमा कराई जावेगी ? क्या इस हानि के भागी पंच भी बनाये जावेंगे ?

(8) अब तक राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 80 ए. के अन्तर्गत कार्यवाही की । अगर नही, तो किन कारणों से नहीं की गई ?

**पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा):** (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । जिला कृषि अधिकारी बूंदी ने दिनांक 5-7-65 को लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत रिक्वीजीशन उप जिलाधीश, नैनवा को रकम वसूली के लिये भेजा । 2150 रु. की राशि जमा हो चुकी है । शेष राशि की वसूली की कार्यवाही जारी है ।

(3) जी हां, मामला पुलिस में दिया जा चुका है जहां कार्यवाही प्रारम्भ है ।

(4) जी नहीं, फर्जी रेकार्ड तैयार करने के तथ्य सामने नहीं आये ।

(5) सरपंच ने फील्डमेन से उन काश्तकारों की सूची ली जिन्हें गेहूं वितरित किया गया तथा सूची में अंकित काश्तकारों से वसूली की जा रही है । सरकार द्वारा वसूली रोकने का नोटिस नहीं दिया गया ।

(6) जी हां, 1200 रु. खर्च करने का प्रस्ताव पंचायत की बैठक दिनांक 26-6-68 को पारित किया गया ।

(7) श्री मानमल सरपंच एवं पंच पंचायत देई इसके नियमानुसार उत्तरदायी हैं ।

(8) मामले की जांच के पश्चात् राजस्थान पंचायत अधिनियम सन् 1953 की धारा 80 (1) के अन्तर्गत सदस्यों पर उत्तरदायित्व निश्चित करने की कार्यवाही की जावेगी ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

**श्री केसरीसिंह :** इस विषय की प्रथम सूचना राज्य सरकार को कब प्राप्त हुई ?

**श्री परसराम मदेरणा :** 28–11–68 को ।

**श्री केसरीसिंह हाडा :** क्या कारण हैं कि अब तक कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री परसराम मदेरणा: कार्यवाही तो हुई है। यह पुलिस को केस दे दिया गया।

श्री केसरीसिंह हाडा : इन्वेस्टीगेशन से क्या साबित हुआ ?

श्री परसराम मदेरणा : साबित क्या हुआ यह मैं नहीं कह सकता।

प्रश्न सं. 8

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री लक्ष्मण तानीवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न। श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

दूदू बस स्टेशन के अहाते में थड़ियां लगाने की अनुमति

26. श्री दुर्गालाल बाढ़दार : (हवा महल, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दूदू रोडवेज स्टेशन के निर्माण से पूर्व इस स्थान पर क्या कुछ थड़ी वाले बैठते थे ?

(2) क्या यह सच है कि इन थड़ी वालों को अहाता निर्माण के पूर्व यह आश्वासन दिया गया था कि अहाते के अन्दर उन्हें निर्माण के बाद थड़ी लगाने दी जायेगी ?

(3) क्या यह सच है कि वर्तमान में केवल कुछ ही व्यक्तियों को अहाते के अन्दर दुकान लगाने का ठेका दिया गया है ?

(4) क्या पथ परिवहन निगम इन थड़ी वालों को अहाते के अन्दर स्थान देने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री समर्थलाल) :

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) मामला सबजुडिस है। फैसले के बाद ही विचार किया जायेगा।

श्री लादूराम सुलानियां : इस वक्त कितनी थड़ियां अन्दर लगी हुई हैं।

यातायात मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): हमने यह बताया है कि किसी भी थड़ी को उसके अन्दर बैठने का लाइसेन्स नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री लादूराम सुलाणिया : यह आश्वासन देकर उठाया है यहां पर यह हो जायेगा उसके बाद आपकी थड़ियां अन्दर लगा दी जावेगी लेकिन जिनको प्रायोरिटी थी उनको आपने बाहर फेंक दिया ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं बहुत ही नम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला अदालत में चल रहा है और वहां पर जैर कार्यवाही है इसलिये मेरा इस सम्बन्ध में उत्तर देना उचित नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप इसमें यह बता दें कि इसमें फरीकैन कौन कौन हैं ?

# Page No. 16



(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
यह मामला आपने सबजुडिस बताया है इसमें सब जुडिस रोडवेज और कान्ट्रेक्टर्स हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लादूराम और स्टेट रोडवेज।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : बड़ी वालों का कोई ताल्लुक है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बड़ी वालों का ही ताल्लुक है। लादूराम ने कहा कि

I am entitled, therefore others cannot be given.

दूसरा कहता है कि इनको दिया जा सकता है। इस तरह से यह मामला है।

श्री भगवानदास शास्त्री : आपने टेण्डर काल किये हैं। सबजुडिस यह मामला नहीं है जो मामला कोर्ट में विचाराधीन हैं वह कन्टेम्प्ट आफ दी कोर्ट का है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कन्टेम्प्ट आफ दी कोर्ट जब होता है तब कोर्ट का कोई आर्डर हो और आर्डर तब होता है जब वहां कोई मामला विचाराधीन हो। इसलिए सबजुडिस तो है।

श्री अध्यक्ष : सबजुडिस है।

श्री लादूराम सुलाणियां : सबजुडिस किसके बीच में है ?

श्री अध्यक्ष : बता दिया है।

श्री लादूराम सुलाणियां : अध्यक्ष महोदय 330 रुपया माहवार किराया आप लेते हैं और अपने आदमियों को बीच में घुसेड़ देते हैं। यह इल्लीगल काम हो रहा है। जहां तक मुझे मालूम हैं चेयरमेन उसको तंग कर रहा है। परिवहन निगम ने कोर्ट की कोई परवाह नहीं की हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 33।

श्री अध्यक्ष : श्री इंदलिया।

### बिडदवाल–छतरगढ़ सडक निर्माण कार्य

57. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): क्या राजस्थान कैनाल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील सूरतगढ के ग्राम बिडदवाल के पास से जाने वाली छतरगढ रोड का निर्माण कार्य कब तक पूरा कराने की सरकार की योजना थी और अब कब तक यह कार्य पूरा करवा दिया जायेगा ?

(2) बिडदवाल से छतरगढ़ कितने मील है इससे कितनी मील डामर की सड़क व कितने मील कंकरीट सड़क बनी है ? बाकी का कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) तहसील सूरतगढ़ के ग्राम बिडदवाल के पास से जाने वाली छतरगढ़ रोड़ के निर्माण कार्य को पूरा करने की कोई विशेष

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
तिथि निश्चित नहीं है। जैसे जैसे धनराशि उपलब्ध होती जा रही है कार्य में प्रगति लाई गई, कार्य को पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है यह कार्य मार्च 1971 तक पूरा होने की संभावना है।

(2) बिडदवाल से छतरगढ लगभग 325 आर. डी. अर्थात् 65 मील है। इसमें से 25 मील डामर रोड तथा 8 मील कंकरीट रोड बन गई है। बाकी कार्य मार्च, 1971 तक पूरा होने की आशा है।

श्री लादूराम सुलाणियां : प्रश्न 56 ले लिया जाये अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

प्रश्न सं. 234।

श्री देवीलाल बुरासिया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न सं. 231

श्री बृजवल्लभ बोहरा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री सूरजमल।

झुंझुनू जिले के अकालग्रस्त ग्राम

240. श्री सूरजमल (सूरजगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सत्य है कि जिला झुंझुनू में कुछ अकालग्रस्त ग्रामों की घोषणा की गई है ? यदि हां, तो तहसील खेतड़ी में कितने और कौन कौन से ग्रामों की घोषणा की गई है ?

(2) क्या इन घोषित किये गये ग्रामों में सरकार अकाल राहत कार्य चालू करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार के और कब तक राहत कार्य चालू किये जायेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि गत वर्ष जो अकाल राहत कार्य चालू किये थे वे अधूरे पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा यह कार्य कब तक चालू हो जायेंगे ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां, जिला झुंझुनू में 163 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं, तहसील खेतड़ी के 36 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) स्थिति की गम्भीरता को ध्यान रखते हुए जिलाधीश के जैसे प्रस्ताव होंगे उन पर विचार किया जाकर निर्णय लिया जावेगा।

(3) जी हां। गत वर्ष चालू किये गये कुछ कार्य अधूरे रह गये थे क्योंकि वर्षा हो जाने के कारण अगस्त में सहायता कार्य बन्द कर दिये गये थे। आवश्यकतानुसार कार्यों को खोले जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिए जायेंगे।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

श्री सूरजमल : क्या जिला झुंझुनू में कोई अकाल राहत कार्य चालू किये गये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी तक नहीं किये गये हैं।

श्री सूरजमल : इसके क्या कारण हैं, क्यों नहीं किये गये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : उत्तर में निवेदन किया गया है अभी घोषणा हुई है अभावग्रस्त क्षेत्रों की। जिलाधीश झुंझुनूं से ज्यों ज्यों प्रस्ताव आयेंगे वहां पर अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे।

श्री सूरजमल : जो राशि वहां भेजी गई थी क्या वह वापिस आ गई है ? क्या यह सही है ?

श्री परसराम मदेरणा : कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। एक लाख रुपया पानी की व्यवस्था के लिए भेजा गया था वह वापिस आ गया है यह कह कर कि पानी की व्यवस्था करने को अब जरूरत नहीं है इसलिए लौटा दिया गया है।

श्री सूरजमल : अलसीसर में पानी की अव्यवस्था है। वहां पर यह पैसा क्यों नहीं खर्च किया गया ?

श्री रामनारायण चौधरी : क्या यह सही है कि जिला अकाल सहायता समिति की सलाह नहीं लेकर यह पैसा लौटाया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह मुझे नहीं मालूम कि इसमें रिलीफ एडवाइजरी कमेटी की राय ली गई है या नहीं। यह मैं नहीं कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

श्री सूरजमल : पिछले वर्ष जो अधूरे कार्य रह गये थे क्या राज्य सरकार उनको कोई प्रायोरिटी देगी ? क्या ऐसा कोई प्रावधान है ?

श्री परसराम मदेरणा : सभी नहीं लिये जा सकते। जिला झुंझुनूं में 700 गांवों में से 699 गांव गत वर्ष अभावग्रस्त घोषित किये गये थे और इस वर्ष 163 गांव ही अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। इन अभावग्रस्त गांवों में जो जो काम अधूरे रह गये, उनको निश्चित तौर से लिया जावेगा, यह मैं कह सकता हूं।

श्री सूरजमल : इनमें बहुत सी सड़कें महत्वपूर्ण हैं जिनको लेने का क्या कोई प्रावधान है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : अगर उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र को अभावग्रस्त घोषित किया गया है, वहां कोई कार्य अधूरा है तो उसको अवश्य लिया जायेगा।

प्रश्न सं. 247

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न सं. 252

श्री दिग्विजयसिंह
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 255

श्री कृष्णकुमार गोयल
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न सं. 254

श्री सालोदिया

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न सं. 8

श्री लक्ष्मण तानीवाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न सं. 33

श्री विट्ठल प्रसाद

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न सं. 33

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री महोदय ।

### व्यय में कटौती

33. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (इकलेरा) की अनुपस्थिति में, श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल जयपुर) द्वारा पूछा गया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य की वित्तीय विषम स्थिति को देखते हुए सरकार ने व्यय में कटौती के निर्णय लिये हैं ?

(2) किस किस विभाग में कटौतियां एवं छटनी की गई है तथा उससे कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं ? प्रत्येक विभागीय कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

(3) उक्त कटौती निर्णयों से राज्य सरकार को कितनी बचत हो सकेगी ?

राज्यमंत्री, वित्त (श्री बी. एन. जोशी) : अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत सामग्री इकट्ठी करनी है इसलिए इसको स्थगित किया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : पिछली बार भी इसको स्थगित किया गया था ।

श्री अध्यक्ष : आपको पूछने का अधिकार दिया गया था । अब यह स्थगित किया जाता है ।

प्रश्न समाप्त हुए । अब शेष समय···

श्री लादूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 56 ले लें ।

श्री अध्यक्ष : समाज कल्याण मंत्री ।

### रंगास्वामी एवं मेघवाल जाति के बेघरबार परिवार

56. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) की अनुपस्थिति में, श्री लादूराम सुलानियां (फागी) द्वारा पूछा गया : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नगरपालिका सादड़ी (मारवाड़), तहसील देसूरी में रंगास्वामी एव मेघवाल जाति के कितने परिवार बेघर हैं ?

(2) इन परिवारों को बसाने हेतु सरकार के पास क्या योजना है और उन्हें कब तक बसाया जा सकेगा ?

राज्यमंत्री, समाज कल्याण, (श्री बी. एन. जोशी : (1) नगरपालिका सादड़ी, तहसील देसूरी में लगभग 20 परिवार

# Page No. 20



(श्री बी. एन. जोशी)
रंगास्वामियों के तथा 55 परिवार मेघवालों के बेघर बताये जाते हैं जो झौंपड़ियों में रहते हैं।

(2) विभाग द्वारा मकान सहायता नियमानुसार आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर तथा प्रावधान की उपलब्धि के अनुसार स्वीकार की जाती है। मेघवालों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उन पर विचार किया जा सकता है। रंगास्वामी अनुसूचित जातियों की सूची में नहीं हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : ये बेघरबार कैसे हुए हैं ?

श्री बी. एन. जोशी : तफसील तो मेरे पास नहीं है, सम्भवतः शुरू से ही इनके पास मकान नहीं हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : जब मकान नहीं थे तो धूल में रहते थे ? आपको प्रार्थना करते हैं तो आप सुनवाई नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री लादूराम सुलानिया : और जब आप से कहते हैं तो आप कहते हैं हमें जानकारी नहीं है कि ये बेघरबार कैसे हुए ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है ?

श्री बी. एन. जोशी : इन व्यक्तियों के कोई प्रार्थना-पत्र सहायता के लिए विभाग के पास नहीं आये हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : इनकी शिकायत दबा रखी है।

श्री सूरजमल (सूरजगढ़) : जिनके घर नहीं हैं उनको किस प्रकार की सहायता दी जाती है और उनको प्रॉयोरिटी में लिया जाना चाहिये।

श्री बी. एन. जोशी : पहले ही बता दिया है कि उनकी दरख्वास्तें आयेंगी तो उनको प्राथमिकता जरूर दी जायेगी।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या राज्य सरकार के पास ऐसे निश्चित आंकड़े हैं कि कितनी अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग बेघरबार हैं ?

श्री बी. एन. जोशी : ऐसा सर्वेक्षण राजस्थान में नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : क्या राज्य सरकार इसको आवश्यक नहीं समझती कि बेघरबारों को बसाने के लिए उनकी सूचना सरकार के पास उपलब्ध हो ?

श्री लादूराम सुलानिया : बांदीकुई तहसील में कितने हरिजन बेघरबार हैं ?

श्री बी. एन. जोशी : वहां कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री सारण।

एक माननीय सदस्य : समाज कल्याण विभाग की तरफ से कोई योजना····

श्री अध्यक्ष : श्री सारण।

श्री दौलतराम सारण : क्या राज्य सरकार यह आवश्यक नहीं समझती है ?

(पुनः एक माननीय सदस्य के व्यवधान डालने पर)

# Page No. 21



श्री अध्यक्ष : पुनः एक माननीय सदस्य के व्यवधान डालने पर ) आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य ।

श्री दौलतराम सारण : क्या राज्य सरकार यह आवश्यक नहीं समझती है कि फेमिन के लोगों के अलावा देने के लिये जैसा राज्य सरकार कहती है हमारे पास योजना है तो उनकी समस्या किस जगह कितनी है-ऐसी जानकारी आवश्यक नहीं समझती है ?

श्री बी. एन. जोशी : आंकड़े समाज कल्याण अधिकारी से प्राप्त होते हैं।

श्री दौलतराम सारण : क्या आंकड़े संग्रह कर लिये हैं ?

श्री बी. एन. जोशी : मैं समझता हूँ ऐसा नहीं किया है ।

श्री दौलतराम सारण : जब ये आंकड़े ही संग्रहित नहीं किये गये हैं, किसी गांव, कस्बा या जिले के तो फिर यह समस्या का समाधान किस प्रकार होगा, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : पर यह कहा कि आंकड़े संग्रह कर लिये जायेंगे।

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानियां : अध्यक्ष महोदय एक बात · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । स्थान ग्रहण करें ।

श्री लादूराम सुलानियां : अध्यक्ष महोदय · · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । आसन अपने पैरों पर है। थोड़ी परम्पराओं का ध्यान रखें । ( माननीय सदस्य के बोलते रहने पर) अंकित न हो ।

श्री लादूराम सुलानियां : X X X X

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य थोड़ा सा · ··

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक पाइन्ट ऑफ आर्डर रेज करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : जब आसन पैरों पर हो तब पॉइन्ट ऑफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता है । मैं बैठ जाऊं तब खड़े होना । फिर बैठे बैठे कभी पॉइन्ट ऑफ आर्डर रेज नहीं होता है ।

श्री भैरोंसिंह : श्री अध्यक्ष महोदय खड़ा इसलिये नहीं होना चाहता था कि आप खड़े हैं । पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर मेरा यह है कि रूल्स में अतारांकित प्रश्न पूछने की व्यवस्था आपने दी है । जिस दिन यह लिस्ट पब्लिश होती है उस दिन यह मान कर चला जाता है, उत्तर आ गया है और सरक्यूलेट कर दिये जायेंगे, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न के बारे में पिछले डेढ़ साल से प्रयत्न कर रहा हूँ आज की सूची में प्रश्न सं. 323 है । इस प्रश्न का उत्तर पिछले तीन सत्र में शार्ट नोटिस के रूप में, तारांकित प्रश्न के रूप में,

---

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री अध्यक्ष)

अतारांकित प्रश्न के रूप में प्राप्त करने का प्रयत्न कर लिया, लेकिन राज्य सरकार इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही है-सदन में इसकी चर्चा होती नहीं इसलिये राज्य सरकार यह समझती है कि जिन प्रश्नों का उत्तर दें-ठीक है और नहीं दिया जायगा तो विधान सभा में यह प्रश्न नहीं आयगा और प्रयत्न किया जायगा तो सत्र अवसायन हो जायगा। मैं चाहता हूँ इस प्रश्न पर विशेष रूप से व्यवस्था देने की कृपा की जाय । माननीय मंत्री महोदय, जिनका इस प्रश्न से सम्बन्ध है वे जानबूझ कर इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं क्योंकि रूल्स का वायोलेशन हुआ है । क्या वे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं ? इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर दिलवाया जाय और माननीय मंत्री महोदय इसको एक्सप्लेन करें ।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन सुप्रीम है वह चाहे जो कुछ एक्सप्लेनेशन ले सकता है, लेकिन माननीय सदस्य जो जयपुर से आने वाले हैं उन्होंने कहा जानबूझ कर उत्तर नहीं दिया जा रहा है यह बिल्कुल सही नहीं है । मैंने स्वयं ने तमाम इन्फार्मेशन मांगी है। अभी कुछ जिलों से इन्फार्मेशन आई नहीं है इसलिये इन-कम्पलीट इन्फार्मेशन है। आज ही सुबह मैंने इस बात का आदेश दिया है कि 4 दिन में सारी इनफार्मेशन एकत्रित कर ली जाय। मैं इस प्रश्न की जानकारी जल्दी से जल्दी देना चाहता हूं और जो सम्बन्धित सूचियां हैं वह सदन की टेबिल पर रखना चाहता हूं । राज्य सरकार का इरादा नहीं है कि कोई बात सदन से छिपाई जाय । इसमें रूल्स का वायोलेशन नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ-In the larger interest of the suffering humanity...

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त होगा । इसी सत्र में उत्तर दिलवा दूंगा । आज अकाल राहत पर डिबेट होने वाली है····

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय ने कहा पब्लिक इन्ट्रेस्ट का वायोलेशन हुआ होगा। पब्लिक इन्ट्रेस्ट में हुआ है तो फिर कोड में अमेन्डमेंट होगा। रूल्स के वायोलेशन को हिट करने के लिए ही यह क्वेश्चन है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं इस प्रश्न का उत्तर··

श्री परसराम मदेरणा : कौनसे रूल्स का वायोलेशन है ?

श्री भैरोंसिंह : फेमिन कोड में डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी और फेमिन एडवाइजरी कमेटी में जब स्क्रूटिनी होगी तो आप मुझे बतायें कि··

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। इसको कन्ट्रोवर्सी में नहीं डालें माननीय सदस्य। इस सदन में उत्तर आ जायेगा जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा है। चार दिन में उत्तर आ जायगा। मैं इसको रेकार्ड में ले लूंगा।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

केकड़ी बस स्टेन्ड पर यात्रियों की सुविधाएं

238. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान यातायात निगम के केकड़ी बस स्टेण्ड पर यात्रियों के विश्राम हेतु कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और नहीं कोई समय सारिणी लगाई हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान यातायात निगम द्वारा अभी तक केकड़ी बस स्टेण्ड पर विश्राम गृह का निर्माण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक निर्माण करवा दिया जायेगा ?

(3) केकड़ी बस स्टेण्ड पर यातायात निगम की कितनी जमीन पड़त पड़ी हुई है और उस पर क्या निर्माण कार्य हो रहा है ?

उत्तर

(1) केकड़ी बस स्टेण्ड पर यात्री विश्राम गृह तो नहीं बनाया गया है परन्तु समय-सारिणी लगी हुई है।

(2) वित्तीय प्रावधान न कर सकने के कारण अभी तक केकड़ी में विश्राम गृह नहीं बनाया जा सका। अब अगले साल वहां विश्राम गृह बना दिया जायेगा।

(3) केकड़ी बस स्टेण्ड पर 2730 वर्गगज जमीन निगम के अधीन है जिसमें बुकिंग आफिस बना हुआ है और बाकी जमीन खाली पड़ी हुई है।

कोटा जिले से कम्पाउन्डरों का तबादला

239. श्री बृजबल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जनवरी, 1969 से अब तक कोटा जिले से किन किन कम्पाउण्डरों का ट्रान्सफर दूसरे जिलों में किया गया ?

(2) क्या इन कम्पाउण्डरों में से किसी का ट्रान्सफर केंसिल किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या ये कम्पाउन्डर पुराने थे ?

(3) क्या यह सही है कि जो कम्पाउन्डर प्रमोशन पाने वाले थे उन्हीं का ट्रान्सफर किया गया था ?

उत्तर

(1) जनवरी, 1969 से अब तक कोटा जिले के जिन जिन कम्पाउन्डरों का स्थानान्तर दूसरे जिलों में किया गया उनकी सूची (अ) संलग्न है।

(2) जी हां। इनमें से जिन कम्पाण्डरों का स्थानान्तर निरस्त हुआ है उनकी सूची (ब) संलग्न है। यह स्थानान्तर स्थानीय मांग पर निरस्त हुए हैं। ये कम्पाउन्डर पुराने थे।

(3) जी नहीं। कुछ स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर भी हुए हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

फर्मों की बकाया

243. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या मेडिकल डिपार्टमेंट में 1967–68 के पहले की सप्लाईज का कुछ

# Page No. 24



(श्री कृष्णकुमार गोयल)

फर्मों का भुगतान अभी तक बाकी है ? यदि हां, तो किस किस फर्म का ? सूची सकारण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या मेडिकल डिपार्टमेंट में भुगतान करने का कोई निश्चित समय नहीं हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह भी सही है कि फर्मो को निर्धारित समय में ही सामान सप्लाई करना पड़ता है, यदि निश्चित समय में सप्लाई न की जावे तो उन फार्मों पर पैनेल्टी लगाई जाती है ?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा जारी की गई एप्रूव्ड लिस्ट के आधार पर सप्लाई जिला अथवा इकाई प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्राप्त की जाती है और भुगतान भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। जिन अधिकारियों द्वारा भुगतान बकाया है–सूची संलग्न है ।

(2) माल प्राप्ति होने के 30 दिन की अवधि में भुगतान करने के लिए विभाग द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश प्रसारित दिये हुए हैं ।

(3) जी हां, liquidated damages की राशि वसूली की जाती है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

**राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट गाडियां**

245. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में नेशनेलाइज रूट्स कौन से हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सच है कि इन रूटों पर प्राईवेट टैम्पू, फोरव्हीलर स्टेशन वैगन, कारें आदि सैंकड़ों गाडियां रोडवेज के स्टेन्डों पर से सवारियों को ले जाती हैं ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है ?

(3) क्या यह भी सच है कि ऐसी गलत चलने वाली गाडियों के कई बार एक्सीडेन्ट हो जाते हैं ? यदि हां, तो गत तीन साल के आंकड़े सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार गलत चलाने वाले सवारियों से मय टैक्स के पूरा किराया वसूल करते हैं व सरकार में टैक्स जमा नहीं कराते हैं ? यदि हां, तो इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीयकृत मार्गों की सूची संलग्न है ।

(2) निगम से ऐसी शिकायत आई । ऐसी प्राईवेट गाडियां कार व फोरव्हीलर स्टेशन वैगनों के खिलाफ निगम सम्बन्धित प्रादेशिक यातायात अधिकारियों व पुलिस को शिकायतें की जाती हैं । जिनके खिलाफ उनके द्वारा कार्यवाही की जाती है । मजिस्ट्रेटों द्वारा चैकिंग भी कराई जाती है ।

(3) सूचना एकत्र की जा रही है ।

# Page No. 25



(यातायात मंत्री)

(4) इन पर एक मुश्त टैक्स पैसेन्जर कर में लेते हैं जो वाणिज्य कर विभाग द्वारा वसूल किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

## सी. टी. ओ. नागौर द्वारा मंगाई गई फाईलें

247. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि तारीख 17-8-1969 को सी.टी.ओ., जोधपुर विशेष क्षेत्र ने मैसर्स रामनारायण गंगाकिशन नागौर वाले की फाइल 25 लाख से अधिक बिक्री होने के कारण अपने यहां मंगवाने के आदेश भेजे ?

(2) क्या यह सही है कि सी.टी.ओ., नागौर ने उपरोक्त पार्टी के खिलाफ तारीख 24-8-1969 को सेल्स टैक्स बाबत एक केस बनाया ?

(3) क्या यह सही है कि उस केस के आधार पर सी. टी. ओ., नागौर ने मैसर्स रामनारायण गंगकिशन एवं संबंधित अन्य पार्टियों को भी नागौर बुलाया ?

(4) क्या यह सही है कि जिस समय अन्य पार्टियों को सी. टी. ओ., नागौर में बुलाया उस समय उनमें से अधिकांश की फाइलें उनके पास नहीं थी ? यदि हां, तो वे फाइलें कहां किसके पास थीं ?

उत्तर

(1) सी.टी. ओ. विशेष मण्डल, जोधपुर ने तारीख 14-8-69 को सी.टी.ओ., नागौर को नोटिफिकेशन नं. एफ. 3(ए)(29) टैक्स/सीसीटी/69/57, दिनांक 30-7-69 के अनुसरण में विशेष मण्डल के क्षेत्राधिकार की फाइलें भेजने को लिखा था।

(2) सी. टी. ओ., नागौर ने रामनारायण गंगाकिशन डिगाना जिला नागौर के कुछ कागजात तारीख 24-8-69 को पकड़े थे।

(3) उसके आधार पर सी. टी. ओ., नागौर ने मैसर्स रामनारायण गंगाकिशन एवम् अन्य सम्बन्धित पार्टियों को भी नागौर बुलाया था।

(4) क्या यह सही है कि जिस समय इन पार्टियों को वाणिज्य कर अधिकारी नागौर ने बुलाया उस समय उनमें से कुछ की फाइलें उनके पास नहीं थीं। यह फाइलें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड 'बी' मेड़ता के पास थीं और कुछ व्यापारी रजिस्टर्ड ही नहीं थे।

## पंचायत समितियों के कर्मचारी और राणावत वेतन आयोग की सिफारिशें

252. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति सेवा अन्तर्गत कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए राणावत

(श्री दिग्विजय सिंह)
वेतन आयोग की सिफारिशें क्यों नहीं लागू की गई हैं ?

(2) क्या पंचायत समितियों के अध्यापकगणों के 1-9-1961 की रिवाइज्ड पे-स्केल के आधार पर फिक्सेशन कर दिये गए हैं ? यदि नहीं, तो किस किस पंचायत समितियों में कितने कितने अध्यापक ऐसे हैं जिनका फिक्सेशन नहीं किया गया है ?

(3) क्या 1-9-1961 के पश्चात् कोई संशोधन वेतन श्रृंखलाओं में हुए हैं ? यदि हां, तो कब कब ?

(4) क्या इन संशोधनों के आधार पर समस्त पंचायत समितियों के अध्यापकों के फिक्सेशन कर दिए गए हैं और उनको उसके अनुसार राशि का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो किस किस पंचायत समिति में कितने कितने अध्यापकगणों की राशि बकाया है ? कृपया समितिवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें ।

(5) इस बकाया राशि का अब कब तक चुकारा कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) राणावत वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायत समिति सेवा के कर्मचारियों के लिए नई वेतन श्रृंखला सन् 1969 लागू कर दी गई है ।

(2) कुल 69 पंचायत समितियों के 304 अध्यापकों का वेतन निर्धारण होना शेष है ।

(3) जी हां, 1-4-66 से वेतन श्रृंखलाओं में संशोधन लागू हुए हैं ।

(4) आंकड़े सदन की मेज पर रख दिये गये हैं ।

(5) यथा संभव शीघ्र चुकारा कर दिया जायेगा ।

[(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

## पवन एवं काली खाड़ नदियों में बाढ़

253. श्री बिट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा मनोहर थाना में पर्वन नदी एवं कालीखाड़ नदियों में बाढ़ प्रति वर्ष आती रहती है और उससे सैकड़ों परिवार गृहहीन हो जाते हैं तथा हजारों रुपयों की क्षति होती है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कस्बे में आने वाली बाढ़ को रोकने के लिये तत्कालीन कोटा राज्य ने कोई योजना बनाई थी ?

(3) क्या राज्य सरकार ने उक्त योजना तथा बचाव के अन्य साधनों के सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ?

(सिंचाई मंत्री)

उत्तर

(1) काली खाड़ एवं पर्वन नदियों से मनोहर थाना कस्बे में बाढ आती रहती है। वर्ष 1969-70 से पूर्व इस क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण हानि होना नहीं बताया गया है।

(2) इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(3) राज्य सरकार एक वृहद् सिंचाई योजना बना रही है जिसके अन्तर्गत कस्बा मनोहर थाना से डेढ़ मील ऊपर पर्वन नदी पर लगभग 110 फीट ऊंचा बांध बनाए जाने का प्रस्ताव है।

## ग्राम पंचायत रानोली के सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

254. श्री जयनारायण सांगोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रानोली तहसील टोंक के सरपंच ने दिनांक 15-11-1966 को छोगानाथ कल्याणनाथ जोगी को फर्जी नोटिस 61) रुपये का दिनांक 21-11-966 तक जमा कराने का दिया, जो प्रोफार्मा पर नहीं है और ना ही उस पर रजिस्टर के नम्बर हैं और सरपंच की मोहर भी नहीं है ?

(2) क्या यह भी सच है कि उक्त रुपये सरपंच ने उक्त आदमियों से लेकर पंचायत कोष में जमा नहीं कराये हैं ? यदि हां, तो उस सरपंच के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सरपंच ने रकम ही वसूल नहीं की, ऐसी अवस्था में पंचायत कोष में रकम जमा कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

## उर्दू की पढाई

255. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के उन कालेजों की सूची सदन की मेज पर रखें जहां ऐच्छिक विषय के रूप में उर्दू पढ़ाई जाती है।

(2) ऐसे कालेजों की सूची सदन की मेज पर रखें जहां गत 5 वर्षों में कालेज की सब कक्षाओं में 5 से अधिक छात्रों ने उर्दू की पढ़ाई के लिये आवेदन नहीं दिया है ?

(3) राज्य में ऐसे कितने उर्दू के लेक्चरार एवं प्रोफेसर हैं जिनका सेवाकाल 30 वर्ष से अधिक का है और उनकी सेवा निवृत्ति क्यों नहीं की गई है ?

(4) जिन कालेजों में यूनिवर्सिटी के नियमों से उर्दू के कम छात्र है वहां से उर्दू की पढ़ाई क्यों नहीं समाप्त की गई ?

(5) सन् 63-64 से 68-69 तक कालेजों में कक्षावार उर्दू के छात्रों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1. (1) राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
(2) राजकीय महाविद्यालय, टोंक
(3) श्री कल्याण कालेज, सीकर

(शिक्षा मंत्री)

(4) मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर

(5) महाराणा कालेज, उदयपुर

(6) राजस्थान कालेज (कैम्पस) जयपुर

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) श्री कल्याण कालेज, सीकर में श्री मोहम्मद ववस जहीन है जिनको उर्दू विषय पढ़ाते 32 वर्ष हो गये। इसमें 17 वर्ष की सेवा सीकर ठिकाने के समय की है। ठिकाने में ये प्रॉवीडेन्ट फण्ड नहीं कटवाते थे, अतः वह सेवा काल राज्य सेवा काल में नहीं गिना गया।

(4) इसके लिए कोई नियम नहीं है।

(5) प्रश्न 2 के उत्तर में सदन की मेज पर रखी गई सूची में यह सूचना भी अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिए)

स्थगित प्रश्न

(9-3-70)

## झालावाड़ जिले में अकाल राहत कार्य

8. **श्री लक्ष्मण तानीवाल** (डग) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले की किस किस तहसील के कितने कितने व क्या क्या तथा कितनी कितनी लागत के अकाल राहत कार्य किन ठेकेदारों अथवा किसके संरक्षण में चल रहे हैं? ये राहत कार्य कब तक पूरे हो जायेंगे? इनकी वर्तमान स्थिति क्या है? अब तक इन पर कितना पैसा खर्च हो गया और शेष कितना खर्च और होगा? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिले को कुल कितना पैसा अकाल राहत कार्यों के लिए मिला है व कितना और मिलना है या मांगा गया है अथवा चाहिए?

(3) कितना कितना सामान क्या क्या व कहां कहां से किस किस रेट में पर्चेज किया व शेष कितना और किया जाना है? क्या इन सब के लिये टेण्डर काल किए? अगर हां, तो बाकी टेण्डरों की रेट्स क्या हैं व किस किस ने टेण्डर दिये जिनके टेण्डर मंजूर नहीं हुए उनके क्या कारण थे?

(4) गत 1 वर्ष में अकाल राहत एवं गैर राहत कार्य जो सरकारी स्तर पर किए गए हैं उनकी सूची देने का कष्ट करें व ये सब किनके द्वारा किए जा रहे हैं व कब तक पूरे होंगे व किन ठेकेदारों द्वारा कराये जा रहे हैं?

(5) क्या यह सही है कि ठेकेदारों को कुछ श्रेणियां सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं? क्या योग्य ठेकेदारों को ही ठेके दिये जायं इस बात का ख्याल रखकर टेण्डर मंजूर किये जाते हैं? अगर हां, तो क्या किन्हीं ठेकेदारों के सम्बन्ध में ये शिकायतें आई कि ये योग्य नहीं हैं अथवा अपने निर्धारित एग्रीमेण्ट के अनुसार काम नहीं कर रहे है? यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें सामने आई और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(अकाल सहायता मंत्री)

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले की किसी भी तहसील में कोई राहत कार्य इस समय नहीं चल रहे हैं। इसलिए इनका पूरे हो जाने आदि का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) अभाव वर्ष 2026 में इस जिले को कोई पैसा अकाल राहत कार्यों के लिए नहीं दिया गया है। और अभी दिये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(3) अभाव वर्ष 2026 में सहायता विभाग के मद से कोई सामान नहीं खरीदा गया है, न खरीदा जाना है। अतः टेन्डर आमन्त्रित किये जाने या उनकी दर आदि के सम्बन्ध में प्रश्न हो नहीं उठता।

(4) गत एक वर्ष में जो अकाल राहत एवं गैर अकाल राहत कार्य करवाये गए हैं उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(5) जी हां, ठेकेदारों की कुछ श्रेणियां सरकार द्वारा निर्धारित हैं। टेण्डर योग्य एवं अयोग्य ठेकेदारों का विचार किया जाकर न्यूनतम दर पर ही मंजूर किया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार या किसी अधिकारी के समक्ष किसी ठेकेदार के विरुद्ध उनकी योग्यता नहीं होने अथवा निर्धारित एग्रीमेन्ट के अनुसार काम नहीं करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः उन पर कार्यवाही किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिए)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

## फैस्टीवल एडवान्स की अधिकतम सीमा

304. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत किये जाने वाले फैस्टीवल एडवांस की अधिकतक सीमा 50) रुपये है? यदि हां, तो यह सीमा किस सन् में निर्धारित की गई थी?

(2) क्या सरकार इस सीमा को 100) रुपये तक बढ़ाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले त्योहार विशेष अग्रिम की सीमा रु. 50 सन् 1963 में निर्धारित की गयी थी।

(2) इस सीमा को बढ़ाकर रु. 100) करने का विचार सरकार का नहीं है। वर्तमान वित्तीय स्थिति के संदर्भ में अग्रिम की राशि में वृद्धि करना सम्भव नहीं है।

## केशियरों को कन्वेयेन्स चार्जेज

305. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार के विभागों में नियुक्त कैशियरों द्वारा बैंक

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

से या बैंक तक 1000) रुपये से अधिक राशि लाने ले जाने पर प्रति माह अधिकतम छः रुपये कन्वेयेन्स चार्जेज स्वीकृत किये जाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि यह अधिकतम सीमा सन् 1954 में निश्चित् की गई थी और इसके पश्चात् आज तक इस पर कभी पुनर्विचार नहीं किया गया ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार छः रुपये की अधिकतम सीमा में संशोधन करना चाहती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कन्वेयेन्स चार्जेज दिये जाने के आदेश 1954 में प्रसारित हुये थे। पुनर्विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

(3) ऐसा कोई विचार नहीं है।

## डिनेचर्ड स्प्रिट का कोटा

306. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या आबकारी मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान में कितने और किस किस नाम से कहां कहां पर डिनेचर्ड स्प्रिट के होलसेल व रिटेलसेल लाइसेन्स होल्डर हैं ? इनको कितना कितना कोटा डिनेचर्ड स्प्रिट का दिया जाता है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) लाइसेन्स की कितनी कितनी फीस है और उससे वित्तीय वर्ष में कुल कितनी आमद होती है ?

(3) क्या लाइसेन्सी को समय पर कोटा दिया जाता है। अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में डिनेचर्ड स्प्रिट के होलसेल लाइसेन्सधारियों की संख्या 40 व रिटेल लाइसेन्सधारियों की संख्या 192 हैं। सूची 'क' व 'ख' क्रमशः संलग्न है।

होलसेल लाइसेन्सधारियों का वर्तमान में कोई कोटा निर्धारित नहीं है। लाइसेन्सधारियों की आवश्यकता एवं राज्य में उपलब्ध स्प्रिट को ध्यान में रखते हुए स्प्रिट दी जाती है। रिटेल लाइसेन्सधारियों के लिये साधारणतया एक सौ लीटर माहवारी कोटा निर्धारित है।

(2) डिनेचर्ड स्प्रिट के होलसेल लाइसेन्स की फीस 500/- रुपया वार्षिक है तथा रिटेल लाइसेन्स की फीस 50/- (पचास रुपया) वार्षिक है। वर्ष में डिनेचर्ड स्प्रिट की लाइसेन्स फीस से लगभग 29000 रुपया की आय होती है।

(श्री आबकारी मंत्री)

(3) राजस्थान में स्प्रिट का उत्पादन आवश्यकता अनुसार नहीं होता है। डिनेचर्ड स्प्रिट की उपलब्धि के अनुसार होलसेल लाइसेन्सधारियों को उनकी आवश्यकता पर विचार कर स्प्रिट का आवंटन किया जाता है। रिटेल लाइसेन्सधारी होलसेल लाइसेन्सधारियों से अपने कोटे अनुसार स्प्रिट प्राप्त करते हैं। होलसेल लाइसेन्सधारियों का कोटा राज्य में आवश्यकतानुसार स्प्रिट उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्धारित नहीं किया गया है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## धौलपुर सदर अस्पताल में जूनियर स्पेशलिस्ट का पद

307. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या धौलपुर सदर अस्पताल में जूनियर स्पेशलिस्ट का पद बढ़ाया गया है? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या उक्त पद पर किसी डाक्टर को नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो किस को और कब ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त नियुक्त डाक्टर को बिना चार्ज दिलाए ही डेपूटेशन पर अन्यत्र भेज दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा जूनियर स्पेशलिस्ट की पोस्ट बनाने का क्या तात्पर्य था ?

(4) अब कब तक उक्त स्पेशलिस्ट को धौलपुर भेजने की व्यवस्था होगी ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 18 (418) एम.पी. एच।66। ग्रुप–2, दिनांक 1[illegible]-2-69 से।

(2) जी हां, डा. सोहन सांखला को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 1 (228) एम. पी. एच।69।ग्रुप–2, दिनांक 13–6–69 के द्वारा नियुक्त किया है उन्होंने वहां दिनांक 2–7–69 को कार्य भार सम्भाला था।

(3) जी हां, डा. सांखला को गंगानगर में वहां स्पेशलिस्ट की अधिक आवश्यकता होने व जनता की इस मांग को ध्यान में रखते हुए यह अस्थायी व्यवस्था की गई थी।

(4) साथ ही डा. सोलोमन को भी धौलपुर रखने की वहां की जनता की मांग थी। अब गंगानगर के लिए जूनियर स्पेशलिस्ट का पद स्वीकृत हो गया है अतः धौलपुर के पद पर किसी अन्य स्पेशलिस्ट को नियुक्त कर दिया जायगा।

## रोगी महिला के साथ बलात्कार

308. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के आपत्कालीन चिकित्सा कक्ष में 6-7 जनवरी को रात्रि को एक रोगी

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
महिला के साथ किसी कर्मचारी ने बलात्कार किया ? यदि हां, तो किस कर्मचारी ने और उस पर अब तक सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

जी नहीं। श्री बद्री पुत्र पांचू वार्डबाय पर यह आरोप श्री मोहनलाल की पत्नी श्रीमती कमला द्वारा लगाया गया था। जांच समिति की जांच के आधार पर यह बात सही प्रतीत नहीं होती। ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

## प्राथमिक पाठशाला, नापासर के प्रधानाध्यापक

309. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि अब्दुल वहीद "कमल" प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक पाठशाला, नापासर को छः वर्षों से इसी पाठशाला में लगाये रखा गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक राजनीति में हिस्सा लेता है और ग्रामवासियों की परीक्षा के अवसर पर तथा भर्ती के समय तंग करके अनैतिक आय करता है ?

(3) क्या यह सही है कि उसने छः साल यहीं जमे रहने में सफलता किसी मन्त्री महोदय से सम्पर्क स्थापित करने का झूठा बहाना बनाकर अधिकारियों को दबाकर प्राप्त की ?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्रामवासियों व पंचायत को उनके खिलाफ शिकायत करने पर भी अधिकारियों ने उसका स्थानान्तरण नहीं किया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ऐसी कोई शिकायत विभाग के पास प्राप्त नहीं हुई है।

(3) यह सही नहीं है।

(4) उक्त प्रधानाध्यापक का स्थानान्तरण दिनांक 29-8-69 को कर दिया गया है।

## जे. बी. हायर सेकेन्डरी स्कूल लाडनूं का बोयज फण्ड

310. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जे. बी. हायर सेकेन्डरी स्कूल, लाडनूं में कोई "बोयज फण्ड" नाम की राशि जमा है ? यदि हां, तो कितनी और कहां पर जमा करा रखी है ?

(2) उक्त फण्ड के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई नियम या निदेश जारी किये हुए हों, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त स्कूल द्वारा नियमों व आदेशों का कोई उल्लंघन किया हो, तो उनका पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें।

# Page No. 33



(श्री हरजीराम बुरडक)

(4) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई हो तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 31-1-70 को बायज फण्ड में कुल 5284.14 पैसे थे जिसका हिसाब निम्न प्रकार से है :—

| | |
|---|---|
| स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर ब्रांच में | 109.56 |
| डाक घर में | 500.00 |
| शेष राशि जो वेतन भुगतान के लिए अस्थायी रूप से उपयोग में लिये गये हैं | 4674.58 |
| | 5284.14 |

(2) जी हां, उक्त आदेश संख्या 20/67 की प्रतियां संलग्न है।

(3) छात्र कोष की राशि का वेतन भुगतान के सम्बन्ध में उपयोग कर संस्था ने नियमों का उल्लंघन अवश्य किया है।

(4) संस्था व्यवस्थापक को इस प्रकार की अनियमितता करने के लिए स्पष्टीकरण देने हेतु लिखा गया है। और आदेश दिये गये हैं कि उक्त राशि अविलम्ब डाकघर में जमा करा दें। यद्यपि इन्होंने यह राशि लोन के रूप में अस्थायी तौर पर ली थी। अनियमितता के लिये संस्था का अनुदान भी रोक दिया गया है।

[भाग (2) में निर्दिष्ट आदेशों की प्रति अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई]

## जिला शिक्षणालय नागौर द्वारा सामान की खरीद

311. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला शिक्षणालय नागौर के स्टोर में क्या क्या सामान कब कब से पड़ा है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सामान किस किस कार्य के लिए कितने कितने मूल्य में कब कब खरीदा गया था?

(3) क्या यह भी सही है कि जो सामान स्टोर में मौजूद था उसको बिना खर्च किये दुबारा खरीद के आर्डर दिये गये? यदि हां, तो कब और क्यों?

(4) इतने लम्बे समय तक सामान को स्टोर में रखने का क्या कारण है?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त सूची में अपेक्षित सूचना अंकित है। यह सामान जिले की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक एवं कार्यालय के उपयोगार्थ क्रय किया गया था।

(3) ऐसा कोई मामला नहीं है।

(शिक्षा मंत्री)

(4) सामान का वितरण ज्यों ज्यों विद्यालयों से मांगे प्राप्त होती रहती हैं त्यों त्यों किया जाता रहता है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

**शिक्षा निरीक्षक, नागौर**

312. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षालय नागौर के मौजूदा निरीक्षक हर शनिवार को जोधपुर चले जाते हैं और सोमवार को दोपहर बाद आते हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सत्य है कि मौजूदा निरीक्षक कार्यालय में बहुत ही कम रहते हैं? हां या ना दोनों ही स्थिति में उक्त निरीक्षक कार्यभार संभालने के बाद अब तक प्रतिमाह कितने कितने दिन कार्यालय में उपस्थित रहे? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उत्तर**

(1) यह सही नहीं है।

(2) यह भी सत्य नहीं है। कार्यालय में उपस्थित रहने की मांहवार सूचना सलंग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

**पंचायत समिति केकड़ी द्वारा दिया गया ऋण**

313. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर जिले की केकड़ी पंचायत समिति द्वारा सन् 1968 में किन किन व्यक्तियों को किस किस कार्य हेतु कितनी कितनी राशि ऋण की दी गई? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। क्या पम्पिग सैट खरीदने हेतु ऋण सीधा काश्तकार को दिया जाता है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ऋण कई लोगों को दिया ही नहीं गया परन्तु उनके नाम पर ऋण की धनर शि बकाया निकलती है? अगर हां, तो ऐसे व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इस बारे में राज्य सरकार को भी शिकायत की गई? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) काश्तकारों को उक्त ऋण दिया ही नहीं गया उसकी रकम किस अधिकारी या कर्मचारी ने उठाई?

(5) क्या सरकार उक्त तथ्यों की जांच कराकर उक्त काश्तकारों के नाम लिखी रकम को जमा करवाने तथा दोषी अधिकारी या कर्मचारी को दण्डित करने का विचार रखती है?

**उत्तर**

1. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। पम्पिग सैट खरीदने के लिए ऋण सीधा काश्तकार को दिया जाता है।

2. जी नहीं।

3. एक व्यक्ति ने ऐसी शिकायत की थी। मामला पुलिस की जांच हेतु दिया गया है।

Page No. 35



(पंचायत मंत्री)

4. ऐसा कोई काश्तकार नहीं है जिसको ऋण की रकम नहीं दी गई हो।

5. प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

**ग्राम पंचायत लालगढ़ द्वारा किया गया जुर्माना**

314. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि ग्राम लालगढ़ तहसील सुजानगढ़ की पंचायत द्वारा श्री जंवरदीन पुत्र श्री मीर बक्श काजी पर ग्राम पंचायत लालगढ़ द्वारा एक लकड़ी की नाजायज दुकान रखने के बाबत 15/-रुपये जुर्माना किया गया? क्या यह भी सही है कि पंचायत ने प्रतिदिन एक रुपया के हिसाब से भी जुर्माना शुरू कर रखा है?

(2) क्या यह भी सही है कि जनता द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रखी दुकान का विरोध करने पर भी पंचायत ने आज तक कोई वसूली नहीं की है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

1. जी हां, यह सही है कि पंचायत लालगढ़ द्वारा दिनांक 28-12-65 को श्री जवरदीन पुत्र मीरबक्श निवासी लालगढ़ पर सावजनिक चौक में दुकान हेतु लकड़ी की आलमारी रखने के कारण 15) रु. जुर्माना किया व कब्जा नहीं हटाने तक के लिये 1) रु. प्रति दिन के हिसाब से पैनल्टी लगाई।

2. जी नहीं, पंचायत द्वारा वसूली की कार्यवाही जारी है।

**ग्राम पंचायत गेनाणा के सरपंच को कुआ बनाने के लिये दी गई आर्थिक सहायता**

315. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सत्य है कि सरपंच ग्राम पंचायत गेनाणा पंचायत समिति, लाडनू को पंचायत समिति से सार्वजनिक कुआ बनवाने के लिए आर्थिक सहायता दी गई थी? यदि हां, तो कब कितने रुपये की और यह कार्य कब तक पूरा करवाना था?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त सरपंच ने कार्य नहीं करवाया तथा फर्जी हिसाब पेश कर दिया और सरपंच से रकम दण्डनीय ब्याज सहित वसूल करने का आदेश भी हो गया था? यदि हां, तो यह रकम कब वसूल की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

1. जी हां, दिनांक 30-3-66 को 3333) रु. दिये गये थे। शर्तनामे के अनुसार कार्य 30-9-66 तक पूर्ण करवाना था।

2. जी नहीं, अनुदान की रकम व्यय हो चुकी है, रकम वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता।

**पंचायत समिति लाड़पुरा द्वारा दिया गया ऋण**

316. श्री बृज बल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) पंचायत समिति लाड़पुरा के

(श्री बृजवल्लभबोहरा)

किस किस सदस्य के नाम कितना कितना कर्जा बकाया है ? यह कर्जा कब कब किस किस कार्य के लिए दिया गया था ?

(2) क्या यह सत्य है कि जिस कार्य के लिये यह कर्जा दिया गया था उसे उस कार्य में न लेकर अन्य कार्य में लगाया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी वसूली एक मुश्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब से ? जिन व्यक्तियों पर यह बकाया है उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में यह उल्लेख भी कर दिया गया है कि ऋण का उपयोग हुआ है या नहीं। ऋण का उपयोग न होने की सूरत में वसूली की कार्यवाही चालू है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

**पंचायत समिति के प्रधान को सुविधाए**

317. **श्री पृथ्वीसिंह (बाली):** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत अधिनियम एवं नियमों के अनुसार पंचायत समिति के प्रधान के लिए क्या क्या सुविधाएं पंचायत समिति द्वारा प्रदान करने का प्रावधान है ?

(2) क्या इन प्रावधानों के अनुसार प्रधान के पंचायत समिति द्वारा अपने निवास स्थान पर टेलिफोन की व्यवस्था भी की जा सकती है ?

(3) यदि नहीं, तो पंचायत समिति सुमेरपुर के प्रधान ने अपने निवास स्थान पर टेलिफोन पंचायत समिति के खर्चे से किस प्रावधान के अनुसार लगाया है ? इस पर कुल कितना खर्चा लगा और अब सालाना कितना बजट है ? फोन लगाने के बाद माहवार कितना व्यय हुआ ? कृपया जून 969 तक के बिलों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार, प्रधान द्वारा किये गये पद के दुरुपयोग के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन देगी ?

उत्तर

(1) विशिष्ट सुविधाएं देने का कोई प्रावधान नहीं है। परन्तु प्रधान के अधिकार व कर्तव्यों को देखते हुए आवश्यक सुविधायें दी जाती हैं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) टेलीफोन, स्थाई समिति के निर्णय व जिलाधीश की स्वीकृति प्राप्त कर लगाया गया है। कुल 450) रु. खर्चा हुआ जो निजी आय से किया गया। माहवारी बिलों के खर्चे का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। यह खर्चा पंचायत समिति की निजी आय से किया गया है।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट 1: देखिए)

**नागौर जिले के खाद्य विक्रेताओं के विरुद्ध शिकायतें**

318. **श्री रामसिंह कुडी (जायल):** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री रामसिंह कुडी)

डेगाना के अलावा नागौर जिले में खाद्यान्न विक्रेताओं के विरुद्ध कितनी शिकायतें किस किस के खिलाफ कब कब प्राप्त हुईं एवं उनमें से कितने मामले अदालत में पेश कर दिये गये एवं कितने मामले अभी विचाराधीन हैं एवं ऐसे कितने कितने मामले कब कब से किस किस अधिकारी के पास जांच में या निर्णय हेतु पेंडिंग हैं ? गत दो वर्षों के आंकड़ों सहित सूचियां सदन मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

आयातित गेहूं की बोरियां

319. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सन 66 में आज तक राजस्थान के किस किस जिले में कितनी कितनी आयातित गेहूं की बोरियां आईं और उसमें से कितनी बोरियां किस किस स्थान पर किन किन कारणों से खराब हो गईं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार को इसमें प्रतिवर्ष कितने रुपयों का नुकसान हुआ और किन कारणों से ?

उत्तर

(1) जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सूचना भी प्रश्न (1) के साथ जो सूची प्रस्तुत की गई है उसमें अंकित कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

राजस्थान कैनाल पर अकाल राहत कैम्प

320. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: --

(1) राजस्थान कैनाल पर फैमिन के जरिये कितने कैम्प किस किस जगह किस किस गांव में चालू कर रखे हैं ? कैम्प का नाम, मजदूरों की संख्या, मजदूरी, भुगतान करने की तारीख सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि कैनाल के फैमिन कैम्प पर काम करने वाले मजदूरों को साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक किसी तरह की छुट्टी देने का सरकार ने कोई प्रावधान नहीं रखा है ? यदि हां, तो छुट्टी रखने का सरकार इरादा रखती है या नहीं ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि फैमिन कैम्पों पर कार्य कर रही गर्भवती औरतों के बच्चे पैदा होने पर फैमिन कोड के अनुसार 15 दिन की हाजरी घर बैठे जापायत को एक सहायता के रूप में देने का सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) इस जिले में राजस्थान कैनाल के 17 कैम्प मैन कैनाल पर व 13 कैम्प लिफ्ट कैनाल पर फैमिन के जरिये चालू कर रखे हैं। कैम्प के नाम, श्रमिक संख्या व मजदूरी के भुगतान सहित सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(अकाल सहायता मंत्री)

(2) यह सत्य है कि कैनाल के फैमिन कैम्प पर काम करने वाले मजदूरों को साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक किसी तरह की छुट्टी देने का प्रावधान नहीं है क्योंकि कैनाल पर फैमिन के मजदूरों को टास्क बैसिस पर कार्य दिया जाता है। जितना वह कार्य करता है उसी हिसाब से भुगतान किया जाता है। लिहाजा अगर कोई मजदूर किसी दिन छुट्टी कर लेता है तो कोई एतराज नहीं होता।

(3) सहायता शासन सचिव एवं सहायता आयुक्त, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र सं. एफ 7 (आर. सी.) खरीफ 68। 42-46/69। दिनांक 7-1-69 के अनुसार फैमिन पर काम करने वाली गर्भवती स्त्रियों को शिशु जन्म से 2 सप्ताह पूर्व की अवधि के लिए एवं 3 सप्ताह बाद की अवधि के लिए इस प्रकार कुल 5 सप्ताह के लिए अवकाश दिया जाने का प्रावधान है। शिशु जन्म से पूर्व दो सप्ताह के लिए ऐसी महिला श्रमिकों को फैमिन कोड के पैरा 152 एफ के अनुसार 0-75 पै. प्रतिदिन की दर से निःशुल्क सहायता दी जाने का प्रावधान है। शिशु जन्म के बाद के तीन सप्ताह के लिए फैमिन कोड के पैरा 8 ख के अनुसार डेढ़ रुपया प्रतिदिन की दर से सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

केकड़ी पंचायत समिति में अकाल राहत कार्य

321. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) अजमेर जिले की केकड़ी पंचायत समिति में कुल कितने अकाल राहत कार्य खोले गये हैं? नामवार रकमवार सूची सदन में रखें।

(2) अकाल राहत कार्य करते हुए कितने श्रमिकों की कहां कहां पर मृत्यु हुई? नामवार ग्रामवार सूची सदन में रखें।

(3) उक्त मृत्यु किस कारण हुई?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) अजमेर जिले में कहीं भी अकाल राहत कार्यों पर कार्य करते हुए किसी श्रमिक की मृत्यु नहीं हुई अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

अकालग्रस्त क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति सहायता

322. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सत्य है कि कुछ अकालग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को दस रुपये प्रति व्यक्ति सहायता देने का निर्णय सरकार ने लिया था? यदि हां, तो कब और किस किस क्षेत्र के लिए तथा भुगतान कब प्रारम्भ किया जायेगा?

(2) उक्त योजना पर कितना व्यय होगा और उक्त व्यय का क्या औचित्य है?

# Page No. 39



(अकाल राहत मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां, जैसलमेर बाड़मेर, बीकानेर जिलों तथा जोधपुर जिले की शेरगढ़ व फलौदी तहसीलों में लोगों को विशेष असहाय सहायता देने का निर्णय सरकार ने लिया है। जैसलमेर में यह सहायता 1 नवम्बर, 69 से, बाड़मेर व बीकानेर में 1 जनवरी, 70 से तथा जोधपुर में 15 जनवरी, 70 से यह सहायता दी जाने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त तिथियों से इस सहायता का वितरण भी चालू हो गया है।

(2) उक्त योजना पर लगभग 15 करोड़ रु. व्यय होगा। इन क्षेत्रों में स्थाई उपयोगिता के कार्य अधिक मात्रा में नहीं होने तथा लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने हेतु इस प्रकार की योजना का लिया जाना आवश्यक था।

### अकाल राहत कार्य और राहत समिति की सिफारिशें

323. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) 1 अक्टूबर, 1968 से अब तक किस किस जिले में किस किस प्रकार के कितने कितने अकाल राहत कार्य खोले गये और इनमें प्रत्येक पर कितना कितना व्यय हुआ?

(ख) इस अवधि में किस किस जिले में जिला अकाल राहत समिति की कब कब बैठकें हुई?

(ग) किस किस जिले में किस किस प्रकार के कितने कितने अकाल राहत कार्य ऐसे हैं जिनकी जिला अकाल राहत समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गई? कृपया ऐसे कार्यों की तहसीलवार तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(घ) किस किस जिले में किस किस प्रकार के ऐसे कितने अकाल राहत कार्य हैं जिनको जिला अकाल राहत समिति की सिफारिश के बावजूद नहीं खोला गया और क्यों?

(स्थगित किया गया)

### मनोहरथाना—सालपुरा मार्ग की बसें

323. श्री बिट्ठल प्रसाद (अकलेरा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मनोहर थाना सालपुरा वाया हरनावदा रोड पर कुल कितनी बसेज पास हैं?

(2) क्या उक्त बसेज नियमित रूप से चल रही हैं? यदि हां, तो किस किस नम्बर की गाड़ियां नियमित रूप से चलती हैं?

(3) क्या यह सही है कि इस रोड पर पास सारी बसें बन्द हैं और यह सारा क्षेत्र ही आवागमन की दृष्टि से अवरुद्ध हो गया है?

(4) क्या यह सही है इस मार्ग पर बसेज नित्य प्रति चला करती थीं और अब एक भी बस न चलने से यात्रियों को भारी परेशानी है?

# Page No. 40



(श्री विट्ठल प्रसाद)

(5) क्या यह सही है कि जनता ने पचासों शिकायतें इस सम्बन्ध में सम्बन्धित उच्चाधिकारियों से की हुई हैं किन्तु आज तक इसकी समुचित व्यवस्था नहीं की जा सकी है ?

(6) जनता की सुविधा हेतु क्या सरकार उचित समझेगी कि इस मार्ग पर नये परमिट दिये जावें और जो परमिट होल्डर बसेज नहीं चला रहे हैं उनके परमिट कैन्सिल किये जावें ?

उत्तर

(1) इस मार्ग के दो वाया हैं जिन पर 7 बसों के परमिट स्वीकृत थे। इनमें से 5 के कैन्सिल किये जाकर दो बसों के परमिट इस समय मौजूद हैं।

(2) इन उपरोक्त दोनों मार्गों पर एक एक बस यानी आर. जे. आर. 1227 मनोहरथाना सालपुरा वाया हरनावदा, इकलेरा मार्ग पर एवं (2) आर. जे. आर. 1268 मनोहर थाना सालपुरा वाया हरनावदा, बनज्यारी, छीपाबडोद मार्ग पर नियमित रूप से एक रिटर्न ट्रिप कर रही है।

(3) इस रोड पर उपरोक्त दो बसें नियमित रूप से चल रही है और अन्य बसें अभी इन मार्गों पर हैं ही नहीं। एक मार्ग तीसरा और है जो मनोहर थाना लाख-इकलेरा-कलमोदिया-छीपावड़ौद सालपुरा है जिस पर चार बसें अभी बराबर चल रही हैं लेकिन यह मार्ग वाया हरनावदा होकर नहीं है अतः उधर की जनता को तकलीफ हो सकती है। वैसे एक एक यानी दो बसें उपरोक्त वर्णित चल रही हैं।

(4) इस मार्ग पर यानी मनोहरथाना सालपुरा वाया हरनावदा इकलेरा-कलमोदिया-छीपाबडौद पर पहले 4 बसें थीं उनमें से अब एक ही बस चल रही है। इस प्रकार मनोहर थाना सालपुरा वाया हरनावदा बनज्यारी, छीपाबड़ौद मार्ग पर पहले 3 बसें थी उनमें से केवल एक चल रही है।

(5) कोटा-परिवहन प्राधीकरण ने विज्ञप्ति संख्या 471 दिनांक 7-1-70 के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये हैं। और वे आवेदन पत्र आने पर गजट में प्रकाशित किये जाकर प्राधीकरण के समक्ष रखे जावेंगे।

केकड़ी उप-खण्ड में सिंचाई कार्य

325. श्री देवीलाल बुरासिया केकड़ी: क्या सिंचाई विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) सन् 1960 के पश्चात् केकड़ी उप-खण्ड में सिंचाई विभाग अजमेर द्वारा कहां कहां पर नव-निर्माण कराया गया ?

(2) उक्त समय में कहां कहां मरम्मत आदि करवाई गई ? मय रकम की राशि दर्शाते हुए सूची सदन को मेज पर रखें।

(3) सिंचाई विभाग के पास कितने काम कितने समय से ऐसे पड़े हुए हैं जो राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार से स्वीकृत हो चुके हैं, परन्तु अभी तक चालू नहीं किये गये हैं ?

(4) केकड़ी उप-खण्ड में उक्त समय में किन किन समितियों को व अन्य व्यक्तियों को किस किस कार्य के ठेके दिये गये और उनक

(श्री देवीलाल बुरासिया)
क्या परिणाम रहा ? पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सन् 1960 के पश्चात् केकड़ी उप खण्ड में सिंचाई विभाग अजमेर द्वारा चौसिला रपट का निर्माण कराया गया है पारा– 1 तथा पारा –2 बांध का कार्य गत वर्ष तक चालू था ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) केकड़ी उप खण्ड में लसाड़िया बांध की योजना ही एक ऐसी योजना है जो केन्द्रीय जल शक्ति आयोग द्वारा सन् 1962 में स्वीकृत हो चुकी परन्तु धनाभाव के कारण अभी तक इसकी राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं हुई है और काम चालू नहीं हुआ है ।

(4) केकड़ी उप खण्ड में उक्त समय में जिन जिन समितियों को तथा अन्य ठेकेदारों को जिन कार्यों के ठेके दिये गये उनका पूर्ण विवरण संलग्न सारिणी में दिया गया है । उक्त सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था ।

(3.17 म. प.)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित 3 स्थगन प्रस्तावों को सूचनाऐं प्राप्त हुई हैं:–

श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा प्रान्तीय विद्युत् जल मजदूर फेडरेशन से किये गये समझौते के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री राम चन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें राजस्थान नहर के लम्बे समय तक बन्द रहने से रवि की फसल को हुई क्षति का उल्लेख किया गया है ।

तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री राम चन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें तहसील नोहर के गांव जसाना के एक हरिजन व्यक्ति पर पुलिस थानेदार नोहर द्वारा झूठा मुकदमा बनाकर गिरफ्तार करके भारी यातना के सम्बन्ध का उल्लेख किया गया है ।

उपरोक्त सभी मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है । जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा ।

एक और अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री बीरबल, श्री रामनारायण चौधरी, श्री सूरजमल, श्री जगन्नाथ पटेल, श्री रामकुमार, श्री शंकरलाल, श्री नन्द लाल बैरवा, श्री देवी लाल मीना, श्री छुट्टन लाल, श्री गोकुल चन्द, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें यह कहा गया है कि राजस्थान कैनाल क्षेत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित आदिम जातियों को एक लाख एकड़ भूमि और अन्य भूमिहीनों को पचास हजार एकड़ भूमि आवंटित करने के लिये

(श्री अध्यक्ष)

राज्य सरकार द्वारा घोषणायें की गई थीं किन्तु अब दोनों के लिये 40,000 एकड़ भूमि सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान किया जा रहा है।

इसी आशय के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री डूंगाराम व श्री देवी लाल बुरासिया, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है। यह मामला भू-राजस्व की मांग पर वाद-विवाद के दौरान कटौती प्रस्तावों के जरिये उठाया जा सकता है। अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इनके अतिरिक्त जो स्थगन प्रस्ताव पेन्डिग रखे गये थे और जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है वे इस प्रकार हैं:—

श्री दुर्गालाल बाढ़दार, सदस्य विधान सभा ने जयपुर नगर में चौकड़ी पुरानी बस्ती की गटर लाइनें भर जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस सम्बन्ध में जो सूचना स्वायत्त शासन विभाग से प्राप्त हुई है उसमें यह बतलाया गया है कि शिवदास जी के चौराहे पर गटर लाइन की सफाई करवा कर 3 नये मेन होल बना दिये गये हैं जिसकी सफाई होती रहती है। अभी कुछ दिन पूर्व सिविल लाइन के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के कारण सफाई का काम रुक गया था। हड़ताली कर्मचारी दिनांक 7 मार्च, 70 से पुनः काम पर आ गये हैं और यह काम रात दिन करवाया जाकर सफाई करवाई जा रही है जिससे स्थिति में सुधार हुआ है। साथ में यह भी बतलाया गया है कि पुरानी बस्ती म नगर परिषद् ने 60,000 रु. खर्च किये हैं और पक्की सड़क बनवाने के लिये 32,800 रु. के एस्टीमेट की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा भिजवाई गई है।

श्री विजयसिंह मकराना, सदस्य विधान सभा से जोधपुर के मण्डोर बगीचे में बने ऐतिहासिक दुर्ग को राज्य सरकार द्वारा गिरवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार से जो जानकारी मिली है उसमें यह कहा गया है कि मण्डोर के दुर्ग को नहीं तोड़ा गया है बल्कि जनाना बाग की परिधि को दीवार को, जो संरक्षित स्मारकों की सूची में नहीं आती थी, उसको थोड़ा नीचा किया गया है ताकि जनाना बाग के अन्दर स्थित महलों के सुन्दर स्थापत्य बाहर से दिखाई दे सकें।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल, श्री रामकिशन, श्री रामानन्द अग्रवाल, व श्री नत्थीसिंह, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई थी जिसमें जयपुर सर्किल गार्डन वर्कर्स यूनियन, जयपुर जिला पी. डब्लू. डी. मजदूर संघ एवं राजस्थान होटल वर्कर्स मजदूर संघ के सदस्यों का विधान सभा के सम्मुख प्रदर्शन करने का उल्लेख किया गया था। राज्य सरकार से जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें पी. डब्लू. डी. तथा गार्डन विभागों से सम्बन्धित कुल 15 मामलों में से 14 मामलों पर विभाग द्वारा पेमेन्ट किया जा चुका है। केवल 1 मामला पेन्डिग है।

(श्री अध्यक्ष)

श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य, विधान सभा ने जोधपुर एवं बांसवाड़ा के कृषि अनुसंधान केन्द्रों को उदयपुर विश्वविद्यालय को सुपुर्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इसके उत्तर में राज्य सरकार ने यह बतलाया है कि एक ही संस्था शिक्षा तथा अनुसंधान दोनों कार्य-क्रम संभाले तो वह लाभप्रद हो सकेगा। इसी नीति के अनुरूप क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र आदि कृषि विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित किये गये हैं। जो कर्मचारी राजकीय कृषि विभाग से उदयपुर विश्वविद्यालय भेजे गए हैं उनके वेतन आदि में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है न उनकी सेवा में कोई विपरीत असर पड़ा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री प्रेमसिंह सिंघवी, श्री श्रवणलाल, सदस्य विधान सभा ने जिला कोटा के ग्राम खटका तहसील शाहबाद में एक आदिवासी की कथित हत्या के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री दुर्गालाल बाढ़दार, सदस्य, विधान सभा, से प्राप्त हुई थी जिसमें गवर्नमेन्ट कालेज अजमेर के प्रोफेसर एवं नसीराबाद गुड्स ट्रान्सपोर्ट के प्रोपराइटर के झगड़े से नगर में तनावपूर्ण स्थिति का उल्लेख किया गया है। ये दोनों मामले पुलिस विभाग से सम्बन्धित हैं और इन्हें पुलिस की मांग पर होने वाले वाद-विवाद के दौरान कटौती प्रस्तावों के जरिए उठाया जा सकता है।

अतः मैं उपरोक्त दिए गए तथ्यों आदि की दृष्टि में इन्हें सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

विवेकानन्द छात्रावास, जयपुर में दिनांक 3 फरवरी, 1970 को हुई घटना के सम्बन्ध में श्री भैरोंसिंह, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री विजयसिंह, श्री आलमअली, श्री रूपसिंह राजवी तथा श्री दुर्गालाल बाढ़दार ने स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें दी थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें कहा गया है कि मामला इस समय केन्द्रीय पुलिस (सी. बी. आई.) के अनुसन्धानाधीन है और यह कि अभी तक इस मामले में 10 मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं जिनमें से 6 को अदालत सैशन जज द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया है।

इस संदर्भ में सर्व प्रथम मैं माननीय सदस्यों का ध्यान हमारे नियमों के नियम 53 की ओर आकर्षित करूंगा जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि साधारणतया ऐसे किसी विषय को प्रस्ताव द्वारा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जो किसी न्यायिक या अर्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच का अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लम्बित हो।

इस पाइन्ट पर अनेक व्यवस्थायें लोक सभा एवं अन्य विधान सभाओं में समय पर दी जाती रही हैं और सब ही इस बात पर सिद्धान्त रूप से सहमति है कि सब जुडिस मामलों पर सदन में विचार नहीं किया जा सकता।

यहां स्पीकर फ्रेड्रिक व्हाइट (Fredrick Whyte) का यह कथन भी उल्लेखनीय है जिसमें उन्होंने कहा है कि:—

(श्री अध्यक्ष)

'It is the duty of the Speaker to protect any person being tried or about to be put on trial against any prejudice which might arise through debate in the Assembly.'

और ऐसी व्यवस्थायें भी देखने को मिली है जिनमें यहां तक कहा गया है कि:—

'Although it may be unanimous desire of the House to discuss a matter which is sub-judice, the Speaker is bound to forbid it.'

ऐसे मामलों में सबजुडिस के आधार पर निर्णय लेने के सम्बन्ध में आसन पर किस प्रकार की जिम्मेदारी आती है और इन व्यवस्थाओं में किस तरह उसके हाथ बंधे हुए हैं इसका अन्दाजा माननीय सदस्यों को इन उद्धरणों से हो गया होगा।

ऐसी स्थिति में, मैं न तो सरकार से यह कह सकता हूं कि वे इस संबंध में कोई वक्तव्य दें और न ही इस विषय की मैरिट्स पर सदन में कोई चर्चा उठाई जा सकती है इसलिए कि दोनों ही हालतों में इसका असर, सीधा अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस मामले की जांच पर पड़ सकता है। अतः मेरी राय में इस विषय को प्रस्तावों के द्वारा सदन में उठाना ठीक नहीं होगा।

इस मामले का एक पहलू और भी है और वह यह है कि किन परिस्थितियों में और किन कारणों से यह घटना घटी है। माननीय सदस्य जानते हैं कि छात्रों में दिनों दिन बढ़ती हुई अनुशासनहीनता, आन्दोलन और अव्यवस्था ने एक व्यापक रूप धारण कर लिया है। निःसन्देह ही यह एक बड़ी गम्भीर समस्या है और पूरे देश में एक चिन्ता का विषय बनी हुई है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि कुछ दिन पूर्व इस सत्र में कई छात्रों ने विधान सभा की प्रसीमाओं में नारे लगाये थे। मेरे पास कई माननीय सदस्यों ने इस आशय के प्रस्ताव भेजे हैं कि राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रशासन एवं उनकी गतिविधियों पर, विशेष कर छात्र आन्दोलन के संदर्भ में, इस सदन में चर्चा की जावे। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं और उग्रता को समझता हूं और स्वयं भी यह महसूस करता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को जन्म देने वाली परिस्थितियों पर समुचित एवं पर्याप्त चर्चा का अवसर मिलना चाहिए। इस चर्चा को नियम 127 में कुछ समय की चर्चा के लिए लिया जा सकता है और तारीख 2-4-70 की कार्य सूची में इसको लेना निश्चित करता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढदार : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था उसके लिए आदेश यह था ...

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री दुर्गालाल बाढदार : आपका यह मतलब था...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री भैरोंसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर सर...

श्री दुर्गालाल बाढदार : यह जो कुछ खर्च किया यह दो साल पहले का है और इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं किया.....

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर है।

विभिन्न विभागों के प्रगति विवरणों, प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री भैरोंसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज से तीन दिन पहले इस सदन में जब विभागीय प्रतिवेदन प्रस्तुत हुए थे उस समय सदन में एक माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई थी कि इस प्रकार के प्रतिवेदन जिस विषय के ऊपर बहस होती है उसके बहुत पहले माननीय सदस्यों को वितरित किये जाने चाहिए। आज अकाल राहत के कार्यों पर बहस हो रही है और विधान सभा में आने पर अकाल राहत विभाग की एक विवरण पत्रिका मिली है। आप इसको स्वीकार करेंगे कि यह अकाल राहत कार्य का कितना महत्वपूर्ण विषय है जिस विषय पर सरकार की ओर से इस प्रकार का विवरण यदि विलम्ब से प्रस्तुत किया जाता है तो उसके कारण से बहस किस प्रकार से होगी ? अकाल राहत का विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी गम्भीरता के ऊपर इस प्रकार से चर्चा करने से न तो इस सदन को ही विशेष लाभ मिलेगा और न अकाल पीड़ित जनता को राहत मिलेगी। हमें आज ही विवरण पुस्तिका मिली है इसलिए इस महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर विचार करने हेतु अलग से दिन नियत किया जाये ताकि इस पर अच्छी तरह से विचार किया जा सके।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह पाइन्ट आफ आर्डर आया है और अब मन्त्री महोदय कुछ कहेंगे।

मंत्री महोदय

श्री परसराम मदेरणा (अकाल राहत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि अकाल सहायता विभाग का जो विवरण सरकुलेट हुआ है माननीय सदस्यों को वह आज ही हुआ है। मैं चाहता था कि रात को हो जाये और मैं सुबह पहले भी इसको सरकुलेट कराना चाहता था लेकिन क्योंकि विधान सभा सेक्रेटेरियट की दो दिन की छुट्टी थी और वैसे मैंने भी बात की थी उन्होंने कहा कि इस तरह से रात को सरकुलेट करने का अरेन्जमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमने स्टाफ को नहीं रखा है और जो भी बिजनेस हमें सरकुलेट करना था वह दो दिन पहले ही कर दिया है। इसलिए यह सम्भव नहीं हो सकता कि कुछ घन्टों पहले या कल रात तक इसको सरकुलेट कराया जाये। फिर भी, अध्यक्ष महोदय मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि भविष्य में ध्यान रखा जायेगा कि पूर्व ही विधान सभा में विवरण प्रस्तुत कर दिया जाये।

श्री भैरोंसिंह : डिबेट क्या की जाये ? आश्वासन का सवाल नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, 2 मार्च को जब कि सिंचाई सम्बन्धित मांग प्रस्तुत की जा रही थी उस रोज भी आपत्ति की गयी थी। उस समय सिंचाई मन्त्री महोदय ने सदन में खेद व्यक्त किया था और यह आश्वासन दिया था कि सरकार की ओर से भविष्य में इस प्रकार का ध्यान रखा जायेगा कि इस प्रकार के प्रतिवेदन समय से पूर्व ही माननीय सदस्यों को अवेलेबल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करा दिये जायें। मुझे खेद है कि माननीय अकाल राहत मन्त्री महोदय ने विधान सभा सचिवालय के अवकाश का नाम लेकर सरकार की लापरवाही को छिपाने का प्रयत्न किया है। मैं समझता हूँ कि सरकार की रिपोर्टों को माननीय सदस्यों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी विधान सभा सचिवालय की नहीं है बल्कि राज्य सरकार की है और यदि राज्य सरकार अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असफल रही है तो उसकी जिम्मेदारी विधान सभा सचिवालय पर थोपकर हम नहीं चल सकते। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत खेदजनक है। इसके लिए राज्य सरकार खेद व्यक्त करती है और भविष्य के लिए आश्वासन देती। यद्यपि आश्वासनों का महत्व नहीं है क्योंकि आश्वासन तो शनिवार को भी दिया गया था लेकिन यह मामला अकाल राहत का इतना महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि यह मान कर चलना चाहिए था कि गवर्नमेंट इस पर डिबेट को एन्टीसीपेट नहीं कर रही थी। यदि कर रही थी तो फेमिन पर आप मानकर चलते कि अलग से बहस होगी और इसलिए जो कुछ भी प्रतिवेदन था वह विधान सभा के अन्दर शुरू होने से पहले मिल जाना चाहिए था। पिछली बार भी शिकायत की थी कि सारा बजट अधिवेशन खत्म हो जाता है और आडिट रिपोर्ट नहीं मिलती। 1969-70 की आडिट रिपोर्ट जो राज्य सरकार को मिल चुकी है वह भी आप माननीय सदस्यों को अवेलेबल नहीं करा पाये हैं।

ऐसी अनेकों रिपोर्ट्स हैं। यह मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, आसन की तरफ से सरकार को ताड़ना दी जाय और भविष्य के लिए चेतावनी दी जाय। अकाल राहत के सम्बन्ध में निवेदन यह है कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इसलिए इसके लिए अलग से समय निर्धारित किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अकाल राहत कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है अपने राज्य के लिए। इसके लिए यह उचित होगा कि आप अलग समय इसके लिए निर्धारित कर दें ताकि हम उचित बहस कर सकें और अपने सुझाव दे सकें।

श्री अध्यक्ष: जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं ने यह महसूस किया है कि इसमें देरी हुई है और देरी होने से माननीय सदस्यों को अत्यन्त-विक्षोभ हुआ है। यह भी स्पष्ट है कि इस प्रकार की देरी राज्य सरकार की ओर से कई मसलों पर बताई जा रही है। ताड़ना या संकेत कहां तक प्रभावशाली होते हैं इस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन नहीं करना चाहता हूं। लेकिन यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य जो इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले हैं उनको यदि विवरण पूर्व में मिल जाता तो वे अपने विषय के साथ अधिक से अधिक न्याय कर सकते थे। जहां तक ताड़ना देने का सम्बन्ध है माननीय मंत्री महोदय स्वयं इस बात की अनुभूति रखते हैं, स्वयं समझते हैं और स्वयं के अन्तर में इसका खेद भी है। ऐसी स्थिति में आसन के लिए भी जो अनुभूति उनके मन में है उसी की पुष्टि कर देना उपयुक्त होगा। किन्तु इस प्रश्न को यदि मुल्तवी करते हैं तो माननीय सदस्यों को यह पता है कि ऐसा करने पर बजट का समय आगे बढ़ता है जो सीमित है।

श्री भैरोंसिह : 1 तारीख से पहले ले लें।

श्री अध्यक्ष : इसलिए मैं यह समझता हूं कि वाद-विवाद प्रारम्भ हो। मैं इसके··

श्री भैरोंसिह : डिमाण्ड पर वाद-विवाद 1 तारीख से पहले ले लें। फेमिन पर अलग डिबेट बाकायदा अलग से होना चाहिए। हर सत्र में हुई है।

श्री अध्यक्ष : एक बात हो सकती है कि मांगों को पास कराने में आप सहयोग दे दें तो मैं फेमिन पर डिबेट का प्रश्न अलग से रख लूंगा।

कई माननीय सदस्य : यह ठीक है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय।

स्थगन प्रस्तावों सम्बन्धी चर्चा

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है कि अजमेर में एक दुकान का नगर परिषद् ने ताला तोड़कर सामान निकाल लिया है 18 ता. को ···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर! जानकारी की गई है।

श्री भगवानदास शास्त्री : वहां के दुकानदार···

श्री अध्यक्ष : जानकारी के लिए गया है।

श्री भगवानदास शास्त्री : ····ने अरेस्ट करवाया है तो दूसरे दिन···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज! श्री लड्ढा।

श्री भगवानदास शास्त्री : अगर वहां पर कोई ताला तोड़ दे तो आपका गृह विभाग उसको जेल भेज देते हैं। अजमेर नगर परिषद् ने वहां के लोगों की ऐसी की तैसी कर दी है, सत्यानाश कर दिया है··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यह जुल्म हो रहा है···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री भगवानदास शास्त्री : स्थगन-प्रस्ताव 20 तारीख को मैंने दिया है।

श्री अध्यक्ष : यहां पर यह प्रश्न नहीं है। मैं निवेदन कर दूं कि यह जानकारी के लिए गया हुआ है।

श्री भगवानदास शास्त्री : सूचना मुझे नहीं मिली है। कल रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर!

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद् की कार्यवाही डाकुओं से बदतर है। यह तीसरी दफा ताला तोड़ा गया है। हम अजमेर नगर परिषद् से बिल्कुल परेशान हैं। हम न्याय चाहते हैं..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर व्यवस्था दी जा चुकी है। आर्डर प्लीज. वह अस्वीकार किया गया है। व्यवस्था दी जा चुकी है। आज नहीं है इस पर प्रश्न।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया था

(श्री मदनसिंह दांता)

और आपने विश्वास दिलाया था। बंगाल में में जो घटनायें हो रही हैं और जो काण्ड हो रहे हैं उससे राजस्थान की आम जनता में भय है। कलकत्ता में जो काण्ड हो रहे हैं उससे राजस्थान की जनता भयभीत है क्योंकि यहां के लोग वहां जाते हैं। इसके सम्बन्ध में आपने फरमाया था...

श्री अध्यक्ष : अस्वीकार किया गया।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था राजस्थान.....

श्री अध्यक्ष : स्थगन-प्रस्ताव में यह सूचना नहीं दी जाती है। उस पर व्यवस्था दे दी गई है, माननीय सदस्य....

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : सदन में जो भी प्रश्न आते हैं वे सभी महत्वपूर्ण हैं। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में उत्तर मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। वह दे दिया जायेगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इसके बारे में उत्तर मिल जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय .....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय।

श्री डूंगाराम राजोरिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री लड्ढा।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

परिवहन मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह (ख-1) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (o)। (17/गृह (ख-1) / 63 दिनांक 23 फरवरी, 1970 ....

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, कलकत्ते में जो घटनाएं हो रही हैं वे देशद्रोह की घटनाएं हो रही हैं, प्रजातन्त्र के खिलाफ घटनाएं हो रही हैं, राजस्थान......

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य, आपका भाषण।

श्री मदनसिंह : × × ×

श्री रामप्रसाद लड्ढा : को सदन की मेज पर रखता हूं जिसके द्वारा विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 जनवरी, 1970 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री। राजस्थान सतर्कता आयोग का प्रतिवेदन।

(श्री मदनसिंह के बोलते रहने पर) अंकित नहीं किया जा रहा है आपका भाषण।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सतर्कता आयोग के तृतीय प्रतिवेदन को, प्रतिवेदन के पैरा 37 पर राज्य सरकार के टिप्पण सहित, सदन की मेज पर रखता हूं, जो अप्रेल, 1967 से मार्च, 1968 की कालावधि के सम्बन्ध में है।

---

××× अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर बहस।

## विभागीय प्रतिवेदनों के विवरणों को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी चर्चा

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी से एक जानकारी करना चाहता हूं कि राजस्थान सतर्कता आयोग का तृतीय प्रतिवेदन जो आपने सदन की मेज पर रखा है यह प्रतिवेदन राज्य सरकार को कब प्राप्त हुआ है और इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां तक मेरी जानकारी में है पिछली असेम्बली के सेशन के बाद आई है, एक्जेक्ट डेट मैं थोड़ी देर से बता दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पिछला सैशन यानी जनवरी का सेशन ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसके पहले वाले, जनवरी से मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : उसके पूर्व।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सितम्बर अधिवेशन के बाद प्राप्त हुआ है या सितम्बर अधिवेशन के पहले प्राप्त हुआ है यह आप अच्छी तरह से जानकारी करलें।

श्री भैरोंसिंह : कौन से वर्ष का है ?

श्री अध्यक्ष : आ रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका हिन्दी ट्रांसलेशन करने के अन्दर ज्यादा विलम्ब हुआ है। एक्जेक्ट डेट इंगलिश के अन्दर वहां से कब आया है उसकी मैं बता दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो टिप्पण आपने पेश किया है 19 मार्च, 1968 की कालावधि के लिए है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो सतर्कता आयोग का प्रतिवेदन है इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जो सदन में आश्वासन दिया और जो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में आज्ञा प्राप्त की है उस पर आपने एक उल्लेख किया है कि यह प्रतिवेदन तुरन्त ही सदन को मुहैया किया जायगा। मैं समझता हूं कि 968 का टिप्पण दो साल के बाद आज राज्य सरकार प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्तुत करे तो उस पर क्या बहस हो सकती है और क्या कह सकते हैं ? यह एक प्रकार से स्टेल रिपार्ट हो जाती है। दो साल के एण्ड में पहुँचती है और उसके बाद उस पर डिबेट और डिसकशन करें तो उसमें उस तरह की चीज नहीं रहती है।

मैं निवेदन करूंगा कि आप सरकार को यह आदेश दें कि विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट राज्य सरकार को मिलते ही इमीजियेटली हाउस में पेश होना चाहिए ताकि उस पर डिबेट हो सके और डिसकशन हो सके।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूंगा कि 68–69 की रिपोर्ट विजिलेन्स कमीशन से नहीं आई है गवर्नमेंट के पास। उसके आने पर आपको जल्दी से जल्दी पेश कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह : आपने आदमी ही ऐसा नियुक्त किया है कि रिपोर्ट आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आपने 2-3 समितियां नियुक्त की हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विश्वविद्यालयों की एनुअल रिपोर्ट आनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मंगवा ली जायेगी I have asked for

श्री भैरोंसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, आज एक डिमाण्ड है, सरकारी व्यापार की योजना में पूंजी लागत यह विभाग ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है परन्तु इस विभाग का कोई टिप्पण अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है।

इस विभाग की कोई टिप्पणी हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और यह विभाग इतना इम्पोर्टेन्ट है, आप स्वयं अन्दाज लगायें कि इसमें अनाज की खरीद का मामला है, इसमें माइलो की खरीद का मामला है, इसमें फर्टिलाइजर की खरीद का मामला है-इन सारी खरीद-फरोख्त में कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इस इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न आया, उसमें कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई और कितना खाते बाकी है ? यह सारी जानकारी इस सदन को देनी चाहिए जो कि मंत्री महोदय द्वारा नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय मैं यह समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में सरकार को ताड़ना देने से काम नहीं चलने वाला है, ताड़ना देने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से लोकसभा में हुआ है और जिस प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष महोदय ने इस स्थिति पर असाधारण रुख लेकर सम्बन्धित डिमाण्ड्स को पोस्टपोन कर दिया जिन पर टिप्पणी नहीं मिली थी, उसी प्रकार मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि जिन डिमाण्ड्स के बारे में सदन के माननीय सदस्यों को टिप्पण नहीं मिला है, उनको पोस्टपोन कर दिया जाय। इस सरकार को ताड़ना देने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि इस हाउस के प्रति इस सरकार का रवैया कन्टेम्बुअस है, बार-बार मांग करने पर भी सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। मैं निवेदन करूंगा कि जिन डिमाण्ड्स के बारे में इस सदन के सदस्यों को टिप्पण नहीं दिया गया है, रिपोर्ट नहीं दी गई है उनको केवल पोस्टपोण्ड कर दिया जाय, उनको आज पास न किया जाय क्योंकि इस सम्बन्ध में सरकार को ताड़ना देने से कोई फायदा नहीं होगा। इस सरकार का इस हाउस के प्रति रवैया बड़ा कन्टेम्बुअस है, और यह लोकतंत्र की कब्र खोदने वाला है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत इस मांग के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण कर दें।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह बजट हैड है यह कई डिपार्टमेंट्स के अन्दर बंटा हुआ है, वैसे यह फाइनेन्स डिपार्टमेंट के तहत आता है, लेकिन केवल दो चीजें हैं जो इसके अन्दर आती हैं। जिनमें कि कोई खास बात नहीं है। इसलिए टिप्पणी नहीं दी गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किससे सम्बन्धित नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह : कौनसी खास बात नहीं है इसमें ?

श्री हरिदेव जोशी : पचपदरा....

श्री भैरोंसिंह : पचपदरा का नहीं मांगते, सांभर का ही नही मांगते बल्कि जितने भी सामान की खरीद फरोख्त का व्यापार किया गया है, ऊन की खरीद फरोख्त का व्यापार किया है....

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया..

श्री भैरोंसिंह : माइलो के सम्बन्ध में जो राज्य सरकार द्वारा व्यापार किया गया है--उसके सम्बन्ध में टिप्पण चाहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने जैसा निवेदन किया, राजकीय उपक्रम के अन्दर यह सब स्टेट एन्टरप्राइजेज नहीं है । इनको डील करता है फाइनेन्स डिपार्टमेंट, यह काम कई डिपार्टमेंट में बंटा हुआ है। जहां तक राजकीय उपक्रम का सवाल है वह इस हाउस में डिस्कस हो चुका है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या इन टिप्पण के सम्बन्ध में राज्य सरकार यह नहीं मानती है कि केबिनेट के हर मिनिस्टर की क्लेक्टिव रेस्पान्सिबिलिटी है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, पूंजी की लागत की डिमाण्ड आज है....

श्री यशवन्त सिंह नाहर : Public Undertaking has already been discussed.

श्री अध्यक्ष : योजना क्या है--यह बता दें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : बीकानेर के अन्दर ऊन का व्यापार है वह भी इससे सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। बैठिये।

श्री परसराम मदेरणा : इस मांग के अन्तर्गत तीन डिपार्टमेंट आते हैं उनमें शीप एण्ड वूल डिपार्टमेंट भी है, फूड डिपार्टमेंट भी है और राजकीय उपक्रम का उसके साथ साथ नमक का आता है....

श्री भैरोंसिंह : नमक का नहीं आता है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं आता होगा लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने उससे सम्बन्धित कट मोशन दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : डेअरी का आता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जयपुर दुग्ध वितरण योजना आती है।

श्री परसराम मदेरणा : डेअरी दूसरे विभाग से सम्बन्ध रखती है, जहां तक बीज का सवाल है यह मुझसे सम्बन्ध रखता है। लेकिन इन सबका हैड एक ही है । इसके सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय, विवरण इसलिए सरक्यूलेट नहीं किया क्योंकि जो कुछ अनाज, माइलो या दूसरा सामान, गेहूं हमारे पास आता है वह फिक्स्ड प्राइस पर आता है और उसको पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के जरिये वितरित करते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने खुद ने खरीद कर यह व्यापार किया नहीं है, जो कुछ राज्य

(श्री परसराम मदेरणा)

सरकार को भारत सरकार के पूल में से मिलता है वह राज्य सरकार आगे वितरित करती है। इसलिए जो कुछ इस सम्बन्ध में जानकारी है कि कितना घाटा है या कितना लाभ नहीं है, घाटा हुआ या नहीं हुआ—इस सम्बन्ध में यदि आप बजट के आंकड़ों को देखेंगे तो उससे मालूम हो सकता है। इसलिए माननीय सदस्यों को हालांकि एक छोटा सा नोट दे सकता था यह कहते हुए कि न राज्य सरकार ने अनाज खरीदा है न लेवी से वसूल किया है, न दूसरी तरह वसूल किया है बल्कि भारत सरकार से जो राज्य सरकार को मन्थली मिलता है, उसमें इन्सिडेन्टल चार्जेज को ऐड करके तो लोस एण्ड नो प्राफिट के हिसाब से उपभोक्ताओं को राज्य सरकार बांटती रही है। यह समझ कर माननीय सदस्यों को कोई नोट नहीं दिया गया है। माननीय सदस्य यह चाहें कि यह इन्फार्मेशन उनको मिल जानी चाहिए थी, और जिसे मैं दे सकता था, नोट दे सकता था वह उनको नहीं मिली—इसके लिए मैं रिग्रेट जाहिर करता हूं।

**श्री भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, हम करें क्या, मंत्री महोदय ने ऐसे बता दिया जैसे उसका हिसाब किताब रखने की आवश्यकता नहीं हो····

**श्री परसराम मदेरणा** : यह उसमें डिटेल में दिया है। उसमें आप देखेंगे तो मालूम हो जायगा।

**श्री भैरोंसिंह** : यह डिटेल में दिया हुआ है कि अमुक मात्रा में अनाज आया और बाकी का हमारे पास इतना रहा। लेकिन सबसे बड़ा बंगलिंग जो इसमें हुआ है, इस सारे डिपार्टमेंट के बजट को माननीय मंत्री देखें तो मैं चुनौती करके कह सकता हूं कि बजट से इस बात का पता नहीं लगता कि किस भाव से अनाज उस समय आया था, किस भाव से कौनसा अनाज लिया है, कितना अतिरिक्त व्यय उसमें शामिल किया है, उसमें कितना एडीशनल एक्सपेंडीचर राज्य सरकार का हुआ है, उससे कितनी आमदनी हुई है, कितनी हानि हुई है ? आप एक साल का बता देंगे कि पिछली साल का बैलेन्स क्या था, किस भाव से अनाज की कीमत लगाई थी—इसका पता नहीं लगता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजकीय व्यापार के मूल प्रश्न का लिंक भारत सरकार से कर देंगे कि इतना माइलो मिला था, उसमें से जितना वितरित करना था, वह कर दिया और जो बाकी बचा उसका आक्शन कर दिया। अब अगर उसमें घाटा हुआ है तो राजस्थान सरकार कहती है कि यह भारत सरकार को घाटा हुआ है। राज्य-सरकार को घाटा हुआ हो या भारत सरकार को घाटा हुआ हो—किसी को भी घाटा हुआ हो, राजस्थान सरकार की लेकिन जो ट्रेड एक्टिविटीज है उनके बारे में इस सदन के माननीय सदस्यों को निश्चित रूप से जानकारी मिलनी चाहिए। लेकिन वह जानकारी मिली नहीं है। इसी प्रकार से उन का प्रश्न है इसी प्रकार से माइलों अनाज का प्रश्न है इसी प्रकार से नमक का प्रश्न है बाकी के राजकीय व्यापार का प्रश्न है। इसलिए अध्यक्ष महोदय हम चाहेंगे कि इस सम्बन्ध में अलग से नोट हमें दिया जाय क्योंकि राज्य सरकार को इस व्यापार में काफी रुपया लगाना पड़ता है, राज्य सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

का काफी रुपया ब्लाक होता है और जो रुपया ब्लाक होता है उस पर इन्ट्रेस्ट देना पड़ता है। इसलिए इस पर विचार करने के लिए इस सब जानकारी की अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब तक नोट नहीं आये तब तक इस डिमाण्ड को पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, बजट की डिमाण्ड नं. 44 है, मुख्य शीर्षक 124 केपिटल आउटले आन स्कीम्स आफ गवर्नमेंट ट्रेडिंग, इसमें प्राविजन है वह 22 करोड का प्राविजन है, 2260 का खर्चा हुआ है और 22 सौ लाख की रिकवरीज है मै निवेदन करना चाहता हूँ सदन के समक्ष कि इसमें साल्ट ट्रेडिंग स्कीम है, इसमें स्कीम फार पर्चेज एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन आफ सीडस, मे योर्स एण्ड इम्प्लीमेंटस है स्कीम फार पर्चेज आफ फर्टिलाइजर है, जयपुर मिल्क सप्लाई स्कीम है, वूल ट्रेडिंग स्कीम है, पोल्ट्री फीड मिक्सचर है, स्कीम फार पर्चेज आफ पम्पिंग सेट हैं स्कीम आफ वेगन फेक्ट्री अलवर है स्कीम फार डिपार्टमेंटल वर्किंग आफ फोरेस्ट कूप्स है, स्कीम फार डिपार्टमेंटल वर्किंग आफ झामर कोटरा रोक फासफेर, वर्ड फूड प्रोग्राम की स्कीम है, इत्यादि इत्यादि स्कीम हैं। आप अन्दाज लगाइये, बाइस करोड़ का सारा प्राविजन इसमें है और इतनी स्कीम्स इसके अन्दर है। फिर भी मंत्री महोदय इसको माइनर कह कर चलते है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ट्रेडिंग के सिलसिले में राज्य सरकार इस सदन को इसके बारे में जानकारी नहीं दे तो किस प्रकार से अन्दाजा लग सकता है कि गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग में फायदा हो रहा है या नहीं। जिस सोशलिस्टिक पेटर्न की बात यह सरकार कहती है उसको अचीव करने की दिशा में क्या प्रगति कर रही है? कितना नफा या नुकसान है। इस सारी जानकारी के अभाव में ये समझता हूँ कि इस डिमाण्ड को पास करना कतई उचित नहीं होगा इसलिए इस डिमाण्ड को पास नहीं किया जाय और इसको पोस्टपोन किया जाय इतने आइटम इसमें है या नहीं यह बताइये।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं, कई आईटम इनमें शामिल हैं। इस मांग के अन्तर्गत फूड डिपार्टमेंट जो अनाज की खरीद फरोख्त का व्यापार करती है यह भी एक आइटम है। मैं दूसरों के बारे में तो नहीं कह सकता कि क्या पोजिशन है लेकिन जहां तक फूड डिपार्टमेंट का प्रश्न है, मैंने पहले जैसा निवेदन किया कि नो लोस नो प्राफिट के ऊपर हम यह व्यापार करते हैं और आज की जो स्थिति है इस साल तक की उसमें न नफा है, न घाटा है।

श्री भैरोंसिंह : यह क्या हुआ ? जिस समय खरीदा था तो उसमें एक्सपेंडीचर किया होगा वह कितना था—यह जानकारी होनी चाहिए। आपने जो कहा वह क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन सबसे इम्पार्टेंट यह है कि राजस्थान सरकार को भारत सरकार जिस भाव से अनाज देती है, या जो भाव वह तय करती हैं उस पर राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज इतने हेवी हैं कि राजस्थान की जनता को बहुत मंहगे मूल्य पर अनाज खरीदना पड़ता है। उस इश्यू को हम डिस्कस करना चाहते हैं। आप

(श्री भैरोंसिंह)

बताइये कि कौनसी चीज ऐसी है जिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज का एक्सपेंडीचर ज्यादा नहीं आया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पार्टेन्ट डिमाण्ड है। 79 के भाव पर चना लिया गया, किसानों से 79 रुपये पर क्विन्टल के हिसाब से लिया गया लेकिन जब फिर उनको बीज के लिए दिया गया तो वह 96 रुपये पर क्विन्टल के हिसाब से दिया गया। यह इम्पार्टेन्ट इश्यू है।

श्री अध्यक्ष : यह आप कट मोशन के वक्त बोल सकते हैं।

(विराम)

मैं इस पर निर्णय देने के लिए खुद इस पर सोच रहा हूं, तब तक के लिए सिंचाई मंत्री जी बहस का उत्तर देंगे।

मांग संख्या 25, 26 एवं 40 से 48 पर की गई बहस का उत्तर एवं उनकी स्वीकृति।

(3.50 म. प.)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, सिंचाई की मांग के सम्बन्ध में दो रोज पहले बहस हुई, उस दिन में पूरे समय तक के लिए नहीं ठहर सका– इसके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन प्रमुख तौर से जो जो मुद्दे सदन में उठाये गये उनका उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, मैं यह चाहूंगा कि आप अधिक समय नहीं लें, चालीस और पचास मिनिट के भीतर भीतर उत्तर दे दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि थोड़े से ही समय में जो सब मुद्दे उठाये गये है उनके बारे में मैं सदन को अवगत करूं।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था कि राजस्थान में कितना वाटर पोटेन्शियल अवेलेवल है और कितना हारनेस्ट किया जा सकता है और कितना बाकी है, उसके लिए क्या योजनाएं है, जो हमारा क्षेत्र फल है, उसको देखते हुए किस हद तक कितने क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध करा सकेंगे, इसके लिये हमने मास्टर प्लान बनाया है या नहीं।

गत वर्ष बजट की बहस के दौरान मैंने बताया था कि मास्टर प्लान बनाने के लिये हम कार्यवाही कर रहे हैं। और हमने मास्टर प्लान बनाने के लिए कार्यवाही की। उसके अनुसार जो राजस्थान की स्थिति रहती है वह मैं माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं।

जो टोटल सरप्लस वाटर है वह 149 लाख एकड फीट है उसमें से जो पोटेंशियल अब तक डेवेलप किया है वह 61.7 लाख एकड फीट है। जो स्कीम्स फलो इरिगेशन की है. उसमें 15.1 लाख एकड फीट पानी हारनेस्ट हो जायगा, जिसके ऊपर प्लान बनाना बाकी है, उसमें 5.9 लाख एकड फीट पानी उपलब्ध होगा। इस तरह से कन्वेन्शनल स्कीम्स वाला वाटर पोटेन्शियल 82.7 लाख एकड फीट है। तो इस तरह से 149 लाख एकड फीट पानी में से 66 लाख एकड फीट हार्नेस हो चुका हैं। बाकी पानी बचता है

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

फलो ईरिगेशन के बाद तो वह पानी इन्टर बेसिन स्कीम्स लिफ्ट स्कीम्स या टेनल्स के जरिये इस्तेमाल किया जा सकता है। लिफ्ट स्कीम्स से कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, यह अध्ययन में चल रहा है। इस प्रकार वाटर पोटेन्शियल की यह स्थिति है। देश के क्षेत्रफल को देखते हुए राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह 13.8 परसेन्ट है। 1.1 परसेंट हमारा है, उसके लिये 66 लाख एकड फीट पानी भी हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह राजस्थान स्टेट का है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां, राजस्थान स्टेट का ।

श्री भैरोंसिह : बाहर का ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी बता रहा हूं। जो पानी हमारे यहा कन्वेन्शनल स्कीम्स से उपलब्ध है उससे 29.30 लाख ए ड जमीन की सिंचाई होती है। 3 करोड़ 75 लाख एकड जमीन में खेती होती है। जब कि हमारे यहां 6।। करोड़ एकड़ कल्च-रेबल एरिया है । जो हमारे राजस्थान के पानी के रिसोर्सेज हैं, कन्वेशनल स्कीम्स से अभी 30 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। कब तक सब पानी हार्नेस हो सकेगा यह अभी नहीं कह सकते। 20 से 25 लाख एकड़ को सिंचाई ग्राउन्ड वाटर से होती है। इसका अभी कोई सर्वे हो कर तहकीक आंकडे नहीं हैं तो भी 50-60 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई कुओं से, जो बने हैं या अब बनेंगे उनसे राजस्थान में सिंचाई हो सकती है। हमारे घर के साधनों के अलावा

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

(3. 53. म.प.)

अब तक जो इन्टरस्टेट योजनाएं बन रही हैं, या बनाने का विचार है, उनके अन्दर सब को मिला कर गंग केनाल, राजस्थान केनाल, भाखरा, चम्बल, सिरमुख नहर, नर्मदा, जमना किसाऊ, डेम, वगैरह जिनके बारे में लिखा पढ़ी हो रही है, जिनके बारे में मुआहदे होने की संभावना है, उनके पूरा होने पर 70 से 80 लाख एकड़ जमीन बाहर के पानी से राजस्थान में सिंचाई के अन्दर आने की संभावना है। इस तरह 80 लाख एकड़ बाहर के पानी से, 30 लाख एकड़ हमारी कन्वेन्शनल स्कीम्स से और 50 लाख एकड़ जमीन कुओं के पानी से इस तरह कुल मिला कर 1.60 लाख एकड़ जमीन हम राजस्थान में सिंचित कर सकते हैं। इसके अलावा एरिया तो हमारे पास बहुत है पर सारे एरिया के लिये पानी का होना संभव नहीं है। इसलिये राजस्थान में पानी का महत्व बहुत है। राजस्थान में पानी किसी भी कीमत पर मिले इसकी आवश्यकता है। तो माननीय सदस्य ने जो प्रश्न इन्टर-स्टेट्स से मिलने वाले पानी के मामले में उठाया, उसका मैंने उत्तर दिया।

श्री भैरोंसिह : एक्च्युअल ईरिगेशन कितना है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक्च्युअल एरिगेशन स्टेट और इन्टरस्टेट दोनों को मिला कर जो पोटेन्शियल क्रियेट किया गया है, हालांकि यह रेन पर निर्भर करता है पर इससे अभी 28 से 30 लाख एकड़ के बीच में सिंचाई होती है। इस साल 28

(श्री राम प्रसाद लड्डा)
लाख और कुछ हजार एकड़ की सिंचाई होने की संभावना है।

श्री भैरोंसिंह : विवश्चन यह था कि इन्टरस्टेट एग्रीमेंट के हिसाब से जितना वाटर पोटेन्शियल क्रियेट किया है, उससे कितनी सिंचाई होती है और वास्तव में उससे कितनी सिंचाई होनी चाहिये थी।

श्री रामप्रसाद लड्डा : जैसे हमारे यहां गंग कैनाल है, भाखरा है, राजस्थान कैनाल है और चम्बल है इन चारों से पोटेन्शियल क्रियेट हो कर सिंचाई होना प्रारम्भ हो गया है, इसलिये इन चारों से ही मैं जवाब देता हूँ। जैसे भाखरा में हमारा कमाण्ड, जिसको कल्चरेबल कमाण्ड कहते हैं वह कल्चरेबल कमाण्ड करीब 9 लाख एकड़ के है, उसमें से करीब 6 लाख एकड़ में सिंचाई होती है, 62, 65, 6 , 70। यह बात दूसरी है कि कुछ सिस्टम, जसाना अमरसिंह खारी ऐसे ब्रीच हैं जिन पर इन्टेन्सिटी जितनी सारे प्रोजेक्ट की इन्टेन्सिटी है, वह नहीं है। भाखरा में वह इन्टेन्सिटी अचीव करली है।

श्री भैरोंसिंह : भाखरा की इन्टेन्सिटी कितनी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भाखरा की इन्टेन्सिटी 62 परसेंट है। गंग कैनाल की इन्टेन्सिटी 60 परसेंट है, पैरिनियल और नोन पैरिनियल है, नोन पैरिनियल समेजा और लालगढ़ की 60 परसेंट इन्टेन्सिटी है इसके बजाय यह 82-85 परसेंट तक पहुंच गई है नान पैरिनियल समेजा और लालगढ़ है उसको डेवलप करने पर 25 से 31 तक इन्टेन्सिटी पहुंच गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक्स्क्यूज मी। भाखरा, गंग कैनाल, राजस्थान कैनाल और चम्बल इन चारों प्रोजेक्ट में आपका टार्गेट कितना था और एक्च्युअल कितना अचीव किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 7 लाख सी.सी.ए. है। 60 परसेंट इन्टेन्सिटी थी इससे 5 लाख से नीचे होती है पर इसमें हमने इरिगेशन कर लिया है 6 लाख 11 हजार एकड़ तक इसकी पेरिनियल, नान पैरिनियल पहुँच गई है।

श्री दौलतराम सारण : आपकी सरकार का कहना है कि पंजाब सरकार से आपको पूरा पानी मिलना चाहिये था उससे आप पूरा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं पर पानी आधा, तीसरा हिस्सा और चौथे हिस्से का प्राप्त हुआ है, फिर इतना कैसे इरिगेशन कर रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं पूरी बात कहना चाहता हूँ, वह मुझे कह लेने दीजिये। मैं निवेदन करूं। 60 परसेंट की इन्टेन्सिटी से 5 लाख इरिगेट होनी चाहिये। वहां 6 लाख 11 हजार एकड़ एरिया इरिगेट होता है।

लेकिन नान पेरिनियल रबी में भी इसमें 31 प्रतिशत तक पहुँचता है, कहीं 25 प्रतिशत तक पहुँचता है। सवाल आता है राजस्थान कैनाल का। जो क्रीएटेड है राजस्थान कैनाल में इस साल जो अनोपगढ़ ब्रांच सिस्टम है 31 मार्च 1970 तक और आने वाले दो तीन महीने और लेटेस्ट 30 जून तक जो काम पूरे हो जायेंगे, अनोपगढ़ का सिस्टम पूरा माइनर और डिस्ट्रीब्यूटरीज कम्पलीट उससे 8½ लाख सी. सी. कवर होगा। उस हिसाब से 5½ लाख एकड़ वाटर पोटेन्शल क्रीएट हो

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
जायगा तो उससे 5½ लाख एकड़ जमीन में पानी पहुँच सकता है अगर लेविलिंग और लैंड अवेलेबुल हुआ होगा। 3 लाख की इस साल सिंचाई की है और जून तक ढ़ाई लाख का वाटर पोटेन्शल एडीशनल क्रीएट हो जायगी तो अगले साल हम 5½ लाख एकड़ में पानी दे दे सकते हैं।

सवाल आता है राजस्थान कैनाल में 5½ लाख एकड़ कम वाटर पोटेन्शल क्रीएट हो जाता हो तो इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है क्योंकि पोंग डैम नहीं बना इससे जो समर में नदियां बहती हैं और बरसात में छूटा हुआ पानी यहां आ जाता है। बरसात में एक लाख से भी अधिक क्यूसेक पानी आने की संभावना है तो जब कम पानी आ जाय स्टोरेज न हो तो ऐसी हालत में 5½ के वाटर पोटेन्शल का किस तरह से इस्तेमाल किया जाय, यह प्रश्न हमारे सामने महत्वपूर्ण रहता है। यहां कई माननोय सदस्यों ने बहस में सुझाव दिए कि जिस तरह से पावर में कामन ग्रिड होता है और उससे दूसरी जगह पावर ट्रांसफर होता रहता है और उसका उपयोग हो सकता है। इसी तरह से राजस्थान कैनाल भाखरा और गंग कैनाल का भी क्यों नहीं कामन ग्रिड बनाया जाय जिससे जब तक पानी इस्तेमाल न होने की संभावना रहती है, उसमें एक दूसरे का डेफीसिट मीट करने के लिए और दूसरे एरिया में कैसे पानी जा सकता है, पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं तो पानी जो शेयर का मिलता है वह फालतू न हो, उसके लिए कुछ हमारे सुझाव हैं कि किस तरह से हम कर रहे हैं। भाखरा डैम की कुछ एरियाज ऐसी हैं जो राजस्थान कैनाल में ट्रांसफर हो सकती हैं और राजस्थान कैनाल में सिंचाई भी हो सकती है और इस तरह से भाखरा का बचा हुआ पानी भाखरा ब्रांच को इन्टेंसिटी बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरी प्रोपोजल्स अंडर स्टडी हैं जिससे वह एरिया राजस्थान कैनाल को ट्रान्सफर कर दें और सिंचाई हो सके।

इसी तरह से आप लोगों को याद होगा कि सरहिंद फीडर और राजस्थान फीडर, इसको लिंक करने के लिए लिंक चैनल बनाई जा रही है जिससे सरहिंद फीडर डाइरेक्टली राजस्थान कैनाल से लिंक हो जायगी तो वह पानी उसके जरिए से, हमें मिल सकता है और हमारे सिस्टम से जो कमी वाला क्षेत्र है, उसको डेवलप कर सकते हैं और बचे हुए पानी को दूसरी जगह काम में ला सकते हैं। हमने दो लाख रुपए भेज दिए है और कुल 6 लाख का काम है। हरियाना सरकार हमारी तरफ से एजेंट के रूप में काम कर रही है।

दूसरी समेजा और लालगढ ब्रांचिज, इससे जो नान पेरीनियल है, इसको पेरीनियल पानी मिल जाय और जितनी गंग कैनाल में जो कमी है, अभी माननीय सदस्य ने कहा वहां कम आता है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल भी गंग कैनाल का पानी राजस्थान कैनाल से जो बचत हो सकती थी, वह पानी गंग कैनाल में देकर सिंचाई में मदद की। इसी तरह से राजस्थान कैनाल से भाखरा के कुछ एरियाज को जिसको घग्घर के मारफत मिल सकता था, देने की कोशिश की, अगले साल हम उन एरियाज को ट्रांसफर करके भाखरा या गंग कैनाल जहां कमी हुई पानी पहुंचायेंगे। दूसरी राजस्थान कैनाल का एरिया वह जल्दी लेविल हो जाय और सिंचाई सेटिल हो जाय, इस बात की कोशिश करेंगे।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

यहां यह भी सवाल आया कि राजस्थान कैनाल नान पेरीनियल है। पेरीनियल पोंग डैम बनेगा तब बनेगी। 31–3–70 से पाकिस्तान की सप्लाई बंद हो जायगी उसके बाद पानी अपने शेयर का ज्यादा आएगा लेकिन अभी नान पेरीनियल है इसलिए फसलें खराब हो रही हैं तो हमने खास तौर से कोशिश करके सिंचाई मंत्रालय से बात करके, यह रबी की फसल ठीक चले उसके लिए एक क्यूसेक्स पानी रोजाना के हिसाब से राजस्थान कैनाल में रबी की खड़ी फसल को बचाने के लिए शुरू करवाया है जो आज या कल तक पानी पहुंच जायगा। वह रिलीज किया जा चुका है।

श्री रामचन्द्र आर्य : फसलें जल गई हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमको पानी तो मिलता नहीं है। हमने भाखरा से रिलीज करवाकर राजस्थान कैनाल के अकाऊन्ट में डलवाकर भेजा। सब फसलें तो नहीं जली होंगी।

इसी तरह से गंग कैनाल में पानी की कमी का सवाल आया, उसमें 600 क्यूसेक्स एडीशनल गंग कैनाल में छुडवाया गया। तो इस तरह से समय समय पर जो पानी की कमी के प्रश्न आते हैं उनको हल करने की कोशिश की जाती है और एडीशनल वाटर भी हमने एक हजार क्यूसेस वाला फर्दर एजस्टमेंट के हिसाब से दिया है। तो इस तरह से यह पाटेन्शल गंग कैनाल राजस्थान कैनाल भाखरा का है।

चम्बल की स्थिति यह है कि इसमें अल्टीमेटली प्रताप सागर के बन जाने से 7 लाख एकड जमीन में सिंचाई होने की सम्भावना है। 7 लाख एकड जमीन में से अभी कोई 5–6 लाख एकड जमीन में नहरों की खुदवाई हुई है और बाकी बूंदी एक्सटेन्शन ब्रांच, रैविन्स रिक्लैमेशन लिफ्ट इर्रीगेशन स्कीम ये तीन योजनायें और जोडें तब टोटल कमांड हम जितना चाहते हैं, इससे इर्रीगेशन हो सकता है और उसके न होने की हालत में और बांध पूरी फुल कैपेसिटी में बढे और अपना शेयर पूरा मिले तो ऐसी हालत में कमी रहती है जमीन को। आज स्थिति यह है कि हम अधिक से अधिक चंबल के अन्दर 3.80 लाख की सिंचाई मैक्सीमम की है। यद्यपि हमने रबी की 55 प्रतिशत को इन्टेंसिटी रखी है वह कुछ कामों को छोडकर इस इन्टेंसिटी को तो प्राप्त कर लिया है लेकिन खरीफ की जो 21 प्रतिशत रखा है वह हम अधिक से अधिक 9 प्रतिशत इन्टेंसिटी तक पहुंच पाते हैं। हम चाहते हैं कि पैडी क्राप्स शुगरकेन क्राप्स या ऐसे क्राप्स जो खरीफ में पानी ले लें और इस इन्टेंसिटी को बढायें इसकी हम कोशिश करेंगे लेकिन पूरी सफलता नहीं मिली है।

चम्बल प्रोजेक्टस के बारे में कुछ माननीय सदस्यों की समस्यायें हैं। इस कारण भी यह सिस्टम जो सिंचाई का है, उसमे कई लोगों को दिक्कत होती है। वाटरलोगिंग की समस्या है। पूरी डिस्ट्रीब्यूटरीज और माइनर्स के अधूरे कामों को पूरा करने की समस्या है बीडस की और सिल्टिंग की जिसके कारण लोगों को असुविधा होती है और इसके लिए समय समय पर शिकायतें भी होती रहती हैं। अभी भारत सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है जो एक महीने में भारत सरकार को रिपोर्ट देगी और उस कमेटी का

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कार्य क्षेत्र यह रखा गया है कि इन चम्बल के कॅनाल्स को इनकी डिजाइन्स को इग्जॅमिन करेंगे कि ठीक है या कमी है, कमी हैं तो क्या है उसका सुधार कैसे किया जाय जिससे लोगों को पूरा पानी मिल सके। साथ ही साथ यह सिल्ट को हटाने के लिए 36 लाख रुपए सरकार ने इस साल प्रावधान किया है जिससे कि सिल्ट को हटाएं। साथ ही साथ वीड्स के लिए रकम सॅक्शन की है, वीड़ को काटने के लिए और भविष्य में ऐसी मशीनरी के द्वारा भरे हुए पानी से वीड़ काटने में सक्षम हो सके, उसके लिए मशीन मंगाई है और जो हिस्सा प्रभावित है, बहुत पानी वेस्ट जाकर खेतों को खराब करता है, उनको लाइन करने की व्यवस्था की जाय। सरकार ने इस साल धनराशि बजट में रखी है। यह जो डिमांड कोटा बून्दी की तरफ से आई थी, इसको पूरा करने के लिए बजट में ये चीजें प्रस्तावित की हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) लेकिन मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि अभी हम जितनी वाटर पोटेन्शियल क्रीयेट हुई है उसको पूरी सीमा तक काम में नहीं ला सके हैं। यह चार बातें हैं जिन्हें मोटे रूप से मैंने आपके सामने निवेदन किया है।

इन बातों के अलावा कोटा और बून्दी के सिलसिले में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इस स्टेट में कई पुराने तालाब हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरे क्वश्चन का जवाब नहीं दिया है आपने। पंजाब से भाखरा, गंग केनाल और राजस्थान केनाल में कितना हिस्सा है और उसके हिसाब से कितना पानी मिला है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका हिसाब है। लेकिन जैसा आप लोगों को मालूम है मोतीरामजी चीफ इन्जीनियर की कमेटी इन दो बातों को एक्जामिन करने के लिए बनायी है। एक तो यह है कि राजस्थान का शेयर है रावी, व्यास और सतलुज में, उसके हिसाब से पानी मिल रहा है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आंकड़े बताते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आंकड़ों में भी यह नहीं है कि टोटल पानी मिला है। टोटल पानी मिले लेकिन मंथ टु मंथ मिले उसका असर पड़ता है। जब जरूरत हो तो पानी कम मिले और जरूरत न हो तो पानी अधिक मिले इससे तो फसलें और खराब हो जायं। कहीं पचास है तो कहीं डेढ़ सो है तो इस सिस्टम से परेशानी होती है। इन बातों को डिटेल्स में एक्जामिन करने के लिए कमेटी बनायी है और वे इसको एक्जामिन कर रहे है। एक डेढ़ महीने में उसकी रिपोर्ट आ जावेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह प्रश्न नहीं है। कमेटी बनायी रिपोर्ट कर देगी। भाखरा, गंग और राजस्थान केनाल इन तीनों के बारे में राज्य सरकार के जो एग्रीमेन्ट्स हैं उनके अनुसार कितना पानी आपको मिलना चाहिये था, राजस्थान का शेयर कितने पानी का था और उसमें से कितना पानी एक्चुली आपको मिला है और उसमें से कितना पानी यूटिलाइज कर पाये हैं वह अलग चीज है। मंथ वाइज और इयर वाइज आप आंकड़े दे सकें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे पास पूरे आंकड़े तो हैं नहीं। लेकिन मैं अलग से इन आंकड़ों को पर्सनली दे दूंगा।

कई माननीय सदस्य : पर्सनली नहीं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : यहीं बतायें ताकि सबको जानकारी दे सकें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह साधारण सवाल नहीं है। यह गहराई में जाने की बात है। एक तो यह है कि जो पर्टीकूलर डिटेल्स मांगी गयी हैं कि अमुक डेट से अमुक डेट तक इतना, अमुक डेट से अमुक डेट तक इतना मिला और टोटल इतना मिला। यह फीगर्स मेरे पास इस समय नहीं हैं। इसी वजह से मैं कह सकता हूं कि बाई एण्ड लार्ज पानी मिल जाय that does not solve the problem मंथ वाइज सिस्टम के अनुसार पानी मिले तो प्रोबलम सोल्व हो सकती है। भाखरा मैनेजमेन्ट बोर्ड और गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया की मिनिस्ट्री को लिखते रहे हैं और इसी वजह से एक्जामिन करा कर ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक डिफिकल्टी हमारी एप्रीशियेट करें आप। चार मेजर प्रोजेक्ट पर आप ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। उनसे शेयर जितना मिलना चाहिये उतना नहीं मिल रहा है और उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। It is nothing short of criminal negligence on the part of the Government.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी बात नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप एम्फेटिकली कह सकते हैं कि इतना मिला है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भाखरा और गंग केनाल का सवाल नहीं है। यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। That is not correct.

श्री रामानन्द अग्रवाल: भाखरा में 15.22 परसेन्ट शेयर है। क्या यह तथ्य नहीं है कि उतना पानी नहीं मिला ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं समझता हूं कि इस क्वश्चन को यहीं पर छोड़ दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is the most important question.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It is in our national interest not to discuss it here.

श्री भैरोंसिंह : जाने दो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : This question is being examined in detail.

श्री दौलतराम सारण : पंजाब के साथ पानी का हमारा शेयर डिसाइडेड है। वे पैसा उस हिसाब से लेते हैं परन्तु हमें हिसाब से पानी का शेयर नहीं मिल रहा है गंगानगर उजड़ रहा है, किसान रो रहे हैं और बार बार कहने पर भी गवर्नमेन्ट ध्यान नहीं देती है और आप कह रहे हैं कि यह बताना स्टेट के इन्ट्रेस्ट में नहीं है। पानी किन्हीं कारणों से नहीं ले पा रहे हो, सरकार की कमजोरी है, नहर की बनावट ठीक न होने के कारण से और गंग कैनाल में आवश्यकता होते हुए भी पानी नहीं लिया गया। सरकार प्रयत्नशील हो सकती है। लेकिन मैं इस आपत्ति को उचित महसूस नहीं करता हूं कि यह बताना पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं होगा।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** मैंने जो कहा था वह सोच समझ कर ही कहा था। छिपाने की दृष्टि से नहीं कहा था। आप यदि देखना चाहें तो यह पर्चा ले लीजिये। और इसको देख लिजिए wait for some time विधान सभा में ही इस पर बात करने से कोई खास बात नहीं होगी।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** इतना तो बता दीजिए कि जितना हमारा शेयर था उतने शेयर का पानी राजस्थान को नहीं मिला ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** मैंने यह निवेदन किया था कि कई जगह कम भी रहा है। माइनस फीगर भी हैं और बरावर के फीगर्स भी हैं। हमारा खास मुद्दा यही है कि जिस समय हमको पानी मिलना चाहिये वह नहीं मिला। उसके लिए हम लड़ रहे हैं और इसके डिटेल्स में मैं अभी नहीं जा रहा हूं।

**श्री भैंरोंसिंह :** एक बात तो बता दें।

दो साल के पहले राज्य सरकार की ओर से यह घोषणा की थी कि पानी के जो भी सोर्सेज हैं और पानी जहां से राजस्थान को मिलता है उसकी जोइन्ट व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार ने व्यवस्था कर ली है और राजस्थान सरकार का इन्जीनियर लगाया जायगा वह मीटर रीड करेगा उसका क्या हुआ ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** यही हमारा स्टेन्ड है जो हम भारत सरकार के सामने रख रहे हैं। आल इन्डिया लेवल पर इसका फैनल डिसाइड हो। हम तो इसी को लेकर चले हैं। इन्टरस्टेट के जितने मामले हैं वे सारे उलझन में पड़े हुए हैं।

**श्री भैंरोंसिंह :** भारत सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है और क्या पंजाब सरकार इसके कारण बाधा उपस्थित कर रही है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** वह केवल भाखरा का सवाल है। भाखरा का बोर्ड है उसके लिए यह भी तय किया है कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया की इन्डिपेन्डेन्ट बोडी है वह कन्ट्रोल करे। यह तय तो कर दिया लेकिन एक्चुअली कन्ट्रोल अभी तक पंजाब सरकार का है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** आपका नहीं है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** हमारा तो कहीं नहीं है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** इन्टरस्टेट प्रोजेक्ट है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** यह तो भाखरा की बात पूछी थी उसके लिए यह पोजिशन है। हमारा स्टेण्ड यह है कि चाहे भाखरा कैनाल हो, चाहे गंग कैनाल हो और चाहे राजस्थान कैनाल हो, तीनों का एक जोइन्ट कन्ट्रोल बोर्ड बने या राजस्थान के और जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं उनके प्रतिनिधि हों और वे कन्ट्रोल करें। ऐसा नहीं हो सकेगा कि अपर रीच वाला कन्ट्रोल करे और लोअर रीच वाले को पानी न मिले। यह हमने प्लानिंग कमीशन और गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया को रिप्रेजेन्ट कर रखा है और जो भी हाई लेवल मौके मिले हैं उनमें भी इस बात को पेश किया है। इसका अन्तिम निर्णय रूप से अभी नहीं हो सका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसमें आपने प्रोविजन किया या नहीं ?

श्री केदारनाथ : जोइन्ट कन्ट्रोल बोर्ड के प्रश्न पर इन प्रिन्सिपल पंजाब सरकार को क्या ऐतराज है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वे नहीं मानते ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि आपने एक इन्जीनियर को अपोइन्ट किया था और पंजाब सरकार ने उसको ठहरने नहीं दिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दिल्ली में एक अधिकारी को रखा था वह रीड करे। मेरे समय में ठहरने देने न देने की बात तो हुई नहीं। पहले की मैं नहीं कह सकता :

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी और दे दें । क्या यह सही है कि अभी लेटेस्ट पंजाब सरकार ने भारत सरकार से निवेदन किया था कि भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड का मैनेजमेंट पर चेयर मैन गवर्नमेंट आफ इण्डिया का है कोई व्यक्ति उसके स्थान पर पंजाब सरकार का बना दिया जाय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी डिटेल्स तो मुझे नहीं मालूम है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यही तो मुश्किल है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी बात नहीं है। बोर्ड में कोई आदमी रिटायर होता है तो दूसरा आदमी जाता है। गवर्नमेंट आफ इण्डिया अपोइन्ट करती है।

श्री भैरोंसिंह : चण्डीगढ़ के साथ यह डिमाण्ड थी क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मालूम कर लिया है कि भाखरा से सम्बन्धित हरियाणा और पंजाब के बीच उस झगड़े में अभी तक कोई फैसला नहीं किया जब तक हम कन्सेन्ट न दें। इसको खासतौर से उन्हीं दिनों में पानी को सरप्लस की जानकारी····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पंजाब की गवर्नमेंट जनता के हित में ज्यादा सोचती है और काम करती है। वहां की सरकार जनता के हकों के लिये सैन्ट्रल गवर्नमेंट से लड़ती है और आप में सैन्ट्रल गवर्नमेंट से लड़ने का माद्दा नहीं है । आप उनकी जी हजूरी करते हैं और अपने आप को पोलिटिकली स्टेबिलाइज करने के लिये चिन्तित हैं। इर्रीगेशन में हमारे हिस्से का इतना ज्यादा पानी चला जाये और उसके ऊपर राजस्थान सरकार चुप रहे तो राजस्थान सरकार की यह नेग्लीजेंस कन्डेमनेबल है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर राजस्थान की सरकार दब्बू होती और राजस्थान की जनता की भलाई के लिये चिन्तित नहीं रहती तो राजस्थान हो सारे हिन्दुस्तान में ऐसा प्रान्त है जिसे इन्टर स्टेट से सब से ज्यादा पानी मिला है और उक्त वाटर का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब यह सवाल दूसरा है कि सीलिंग के अनुसार हमें वह पानी पूरा मिला है या नहीं। कम मिला या ज्यादा फिर भी दूसरी जगह बहने वाली नदियों का पानी हम राजस्थान में ला रहे हैं क्योंकि इसकी एक विशेष प्रकार की भौगोलिक स्थिति है और इसके कारण 30 लाख एकड फीट राजस्थान कैनाल में, 6 लाख भाखरा कैनाल में और

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

6½ लाख एकड़ फीट पानी हम गंग कैनाल में ले रहे और दूसरे सोर्सेज से भी पानी ला रहे हैं। इन नहरों में पानी दूसरी नदियों से ला रहे हैं जो कि राजस्थान में नहीं है। ऐसे पानी का उपयोग करने के लिये हिन्दुस्थान के अन्दर राजस्थान ही एक ऐसा प्रांत है जो बाहर की नदियों का पानी लेकर उपयोग कर रहे हैं। इसलिये हम ऐसा न मान कर चलें और न राजस्थान सरकार के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने यहां यह स्वीकार किया है कि जितना भी शेयर है वह राजस्थान को नहीं मिल रहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: राजस्थान सरकार ने यह कोशिश की है कि इन्टर स्टेट प्रोजेक्टस् में हमारा जो शेयर है—चूंकि नदियां हमारे यहां नहीं हैं और हमारे यहां की विशेष परिस्थिति है और उनसे एग्रीमेन्टस् करा है और पानी लिया जा रहा है। जहां कम और ज्यादा का सवाल है उसको हम समय समय पर, इस कमी की पूर्ति कराने की कोशिश करते रहे हैं और आयन्दा भी करेंगे और इसमें किसी भी तरह की कोई कोशिश नहीं छोड़ेंगे।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पौंग डेम का निर्माण नेक्स्ट ईयर कम्पलीट हो जायेगा उसके बाद जो वाटर पोटेन्शियलिटी क्रियेट होगी और जो वाटर राजस्थान कैनाल में आ जायेगा और राजस्थान नहर के निर्माण न होने से जो वाटर सरप्लस होगा उसके यूटिलाइजेशन के सम्बन्ध में सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 1973-74 में कम्प्लीट होगा, ऐसा बताया है। उसके कम्पलीट होने के बाद उसमें पानी रखेंगे और पानी रखने की वजह से हमारा शेयर बढ़ेगा। अभी तो बरसात में पानी निकल जायेगा। इसके इस्तेमाल के लिये हम से जितना बन सकेगा, करेंगे। यह सदन को मालूम ही है कि हम बराबर यह प्रयत्न करते रहे हैं कि पौंग डेम के कम्प्लीशन के साथ ही साथ साइमलटेनियसली राजस्थान कैनाल भी कम्प्लीट हो जाये परन्तु इसके कम्प्लीशन में गेप रहता है। इसलिये हम यह कोशिश कर रहे हैं कि यह गेप कम से कम रहे और इसके कम्प्लीशन के लिये अधिक से अधिक धनराशि सैन्ट्रल आथोरिटी से मिले। वे इसे नेशनल प्रोजेक्ट मानकर चलें। इस सारे के लिये हमारी बराबर यह कोशिश रही है और समय समय पर जो कुछ किया है उसकी इस सदन को जानकारी देते रहे हैं। पानी आयेगा वह निश्चित है लेकिन साथ ही साथ धन कितना आयेगा यह निश्चित नहीं है और न धन इतना ही है कि हम इस पानी को जैसलमेर तक पहुँचा सकें। इसलिये यह कोशिश करेंगे कि भाखरा और गंग कैनाल को ज्यादा से ज्यादा एनरिच करें, लिफ्ट इर्रीगेशन स्कीम से सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जायें और दूसरी कार्यवाहियां करें। इसके अलावा हमारे शेयर पर पानी 53 लाख फीट बनता है। अब हम पूरे के पूरे का उपयोग कर पायेंगे या नहीं और इसके इस्तेमाल के लिये रेगुलर फ्लो में कमी रह जाती है। इसके लिये आप सुझाव दें कि हमें क्या करना चाहिये और हम भी इस पर विचार कर रहे हैं...

श्री भैरोंसिंह : आप कमेटी बना दें।

श्री दौलतराम सारण : सड़ा हुआ गेहूं मंगाने के लिये इस सरकार को पैसा मिल जाता है और राजस्थान नहर को बनाने के लिये इस सरकार के पास पैसा नहीं है। सड़ा हुआ दलिया, तेल और अनेक चीजें विदेशों से अरबों रुपया खर्च करके मंगाई जा रही हैं लेकिन इधर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सड़ी हुई हुकूमत को सड़ा हुआ माल ही मिलेगा।

श्री सूरजमल : जिला झुन्झुनूं और सीकर में बड़ी सिचाई योजनाओं से सिंचाई करने के लिए क्या इस सरकार के सामने कोई योजना विचाराधीन है? क्या इस क्षेत्र को भी बड़ी सिंचाई की परियोजनाओं में लिया जायेगा?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिला सीकर में चार योजनाएं हैं। इस साल के बजट में भी देखा होगा, इसमें ली गई हैं और झुंझुनूं जिले में कांटली बांध को लिया गया है। उसका सर्वे पूरा हो गया था लेकिन कुछ तीन-चार कारणों से और दूसरे कारणों से उसको ड्राप करके उसकी तलपटी पर माइनर इरींगेशन की जाये। माइनर इरींगेशन की स्कीम बनाया जाये और तीन स्कीम्स का सर्वे चल रहा है और ज्वाइंटली माइनर इरींगेशन वर्क्स लिये जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : पौंग डैम के मामले में क्या राजस्थान सरकार ने यह स्वीकार किया था कि एकार्राडग टू दी ओरिजनल शड्यूल पौंग डैम का निर्माण 71-72 में हो जाने पर इस बात का स्टेटमेन्ट किया है कि इसके कार्य को स्लो किया जाये और स्लो वर्क होने के कारण यह 73-74 में कम्प्लीट होगा। क्या राज्य सरकार के सामने पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार ने यह मांग रखी है कि पौंग डैम के निर्माण के बाद चूंकि राजस्थान कैनाल का काम पूरा नहीं हुआ है और उसका वाटर सरप्लस होगा इसलिये इस वाटर का उपयोग पंजाब और हरियाणा को सिंचाई के लिये उपलब्ध करा दिया जाये। क्या यह सही है? नहीं तो सरकार यह डेफीनेटली बताये कि कितना पानी सरप्लस होगा और उसका सरकार किस प्रकार से यूटिलाइजेशन करेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 1-4-70 को पानी रिलीज हो रहा है 8 मिलियन एकड फीट इसका युटिलाइजेशन आप कर पायेंगे या नहीं यह बता दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 31 मार्च, 1970 को पाकिस्तान को पानी देना बंद कर दिया जायेगा। वह पानी जो आपको रिलीज होगा क्या उसका उपयोग करने को आपकी क्षमता है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस [illegible] में बता दिया है, इसके अन्दर पौंग डैम है, उसका फ्लो है दोनों को मिलाकर जो स्टोरेज होना उसके अन्दर हमारा शेयर बनता है वह ज्यादा बनता है। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें करीब 12/13 लाख एकड सी. सी. सी. ए. में पानी का उपयोग हम कर सकेंगे। फोर्थ फाइव इयर प्लान के एण्ड में या कुछ उसके पहले इसको मुकम्मिल

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
कर देंगे और 12/13 लाख एकड़ का एरिया इससे कवर हो जायेगा इससे ज्यादा अधिक फण्ड आने पर कर पायेंगे....

श्री भैरोंसिंह : बाकी पानी कहां जायेगा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राजस्थान सरकार यह नहीं बतला सकती कि 31 मार्च, 70 के बाद हमारा पानी का जो शेयर होगा उसको युटिलाइज करने की स्थिति में हमारी राज्य सरकार है या नहीं ? यह बता दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 31 मार्च को नहीं मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा, यह निश्चित बात है, जहां तक पानी के खपाने की बात है कि पानी का जो शेयर बनता है वह 8 लाख एकड़ मिलियन फीट बनता है यह भी तब पोंग डेम की फुल हाइट पर बन जाने पर। उस हाइट तक वह बनता है या नहीं यह देखने की बात है और हो सकता है कि वहां पानी कम भी हो सकता है। फुल हाइट पर बन जाने पर पानी का हमारा शेयर 8 मिलियन एकड़ फीट होता है और उससे हमारी योजना 30 लाख एकड़ में इर्रिगेशन करने की है। आज हमारा जो नहर का काम कम्प्लीट हुआ है उसके अनुसार हम 12 लाख एकड़ के एरिया को ही कवर कर पायेंगे और बाकी का पानी गंग, भाखरा में लाकर और लिफ्ट इर्रिगेशन के जरिये काम में लेंगे फिर भी जब तक राजस्थान कैनाल आगे नहीं बढ़ेगी तब तक हम इस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते।

इसलिए परसों हमने इर्रिगेशन मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट आफ इण्डिया से कहा है कि फर्स्ट स्टेज की बजाय सेकन्ड स्टेज का वर्क फोर्थ प्लान में कम्पलीट कर पाये तो हम अधिक पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बारे में हमारी तरफ से पूरे प्रयत्न किये जा रहे हैं। यह जो गेप है इस साल तो हम पूरा मुश्किल से ही कर पायेंगे। गवर्नमेंट आफ इण्डिया का पोंग डेम पर डाइरेक्टली कन्ट्रोल है वहां पर जितना कन्ट्रोल हमारा होना चाहिये, नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी जो स्टेज आफ कन्स्ट्रक्शन है उसके तहत हमें कितना पानी मिलेगा ? अभी जो कुछ बना हुआ है हम कितने पानी को यूटिलाइज कर सकेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बरसात के दिनों में 1 लाख क्यूसेक पानी आजाय तो वह हमारा शेयर नहीं बन सकता। उतना पानी पोंग डेम के होने से ही युटिलाईज हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : पाकिस्तान से एग्रीमेण्ट हुआ वह एग्रीमेण्ट 31 मार्च को समाप्त हो रहा है उसके बाद राज्य सरकार को जितना पानी मिलना चाहिये उस पानी को युटिलाइज करने के बारे में क्या व्यवस्था है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब तक पूरे पानी के मिलने की व्यवस्था हो जायगी, तब तक सारा पोंग डैम कम्पलीट हाइट पर पहुंच जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 31 मार्च, 70 को पाकिस्तान को पानी देना बन्द हो जायगा और 1 अप्रेल के बाद हमें कितना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
पानी एडीशनल मिलेगा उसको हम युटिलाइज भी कर सकेंगे या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जितना पानी आयगा पूरे का पूरा इस्तेमाल नहीं हो सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो पाकिस्तान जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अपने यहां आये तब भी नहीं हो सकता पानी खरीफ और रबी का देना है। खरीफ का पानी पौंग डेम में रुके तभी वह रबी में रिलीज हो सकता है। खरीफ और रबी का पानी एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह पानी जायगा कहां ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वेस्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान सरकार पानी के युटिलाइजेशन की व्यवस्था नहीं कर सकती। 31 मार्च, 1970 के बाद जो पानी हमको रिलीज होगा उस पानी को युटिलाइज करने की व्यवस्था नहीं हो तो वह पानी पाकिस्तान जायगा ही ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इससे अगले साल वेस्ट जाने का नहीं और खरीफ के लिये प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 31 मार्च के बाद एग्रीमेण्ट की समाप्ति के बाद उस पानी को युटिलाइज कहां कहां करेंगे इस बारे में आपने क्या व्यवस्था की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बिना छानबीन किये मैं इस बारे में जवाब नहीं दे सकता।

श्री भैरोंसिंह : एक तरफ तो राजस्थान का किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को पानी दिया जा रहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पानी एक साथ रिलीज नहीं होता है। एक अप्रेल को ही सारा पानी फैल जायगा ऐसी बात नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 31 मार्च, 70 को एग्रीमेण्ट समाप्त हो जाता है इस तरह से बिना एग्रीमेण्ट के एक अप्रेल के बाद पानी पाकिस्तान जा नहीं सकता ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी भी नहीं जा रहा है।

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि इण्डस वाटर ट्रीटी के अनुसार राजस्थान अपने शेयर को युटिलाईज नहीं करेगा तो वह पाकिस्तान जायगा तो इस तरह से वह तीन साल तक उस वाटर को इस्तेमाल करने के पावर रखेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा इसमें है 1955 में हिन्दुस्तान पाकिस्तान के बीच जो इण्डस ट्रीटी हुई है उसके अनुसार पाकिस्तान लेना चाहे और भारत सरकार देना चाहे तो एट सर्टेन प्राइस दे सकता है कम्पेनसेशन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान के इण्ट्रेस्ट सेव करने के लिये आप क्या कर रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जितना हो सकता है उपयोग करने की कोशिश की है ।

श्री भैरोंसिंह : 1970 के 1 अप्रेल से एग्रीमेण्ट खत्म हो जाने के बाद जो पानी हमको मिलने वाला है तो उसको युटिलाइज करने के सम्बन्ध में क्या क्या योजना है ? उसके एस्टीमेट्स तैयार किये हैं क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार केटोगोरिकली कह सकती है कि राजस्थान के शेयर का एक बून्द पानी भी पाकिस्तान को नहीं जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान तो पाकिस्तान को पानी भेजता नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : You want to. आप युटिलाइज तो नहीं कर सकते फिर क्या होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 1-4-70 को जो पानी आयगा वह 2700 क्युसेक आयगा राजस्थान कैनाल में 4500 क्युसेक इस्तेमाल कर सकते हैं । 1-4-70 को कोई प्रॉब्लेम नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नदियां बहने लगेंगी उस पानी का क्या होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बहती हुई नदी का पानी जो 1 लाख या दो लाख क्यूसेक हो तो कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता ।

एक माननीय सदस्य : वह पाकिस्तान में जायगा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बरसात के अन्दर जो हमारे शेयर से अधिक फ्लड आता है 1 लाख या दो लाख क्यूसेक पानी आ जाय तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते । इसी लिए तो पौंग डैम के निर्माण की बात सोची गई । बरसात में बहने वाला पानी उसमें जायगा, उसके बिना वह इस्तेमाल नहीं हो सकता वह वहां स्टोर होकर रबी में वह दिया जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि 1973-74 तक पौंग डैम के निर्माण तक रिवर फ्लो से जो पानी राजस्थान को मिलने वाला है उस शेयर को राजस्थान सरकार युटिलाइज नहीं कर पायगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह पानी राजस्थान में लेवलिंग के काम आयगा ।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जहां तक पता कर सका हूं जो पानी राजस्थान में आयेगा उसको राजस्थान सरकार इस्तेमाल करने की हैसियत में नहीं है, वह पानी पाकिस्तान जायगा । यह बात बहुत स्पष्ट हो गई है भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने राजस्थान नहर निर्माण द्वारा जो डिफेन्स की दृष्टि से आवश्यक था, डेजर्ट रोकने के लिए आवश्यक था, अकाल को रोकने के लिए आवश्यक था, बेरोजगारी को रोकने के लिए जिसका निर्माण आवश्यक था उस प्रोजेक्ट को नहीं बनाया । यह गैर जिम्मेदाराना तौर से इसकी उपेक्षा की गई । इस तरह से राष्ट्रीय महत्व की समस्या को आवश्यक नहीं समझा गया । अमेरिका से सड़ा गला अनाज मंगाकर खा रहे हैं, अकाल के नाम पर करोड़ों रुपया उधार ले लेकर खा रहे हैं । इस तरह से भारत सरकार और राजस्थान सरकार इस देश

(श्री दौलतराम सारण)

की गिरती रहती जा रही है। अमेरिका और पाकिस्तान से मिलकर इस मामले में गैर जिम्मेदाराना और अराष्ट्रीय दृष्टि से काम किया है।

श्री केदारनाथ : 1-4-70 के बाद विद कास्ट वह मांग सकता है। क्या यह सही है राजस्थान उस पानी को इस्तेमाल नहीं करेगा तो पाकिस्तान वह पानी इस्तेमाल करेगा विद कास्ट ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा यह : मुझे जानकारी नहीं है। उनके खुद का बान्ध बन गया है। जिस बान्ध को बनाना था वह बन चुका है। गवनमेण्ट आफ इण्डिया के पास से उन्होंने पानी मांगा है इस प्रकार की जानकारी हमें नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रोजेक्ट के बारे में निवेदन कर रहा था····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष जी, आप तो सन्तुष्ट हैं इस उत्तर से ? आप सन्तुष्ट हैं न ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

श्री केदारनाथ : इन्डस वाटर ट्रीटी है उसकी कॉपी यहां रख दी जाय और जो लेटर एक्सचेन्ज किये हैं शेयर के बारे में वह भी टेबिल पर रख दिये जायं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, परसों मीटिंग थी उस मीटिंग में इस प्रश्न पर विचार किया नहीं गया। पौंग डैम निर्माण होने से उसमें जो राजस्थान का हिस्सा है उसको हम युटिलाइज नहीं कर पाये। पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट है वह समाप्त हो रहा है। मैं यह पूछना चाहता हूँ उस पानी को युटिलाइज करने के लिये भारत सरकार से या अन्य राज्य सरकारों से राजस्थान सरकार ने क्या बात-चीत की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : परसों दिल्ली गये थे लेकिन इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं हुई है।

श्री भैरोंसिंह : चार दिन के बाद एग्रीमेंट खत्म हो रहा है और हमारी राजस्थान सरकार कहती है हमने भारत सरकार से बात ही नहीं की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पौंग डैम के बारे में इसका पानी इस्तेमाल कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। इस विषय पर चर्चा नहीं रखी गई थी।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं इसकी चर्चा करनी चाहिये थी। इतना इम्पार्टेंट प्रश्न है और उसका जवाब यहां देना था। राजस्थान का पाकिस्तान को पानी देने का इश्यू है और जनरल डिबेट में उठाया गया है तो मंत्री महोदय को तैयार होकर आना चाहिये था। हमने उस समय कहा भारत सरकार की कमजोरी है अथवा राजस्थान सरकार की कमजोरी है और इस कमजोरी के कारण ही पाकिस्तान को लाभ मिलेगा––इस दृष्टि से विचार करना चाहिये था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिन मुद्दों पर पहले से डिसकशन रखा हुआ था उनके लिये चर्चा करने गये थे।

श्री भैरोंसिंह : फिर आप चर्चा करते रहे···

# Page No. 69



श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या राज्य सरकार अब यह केटेगोरिकली कह सकती है कि पाकिस्तान के एग्रीमेंट के खत्म होने के बाद 73 तक ओन कॉस्ट पानी लेने का अधिकार है। आप कह सकते हैं 73 के बाद फुल शेयर को युटिलाइज कर लेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पाकिस्तान को कास्ट पर पानी ले जाने दें · · ·

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपने भारत सरकार को लिख दिया है कि राजस्थान सरकार 31 मार्च, 1970 के बाद पाकिस्तान को पानी देने के सम्बन्ध में बिल्कुल सहमत नहीं है। इसका विरोध-पत्र भेज दिया है भारत सरकार को ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उन्होंने पूछा नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भारत सरकार को पूछने की जरूरत क्या है ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

इनको जगाने के लिये भारत सरकार आयेगी। राजस्थान केनाल, गंग केनाल का पानी जितना शेयर है वह पंजाब और हरियाणा में चला जाय और जितना शेयर मिले उसको युटीलाइज नहीं कर सकें। 31 मार्च, 1970 तक पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के अनुसार राजस्थान सरकार पानी को युटिलाइज करने की स्थिति में नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान सरकार का इससे ज्यादा एन्टी नेशनल एक्ट नहीं हो सकता है। राजस्थान की बहबूदी के लिये राजस्थान के खाद्यान्नों के लिये, राजस्थान की बेरोजगारी को दूर करने के लिये आप राजस्थान के इस पानी को फर्स्ट अप्रेल से युटिलाइज नहीं कर सकते। पाकिस्तान को, पानी दिया जाय, मैं समझता हूं इससे ज्यादा लापरवाही, उदासीनता बरतने का और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। राजस्थान की जनता के साथ राजस्थान सरकार ने भारी विश्वासघात किया है। मैं समझता हूं हम विरोधी दल के सदस्य राज्य सरकार का कोई समर्थन नहीं कर सकते हैं। मंत्री महोदय सन्तोषजनक जवाब नहीं दे सके। हम अपने दल के साथ राज्य सरकार के इस निन्दा के कार्य के लिये सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(अपने दल के साथ सदन से माननीय सदस्य का बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : आपने परसों यह प्रश्न उठाया था कि · · ·

श्री केदारनाथ : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इन सारी योजनाओं के सम्बन्ध में नेशनल डेवलेपमेंट कौन्सिल की मीटिंग 21 को हुई तो क्या दूसरे प्रान्तों के · · ·

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री केदारनाथ : मैं यह निवेदन कर रहा था राजस्थान केनाल को पूरा करने का प्रश्न, इस योजना को केन्द्र के राष्ट्रीय योजना के रूप में स्वीकार करने का प्रश्न · · ·

श्री उपाध्यक्ष : समझ गये, माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह पानी जो पाकिस्तान से रिलीज होगा इसको ठीक तरह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
से युटिलाईज कर सके इस प्रश्न को नेशनल डेवलपमेंट कौन्सिल में हमारे मन्त्री महोदय ने क्यों नहीं उठाया ? उपाध्यक्ष महोदय दूसरी स्टेट्स को···

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं दें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरे जगह के मुख्य मंत्रियों ने प्रश्न उठाया···

श्री उपाध्यक्ष : पुनरावृत्ति नहीं करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं उपाध्यक्ष जी, निवेदन करना चाहता हूं इस प्रश्न को जो हमारी लाइफ एन्ड डेथ का प्रश्न है। राजस्थान के लिए इस प्रश्न को मुख्य मंत्रीजी ने नेशनल डेवलेपमेन्ट कौन्सिल में उठाया या नहीं ? अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार जो हमें मिली है इस प्रश्न को नहीं उठाया गया जैसा माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि इस प्रश्न को उठाया नहीं गया। अब यह स्थिति है जो पाकिस्तान को पानी बन्द होने से जो पानी रिलीज होगा उसको युटिलाइज नहीं कर सकेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आखिर सरकार इसके बारे में क्या कहना चाहती है ? सरकार केवल यह कहना चाहती है । हम इस योजना को यहीं फर्स्ट स्टेज पर छोड़ना चाहते हैं–पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं····

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या कहना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो फरमाया वह दो शब्दों में कहा जा सकता था । आपने काफी समय ले लिया है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: एक प्रश्न मैं निवेदन करना चाहूंगी जैसा मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया उससे सन्तोष तो नहीं हुआ, इससे सदन को चिन्ता हो गई है और कई प्रकार की शंकाएं हो गई हैं। हम चाहते हैं उसके ऊपर जम कर बहस की जाय और विस्तार से इस प्रश्न को लिया जाय। और कोई न कोई पक्की योजना बनाई जाय। यह हमारे जीवन और मरण का प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार के इस प्रकार के रवैये के कारण मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(माननीय सदस्य का बहिर्गमन)

श्री केदारनाथ : पिछले तीन साल से वर्ल्ड बैंक जिसके तहत यह एग्रीमेंट किया गया था कि हिन्दुस्तान की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को यह मौका दिया। मैं कहना चाहता हूं उसमें वर्ल्ड बैंक की यह साजिश रही है····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह तथ्य चर्चा के वक्त उठाना चाहिये था। यह नये तथ्य अब उठाना चाहते हैं·····

श्री केदारनाथ : वर्ल्ड बैंक की यह साजिश थी कि पौंग डेम के बनने से····

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में ।

श्री केदारनाथ : इसलिये मैं ऐतराज करते हुये वाक आऊट करता हूं ।

# Page No. 71



(माननीय सदस्य का बहिर्गमन)

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष जी राजस्थान क्षेत्र की जो फसल जल गई है गंगानगर के किसान 5 महीने से यह तकलीफ उठा रहे हैं। मंत्री महोदय के सामने इस बात को रखा। पाकिस्तान से मिलने वाला पानी यह सरकार से नहीं—आइन्दा पाकिस्तान पानी देगा नहीं · · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। यह तथ्य सामने आ चुके हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : पानी को काम में नहीं ले सके, यह सरकार किसान विरोधी है। यह सरकार जानबूझकर गंगानगर के लोगों के लिये और राजस्थान की जनता के साथ, राजस्थान के किसान के साथ आज तक गद्दारी की है और आज जानबूझकर इस पानी को पाकिस्तान को देना चाहते हो। इसलिये गंगानगर में भीषण आन्दोलन चल रहा है। इन्होंने काश्तकारों के पक्ष में एक भी कदम नहीं उठाया। जिस तरह इन्होंने कहा हमने राजस्थान के बाहर से पानी लेकर · · · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : · · · · केन्द्र को मालूम होना चाहिये कि राजस्थान के अन्दर · · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर।

(माननीय सदस्य बराबर बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री रामचन्द्र आर्य : टैक्स लगाये · · ·

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न किया जाय। आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × × ×

(माननीय सदस्य अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये)।

श्री उपाध्यक्ष : अगर बहिर्गमन करना था तो थोड़े भाषण से भी कर सकते थे।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय 31 मार्च, 1970 को हमारा एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। राजस्थान सरकार को भली भांति जानकारी है कि हमारा एग्रीमेंट 31 तारीख को खत्म हो रहा है। यह किसान के हित में नहीं है। किसान के मिलने वाले हितों को नहीं देख रही है·····

श्री उपाध्यक्ष : यह तथ्य आ चुके हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : राजस्थान की सरकार ने 40 आदमियों को फौज बना रखी है और किसान की रक्षा नहीं करे····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(माननीय सदस्य बाराबर बोलते रहे, अश्रव्य)

माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है।

श्री जयनारायण सालोदिया : ····मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं।

श्री राजवी रूप सिंह : मैं मन्त्री महोदय से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारा पानी

---

× × × अध्यक्षीय आदेश से भाषण अंकित नहीं किया गया।

(राजवी श्री रूपसिंह)

31 मार्च से पाकिस्तान को जाना बन्द हो रहा है, उसके बारे में आपने क्या व्यवस्था की है कि जिसकी वजह से हम उस सब पानी को ले सकें ?

श्री उपाध्यक्ष : ये तथ्य तो आ चुके हैं, माननीय सदस्य।

राजवी श्री रूपसिंह : सरकार सदन को इस बात का आश्वासन दे कि वह पानी पाकिस्तान को किसी भी सूरत में नहीं जावेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं तो कहना नहीं चाहता था पर जब माननीय सदस्य बार-बार पूछ रहे हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि राजस्थान कैनाल का तत्काल निर्माण हो और साथ ही दूसरे माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र के लिए कहा जहां कहीं वे मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट चाहते हैं, कहीं माइनर और कहीं लिफ्ट इरिगेशन चाहते हैं।

तो मुख्य दो सवाल हैं हमारे सामने। प्लानिंग की सीलिंग में हमें सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। राजस्थान कैनाल पर 71 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है जिसका बेनिफिट गंगानगर जिले को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। साथ ही पौंग डैम पर 59 करोड़ खर्च कर दिया गया है। 30 करोड़ भाखरा पर, 5 करोड़ घग्घर पर। अगर इन सबका हिसाब लगावें तो 150 करोड़ के करीब गंगानगर जिले में खर्च हो गया जब कि 216 करोड़ रुपया सारे राजस्थान में खर्च हुआ है। तो इस तरह से रीजनल इम्बेलेन्स पैदा होता है और बड़ी बड़ी योजनाएं हाथ में लेते हैं पर उनके कारण दूसरी छोटी मोटी योजनाएं भी पूरी नहीं कर पाते हैं और दूसरे सारे काम सफर करते हैं इसलिए भी असन्तोष पैदा होता है। राजस्थान सरकार के सीमित साधन हैं यह नहीं भूलना चाहिये। हमने राजस्थान कैनाल के लिए कोशिश की कि इसके लिए सेन्ट्रल ओथोरिटी बन जावे। भारत सरकार इसको ले ले। केन्द्रीय सरकार पैसा दे, प्लान असिस्टेंस में दे। पर इसको आल इण्डिया पैटर्न में ले लिए जाने के प्रयत्न में भरसक कोशिश करने पर भी हम कामयाब नहीं हुए। तो हमने दूसरे क्षेत्रों का जितना मांगा है आवश्यक है जो उनमें भी कटौती करके हम इस समय सारा रुपया इधर खर्च कर रहे हैं तो स्टेट फाइनेन्स के रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण अगर तत्काल राजस्थान कैनाल का काम समाप्त न हो तो विचारणीय प्रश्न यह रह जाता है जिस पर सभी को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए लेकिन राजस्थान सरकार यह नहीं चाहती कि एक बून्द भी पानी पाकिस्तान में जावे और हम उसका उपयोग नहीं कर सकें। हम पूरा प्रयत्न करेंगे इसके लिए कि एक बून्द पानी भी पाकिस्तान को न जावे।

हम तो अभी भी उपयोग करना चाहते हैं। इस पानी को पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। यह समय बतावेगा। हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे।

इतना ही कहकर मैं इसको यहीं समाप्त करता हूं।

राजवी श्री रूपसिंह : आपने इसके लिए क्या स्कीम बनाई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया। इस पर मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता।

दूसरे, माननीय सदस्यों ने कई प्रश्न माइनर इरिगेशन स्कीम और मीडियम इरिगेशन स्कीम पर व इरिगेशन सिस्टम पर, वाटर डिस्ट्रिब्यूशन पर भी उठाये। मैं थोड़े में उन पर भी निवेदन करना चाहूंगा।

पाली जैतारन से आने वाले माननीय सदस्यों ने इरिगेशन के डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के बारे में प्रश्न उठाते हुए कहा कि इसमें भी समाजवाद लिया जाना चाहिये। वास्तव में मैं उनके सुझाव से सहमत हूं। जो अब तक सिस्टम चला आ रहा था उसमें जो कमाण्डेड एरिया या सी. सी. ए. होता था उसका आधा आधा सबको मिलता था। इस हिसाब से किसी को 62 एकड़ में मिल जाता था तो किसी को जिसके पास दस बीघा होता तो उसको 5 बीघा में और पांच होता उसको 2½ बीघा में मिल पाता था। इससे गरीब की कम जमीन पर कम पानी मिलता था और अमीर को जिसकी ज्यादा जोत होती थी उसको ज्यादा जोत पर पानी मिल जाता था। तो सरकार भी इसको ठीक सिस्टम नहीं मानती इसलिये सरकार ने निश्चय किया कि हम जो यह नॉन पैरीनियल प्रोजेक्ट्स हैं सिंचाई के बन्ध हैं उनमें इस तरह की व्यवस्था करें कि कम से कम पांच दस एकड़ जितना भी हम न्यूनतम तै करें उतने को तो हरेक को पानी मिले ही। उनको उतने पानी में कमी हो ही नहीं। उसमें चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। इससे फिर पानी बचे तो ऊपर ज्यादा होल्डिंग वाले को मिले और 15 या 25 बीघा वाले होल्डिंग वाले को जब तक नीचे के स्लेब से नीचे के हिसाब से पानी नहीं मिले तब तक ऊपर वाले को नहीं मिले। इस तरह की हमने कुछ रूपरेखा बनाई इसको एक्सपेरीमेन्टल बेसिस पर हमने थोडा कार्यान्वित किया भी है। और कुछ हद तक सफलता भी मिली है।

राजवी श्री रूपसिंह : इसका मतलब यह है कि सबको गरीब बनावेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पेट भर पूरा खाना मिल सके एक को तो इतनी भूमि में तो पूरा पानी मिलना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह ऐसा तो ठीक है, पर अमल कर सकोगे क्या इस पर ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कुछ जगह एक्सपेरीमेन्ट किया है, इसमें हम पार्शली सक्सेसफूल रहे हैं। इसे अब हम लार्ज स्केल पर करना चाहते है। हिदायत भी जारी की है। हम इसको वर्क आउट कर रहे हैं। शनैः शनैः दो-तीन वर्षो में हम सारे प्रोजेक्ट में व्यवस्था लागू कर देंगे।

अभी भाखरा, गंग कैनाल राजस्थान कैनाल इस बारे में यह पिक्चर नहीं बनी है। बाकी की तो व्यवस्था को पूरा करने के लिए कदम उठा चुके हैं। आवश्यकता होगी तो और उठावेंगे।

राजवी श्री रूपसिंह : आप गरीब को तो उठाना चाहते हैं पर अमीर को नीचे लाना चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऊपर वाले को नीचे लावेंगे तभी गरीब उठेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस तरह से माननीय सदस्यों ने अपने कई कटौती के प्रस्ताव रक्खे हैं इसमें करीब 270 ऐसे काम बताये हैं जिनका या तो सर्वे कराया जाना चाहिये जिसकी लागत 18 करोड रुपये होती है। उनको तो पूरा नहीं कर सकते पर कितना हो सकता है। अब तक राजस्थान में जहां हम एक एक प्रोजेक्ट पर इस तरह से 200/150 करोड खर्च कर चुके है। माइनर पर 9 करोड कर चुके हैं। राजस्थान में तीन योजनाओं में पूरा कर चुके हैं।

इस धन राशि को बढाकर इसमें और अधिक काम लिया जा सके इसका प्रयत्न कर रहे है।

इस साल के बजट के आंकडे देखे होंगे। हमने लगभग 56 नये काम इस साल लिये हैं। जिसमें से 78 मीडियम के और 47 माइनर के काम हुए हैं। जैसे अलवर में हरसोडा और सवाई माधोपुर में है। जयपुर में चान्दाकणा रालोज, शिवदासपुरा आदि हैं।

हर डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां स्कीमें बनी हुई थीं या बन रही थीं उनको इन्क्लूड करने का प्रश्न है जहां तक वहां उनको इन्क्लूड करने की कोशिश की है। बार बार कहा जाता है कि माइनर ईरिगेशन में रुपया सब जगह ठीक तरह से खर्च नहीं होता है। वैसे तो वाटर पोटेन्शियेलिटी होती है उस हिसाब से किया जाता है। पर मैंने इस बात की कोशिश की है कि हर जिले में कुछ न कुछ काम माइनर मीडियम ईरीगेशन के हाथ में लिये जावें ताकि यह भावना न रहे किसी की कि हमारे यहां कुछ नहीं किया गया। इसलिये सवाई माधोपुर में, अलवर में, धोलपुर सब-डिविजन में, बाडमेर में, जालौर के अन्दर, बडगांव- जैतपुर आदि के जो 50 लाख से ऊपर के हैं। करौली में पांचवा पचास लाख का है भोपालपुरा है, जयपुर की योजनाएं हैं। अजमेर में है। कई योजनाएं है जो इस साल ली गई हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : झुंझुनूं में क्या है ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : अजबसागर का फीडर है। इसमें सात-आठ लाख रुपया लगेगा। पुराना बांध बना हुआ है। पर इसमें पानी की कमी रहती है इसलिए नया फीडर डालकर पानी की क्वान्टिटी बढे। तो ये छोटे मोटे काम हैं जो बजट में तो नहीं हैं। 30–40 हजार के दो तीन काम और थे वे रक्खे गये हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : बाड़मेर....

श्री राम प्रसाद लड्ढा : जबानी याद नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठक का समय बढाना है। सदन की अनुमति से बैठक का समय 3 घंटे और बढाया जाता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तो मैं अपना भाषण समाप्त करने से पहले यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी कटौती के प्रस्ताव आये हैं उनके बारे में किसी के उत्तर नही दे सका हूं तो उसके लिए आप ऐसा न समझें कि उसके प्रति सरकार जागरूक नहीं है। मैं उन सब विषयों को स्वयं देखकर जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ यही निवेदन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

# Page No. 75



श्री मनोहरसिंह मेहता भीलवाडा के ऊपर आपने बिल्कुल प्रकाश नहीं डाला है जब कि वहां पर इतनी नदियां बहती हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने हर जगह के लिए अलग अलग जवाब दिया है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से प्रश्न है कि चम्बल वैली योजना जो आपने बनाई है उसकी राइट मेन कैनाल 126 मील चली गयी है और उसकी डिस्ट्रिब्यूटरीज भी करीब करीब बन चुकी हैं जब कि राजस्थान राज्य का शेयर है...

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सवाई माधोपुर तक जाने वाली ब्रांच के लिए हमारे पास फण्ड्स नहीं हैं इसलिए वह डिस्ट्रिब्यूटरीज सवाई माधोपुर वाली नहीं बन सकी है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : जो लेफ्ट कैनाल के हैड का आउटलेट है वह 1500 क्यूसेक्स है उसके बारे में आप बतावें कि उसमें डिस्ट्रिब्यूटरीज कितनी बनी हैं और कितने पानी का आप इस्तैमाल सिचाई के काम में कर रहे हैं ? कितना बेकार जा रहा है ? इसका उत्तर दें क्योंकि लैफ्ट मेन कैनाल..

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह चर्चा में विषय आया था क्या ? चर्चा में नहीं आया तो अभी उत्तर देना सम्भव नहीं है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : इसका कटमोशन दिया हुआ है और वही प्रश्न कर रहा हूं कि लेफ्ट मेन कैनाल का जितना पानी है वह राजस्थान के काम में आने वाला है और जो मध्य भारत और राजस्थान ज्वाइन्ट इस्तैमाल करने वाले हैं वह पूरा हो गया है और लेफ्ट कैनाल की डिस्ट्रिब्यूटरीज आप पर्याप्त नहीं बना सके हैं। उसका सारा पानी चम्बल में बेकार जाता है। कृपया यह बतायें कि डिस्ट्रीब्यूटरीज कितनी बननी हैं और अब तक कितनी बन पाई हैं और पानी का कितना इस्तैमाल कर रहे हैं ? यह बताने की कृपा करें।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे 3 प्रश्न हैं छोटे छोटे एक प्रश्न तो यह है कि जिन जिन बांधों में आपने जमीन काश्तकारों की ली हैं क्या उनकी एवज आपने जमीन देने की योजना बनाली है ? और अगर हां, तो कब तक दे देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, यह चर्चा में विषय नहीं आया है।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा कटौती का प्रस्ताव है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मेरा कटमोशन है और लेफ्ट मेन कैनाल के बारे...,

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। वह बात आपने कह दी।

श्री मूलचन्द डागा : दूसरा प्रश्न वह है कि आप जितने बांध बना रहे हैं फेमिन के पीरियड में क्या उन सबको आप पूरा करा देंगे और पूरा करने की योजना को लेकर आप चल रहे हैं या नहीं ? मैं अभी तक समझ रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य भाषण नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : भाषण नहीं कर रहा हूँ प्रश्न पर रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रश्न कर रहा हूँ। यह आपकी योजना है या नहीं और उनको पूरा करा देंगे या नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लोज। यह आ चुका है। पुनरावृत्ति नहीं हो।

श्री मूलचन्द डागा : जो कानियावास का बांध है उसकी नहर पूरी करेंगे या नहीं और तटबन्धन का काम पाली और खेरवा के पास करेंगे या नहीं ?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। मैंने बहस में उठाया था और कटौती का प्रस्ताव भी था मेरा। मेरा आपके मार्फत यह निवेदन है कि राजगढ़ तक राजस्थान कैनाल से लिफ्ट इरिगेशन ला रहे हैं तो क्या यह वह लिफ्ट इरिगेशन झुन्झनू जिले तक एक्सटेन्ड हो सकती है ? और दूसरे उधर से लिफ्ट इरिगेशन लुहारू तक आ रही है और उसे हरियाणा गवर्नमेन्ट ला रही है तो क्या लुहारू से आगे झुंझुनू तक नहीं कर सकते ? अभी श्री के. एल. राव झुंझुनू में आये थे और आपके इन्जीनियर्स भी गये थे और उनकी चर्चा भी हुई थी और नक्शे वगैरह सब देखे थे....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री रामनारायण चौधरी : एक मिनट में करता हूँ। हमने जब उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि क्या असम्भव बात है यदि बीकानेर के पीने के लिए लिफ्ट इरिगेशन से पानी भेजा जा सकता है तो वृद्धि के लिए क्यों नहीं आयेगा ? उनका यह विचार झुंझुनू जिले के बारे में था। आप इस मामले में क्या कहते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी सम्भावना तो नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है और आपने किस उद्देश्य से कहां से पानी आ सकता है यह मेरी जानकारी में नहीं है। चूरू में पानी लाने के लिए जरूर एक इन्वेस्टीगेशन लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का करवाया जा रहा है लेकिन सीकर-झुंझनू में पानी ला सकने के बारे में न तो कोई विचार सामने है, न आ सकने की सम्भावना है। जो आपका ख्याल है वह बिसाऊ के लिए है। उससे पानी आ सकता है उसकी सम्भावना का आपको ख्याल है और जब कभी वह बनेगी तो उससे पानी आ सकता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, दीगोद, बडल्यास और खटवाड़ा में लिफ्ट इरिगेशन के अलावा दूसरी चीज उपयोगी नहीं हो सकती हैं और आपके लिफ्ट इरिगेशन के रेट्स बहुत ऊंचे हैं और बांध की पिलाई की रेट्स और लिफ्ट इरिगेशन की पिलाई की रेट्स में बहुत फर्क है तो उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं ? जहां लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई हो सकती है उसके लिए आप क्या सोचते है और इनकी रेट्स कैसे कैसे होंगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान में सैंकड़ों जगह हैं जहां पानी नहीं पहुंच सकता। कोशिश करते हैं। माननीय सदस्य जानते हैं उनकी अकेली तहसील में 40 लाख का काम हो रहा है। राजस्थान लम्बा-चौड़ा पड़ा है और दूसरी जगह भी काम करने होते हैं।

# Page No. 77



श्री मनोहरसिंह मेहता : मंत्री महोदय ने मुझे तो इतना एहसान बता दिया । यह आपने क्या कहा कि आपकी अकेली तहसील में 40 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं । वहां कितनी नदियां हैं . . .

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है असल में इस चम्बल की स्कीम में बूंदी एक्सटेन्शन ब्रांच और आगे सवाई माधोपुर जाने तक का प्रावधान प्राजेक्ट में था लेकिन उसकी सेंक्शन हुई और एग्जीक्यूशन हुआ । जो अभी सिस्टम है वहीं तक हुआ । उसके आगे जाने का जो सवाल है वह फाइनेन्स की कमी की वजह से ड्रॉप हो गया । तो जब तक फाइनेन्स की उपलब्धि नहीं हो बूंदी एक्सटेन्शन ब्रांच और आगे टू सवाई माधोपुर इरिगेशन की कैनाल नहीं बन सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! चर्चा समाप्त हुई ।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे प्रश्न का उत्तर रह गया ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मेरा प्रश्न तो बिल्कुल ही रह गया ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपनी-अपनी समझ के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दे दिया गया । उत्तर एक दफा ही दिया जायेगा, दो दफा नहीं ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : चांदराना बांध के बारे में . . .

श्री उपाध्यक्ष : जैसा उत्तर था माननीय मंत्री महोदय ने दे दिया ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चांदराना का प्रावधान कर दिया है ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं यह जानना चाहता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष : चांदराना का उत्तर दे रहे हैं आप सुन नहीं रहे हैं ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उत्तर नहीं दे रहे हैं । मैं यह कहना चाहता था कि चांदराना बांध का एस्टीमेट आज के 12 साल पहले 16 लाख का बनाया था उस समय उसका भराव कितना रखा था और 11 लाख का एस्टीमेट अब रख रहे हैं तो उसमें भराव कितना है यह जानकारी चाहता हूं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले के भराव की जानकारी तो मेरे पास नहीं है । यह 15 लाख का प्रोजेक्ट है । माइनर इरिगेशन प्राजेक्ट है और इसको इस साल के बजट में रखा है और कुछ महीनों में ही इसका काम शुरू कर दिया जायेगा मैं इतना ही जानता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य समय काफी हो गया है ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया जाय । बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मंत्री महोदय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस में परसों जब सिंचाई

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
विभाग की मांग पर विवाद हो रहा था तो एक बड़ा सीरियस चार्ज जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने लगाया था उसका जवाब आपने नहीं दिया। जवाई बांध का जो पानी है उसके सम्बन्ध में 10 हजार गैलन पानी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री नाथूरामजी मिर्धा ने लिया है और इस सम्बन्ध में सरकार ने कुछ नहीं कहा है तो आप इसको स्वीकार करते हैं ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा**: मेरी जानकारी के अनुसार यह बिल्कुल असत्य है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या असत्य है ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या असत्य है ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : ऐसी कोई बात नहीं है कि 10 हजार गैलन पानी की चोरी कर रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह**: कितने गैलन की कर रहे हैं ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : कोई एलिगेशन नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

**श्री भैरोंसिंह**: एक क्वेश्चन है····

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : एक गैलन भी नहीं लिया गया है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट की ओर से राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में सूचना दी गई है ? क्या यह सही है कि जिस जगह साइफन लगा हुआ था उस साइफन की फोटोस्टेट कापी और इरिगेशन इन्जीनियर का स्टेटमेंट राज्य सरकार के पास इरिगेशन डिपार्टमेंट ने भेजा है ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मेरे पास तो नहीं आया है।

**श्री भैरोंसिंह** : आपके पास नहीं, राज्य सरकार से मतलब है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : हां, सरकार से यानी मेरे पास नहीं आया है और मेरे जो चीफ इन्जीनियर हैं उनके पास नहीं आया है। कहां गया है यह मालूम नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह**: आपको पता नहीं कहां गया ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मेरे पास नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : आपको जानकारी भी नहीं मिली इस सम्बन्ध में ?

**श्री उपाध्यक्ष**: आर्डर प्लीज ! श्री हरिवल्लभ शर्मा।

**श्री हरिवल्लभ शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न मेरा साफ था कि चम्बल प्रोजेक्ट में कोटा बैराज से दो कैनाल्स निकली हैं·····

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न समझकर उन्होंने उत्तर दे दिया है अर्थाभाव के कारण····

**श्री डूंगाराम राजोरिया** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : जब एक्सटेंशन डिस्ट्रिब्यूट्रीज नहीं बनाना चाहते हैं तो कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी का पानी वेस्ट जा रहा है? यह कृपया बताने की कृपा करें कि कितना वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं और जो हैड की कैपेसिटी रखी है तो उसमें से कितना पानी इरिगेशन डिपार्टमेंट इरिगेशन पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहा है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी वेस्ट जाने का प्रश्न नहीं है।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न जो नाथूरामजी के सम्बन्ध में पूछा गया है तो क्या मंत्री महोदय····

श्री रामनारायण चौधरी : नाथूरामजी के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं उठाया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भैरोंसिंहजी ने स्पेसिफिक चार्ज लगाया था कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष····

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। समय का थोड़ा ध्यान रखें।

श्री मदनसिंह : इसमें नाथूरामजी····

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया है। आर्डर, श्री माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह : नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज! मांग पर मतदान।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से यह चीज नहीं हो सकती है। यह बहुत बड़ी चीज है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने एक दफा कह दिया है।

श्री मदनसिंह : क्या कह दिया? उपाध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री मदनसिंह : जब एक चीज को पहले कह दिया गया था तो क्या उसकी एन्क्वायरी नहीं करायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : उसका उत्तर दे दिया मंत्री महोदय ने। उन्होंने कहा है कि चीफ इन्जीनियर की जानकारी में यह बात नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपने इरिगेशन डिपार्टमेंट के इन्जीनियर से पूछा है चार्ज लगाने के बाद? आपने यह कह दिया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं कह रहा हूँ और आथोरिटेटिवली कह रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मांगों पर मतदान, माननीय सदस्य।

श्री लाभचन्द बैद : उपाध्यक्ष महोदय, चूरू जिले के विषय में कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री लाभचन्द बैद : चूरू का प्रश्न···

श्री उपाध्यक्ष : चूरू का प्रश्न पूछ लिया गया है ।

श्री चन्नीलाल इन्दलिया : बीकानेर जिले के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया है ।

श्री मदनसिंह : मतदान कट मोशन पर हो रहा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें जो कटौती प्रस्ताव हैं उनको पुट किया जाय··

श्री उपाध्यक्ष : क्या किया जाय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस डिमाण्ड को पुट करने के बजाय हमारा यह आग्रह है कि जो कट मोशन है उनमें स्पेसिफिकली राजस्थान कैनाल के पानी के उपयोग के सम्बन्ध में है ।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं कह रहा था कि कटौती प्रस्ताव वोट के लिए रखे जायं बाकी का अनुदान रह जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य चर्चा समाप्त हुई ।

श्री लाभचन्द बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब दिलाया जाय । मैंने जो प्राबलम रखो हैं उनके बारे में··

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री लाभचन्द बैद : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब मंत्री महोदय को जितना देना था वे दे चुके हैं । उससे ज्यादा बाध्य नहीं कर सकता है आसन ।

श्री मदनसिंह : हम मंत्री महोदय से यह आश्वासन जरूर चाहेंगे कि क्या वे इस चीज के लिए तैयार हैं कि इसकी एन्क्वायरी बैठायें··

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किस बात की एन्क्वायरी ? शिकायत भी तो हो किसी बात की ।

श्री मदनसिंह : अगर होगा तो, अगर मिल गया तो ?

श्री भैरोंसिंह : मिल जायगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल ; किसी भले आदमी को क्यों बदनाम करते हो ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मांगों पर मतदान ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25··

श्री भैरोंसिंह : पाइंट आफ आर्डर, इसमें राजस्थान कैनाल···

श्री उपाध्यक्ष : मतदान हो रहा हो तो पाइंट आफ आर्डर कैसे हो सकता है ?

श्री भैरोंसिंह : मतदान कैसे होगा ? मेरा कट मोशन दिया हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष : ( देखकर ) आपका नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : पाइंट आफ आर्डर कैसे उठ सकता है जब उपाध्यक्ष खड़े हों तो ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष खड़े हों तो आप भी खड़े नहीं हो सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : फिर अलग अलग लिया जाय। यह जो कट मोशन्स दिये हुए हैं उनमें से जो वापिस लेना चाहें वह वापिस ले सकते हैं और बाकी के जो बचें उन पर वोटिंग करा लें। यह सदन की व्यवस्था है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन में हमेशा यह परम्परा रही है कि कटौती प्रस्ताव एक ही साथ प्रस्तुत किये गये समझे जाते हैं और एक साथ जब मांग पारित हो जाती है तो विदड्रा समझे जाते हैं इसमें समय बहुत लगेगा।

श्री भैरोंसिंह : यह बिल्कुल सही व्यवस्था है। सदन की कन्वीनियन्स के नाते इस प्रकार की बातें चल रही थीं। यदि कोई मेम्बर किसी विशेष विषय पर आग्रह करना चाहता है तो रूल्स एलाऊ करते हैं और उसमें परम्परा बाधा नहीं डालती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कटौती-प्रस्ताव जो वापिस लेना चाहें वे वापिस ले लें • • •

श्री मूलचन्द डागा : परम्परा के आप बड़े हिमायती हैं और इस तरह से अलग •••

श्री भैरोंसिंह : ऐसी गलत परम्परा मैं नहीं डालूंगा और न डालने के पक्ष में हूँ। सदन में परम्परा डालने और सदन की कन्वीनियन्स के लिए परम्परा डालने का मतलब यह नहीं होता है कि जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनका उनको प्रेस करने का अधिकार छीन लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य प्रेस करना चाहते हैं उन पर मतदान कराया जा सकता है और सब के लिए वह विदड्रा समझे जायेंगे। जो विदड्रा नहीं करेंगे उनका प्रेस का समझा जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : एक एक बोल लीजिये और जो मेम्बर प्रेस करना चाहे उस पर ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जो यह चाहें कि मेरे कटौती-प्रस्ताव पर मतदान होना चाहिए उस पर मतदान ले लेंगे।

एक माननीय सदस्य : यह तो फिर वापिस लेने पड़ेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : वापिस तो सब लिये हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वापिस लिये हुए समझे जायेंगे जो कि प्रेस नहीं होते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अन्डरस्टैंडिंग यही है।

कई सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य : मान गये साहब भैरोंसिंह जी।

श्री उपाध्यक्ष : आपका (श्री भैरोंसिंह से) कटौती प्रस्ताव है नहीं और दूसरे कोई प्रेस करना नहीं चाहते तो मैं समझता हूं कि इसको मतदान के लिए रख दिया जाय।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 42-बहुप्रयोजन नदी योजनाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 तक समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,24,73,000 रु. तक की

(श्री उपाध्यक्ष)

राशि प्रदान की जाय। जो पक्ष में हों "हां" कहें (सरकारी पक्ष की ओर से "हां" की आवाज), जो विपक्ष में हों वे "ना" कहें। (विपक्ष की ओर से "ना" की आवाज)

"हां" पक्ष जीता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल,: श्री भैरोंसिंह : 'Noes' have it, sir.

श्री गिरधारी लाल व्यास : 'Ayes' have it, sir.

श्री बरकतुल्ला खां : 'Ayes' have it, sir.

'हां' पक्ष जीता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'नां पक्ष' जीता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विभाजन करवाना चाहते हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह : केवल राजस्थान कैनाल पर, पूरी डिमाण्ड पर नहीं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : राजस्थान कैनाल को पानी मिलना चाहिए और पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान सरकार की इस निष्क्रियता का विरोध प्रकट करने के लिए डिविजन डिमाण्ड कर रहे हैं।

(मत विभाजन सूचक घंटी)

श्री मदनसिंह : अब देखेंगे कि किस में कितना पानी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितने लोगों की नाराजगी है उसको देखना चाहते हैं।

(मतदान सूचक घण्टी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : जो पाकिस्तान के साथ में सांठ-गांठ करने के पक्ष में हैं वह उधर जायं।

मांगों पर मतदान

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 42—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4 करोड़ 24 लाख 73 हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : श्री भैरोंसिंह : श्री भगवानदास शास्त्री : 'Noes' have it, sir.

श्री गिरधारी लाल व्यास : श्री बृजसुन्दर शर्मा : श्री हरिदेव जोशी : 'Ayes have it, sir.

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : पाकिस्तान को पानी नहीं देना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Rajasthan Government is doing conspiracy with Pakistan.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान कैनाल का है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम डिवीजन चाहते हैं जिससे कांग्रेस के माननीय सदस्यों की अन्तर आत्मा जागे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! डिस्कशन नहीं होगा।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : यह राजस्थान सरकार की पाकिस्तान के साथ सांठ-गांठ है।

श्री उपाध्यक्ष : डिवीजन चाहते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बड़ा भारी पालिसी का क्वेश्चन है। राजस्थान की हुकूमत पाकिस्तान के साथ सांठ-गांठ रखती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है ....

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न अब बीच में खड़ा नहीं होगा। नो व्यवस्था का प्रश्न। डिवीजन कराया जाय ? आर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सीक्रेट बैलट कराया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया यह प्रश्न खड़ा न करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कांग्रेस के पेट्रोटिज्म के टेस्ट का सवाल है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इससे मालूम होता है कि जो व्यवस्था है उससे बहुत से कांग्रेस के माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं इसलिए इस पर सीक्रेट बैलट हो।

श्री उपाध्यक्ष : डिवीजन चाहते हैं, माननीय सदस्य ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम डिवीजन बहुत सीरियसली चाहते हैं। इसमें राजस्थान की कांग्रेस का पेट्रोटिज्म टेस्ट पर है। जो इसके पक्ष में हैं कि राजस्थान की हुकूमत पाकिस्तान से सांठ-गांठ करती है वह हमारे साथ आयें वोट देने।

श्री उपाध्यक्ष : जो इस प्रश्न के पक्ष में हैं वह 'हां' लाबी में जायं और जो विपक्ष में हैं वह 'ना' लाबी में जायं !

(लाबी मतदान)

(5.25 सायं)

(श्री मनोहर सिंह मेहता तटस्थ रहे)

हां पक्ष के मा. सदस्य

| क्रम सं. | विभाजन संख्या | सदस्य का नाम |
|---|---|---|
| 1. | 3 | श्री अमीनुद्दीन अहमद |
| 2. | 4 | श्री अमीलाल यादव |
| 3. | 15 | श्री कालूराम आर्य |
| 4. | 17 | श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) |
| 5. | 19 | श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) |
| 6. | 22 | श्री खेतसिंह राठौर |
| 7. | 23 | श्री गंगाराम चौधरी |
| 8. | 27 | श्री गिरधारीलाल व्यास |

Page No. 84



| क्रम सं. | विभाजन संख्या | सदस्य का नाम |
|---|---|---|
| 9. | 37 | श्री जगन्नाथ |
| 10. | 38 | श्री जयकृष्ण शर्मा |
| 11. | 42 | श्री जसराज |
| 12. | 49 | श्री दीपचन्द छंगाणी |
| 13. | 58 | राव श्री धीरसिंह |
| 14. | 59 | श्री नत्थीलाल |
| 15. | 63 | श्री नन्दलाल बेरवा |
| 16. | 67 | राव श्री नारायणसिंह मसूदा |
| 17. | 70 | श्री परशराम मदेरना |
| 18. | 71 | श्री पी. के. चौधरी |
| 19. | 74 | श्री पृथ्वीराज पटेल |
| 20. | 76 | श्री प्रद्युम्न सिंह |
| 21. | 77 | श्रीमती प्रभा मिश्रा |
| 22. | 83 | श्री बरकतुल्ला खां |
| 23. | 86 | श्री बिरधी चन्द जैन |
| 24. | 87 | श्री बिशम्भरनाथ जोशी |
| 25. | 88 | श्री बीरबल |
| 26. | 96 | श्री भूरालाल |
| 27. | 100 | श्रीमती मदन कौर |
| 28. | 106 | श्री महेन्द्रकुमार |
| 29. | 109 | श्री माधोसिंह |
| 30. | 112 | श्री मुल्कराज |
| 31. | 113 | श्री मूलचन्द डागा |
| 32. | 114 | श्री मूलचन्द कटेवा |
| 33. | 120 | श्री यशवन्तसिंह नाहर |
| 34. | 123 | श्री रणजीतसिंह |
| 35. | 131 | श्री रामचरण |
| 36. | 132 | श्री रामदेवसिंह |
| 37. | 133 | श्री रामनारायण |
| 38. | 135 | श्री रामप्रसाद लड्ढा |
| 39. | 144 | श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत |
| 40. | 145 | श्री ललितसिंह |
| 41. | 156 | श्री शिवचरण माथुर |
| 42. | 158 | श्री शिवनाथसिंह |
| 43. | 162 | श्री श्रीनिवास शारदा |
| 44. | 163 | श्री श्रीराम रावत |
| 45. | 165 | मास्टर श्री समर्थलाल |
| 46. | 166 | श्री सहदेव शर्मा |
| 47. | 168 | श्रीमती सुमित्रा |
| 48. | 175 | श्री हरलाल मीणा |
| 49. | 177 | श्री हरिदेव जोशी |
| 50. | 181 | श्री हरिसिंह |
| 51. | 183 | श्री हीरालाल देवपुरा |

## ना पक्ष के मा. सदस्य

| क्रम संख्या | विभाजन संख्या | सदस्य का नाम |
|---|---|---|
| 1. | 2 | डा. श्री अम्बालाल |
| 2. | 9 | श्री ओमदत्त भाटी |
| 3. | 11 | श्री कन्हैयालाल (बस्सी) |
| 4. | 20 | प्रो. श्री केदारनाथ |
| 5. | 21 | महाराज श्री केसरीसिंह हाड़ा |

# Page No. 85



| क्रम सं. | विभाजन संख्या | सदस्य का नाम | क्रम सं. | विभाजन संख्या | सदस्य का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 24 | डा. श्री गंगासहाय | 17. | 93 | श्री भगवानदास इसरदास शास्त्री |
| 7. | 34 | श्री चुन्नीलाल जेलिया (खंडार) | 18. | 97 | श्री भैरोंसिंह शेखावत |
| 8. | 35 | श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) | 19. | 101 | कैप्टेन ठाकुर श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) |
| 9. | 39 | श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) | 20. | 129 | श्री रामचन्द्र (खण्डेला) |
| 10. | 43 | श्री जुझारसिंह | 21. | 130 | श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) |
| 11. | 45 | श्री डूंगाराम राजोरिया | 22. | 137 | श्री रामानन्द अग्रवाल |
| 12. | 56 | श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) | 23. | 140 | श्री रूपसिंह राजवी |
| 13. | 64 | श्री नाथूदास | 24. | 147 | श्री लाभचन्द वैद |
| 14. | 80 | श्री फूलचन्द बाफना | 25. | 164 | श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल |
| 15. | 81 | श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता | 26. | 174 | श्री हरजीराम बुरड़क |
| 16. | 85 | श्री बालसिंह सोढ़ा | 27. | 176 | श्री हरलालसिंह खर्रा |
| | | | 28. | 179 | श्री हरिबल्लभ शर्मा |

श्री उपाध्यक्ष : विभाजन का परिणाम।

हां पक्ष 51.

ना पक्ष 28.

हां पक्ष जीता। मांग संख्या 25 स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 26**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 43—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)

44 सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)

44 सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,18,56,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 26 स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 40**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 98 बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत 99 सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) 100 सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त

(श्री उपाध्यक्ष)
होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 28,86,81,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

( स्वीकृत )

मांग संख्या 40 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22, 28, 44 प्रस्तुतीकरण एवम् उनकी स्वीकृति

अकाल सहायता मंत्री जी।

श्री परसराम मदेरणा (अकाल सहायता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:--

श्री बालसिंह सोढा : On a Point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष मंत्री महोदय ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय ने मांग पर निर्णय देने का फरमाया था।

श्री उपाध्यक्ष : आज सदन में सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत सम्बन्धी अनुदान की मांग पर चर्चा की जानी है। इस मांग के सम्बन्ध में राज्य सरकार से विस्तृत विवरण प्राप्त न होने के कारण इस पर चर्चा स्थगित की जाने की मांग श्री भैरोसिंह व श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा की गई है।

इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ है कि इस मांग पर गत वर्ष सदन में वाद विवाद नहीं हुआ था तथा इस पर मुखबन्द का प्रयोग किया जा कर इसको सदन द्वारा स्वीकार किया गया था।

यहां पर लोक सभा का भी उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, परन्तु वह विषय दूसरा था। वहां पर भिन्न भिन्न राज्यों को दिये जाने वाली सबसिडी के विस्तृत विवरण चाहे गये थे, परन्तु उनका दिया जाना सम्भव नहीं होने से सदस्यों को भी नहीं दिये गये।

मंत्री महोदय ने इस पर खेद व्यक्त कर दिया है और भविष्य में राज्य सरकार द्वारा सभी मांगों पर टिप्पणी समय पर प्रस्तुत की जायेगी ऐसी आशा है। अतः विभिन्न मांगों पर चर्चा की जाने के लिये निर्धारित टाइम प्रोग्राम को देखते हुए मैं यह उचित समझता हूँ कि उक्त मांग पर आज ही विचार कर लिया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री मूलचन्द डागा : निर्णय होने पर नहीं बोल सकते····

श्री उपाध्यक्ष : आप भी नहीं बोलिये।

एक माननीय सदस्य : इनको पैनल में रख दें।

श्री मूलचन्द डागा : आप नियमों को तोड़ते हैं, इसलिये बोलना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : पैनल में आना इतना आसान थोड़े ही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था का प्रश्न रिपोर्ट्स पेश

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)
नहीं करने के कारण प्रारम्भ में उठाया गया था और जो व्यवस्था आपने आसन से दी है, उसके सम्बन्ध में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, आसन की व्यवस्थाएं शिरोधार्य हैं। फिर भी इतना निवेदन करना चाहूंगा कि यह आश्वासन और खेद व्यक्त राजस्थान सरकार की ओर से मन्त्री महोदय ने किया है, यह पर्याप्त नहीं है। खेद व्यक्त तो राजस्थान सरकार हमेशा से करती आई है। शनिवार को भी खेद व्यक्त किया था लेकिन आज फिर वही स्थिति है। पांच वर्ष इस सरकार का खेद व्यक्त करना और आश्वासन देना चलता रहता है। और यह मामला ऐसा है कि आश्वासन समिति को भी नहीं जाता। केवल खेद व्यक्त करने से क्या ? इस सम्बन्ध में ताड़ना तो आसन से सरकार को दी जानी चाहिये। डिमाण्ड्स पोस्टपोन करनी चाहिये थी। डिमाण्ड स्टेट की थी, इसमें डिपार्टमेंट की स्टेट ट्रेडिंग की जितनी डिमाण्ड्स हैं, 22 करोड़ की डिमाण्ड्स हैं, डिमाण्ड नं. 44 है। इस हिसाब से मैं समझता हूं, आप टिप्पणी सदन को न दें और फिर विचार चले, तो इसका मतलब सरकार बहस नहीं चाहती है। इसलिये मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में विरोध स्वरूप वे विचार प्रकट न करें, बाइकाट करें आखिर यह क्या तरीका हुआ ? आप रिपोर्ट देते नहीं, और अपने विचार हम रख नहीं सकते, सरकार रोजाना खेद व्यक्त करती है, सरकार अपने पापों पर पर्दा डालना, खेद व्यक्त करना, यह पर्याप्त नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : व्यवस्था का प्रश्न है। आपने मंत्री अकाल राहत, पंचायत व खाद्य विभाग को इस बात के लिए आदेश दिया है कि वह मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापारिक योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में मांग प्रस्तुत करें। इस मांग के अंतर्गत नमक के व्यापार की योजना, बीज खाद तथा उपकरणों के क्रय तथा वितरण की योजनायें, जयपुर दुग्ध वितरण योजना, कुक्कुट खाद्य मिश्रण पंपिंग सेट्स का क्रय, वैगन फैक्ट्री अलवर और इसके सामने जो विभाग दिए हुए है वह मंत्री महोदय के अधिकार में नहीं हैं। मंत्रीजी इन विभागों के मन्त्री नहीं हैं इसलिए इस मांग को इस रूप में मन्त्रीजी द्वारा प्रस्तुत करना अनुचित होगा और इसलिये जो मंत्री इन कार्यक्रमों को देखते हैं, वे इस मांग को प्रस्तुत करें।

श्री परसराम मदेरणा : मांग एक है। सदन में इस प्रकार का प्रीसीडेंट रहा है कि जो मांगे सम्मिलित हों, अब सम्मिलित मांग अलग अलग विभागों में आती हो, एक ही मन्त्री मूव करता है।

श्री भैरोंसिंह : आप सबके एक मन्त्री कैसे हो, बाकी की सब मांगों के दूसरे मन्त्री हैं।

श्री भदनसिंह : आपने स्वयम अकाल के समय कई बार कहा है कि इसका जवाब दूसरे मन्त्री देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मैं दूसरे संदर्भ में कह रहा था। आप गलत समझ गए। जो प्रश्न किसी दूसरे विभाग से सम्बन्धित है, आप मुझसे जवाब चाहते हैं, ऐसी हालत में कहा था कि मुझसे सम्बन्ध

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं। लेकिन यह मांग है एक उसके अन्दर अलग अलग सब हैड्स हैं, ज्यादातर पशुपालन से सम्बन्ध रखती हैं, दूध योजना या ऊन योजना, मेरे भी हैं और उस विभाग के सम्बन्धित मन्त्री भी बैठे हैं।

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह है कि जो 124 की मांग है उसके मन्त्री कौन हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : अलग अलग विभाग हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो अलग अलग ही रखें।

श्री परसराम मदेरणा : मांग एक है लेकिन सम्मिलित है।

(शोरगुल)

श्री मदनसिंह : राजस्थान विधान सभा में परम्परा रही है तो सारी मांगों के लिए सी. एम. क्यों नहीं पधारते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : वित्त मन्त्री को पेश करनी चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस मांग में कई विभाग शामिल हों उस सम्बन्ध में Finance Minister is the only competent person to put that demand before the House.

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,04,86,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

मैं प्रस्ताव करता हूं मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में 31 मार्च 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 22,08,00,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(विराम)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,74,32,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 22, 28 व 44 पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गये

मांग संख्या 22

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय (ग्राम पंचायत केवल दो हजार आबादी के क्षेत्र में ही सीमित रखने सम्बन्धी नीति का अनुमोदन)।

2. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय ( पंचायत समितियों की कोई उपयोगिता न होते हुए भी इन्हें समाप्त न किए जाने सम्बन्धी नीति का अननुमोदन) ।

3. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 10 रुपया कम कर दिया जाय ( पंचायत क्षेत्रों में सचिव के पद पर अनिवार्य ग्राम सेवकों की नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 28

4. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता में अनुत्पादक एवम् अस्थायी कार्यों पर व्यय न किये जाने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 22

5. श्री यशवन्तसिंह नोहर (बनेडा) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर एक रुपया कर दिया जाय (पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के उत्थान सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या 28

6. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (दुर्भिक्ष कार्यों में सरकारी सहायता सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुमोदन) ।

7. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील बनेड़ा, कोटडी, शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में नियमों के विरुद्ध अकाल घोषित न करने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 44

8. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (सरकारी व्यापार सम्बन्धी नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या 22

9. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास कार्यों में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 28

10. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों में होने वाले भ्रष्टाचार की रोकथाम एवं इसके अन्तर्गत जो भी कार्य हो वह स्थायी हो, इस पर चर्चा के लिए) ।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

11. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत स्थायी रूप से कार्य करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 44

12. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार की योजनाओं को घाटे से मुनाफे में लाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

13. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत गुराड़िया कलां, पंचायत समिति डग, जिला झालावाड के सरपंच पर गबन के आरोप साबित हो जाने पर भी राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

14. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सलोतिया, पंचायत समिति पिड़ावा (जिला झालावाड़) के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों पर जान-बूझ कर कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

15. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवकों को कृषि के अतिरिक्त दूसरे कामों में अधिक व्यस्त रखे जाने के कारण कृषि प्रोग्राम में हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न स्थितियों से विकास कार्यों में गिरावट आने पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति द्वारा दिये गये पुराने कर्जों की समय पर मांग नहीं करके अब "पीनल इन्टरेस्ट" पर सारी बकाया वसूल करने से कृषकों को उत्पन्न हुई कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

18. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्त-

(श्री कुमारसिंह)
र्गत पिड़ावा क्षेत्र में बांध, बान्यागेडो व सालोलिया की सड़क बनाने में हुए पक्षपात व फिजूल खर्ची पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

19. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार द्वारा पंचायत समितियों पर आवश्यक व्यय हो रहा है इन्हें समाप्त करने पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत ककोड़ के सरपंच का चार्ज राज्य सरकार की आज्ञा के विरुद्ध देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

21. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में खास तौर से पश्चिमी राज्य में लगातार अकाल पड़ रहा है किन्तु सरकार ने इसका स्थायी हल नहीं निकाला है, इस पर चर्चा के लिए)।

22. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टोंक के करीब 200 ग्रामों में ओला वृष्टि से नुकसान हुआ है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

23. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन बाबत चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली पंचायत समिति के सरपंचों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

25. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली तहसील में पीने के पानी के संकट का निवारण अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत न करने बाबत चर्चा के लिये)।

(श्री पृथ्वीसिंह)

27. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यों में सिंचाई कार्यों को प्राथमिकता देने बाबत चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहायता कार्यों में भी राजनैतिक आधार की व्यापकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 6 -दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहायता कार्यों में अधूरे कार्यों को प्राथमिकता दिलवाने बाबत चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

30. श्री विजयसिंह (मकराना): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत राज पर जनता का विश्वास उठता जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

31. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम जरेल चौकी (पंचायत समिति झालरापाटन) में बनी कोलोनी के परिवारों से पंचायत समिति झालरापाटन द्वारा ऋण वसूली के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

32 मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील झालरापाटन के खानपुरिया–मोतीपुरा आदि लगभग 30 ग्रामों में ओलावृष्टि से हुये नुकसान पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

33. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों के चुनाव समय पर न कराने, धन के दुरुपयोग एवं गाड़ियों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजनैतिक आधार पर प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के स्थानान्तरण, लोकतांत्रिक स्थानीय संस्थाओं की जीपों का दुरुपयोग, धन का दुरुपयोग एवं अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

35. श्री अतीलाल यादव (बहरोड़) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को अधिक सुदृढ़ बनाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

36. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील बहरोड़ के 41 ग्रामों में अकाल कार्यों के अन्तर्गत कोई सहायता कार्य न खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 44

37. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (सरकारी व्यापार की योजनाओं को प्रोत्साहन न देने और उन पर अधिक धन न लगाने की सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 22

38. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन सु.): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों को ग्रामीण परियोजना में आर्थिक सहायता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

39. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या 44

40. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्न के भाव स्थिर रखने के लिये खाद्यान्न के सरकारी व्यापार की योजना को अपने हाथ में लेकर व्यवस्था करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

41. श्री फूलचन्द बारुणा (सुमेरपुर): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्यों के सम्बन्ध में बेपरवाही बरती जा रही है, उस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

42. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष

# Page No. 94



(श्री फूलचन्द बाफना)

सहायता में गड़बड़ी, पक्षपात आदि पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

43. श्री हीराभाई (कुशलगढ़): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्थानीय विकास कार्यों के लिये धन उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिए)।

44. श्री नन्दलाल (पाटन): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा समय पर खाद बीज आदि की रकम की मांग न की जाकर बरसों बाद अधिक चार्जेज बढ़ा कर मांग करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

45. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियां व जिला परिषद् मृत प्रायः हैं और उनके द्वारा कोई ठोस कार्य नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

46. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता के नाम पर धन का दुरुपयोग किया गया है, राजनैतिक आधार पर अनावश्यक योजनाएं ली गई हैं तथा अकाल के कार्य पर लगाये गये मजदूरों का वेतन अभी तक नहीं चुकाया गया है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

47. श्री हंसराज आर्य (भादरा): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। पंचायतों के चुनाव समय पर न होने, पंचायत समितियों की जीपों का दुरुपयोग व वहां धन का दुरुपयोग हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

48. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत चालू कराई गई सड़कें अधूरी पड़ी हैं तथा गांवों में कुंए वगैरह टूटे पड़े हैं, इन पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 44

49. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार की योजनाएं सब घाटे में चल रह

(श्री हंसराज आर्य)
हैं तथा इनमें व्याप्त भ्रष्टाचार, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

50. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत राज के विकास हेतु प्रचार तो अधिक हो रहा है किन्तु वास्तविकता कुछ और है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 44

51. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार से लाभ हो सकता है किन्तु व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

52. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के पास विकास के लिये धन का अभाव है, इस पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

54. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले व निवाई तहसील में ओलावृष्टि से भारी नुकसान पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 44

55. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार में व्याप्त भ्रष्टाचार व घाटे पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

56. श्री बृजबल्लभ बोहरा (दोगोद): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति के आधीन स्कूलों की दुर्दशा पर चर्चा के लिए)।

57. श्री आईदानसिंह (भीनमाल): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों की ऋण

(श्री आईदानसिंह)
वसूलियां जो अकालग्रस्त क्षेत्र में हो रही हैं, उसके बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

58. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता में हुई गड़बड़ियों पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

59. श्री केशरीसिंह हाडा (हिण्डोली) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों से प्राथमिक शिक्षा हटाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

60. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरपंचों द्वारा खाद बीज के वितरण मे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

61. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास कार्यों को विस्तृत रूप मे सरकार द्वारा सहायता नहीं देने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

62. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में अकाल पीड़ित जनता को समय पर सहायता नहीं दी गई व देने में पक्षपात बरता गया, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

63. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल पीड़ित लोगों को राहत केम्पों पर मजदूरी करने के बाद एक साल हो जाने के बावजूद लाखों रुपये के भुगतान बकाया पड़े हैं इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 44

64. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार करने की दृष्टि से सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

65. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : मांग संख्या 22 मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

(श्री नाथूराम)
(पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को उन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

श्री बालसिंह संढा (जैसलमेर) : 66. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनाएं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले की पंचायत समितियों को पूरी वित्तीय सहायता नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 28

67. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64 दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर व लूणकरणसर में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने व स्थाई व पक्का कार्य नहीं करने पर चर्चा के लिए) ।

68. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर पर अकाल राहत कार्यों में मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं होने व कार्य नापने में अनियमिततायें हो रही हैं इस पर चर्चा के लिए) ।

69. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64 दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यों में विस्तृत रूप से फैले भ्रष्टाचार को रोकने व उनकी जांच के लिए एक जांच कमीशन की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

70. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64 दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (1969–70 में राजस्थान सरकार नहर पर मजदूरों के व्यवस्था के नाम सिरकियों, जी. सी. सीट्स तगारी फावड़े की खरीद व निवास व्यवस्था के नाम पर व्यापक रूप से भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

71. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64 दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर में अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने के लिए जिलाधीश द्वारा अकाल सलाहकार समिति के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने नहीं माना, इस पर चर्चा के लिए) ।

72. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64 दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर जिले में अकाल सलाहकार समिति को बनाना, प्रधानों को उसमें सदस्य नहीं रखना व राजनीतिक आधार पर कार्यों में व्यापक रूप से पक्षपात व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

73. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64 दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जावे (अकाल राहत के अन्तर्गत जोधपुर जिले में मोटर व ट्रैक्टर्स लगाने में भारी भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

74. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में सिणदरी गुड़ा सड़क पर मोटर गाड़ियों द्वारा काम कम करने पर अधिक का फर्जी बिल बनाकर भुगतान उठाने पर चर्चा के लिए)।

75. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64 दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (1968–69 व 1969–70 के अकाल के समय जैसलमेर में चलते अकाल राहत कार्य बन्द करने, फर्जी कच्चे कागजों पर हाजरियां लिखने, नाप के नाम से मजदूरी में भयानक कटौती करने और आज तक हजारों की संख्या में भुगतान नहीं करने, चर्चा के लिए)।

76. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले में गत वर्ष के अकाल के दौरान ट्यूब वैल्स खोदने में निष्क्रियता व ट्यूब वैल्स खोदने के सामान खरीदने में भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

77. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल के स्थाई हल के लिए ट्यूब वैल्स ज्यादा खोदे जावें और उनका संचालन बिजली द्वारा किये जाने पर चर्चा के लिए)।

78. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले से अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत पेय जल के समाधान के लिए (1) बीकासम (2) रामगढ़ रनाऊ (3) बरड़ना लवार (4) अजला पोकरण (5) खुडी ग्रामों में ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

79. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सन् 1969-70 व 1970–71 में जैसलमेर जिले में अकाल राहत कार्यों के लिये अकाल से प्रभावित जनता हेतु सिरकी फावड़ा तगारी व जी. सी. शीट्स की बार बार की खरीद में हुए भारी भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

80. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति लाडनूं के विकास अधिकारी द्वारा गलत रूप से किये जा रहे अध्यापकों के स्थानान्तरण पर चर्चा के लिए)।

81. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, लाडनूं, के प्रधान द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिए)।

82. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय

(श्री हरजीराम बुरड़क)
सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति लाडनूं के विकास अधिकारी द्वारा की गई अनियमित कार्यवाहियों पर चर्चा के लिए)।

83. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरपंच ग्राम पंचायत, लडो. (पंचायत समिति, लाडनूं) द्वारा अपनी पंचायत के बाहर के गांवों के लिए रकम उठाने तथा उसको खर्च करने पर चर्चा के लिए)।

84. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति लाडनूं द्वारा दिये गये ऋण के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)

85. मांग संख्या 22 मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विकास अधिकारी पंचायत समिति लाडनूं द्वारा बैठकों के नोटिसेज नियमित जारी नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

86. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति लाडनूं के विकास अधिकारी द्वारा जीप का दुरुपयोग करने तथा उस पर अधिक पेट्रोल खर्च किये जाने पर चर्चा के लिए)।

87. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति लाडनूं की आडिट रिपोर्ट के आक्षेपों की अनुपालना नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

88. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रधान पंचायत समिति, डीडवाना के खिलाफ गम्भीर आरोप होते हुए भी सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

89. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति डीडवाना द्वारा वसूल किये गये शिक्षा उपकर को अनियमित रूप से खर्च किये जाने पर चर्चा के लिए)।

90. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत व विकास विभाग के मुख्यालय में चिकित्सा व्यय की राशि के दुरुपयोग व अत्यधिक खर्च पर चर्चा के लिए)।

# Page No. 100



(श्री हरजीराम बुरड़क)

91. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, लाडनूं के आवास गृहों का दुरुपयोग करने तथा किराया वसूल नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

92. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति लाडनूं द्वारा बीज व खाद के लिए वितरित किये गये ऋण का दुरुपयोग किये जाने तथा गलत रूप से ऋण वितरण करने पर चर्चा के लिये।)

93 मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले के कुछ प्रधानों द्वारा अपने ही फार्मों के बीज अपनी ही समितियों में खरीद करवाकर रकम प्राप्त करने पर चर्चा के लिए।)

मांग संख्या 28

94. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत खोदे गये नल कूपों का उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

95. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यक्रम में लगे हुए मजदूरों को गतवर्ष की अभी तक मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

96. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाकलीया बल्दू सड़क, तहसील लाडनूं, में गत वर्ष बिना सड़क बनाये ही लाखों रुपयों का भुगतान कर दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

97. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत वर्ष के अकाल सहायता कार्य जो अधूरे रहे हैं उन्हें पूरा करवाने पर चर्चा के लिए)।

98. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डीडवाना से मौठड़ी सड़क का कार्य शुरू नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

99. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र लाडनूं में पर्याप्त मात्रा में राहत कार्य नहीं चालू करने पर चर्चा के लिए)।

100. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम निम्बी जोधां, ध्यावा, इन्द्रपुरा, तहसील लाडनूं, अकाल ग्रस्त होते हुये भी अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

101. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से

(श्री हरजीराम बुरड़क)
100 रुपया कम कर दिया जाय (गत वर्ष तहसील लाडनूं में अकाल सहायता कार्यों में किये गये घोटालों पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 44

102. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुग्ध वितरण योजना जयपुर में किये गये घोटालों एवं अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में आयातित अनाज का वितरण करने वाले रीटेलरों को अनाज ले जाने के लिए सरकार द्वारा दिये जाने वाला किराया समय पर नहीं दिया जाता, इस पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय गोदाम, लाडनूं में गेहूँ की बिक्री में की गई अनियमितता व चोरी तथा भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ऊन वर्गीकरण केन्द्रों पर ऊन वर्गीकरण अधिकारियों की पक्षपात से गलत नियुक्तियां कियेजाने पर चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीज क्रय करने तथा वितरण करने में किये गये घोटालों पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय ऊनी मिल बीकानेर में किये जा रहे घोटालों पर चर्चा के लिये)।

108 मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला नागौर में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में वितरण के लिए दी गई प्राइस कन्ट्रोल की लोहे की चद्दरों के वितरण में किये गये पक्षपात व अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ऊन के क्रय करने में तथा वर्गीकरण करने में लगे अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

110. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ऊन वर्गीकरण केन्द्र नागौर को चालू नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

111. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ऊन वर्गीकरण केन्द्रों के निर्माण में किये जा रहे पक्षपात व अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, जालौर द्वारा विभागीय हिदायतों के खिलाफ प्रति भेड़ के भाव से ऊन खरीद करने पर चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर वर्गीकरण केन्द्र, जोधपुर पर ऊन क्रय करने में किये गये घोटालों पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डीडवाना में नमक को निकालने वाले मजदूर नमक सस्ती दर से खरीद कर ऊंचे भाव पर बेचते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर दुग्ध वितरण योजना में लगे अधिकारी पानी मिला दूध खरीदते व बेचते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्गीकरण केन्द्रों से ऊन को राजकीय ऊनी मील बीकानेर में धुलाई नहीं करवाकर कोटा में प्राइवेट फर्म द्वारा ऊन की धुलाई करवाने पर चर्चा के लिये)।

### मांग संख्या 22

117. श्री महेन्द्रकुमार (पाडवा): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में कृषि प्रसार अधिकारियों को विकास अधिकारी का कार्य देने से उत्पादन के कार्य में शिथिलता व प्रशासन में अव्यवस्था व्याप्त हो रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

### मांग संख्या 28

118. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर) जिले में व्याप्त अकालों की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

### मांग संख्या 22

119. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)
मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत राज को अधिकार कम देने बाबत चर्चा के लिए)।

120. श्री देवीलाल (सराड़ा सु.): माग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 1 0 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, सराड़ा, को लघु सिंचाई, व सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये अधिक धनराशि की सहायता देने के सबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

121. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में अकाल पीड़ित गांवों में राहत कार्य चालू कराने पर चर्चा के लिए)।

श्री जयनारायण (लसाडिया):

122. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धनाभाव एवं अन्य सुविधाओं की कमी की वजह से विकास कार्यों में विलम्ब एवं बाधा हो रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

123. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता कार्यों में अनियमितता एवं गत वर्षों में अकाल सहायता कार्यों पर लगे मजदूरों की मजदूरी नहीं प्राप्त होने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

124. श्री शिवनारायसिंह (गुढ़ा): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुशलगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष निवारण के स्थाई हल निकालने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

126. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले में अकाल राहत कार्य नहीं चालू किये गये इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 44

127. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी अफसरशाही की अयोग्यता तथा समाजवाद के विरुद्ध दृष्टिकोण के कारण सरकारी व्यापार में हानि पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 22

128. मूलचन्द डागा (पाली) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय सेवा तथा स्थानीय कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रोहट पंचायत समिति में धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए।)

129. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय सेवा तथा स्थानीय कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रोहट पंचायत समिति में गलत अनुदान देने पर चर्चा के लिए)।

130. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय पचायतों के प्रति जनता में भारी असंतोष है, इस पर चर्चा के लिए)।

132. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाओं के मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत क्षेत्र में नवयुवकों के मंडलों को प्रोत्साहन न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)

मांग संख्या 28

132. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली में अकाल राहत कार्यों में बुड्ढों व औरतों को कार्य पर लगाने व उनकी सहायता देने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

133. रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा उदयपुर जिले में जो खाद-बीज वितरण किया गया उसकी समय पर वसूली नहीं की गई चर्चा के लिए)।

134. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खैरवाड़ा पंचायत समिति के अधिकारियों ने 45 हजार के डीजल एंजिन खरीदे, उसके उपयोग पर चर्चा के लिए)

135. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोगुन्दा व घरियावद पंचायत समितियों के अधिकारियों ने हैण्ड पम्पस् खरीदे उसकी जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

136. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय गोगुन्दा घरियावद पंचायत समितियों में यूरीनल का सामान खरीदा उस पर चर्चा के लिए)

139. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर):– मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को सक्रिय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

138. मांग संख्या 22, मुख्य शोर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायती राज समस्याओं के पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

139. मांग संख्या 22, मुख्य शोर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान पंचायती-राज के खर्चे में चुनाव पद्धति के बारे में चर्चा के लिए)

मांग संख्या 28

140. मांग संख्या 28 मुख्य शोर्षक 64 दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय (जिला जालौर में अकाल राहत कार्यों पर मजदूरों को लगाने की सरकार की नीति का अनुमोदन)।

141. मांग संख्या 28, मुख्य शोर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में अकाल ग्रसित क्षेत्रों में चारा व पानी की शीघ्र व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

142. मांग संख्या 28, मुख्य शोर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में अकाल सहायता कार्यों पर पर्याप्त मात्रा में सरकारी आदेशानुसार मजदूरों को मजदूरी पर न लगाने पर चर्चा के लिए)

143. मांग संख्या 28. मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में अकाल सहायता कार्यों के मजदूरों को देरी से मजदूरी भुगतान हो रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

144. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में अकाल सहायता कार्यों में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

145. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सांचोर में अकाल राहत में चलने वाली सड़कों को पूरा कराने एवं अन्य जिले की अधूरी सड़कें शीघ्र पूरी करने पर चर्चा के लिए)

मांग संख्या 44

146. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी को लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय पिछड़े जिलों में सरकार द्वारा अनाज गोदाम निर्माण के बारे में सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन)।

147. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124, सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर में अनाज स्टाक के लिये अनाज गोदाम बनाने पर चर्चा के लिए)।

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय):

148. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विकास के कार्यों में जयपुर डिवीजन की उपेक्षा किए जाने पर चर्चा के लिए)।

149. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत राज को शक्तिशाली बनाने तथा श्री सादिकअली रिपोर्ट लागू करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

150. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल कार्यों के अन्तर्गत तहसील सिकराय में गोजगढ़ कालवाण नहर की अधूरी खुदवाई को पूरा किए जाने संबन्धी चर्चा के लिए)।

श्रीमदनसिंह (दांतारामगढ़)

मांग संख्या 22

151. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सीकर की पंचायत समिति दांतारामगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत दांता, पचार के सरपंचों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों पर चर्चा के लिए)।

श्री देवी दत्त गाडिया (बारां):

152. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा की अटरू पंचायत समिति की ग्राम पचायत सहरोल के सरपंच के विरुद्ध गबन व घोटालों के गम्भीर आरोपों के संबंध की चर्चा के लिए)।

153. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां पंचायत समिति क्षेत्र में कुछ वर्ष पूर्व लागू करीब चार अनुसूचित जाति की कोलोनीज को क्रियान्वित नहीं किए जाने पर चर्चा के लिए)।

154. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को रेवेन्यू की लगान आदि की आय दिलाए जाने एवं अधिक अधिकार दिए जाने पर चर्चा के लिए)।

155. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अनेक पंचों व सरपंचों तथा प्रधानों के उप-चुनाव अभी तक नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

156. मांग संख्या 22, मुख्य, शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति क्षेत्र की न्याय पंचायतों को ग्राम पंचायतों से अनुमानित धन नहीं मिलने के कारण उनकी दुर्दशा तथा उनको पांच सौ रुपयों के स्थान पर एक

(श्री मदनसिंह)

हजार रुपयों तक के दावों के सुनने के अधिकार दिलाए जाने पर चर्चा के लिए)।

157. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा की अन्ता पंचायत समिति के ग्राम मांगरोल में बुनकर कोलोनी धनाभाव के कारण एक लम्बे समय से अधूरी पड़ी हुई है, इस पर चर्चा के लिए)।

158. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के क्षेत्र में एक लम्बे समय से अधूरे विकास के कार्य पूरे कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

159. मांग संख्या 22 मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शाहबाद पंचायत समिति के कई सरपंचों में हजारों रुपया एक लम्बे समय से बाकी चल रहा है तथा उन पर गबन घोटालों के अनेक गम्भीर आरोप हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

160. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा की इटावा पंचायत समिति के एक भूतपूर्व विकास अधिकारी के विरुद्ध गलत तरीके से की गई खरीदों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

161. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा की छबड़ा पंचायत समिति के ग्राम चांचोड़ा में बंजर कोलोनी में हुए भारी भ्रष्टाचार तथा कोलोनी अभी तक अधूरी पड़ी है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

162. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले की शाहबाद व किशनगंज आदि तहसील के अकाल पीड़ित क्षेत्रों में अकाल राहत के कार्यों में बरती गई उपेक्षापूर्ण नीति की चर्चा के लिए)।

163. मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में अकाल राहत के कार्यों में भारी गबन घोटाले आदि पर चर्चा के लिए)।

164. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जोधपुर, जालोर आदि क्षेत्रों में अकाल के धन का दुरुपयोग करके व्यक्तिगत लोगों के खेतों पर ट्यूब वेल लगाने एवं बन्धे आदि बनाने की कार्यवाही पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

165. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भीलवाड़ा के एस. डी. ओ. गुलाबपुर एवं तहसीलदार आसीन्द द्वारा अकाल राहत के

(श्री मदनसिंह)

कार्य करवाने वाले एक अधिकारी से अपने खेत पर 200 मजदूरों से काम कराने संबंधित फर्जी मस्ट्रोल आदि का जुलाई 69 को जब्त करके अपनी रिपोर्ट मस्ट्रोल सहित जिलाधीश को दिए जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 44

166 मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी अनाज की खरीद व फरोख्त एवं उस पर लगाए जाने वाले खर्चे में भारी अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

167. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी अनाज जो भण्डारों में पड़ा है उसमें भारी घोटाला व स्टाक में भारी कमी है, इस पर चर्चा के लिये)।

168. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर दुग्ध वितरण योजना में गत कुछ वर्षों से चल रहा भारी घाटा व घोटालों की चर्चा के लिए)।

169. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ऊन के व्यापार की योजना में लाखों रुपयों के लिए गबन व घोटालों पर चर्चा के लिए)।

170. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़ व ऊन पालन विभाग के एक तत्कालीन अधिकारी द्वारा किये गये घोटालों व भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों के जांच का मामला दबाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर):

मांग संख्या 22

171. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सादिक अली रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

172. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायती राज की ओर राज्य सरकार की उदासीन एवं उपेक्षा की नीति एवं पंचायत समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और उनके द्वारा पक्षपात पूर्ण रवैये के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

173. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा एवं ढिलमिल नीति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में अकाल सहायता विभाग द्वारा जिन गांवों में जल प्रदाय के कोई साधन नहीं हैं, या जहां खारा पानी है या जहां कुए सूख गये हैं वहां पानी की पर्याप्त व्यवस्था करवाई जाय क्योंकि इसके कारण जनता में घोर असंतोष फैल रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

175. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सडकों के निर्माण में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों एव कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

176. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले मे अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत उपयोगी सडकों निर्माण के कार्यों की प्रगति धीमी है, इस पर चर्चा के लिए)।

177. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में सन् 1969-70 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनी सडकों के नर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार के मामले उच्चाधिकारियों द्वारा पकड़े जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

178. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में रामसर लसुवा और सेतराऊ मेटल क्वेरीज के कार्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियो (स्थायी एवं अस्थाई) द्वारा भ्रष्टाचार करने के बारे में चर्चा के लिए)।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर):

मांग संख्या 22

179. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत सिमारला (श्री माधोपुर) को मिले बीज व खाद की वसूली व वितरण में धांधली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

180. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत सिमारला (श्री माधोपुर) के सरपंच को सार्वजनिक कार्यों के लिये मिले अनुदान के दुरुपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

181. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरपंच ग्राम पंचायत जयपुर व सिमारला (सीकर) द्वारा रक्षा-कोष की रकम का गबन करने पर भी

(श्री हरनाथसिंह)
कोई कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

182. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में सरपंचों द्वारा रक्षा-कोष की वसूल शुदा रकम हजम करने व गबन किये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

183. मांग संख्या 2 , मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरपंच, ग्राम पंचायत पलसाना (सीकर) के खिलाफ रकम में दुरुपयोग व गबन के आरोप होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

184. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (गत साल अकाल राहत कार्यों में सीकर जिले में सडक के रास्तों को मनमाने ढंग से पी. डब्ल्यू. डी. वालों द्वारा बदल देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

185. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत साल सीकर जिले में अकाल राहत कार्यों में सडकों के नीचे आने वाली जमीनों को बिना एक्वायर किये ही कार्य चालू करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

186. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत साल सीकर जिले में अकाल सहायता कार्यों पर खर्च हुई रकम में खुल कर हुए भ्रष्टाचार व गबन पर चर्चा के लिए)।

187. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत शुरू किये गये कार्य जो अधूरे पड़े हैं उन्हें पूर्ण कराने के बारे में चर्चा के लिए)।

श्री नाथूलाल करोल (अमवारामगढ़) :
मांग संख्या 22

188. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में कोई काम न होने के कारण उनको खत्म किये जाने पर चर्चा के लिए)।

श्री रतनलाल रोत (चोरासी सु.) :

189. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं में धन के अभाव पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

190. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से

(श्री रतनलाल रोत)

100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला (डूंगरपुर) में सस्ते अनाज की दुकानें खोलने में मनमानी पर चर्चा के लिए)।

191. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में चल रहे राहत कार्यों में लगे मजदूरों की मजदूरी देरी से चुकाने की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए)।

192. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर के घंबोला एवम् मांडली सड़क पर अधूरा कार्य पूरा कराने के संबंध में चर्चा के लिए)।

193. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष-सहायता के अन्तगत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर के खानपाल टैंक पर पिछले साल में राहत कार्य किया गया था, उसका पेमेन्ट अभी तक न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री शंकरलाल जाट (कपासन) :

मांग संख्या 22

194. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास परियोजना राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में चल रहे पक्षपात के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री रणजीतसिंह (ओसिया) :

195. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोकतंत्र सुदृढ़ बनाने हेतु पंचायत राज संस्थानों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

196. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों के कामों में राज्य कर्मचारियों के अनुचित हस्तक्षेप पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

197. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राहत कार्यों पर लगे मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं चुकाई जाती जिससे मजदूरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस पर चर्चा के लिए)।

198. मांग संख्या 2 , मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम दिया जाय अकाल कार्यों के अन्तर्गत रामपुरा में नलकूप बनाकर ओसियां तहसील में अकाल की स्थिति पैदा करने के कारणों पर चर्चा के लिए)।

199. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण अकाल राहत कार्य ठीक रूप से नहीं चल रहे हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

मांग संख्या 22

200. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं की निरर्थकता पर चर्चा के लिए)।

201. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बानसूर के खिलाफ शिकायत पर कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

202. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता में व्याप्त अनियमितताओं एवं गबन के बारे में चर्चा के लिए)।

श्री मंगलाल (हिन्डोन) :

203 मांग संख्या 22 मुख्य शीर्षक 37, सामुदायिक-विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बोर्ड द्वारा बनाये गये कार्यों को विभाग द्वारा नहीं सम्भालने व मरम्मत नहीं कराये जाने के बाबत विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

204. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अध्यापकों की वेतन बकाया को चुकारा करने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये)

205. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय खाद्य व बीज की बकाया वसूल करने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये)

206. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अनुदान के द्वारा कराये जाने वाले कार्य अधिक समय से अधूरे पड़े हुए हैं उनको पूरा कराने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

207. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय पंचायत समितियों के अन्दर फैले हुए भ्रष्टाचार को रोकने में विभाग को लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

208. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों के चपरासियों का वेतन चुकारा करने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

209. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय पंचायतों व ग्राम पंचायतों

(श्री श्रवण लाल)
के सेक्रेटरीयों की वेतन बकाया चुकाने में सरकार की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

210. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर में अकालग्रस्त ग्रामों की घोषणा करने में हुए विलम्ब पर चर्चा के लिए)।

211. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकालग्रस्त क्षेत्रों में सस्ता अनाज व जानवरों को चारा उपलब्ध कराने में सरकार असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

212. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकालग्रस्त क्षेत्रों में जनता को पीने का पानी मुहैया करने में सरकार असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

213. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों में चल रहे भ्रष्टाचार को रोकने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 44

214. मांग संख्या 44 मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार में चल रहे भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की निष्क्रियता पर चर्चा के लिए।

श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) :

मांग संख्या 22

215. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय राज्य सरकार द्वारा निर्दोष सरपंचों व प्रधानों को पार्टीबाजी के आधार पर निलम्बित व पृथक् करने पर चर्चा के लिये)।

216. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय पंचायत समितियों के माध्यम से किये जाने वाले विकास कार्यों में सरकारी धन का दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिये)।

217. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय पंचायत समितियों की देख-रेख से प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिर जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

218. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों द्वारा ग्रामीण जनता के लिये पार्टी बाजी के आधार पर विकास कार्य करने व विकास के कार्य सही नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

(श्री सूवालाल चौधरी)

219. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जायं (पंचायतों व पंचायत समितियों के चुनाव प्रोग्राम में स्टेशनरी व अन्य सामान आदि का खर्चा कर के चुनाव नहीं कराने से जनता के धन का दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिये)।

220. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों व पंचायत समितियों के चुनाव नहीं कराने से पंचायत-राज को खतरा उत्पन्न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

221. मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील दूदू के संवत् 23, 24, 25, 26 से लगातार अकाल की हालत होने पर भी लगान माफ न करने पर चर्चा के लिए)।

222. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले के अकालग्रसित ग्रामों को अकाल ग्रसित घोषित करने पर भी रिलीफ कार्य समय पर जारी नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 44

223. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर दुग्ध योजना से सरकारी धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

224. श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा): मांग संख्या 28–मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधूरे अकाल राहत कार्यों को पूर्ण करने में बरती गई ढिलाई एवं राहत कार्य चालू करने में किये गये पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

225. श्री कल्याणमल मीणा (जहाजपुर): मांग संख्या 28–मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत जहाजपुर तहसील के अधूरे कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

226. श्री नन्दिदत भाटी (सरदारपुरा जोधपुर) मांग संख्या 28–मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों के खोलने के सम्बन्ध में पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिए)।

227. श्री शंकरलाल (जैतारण): मांग संख्या 28–मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत फैमिन के अधूरे कार्यों को पूरा कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

228. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग

(श्री शंकर लाल)
में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों के संचालन में स्टाफ की उपयुक्तता पर चर्चा के लिये)।

229. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों पर उचित मजदूरी व समय पर चुकारा नहीं होता है, इस पर चर्चा के लिये)।

230. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत फेमिन के मजदूरों की बकाया मजदूरी चुकाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

231. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय अकाल सहायता विभाग के राजस्थान नहर के कैम्पों पर अभावग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को सवैतनिक पाक्षिक छुट्टियों के न दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

232. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फेमीन कोड में Prescribed scale से अधिक काम करने पर राजस्थान नहर के राहत कैम्पों पर B.S.R. से पेमेंट किया जा रहा है जब कि ठेकेदारों को उससे अधिक रेट दी जा रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

233. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर पर ऊंट गाड़ी को कम देने हेतु अकाल सहायता विभाग के माध्यम से कैम्प खोलने की स्वीकृति पर चर्चा के लिए)।

234. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के राहत कैम्पों पर काम करने वाली Pregnant Ladies को Famine Code के अनुसार सवैतनिक छुट्टी नहीं मिल रही है इस पर चर्चा के लिए)।

235. श्री रावत राम (छापर) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64 दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल के स्थायी दल के लिए योजना बनाने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

236. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों के समस्त व्यक्तियों को अकाल राहत कार्यों में नहीं लगाया जाता और परिवार वाईज परिचय कार्ड की प्रणाली बनायी गई है, चर्चा के लिए)।

237. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत साल अकाल राहत कार्यों से भ्रष्टाचार पर विचार करने हेतु)।

238. श्री राम कुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

(श्री रामकुमार नन्दवाना)
(सन् 69-70 के अधूरे अकाल सहायता कार्य को शुरू करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

239. श्री लक्ष्मण तातीवाल (डगसू.) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ में अति-वृष्टि से सहायता कार्यों हेतु दिये गये मुआवजे पर चर्चा के लिए) ।

240. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय (दुर्भिक्ष को स्थायी तौर से रोकने के लिए स्थायी योजना न बनाने सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुमोदन) ।

241. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64- दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में में 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता के नाम पर राजनैतिक आधार पर राहत कार्य खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

242. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता में हुए घोटालों व भ्रष्टाचार की जांच हेतु एक विधायक कमेटी बनाये जाने पर चर्चा के लिए) ।

243. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले के अकाल राहत कार्यों में गबन, झूंठी मस्टर रोल बनाने आदि के बाबत चर्चा के लिए) ।

244. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के सेल डिपो (Sell Depot) पर घास की कमी के सम्बन्धित में चर्चा के लिए) ।

245. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल से प्रभावित सभी सबल व्यक्तियों को भत्ते के बजाय काम दिये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिए ) ।

246. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 109 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में राहत कार्यों के अन्तर्गत अधूरी सड़कें पूर्ण करने हेतु अधिक रोलर्स (Rollers) की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

247. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर-पालिका क्षेत्र के कृषि कार्यों पर आश्रित लोगों को भी अकाल राहत भत्ता दिये जाने संबंधी चर्चा के लिए) ।

248. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया (बाड़मेर जिले में पीने का पानी उपलब्ध कराने को दूरी पांच मील के स्थान पर $2\frac{1}{2}$ मील करने हेतु चर्चा के लिए) ।

(श्रीमती मदनकौर)

मांग संख्या 44

249. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्ष 1969-70 में खारवालों को नमक बनाने की इजाजत नहीं देकर बेकार रखने के बारे में चर्चा के लिये)।

250. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124– सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नमक खान पचपदरा का कारोबार राज्य सरकार के नियंत्रण में लेने के बाद कारोबार में कोई प्रगति नहीं होने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

251. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पचपदरा नमक खान के खारवालों को बकाया रकम चुकाने में सरकार द्वारा विलम्ब के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

252. श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का थाना): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत कार्य पूरे कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

253. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीलो ग्राम से स्टेशन तक अकाल सहायता में बनी सड़क को पूरा करने पर चर्चा लिए)।

254. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत माहवारी अनुदान देकर जनता का मनोबल गिराने पर चर्चा के लिए)।

255. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल का स्थायी हल करने में सरकारी असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 44

256. मांग संख्या 44 मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार में सरकार को हो रहे घाटों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

257. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले के ग्राम सलारी एवं खोरियां के अकाल राहत कार्यों को करीब 8 माह हो जाने पर भी उन्हें मजदूरी का भुगतान न करने पर चर्चा के लिए)।

(श्री देवीलाल बुरासिया)

258. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यों में लगे मजदूरों को मजदूरी समय पर न मिलने के संबंध में चर्चा के लिए)।

259. श्री मेघराज पंवार (चूरू) : मांग संख्या, 28 मुख्य शीर्षक 64, दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल ग्रसित क्षेत्र में सहायता शिवरों में काम करने वाले श्रमिकों को गत वर्ष की मजदूरी का भुगतान अब तक न किये जाने पर चर्चा के लिये)

260. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64, दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांगों में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों में हुए भारी भ्रष्टाचार की जांच न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

261. मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक 64,- दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांगों में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव को अकाल ग्रसित, अभावग्रसित घोषित करने व वहां पर सहायता कार्य शुरू करवाने के सम्बन्ध में बरते जाने वाले भेदभाव व पक्षपातपूर्ण रवैये पर चर्चा के लिए)।

262. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64/दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों में कृषकों को सिंचाई के कुऐ खोदने, मरम्मत कराने एवं निर्माण कराने हेतु ऋण व अनुदान नहीं दिये जाने के बारे में नीति का अनमोदन)।

263. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सभी सिंचाई योजनाओं के पूर्ण करने का काम पूरा होने तक अभावग्रस्त क्षेत्रों के कार्य चालू रखने के बारे में चर्चा के लिए)।

264. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों में सिंचाई के व्यक्तिगत कुओं की खुदाई, मरम्मत कराई एवं निर्माण कराई हेतु लागत के 50 प्रतिशत अनुदान व 50 प्रतिशत ऋण दान-मात्रा दस हजार रुपये तक की सीमा में दिये जाने के बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 44

265. मांग संख्या 44 मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टी. सी. ए. कार्यक्रम, मलेरिया उन्मुलन कार्यक्रम, कोलम्बो प्लान एवं राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्य-क्रम एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना की राज्य की प्रगति में विवरण प्रकाशित नहीं करने के बारे चर्चा के लिए)।

266. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनाजों के राजस्थान में क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में सहकारी

(श्री रामसिंह कुशा)

संस्थानों एवं खाद्य निगम के क्षेत्रों का बंटवारा कर व्यवस्था करने के बारे में चर्चा के लिए)।

267. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124 सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रत्येक तहसील स्तर पर खाद्यान्नों के लिए संग्रह भण्डार. गृह सहकारी क्षेत्र में बनाने के बारे में चर्चा के लिए)।

268. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 224-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मौ. की निकासी में हुए घोटालों के बारे में चर्चा के लिए)।

269. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय गोदामों में अन्न के खराब हो जाने से होने वाली भारी हानियों के बारे में चर्चा के लिए)।

270. मांग संख्या 44 मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कमकर दिया जाय (खाद्यान्नों के खाद्य निगम द्वारा किये जाने वाले प्रोक्योरमेंट के घोटालों पर चर्चा के लिए)।

271. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में अनाज के पहुंचाने में अत्यधिक देरी एवं खर्चों के बारे में चर्चा के लिये)।

272. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनाज के लाने ले जाने में जिला रसद अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले खर्चों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

273. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नमक के क्षेत्रों में निजी व्यक्तियों को आवंटन से होने वाली हानियों एवं घोटालों से बचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

274. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में नमक का व्यापार सरकारी एवं सहकारी क्षेत्र में ही करने के बारे में चर्चा के लिये)।

275 मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नमक बनाने एवं खुदाई करने वाले मजदूरों की मजदूरी की रेट के बारे में चर्चा के लिये)।

276. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीज, खाद एवं उपकरणों के क्रय एवं वितरण को पंचायत समितियों में ही रखे जाने पर चर्चा के लिये।

(श्री रामसिंह कुड़ी)

277. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कीटनाशक औषधियों तथा पौध संरक्षण सम्बन्धी उपकरणों के क्रय तथा वितरण की व्यवस्था सहकारी समितियों के एवं पंचायत समितियों के माध्यम से होने के बारे में चर्चा के लिए)।

278. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 00 रुपया कम कर दिया जाय (बीजों के चयन में हुये घोटालों की पुनरावृति रोकने के बारे में चर्चा के लिए)।

279. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर दुग्ध वितरण योजना में हुए घाटे के सम्बन्ध में विस्तृत जांच कराने पर चर्चा के लिये)।

280. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ऊन के व्यापार में राजस्थान सरकार को हुए घाटे के संबंध में विस्तृत जांच कराने पर चर्चा के लिये)।

281. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वेकन फैक्ट्री, अलवर की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

282. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में राहत कार्य चालू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

283. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यों पर धन के अपव्यय को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)

284. मेजर श्री फतेहसिंह (ब्यावर): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में राहत कार्यों के अन्तर्गत अधिक लोगों को रोजगार दिलाने पर चर्चा के लिए)।

285. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में चलाये जा रहे सहायता कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या 44

286. श्री परसराम (परबतसर सु.): मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार में बड़ा भारी घोटाला व भ्रष्टाचार की वजह से सरकार को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है इस पर चर्चा के लिए)।

287. श्री रामनारायण (मंडावा) : मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री गंगानगर शुगर फैक्ट्री की व्यवस्था पर होने वाले भारी खर्च पर चर्चा के लिये)।

288. श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु.) : मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार में संचालकों द्वारा अनियमितताओं के कारण व्यापार में असफलता पर चर्चा के लिये)।

अनुदानों की मांगों पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा दुर्भिक्ष के बारे में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। पहले मैं सामुदायिक विकास परियोजनाओं को लेता हूं। पिछले वर्ष 26 जिलों में अकाल था और 22,799 गांव प्रभावित थे और उसमें 1.32 करोड़ जनता प्रभावित थी। इस साल 10204 गांव सूखे की स्थिति में हैं और 70 लाख लोग प्रभावित हैं। बाडमेर और जैसलमेर इन दोनों जिलों में संवत् 2025 में अकाल भयंकर था और 2026 में भी सभी गांवों में अकाल है। यहां तक स्थिति है कि इस साल बाड़मेर जिले में 851 गांवों में से 400 गांवों में कतई बरसात नहीं हुई। तो इस प्रकार भीषण स्थिति है। इन सीमावर्ती गांवों में और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष कर जोधपुर डिवीजन में इस प्रकार की भयंकर स्थिति है और इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार ने भी बड़ा प्रयास किया है। मैं विशेष तोर से इसके लिए राज्य सरकार की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता जिसने इस अकाल का मुकाबला करने के लिए 1968-69 में 13 करोड़ रुपए व्यय किए। अप्रैल 1969 से लेकर सितम्बर 1969 तक 40 करोड़ व्यय किया और मार्च 1970 तक 24 करोड़ व्यय होने की संभावना है और कुल 83 करोड़ रुपए सितम्बर 1970 तक व्यय होने की संभावना है। परन्तु मुझे संतोष नहीं है कि हम इतना खर्चा करने के उपरांत भी राज्य सरकार ने विशेष उपयोगी कार्य किया हो या राज्य सरकार अकाल का मुकाबला करने के लिए स्थाई हल निकाला हो। बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के लिए अभी तक राज्य सरकार के दिमाग में नहीं है कि वहां पर भी विद्युत पहुंचाया जाय। मैंने पहले भी प्रश्न उठाया था, उसमें विद्युत मंत्री ने कहा था कि बाड़मेर और जैसलमेर जिले में विद्युत की दृष्टि से सर्वेक्षण करायेंगे और फिर बाद में योजना बनेगी। अगर बाड़मेर और जैसलमेर जिलों को विकसित करना चाहते हैं, विद्युत की व्यवस्था आप नहीं करेंगे तो कभी भी यह क्षेत्र विकसित नहीं हो सकेगा। वहां विद्युत का विकास नहीं हुआ है, न उद्योग पनप सके हैं न किसी तरीके से सिंचाई के क्षेत्र विकसित हो सके हैं। ट्यूबवेल्स आपने लगाए हैं और भी लगाना आवश्यक है जब तक पानी बिजली की व्यवस्था नहीं होती है तब तक वे किसी तरीके से काम नहीं चला सकते। और यह रेगिस्तानी एरिया सिंचित नहीं हो सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि कितने करोड़ रुपये ही खर्च किये

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

जायें, परन्तु सरकार को सोचना चाहिए, चौथी योजना में कि इसकी व्यवस्था की जाय और इन क्षेत्रों को विकसित किया जाय। मैंने आंकड़े देखे हैं उसमें बाड़मेर जिले में प्रति व्यक्ति व्यय जो हुआ है वह 62.11 रु. है दूसरी व तीसरी पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजनाओं के 1966 से 1969 तक आंकड़े हैं। इस प्रकार जालोर में 75.22 रु. है और वह भी दूसरा नम्बर है। बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर में क्षेत्र बड़ा है, आबादी कम है और सीमावर्ती क्षेत्र होने से इनको मजबूत करना आवश्यक है क्योंकि भारत-पाकिस्तान के सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। हमने सड़कें जरूर बनाई हैं परन्तु जब तक किसी तरह से भी उस क्षेत्र का हम विकास नहीं कर सके, चाहे उद्योग की दृष्टि से चाहे सिंचाई की दृष्टि से तब तक इस क्षेत्र को आगे नहीं बढ़ा सकते। 100 ट्यूबवेल्स के बारे में आवाज उठी कि खोदे जायेंगे परन्तु इस बारे में कोई क्लीयर हमारे सामने नक्शा नहीं आया।

मैंने बाड़मेर जैसलमेर के विषय में प्रश्न उठाया था भूतल जल प्राप्ति की दृष्टि से सर्वे करके इन क्षेत्रों को विकसित करना चाहिए और भू जल बोर्ड को डिटेल्ड सर्वे करना चाहिए था और राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि प्रिलीमिनरी सर्वे किया है लेकिन अब तक कोई डिटेल्ड सर्वे नहीं किया है बड़े आश्चर्य की बात है कि जोधपुर, जालोर, टोंक वगैरा अन्य जिलों में तो डिटेल्ड में सर्वे किया गया है लेकिन ट्यूब वेल की दृष्टि से बाड़मेर और जैसलमेर के जिलों में आज तक डिटेल्ड सर्वे नहीं किया गया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस साल सर्वे जल्दी से जल्दी कराया जाय।

इस क्षेत्र को यदि विकसित करना है और मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि राजस्थान कैनाल हमारे क्षेत्र में आने वाली है क्योंकि लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल बन गयी है और वह अन इकोनोमिकल होते हुए भी बनी है। पहले राजस्थान कैनाल का पानी हमारे इलाकों में आने वाला था और उस क्षेत्र में नेवीगेबल होकर कच्छ की खाड़ी में जा सकता था ऐसा प्लानिंग कमीशन की योजना थी जिससे हमारे क्षेत्र के कुओं को अधिक पानी हो सकता था। लेकिन वह तो योजना तो अब लिफ्ट इर्रीगेशन योजना के बन जाने के बाद समाप्त हो गयी है। इसी प्रकार से नर्बदा का भी डिस्प्यूट होने से उनका भी वहां पर पानी आने वाला नहीं है। इसके साथ साथ यह भी बड़े आश्चर्य की बात है कि पाली जिले में धड़ाधड़ बांध बनाये जा रहे हैं। गिलोलिया बांध बनाया जा रहा है। सिंधुरी बांध

(श्री रामनारायण चौधरी सभापति पदासीन)

(5.52 सायं)

केसूली, फौलाद बांध बनाये जा रहे हैं। इसी प्रकार मालपुरिया कानावास आदि बांध बनाये जा रहे हैं और ये सब लूणी नदी एवं उसकी शाखाओं पर बनाये जा रहे हैं। रायपुर का बांध बनाया गया था उस समय भी मैंने सदन में निवेदन किया था कि यह बांध नहीं बनाया जाय लेकिन फिर भी वह बना। मालपुरिया, कनवास, धड़ाधड़; ये बांध बने, उन बांधों का 14 मार्च, 1970 को उद्घाटन किया।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

ये बांध तो थोड़े से एकड़ को सिंचित करेंगे लेकिन बाड़मेर जिले के गुड़ा सिमंधरी, बोलाता, निवाना और सांचौर क्षेत्र बिलकुल वीरान हो जायेंगे। तिलवाड़ा पशु मेला किसी तरीके से भरेगा नहीं। पानी की व्यवस्था सरकार कर सकेगी नहीं। इस तिलवाड़ा मेले में भी अभी भी पानी की भयंकर समस्या आवेगी। ये बांध बनाये जा रहे हैं हमारे इलाकों को किसी प्रकार से वीरान करने के लिए ये बांध बनाये जा रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं फिर भी बनाये जा रहे हैं और बाड़मेर और जालौर के इलाकों को पानी से वंचित करके उनको वीरान बना रहे हैं।

हमारे जिले में कोई भी उपयोगी कार्य नहीं चल रहा है। भू-संरक्षण विभाग के अधिकारी वहां पर हैं। उनका पद 31 मार्च को समाप्त करने जा रहे हैं। बाड़मेर जिले के अन्दर तालाब और खड़ीन बनाने का अकाल में मौका आता है। इसलिए स्थायी तौर से यह कार्यालय भी वहां पर होना चाहिए था। कोई भी कार्य इसके अन्तर्गत वहां पर नहीं चल रहे हैं।

लघु सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति होकर आगई है लेकिन कोई भी कार्य चला नहीं रखा है। 6 सड़कों की और फिर 13 सड़कों की मंजूरी आयी लेकिन अभी तक कोई भी कार्य वहां नहीं चला रखा है। जिस परिवार में पांच सदस्य तक हैं वहां से 2 व्यक्ति और जिस परिवार में पांच से 8 सदस्य वहां से 3 व्यक्ति काम पर लेने के लिए सरकार ने नियम बनाये। इस सीमा को बढ़ाना चाहिये और पचास प्रतिशत लोगों को काम पर लेने के लिए स्वीकृति होनी चाहिए। पहली वाली सीमा बहुत कम है। 12॥ रुपया आपने सहायता कर रखी है वह परिवार के सदस्यों में मजदूरी पर लेने वालों की सीमा भी बढ़ायी जानी चाहिए यदि यह स्थिति बना पाये तो कोई उपयोगी कार्य वहां हो सकेंगे। आपने सहायता (राशि में) देने की जो व्यवस्था की उसमें लोग भूख से नहीं मरेंगे। वितरण भी उन पैसों का ठीक प्रकार से हुआ है। इसमें जिलाधीश ने बड़ी दिलचस्पी ली और इससे कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। यदि इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ तो यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ ही रहेगा। इसलिए उपयोगी सड़कों का कार्य शुरू किया जाय और भू-सर्वेक्षण का कार्य और लघु सिंचाई के कार्य जल्दी से जल्दी शुरू कर दिये जायं। गवर्नमेंन्ट भी दिलचस्पी ले और हम भी इसमें दिलचस्पी लेंगे। परिवार के सदस्यों की संख्या मजदूरी के लिए बढायी जाय।

मैंने यह प्रश्न उठाया था सदन में कि बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा नगरों में काश्तकार और काश्त पर आधारित एवं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग हैं उनको भी आधा अनुदान एवं आधा कर्जा दिया जाय। उनको पेमेन्ट नहीं हुआ है। अनुसूचित जाति और जन जाति का धन्धा प्रायः नष्ट हो गया है। मोचियों की जूतियां कोई खरीदता नहीं और गांव वालों में खरीदने की शक्ति नहीं। जैसलमेर क्षेत्र बाड़मेर एवं बाड़मेर नगर भी अकाल से ग्रसित है, वहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति को विशेष सहायता प्रदान की जाय 12॥ रुपये का आधा अनुदान एवं आधा कर्जा दिया गया था उस समय जो उपस्थित नहीं थे और

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

दूसरे गांवों में थे या जो आस पास के गांवों में थे, उनके बारे में एप्लीकेशन्स ली गयी हैं उनके बारे में अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। पच्चीस दिन हो चुके हैं। उस पर निर्णय होकर उनको भी अनुदान एवं कर्जा दिया जाय।

एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि अफोरेस्टेशन का कार्य बंद है। चरागाह का भी सुधार किया जाय और जंगलात का भी कार्य बढाया जाय। जो भी उपयोगी कार्य हाथ मे लिये जांय उनको पूरा किया जाय। जो रूल्स का वायोलेशन करते हैं उनको दंड दिये जाने की व्यवस्था की जाय।

एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि जिन रोड्स का अर्थ वर्क कम्पलीट हो गया है, केवल कलेक्शन हो गया है उन रोड्स को कम्पलीट किया जाय वरना करोड़ों रुपया बेकार जावेगा। मैंने विशेष तौर से जोर दिया था कि भीमड़ा-बायतू के समानान्तर केवल रोड़ पाइप लाइन बनाई जाय ताकि उक्त पाइप लाईन योजना को लाभ पहुंच सके। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसकी स्वीकृति दी जाय।

एक विशेष बात निवेदन करना चाहूंगा कि सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। संवत् 2023 में सड़कों के बारे में भ्रष्टाचार हुआ। रामसर से चौहटन की सड़क बनी। 25 लाख रुपया खर्च हुआ। फेमिन क्षेत्र में बीस हजार रुपया प्रति माइल से भी ज्यादा खर्चा आ ही नहीं सकता। बीस हजार रुपया प्रति माइल भी ज्यादा कह सकते हैं इस तरह से इस सड़क पर पांच लाख से अधिक खर्चा नहीं हो सकता। जब कि इस सड़क पर पच्चीस लाख रुपया खर्च हुआ। इस प्रकार के घोटाले हुए हैं। डिप्टी एस.पी. एन्टी करप्सन इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा है। इसलिये किसी ओनेस्ट एन्टी करप्शन ऑफिसर को जो इसके लिये पूरा समय दे सके उसको वहां पर लगाया जाय जिससे जिन्होंने अपराध किया है उनको दंड दे सकें। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इन्डिपेन्डेन्ट एफिशियेन्ट ऑफिसर को यह काम दें जो इसमें पूरा समय लगा कर भ्रष्टाचारियों को दंडित करा सके।

( समय समाप्ति सूचक घंटी )

अब मैं रामसर, लसुआ, ऐतराऊ मेटल क्वेरीज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। रामसर क्वेरी के लिये निवेदन करूंगा कि चीफ मिनिस्टर महोदय पधारे थे, उन्हें निवेदन किया था। सुबह पूरी अटेन्डेन्स थी बाद में दोपहर को जांच करने पर दो हजार मजदूरों में से करीब छः सौ मजदूर गैर हाजिर नाम लिखे हुए लोग जिन्हें उनको पता भी नहीं है लिख दिये जाते हैं और कुछ जो नाम लिखे हैं वे फर्जी हैं। इसके लिये कौन दोषी हैं उसके लिये जांच करके अपराधियों को दंडित करना चाहिये। सेताऊ की मेटल क्वेरीज हैं। मैजरमेंट गलत लिखा हुआ है। मस्टर रोल दिये गये हैं वे गवर्नमेंट प्रेस में छपवाये जाने चाहिये। उन पर नम्बर संख्या गवर्नमेंट प्रेस में ही अंकित की जानी चाहिये। लेकिन एक्जीक्युटिव इन्जीनियर को यह अधिकार दिया हुआ है वे क्रमांक संख्या अंकित करते हैं वह उसको नहीं देना चाहिये और मस्टररोल गवर्नमेंट

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
प्रेस से ही छपवाये जाने चाहिये। एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को अधिकार देने से गड़बड़ियां होती हैं। मिस्त्रियों और ओवरसीयर को सस्पेन्ड कर दिया। परन्तु जब तक कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता है जब तक उसका कोई परिणाम नहीं होने वाला है।

आपने पेटर्न कायम किया है जो एडवाइजर प्लानिंग ने बताया है, रेगिस्तानी इलाकों में ऐसा पेटर्न नहीं होना चाहिये। बल्कि वहां तो यह होना चाहिये कि प्रथम पानी (2) चरागाह (3) सड़कें और (4) भूमि सर्वेक्षण और लघु सिंचाई योजना, इस प्रकार का पेटर्न वहां होना चाहिये।

फोडर के लिये मैं कहना चाहता हूं। फोडर बहुत कम आता है फोडर अधिक से अधिक प्राप्त हो। ऊंटों के लिये चारा अब तक हमारे क्षेत्र में मिला नहीं है। इसलिये हमारे क्षेत्र में ऊंटों के लिये चारा पहुंचाया जाय।

कैटल कैम्पस पहले कायम हुए थे। मारवाड़ रिलीफ सोसाइटी यह कार्य कर रही थी। अब पशुओं को बड़ी दिक्कत हो रही है। केटल फूड पहुंचाना जरूरी है इसलिये अधिक से अधिक कैंप कायम किये जायं ताकि केटल फूड देकर जानवरों को बचाया जा सके। बाड़मेर जैसलमेर के मवेशी कोटा क्षेत्र में गये हैं। ओलावृष्टि से उनको बहुत नुकसान हुआ है। इसलिये जिन लोगों को इसका नुकसान हुआ है उनको भी लाभ पहुंचाया जाय।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

पानी के लिये मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं। पिछले साल 173 गांवों में ट्रकों द्वारा टैंकों से पानी पहुंचाया गया था। अब लिस्ट बनी है 115 गांवों में पानी पहुंचाया जाता है। लेकिन जो पानी पहुंचाया जा रहा है वह बहुत कम पहुंचाया जा रहा है। यहां तक एक व्यक्ति को 1.4 गेलन पानी, 1.6 गेलन पानी और शहरों में 10 और पन्द्रह गेलन पानी दिया जा रहा है। इसलिये जो 1.5 गेलन पानी मिल रहा है उसकी मात्रा बढ़ायी जाय। टैक्स वगैरा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की इसलिये उसकी व्यवस्था की जाय। गर्मी के संकट के दिन जा रहे हैं। बड़ी भयंकर समस्या पैदा होगी। जिस प्रकार की बीमारियां पिछली बार फैली थीं उसी प्रकार की भयंकर बीमारियां फिर फैलने का खतरा है इसलिए पानी की विशेष व्यवस्था की जाय।

टांकों के निर्माण के लिए विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा टांकों और कुओं के निर्माण के बारे में अधिक से अधिक खर्च किया जाय। विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि डेजर्ट डेवलपमेन्ट बोर्ड बना, उस की कोई गतिविधि नहीं। जोधपुर से हैडक्वार्टर हटा दिया गया है। वे चारागाहों के बारे में हमारे जिले के लिए स्कीम लेकर गये लेकिन वह स्कीम खटाई में पड़ी हुई है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास उक्त स्कीम हो तो निकलवा कर व्यवस्था की जाय।

मक्का जो वहां अभी पहुंच रही है उसका 80) रु. का भाव है और मार्केट में 79) का भाव है। 80 के भाव में किसी प्रकार किसान खरीद नहीं सकते। इसलिए

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

मक्का की रेट 65 रुपया की जानी चाहिए अन्यथा उससे कोई लाभ नहीं होगा। वहां पर खराब हो गया है। खराब अनाज और गेहूं लोगों को बेचा गया है जिससे बीमारियां फैलती है और स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसलिए यह कोशिश की जानी चाहिये कि जो गेहूं खराब हो तो उसको ठीक करके बेचा जाय।

अब मैं विशेष तौर से आता हूं पंचायतों की मांगों पर। चुनाव की जो प्रणाली है उसमें आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिये।

श्री रामकिशन : आप सब में विशेष जोड़ रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आप पच्चीस मिनिट ले चुके हैं। कृपया पांच मिनिट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री वृद्धि चन्द जैन मैं कोशिश करूंगा पहले पंचायतों में सरपंच के द्वारा प्रधान को चुनने का तरीका था लेकिन अब पंच और सरपंच दोनों मिल कर प्रधान का चुनाव करते हैं।

श्री सभापति: चुनाव विभाग अलग है।

श्री वृद्धि चन्द जैन : पंचायत मंत्रीजी इसमें दिलचस्पी रखेंगे।

डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन का सवाल है। चुनाव तो बालिग मताधिकार के आधार पर ही होने चाहिए। पंच, सरपंच, प्रधान और प्रमुख इन सब का एक साथ ही बालिगमताधिकार के आधार पर चुनाव होना चाहिए। वरना इससे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैलता है। इस प्रणाली को अपनाने से भ्रष्टाचार समाप्त होगा और सही तरीके डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन की स्कीम लागू हो सकेगी। हमारे क्षेत्र में अनपढ़ लोग है, कम पढ़े लिखे लोग हैं वे आज जो आपने प्रणाली अपना रखी है उसको समझ नहीं पाते हैं और इसलिये सही आदमियों को चुन कर भेज नहीं सकते इस कारण भ्रष्टाचार फैलता है। सरपंच हिसाब वगैरा नहीं रख पाते हैं। हर वक्त अधिकार उन पर छाये रहते हैं। ईमानदारी से काम करते हैं फिर भी उनको डराते हैं, परेशान करते हैं। प्रमाण-पत्र भी सम्पूर्ण कार्य करने के उपरान्त भी कई पंचायतों में अभी तक प्राप्त नहीं हुए है। काम कम्पलीट हो गये लेकिन प्रमाण-पत्र नहीं मिले। कहीं कहीं ओवरसीयर नहीं है। कहीं ओवरसीयर है, तो वे नये हैं पुराने कार्यों का प्रमाण-पत्र नहीं देते।

इसके बारे में पहले भी मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था इस बारे में पूरी तौर से ग्राम पंचायतों को सहायता मिलनी चाहिये। और इसके बारे में पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिये, गवर्नमेण्ट पूरी तरह से स्ट्रांग डाइरेक्शन देकर के मूवमेण्ट को तौर पर इस प्रश्न को हल करें और इसकी समुचित व्यवस्था करे। पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को मजबूत किया जाना चाहिये। यह सही है कि इसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बेईमानी फैली हुई है हम इसको रोकने का उपाय नहीं कर पाये इसलिये इनको बन्द कर देना चाहिये यह मैं नहीं मानता। आज पुलिस में भ्रष्टाचार व्याप्त है, पी. डब्लू. डी. में व्याप्त है क्या हम इनको बन्द कर देंगे? नहीं तो इसी प्रकार जब हम यह चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटे तो वह पंचायत समितियों और जिला

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

परिषदों में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है उसे खत्म किया जाना चाहिये। उनको भंग करने का सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिये। आज इनके पास कोई कार्य नहीं है, वित्तीय साधन नहीं है वैसी हालत में होना तो यह चाहिये कि इनको अधिक वित्तीय साधन उपलब्ध कराये जायं इसमें जो उदासीन नीति राज्य सरकार अपना रही है वह समाप्त करनी चाहिये। यह डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन ही प्रजातन्त्र को मजबूत करेगा। इसमें जो कुछ कमजोरियां व्याप्त हो गई है उनको समाप्त किया जाना चाहिये। पंचायतों को पंचायत समितियों को जिला परिषदों को मजबूत किया जाना चाहिये इनको अधिकार अधिक दिये जायं ताकि यह सफल हो और हमारा जनतन्त्र मजबूत हो। यही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री डूंगाराम राजोरिया।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : माननीय सभापति महोदय, जिन डिमाण्ड्स पर आज बहस हो रही है उनमें सबसे पहले मैं अकाल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, अकाल हमारे राजस्थान का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है। बाईस साल के शासन के बाद भी हमारी राज्य सरकार इस अकाल के बारे में स्थायी हल के लिए कोई उपाय नही कर पायी है। न कोई ऐसी योजना है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि भविष्य में हमें अकाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज तक इसके बारे में इनके दिमाग में कोई योजना तक नहीं आई है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं मगर हम इस तरह से अकाल का मुकाबला करते रहे और अकाल भी इसी रफ्तार से आते रहे और हम भारत सरकार से इसके लिए हिस्सा लेते रहे और हमारा राजस्थान की आय का जो हिस्सा है उसको भी इसी तरह खर्च करते रहे, गलत तरीके से खर्च करते रहे तो भी हमारे पर हमेशा अकाल ही मंडराता रहेगा अगर हम इसके बाद भी कोई स्थायी हल इसका नहीं कर सके तब भी यह अकाल दूर होने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा अकाल के चपेट में जो क्षेत्र आये हैं उनको राज्य सरकार ने बहुत सहूलियतें दी है। मगर मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा क्या वे हमेशा अकाल की लपेट में आते ही रहेंगे और इसी तरह से सहायता लेते रहेंगे। मैं समझता हूं इस अकाल में वे लोग जिनके क्षेत्र में अकाल पड़ता है अपनी मवेशियों के साथ उन इलाकों में आजाते हैं जहां अकाल है। इस तरह से होता क्या है कि जिन राज्यों में या जिन क्षेत्रों में लोग जाते हैं वहां भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। वहां पर जितना भी चारा होता है उनके जानवर चर जाते हैं इस तरह से उन लोगों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इस तरह से जो खाना उनके लिये होता है वह भी वे खा जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं जहां पानी है हमारे जयपुर जिले में जानवर लेकर निकलते रहे, उसमें कई जगह आपस में लड़ाई झगड़े भी होते रहे उससे कुछ लोगों की जानें भी गई है। मैं निवेदन करता हूं इसना ...

Page No. 128



(श्री डूंगाराम राजोरिया)

करने के बाद भी हम अकाल का स्थायी हल नहीं निकाल सके फिर राज्य में सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं ?

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं जब सरकार इस बात को जानती है कि इन अकाल के क्षेत्रों में जानवरों के पालने का काम होता है। भेडें उस इलाके में इतनी तादाद में होती हैं हमारा राजस्थान ही एक ऐसा इलाका है जो सब से ज्यादा भेड़ें पालता है। इन भेडों का गलत तरीके से पालन पोषण करना और उनको खाने को नहीं देना मैं समझता हूं इसको राज्य सरकार की बेअकली के सिवाय और कुछ नहीं कह सकते। भेडों से ऊन पैदा होती है, जो हमारे लिये रुपया उपलब्ध करवाती है। भेडों के चरने के लिये चारा उपलब्ध कराना राज्य सरकार का कर्तव्य है। लेकिन होता क्या है कि अकाल के स्थानों से निकल कर भेडें दूसरी जगहों पर आती हैं इस तरह से उनको कई तरह की आबहवा लगती है और इस तरह आबहवा उनके अनुकूल नहीं पड़ने के कारण मौत के मुंह में चली जाती हैं। इस तरह से अब की बार काफी संख्या में भेडों के झुण्ड के झुण्ड समाप्त हो गये हैं। इस कारण से हमारे भेडों से जो उत्पादन होता था वह समाप्त सा हो गया, इस ओर राज्य सरकार किसी प्रकार भी ध्यान नहीं दे पायी। आज के युग में भी अगर इस तरह के मरुक्षेत्र हैं जहां पानी नहीं दे सकते, इसके लिये कोई उपाय नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं इससे अधिक अयोग्यता राज्य सरकार की और क्या हो सकती है। मैं निवेदन करता चाहता हूं इस क्षेत्र के लिये हमें पानी की व्यवस्था करनी चाहिये। हर साल हम पचास चालिस करोड का बजट रखते गये फिर भी हमें इसका कोई हल नहीं निकाल पाये इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उन बैंकों से लाखों रुपया आप किसानों को दिला रहे हैं। वहां आप इन बैंकों से करोड़ों रुपया लेकर राजस्थान नहर पर लगायें और उसको पूरी करवायें। राजस्थान नहर का जितना हिस्सा हम पूरा कर पायेंगे उतना ही जल्दी हमें उस अकाल से छुटकारा मिल सकेगा।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं अभी अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे वे कह रहे थे कि अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को अकाल राहत के नाम पर जो सहायता मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल पा रही है। यह बिछड़ा हुआ तब का है जिसके पास कोई साधन नहीं है उनको सहायता न मिलें यह राज्य सरकार की गलत नीति है। इसलिये मेरा निवेदन है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को बराबर सहायता मिले इस ओर ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ साथ मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं सरकारी व्यापार के बारे में। इस बारे में काफी वाद-विवाद हुआ है सरकार जितना व्यापार करती है, उसके बारे में प्रोग्रेस रिपोर्ट राज्य सरकार ने हमें नहीं दी। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। हमें यह तो मालूम होना चाहिये राज्य के व्यापार में कितना नफा और नुकसान है ? मैं केवल जयपुर दुग्ध योजना का ही जिक्र आपके सामने करूंगा। हर साल यह घाटे

(श्री डूंगाराम राजोरया)

में जा रही है। जब आप दूध कम रेट पर लेते हैं और ज्यादा रेट पर बेचते हैं फिर घाटा होने का क्या कारण है। मैं यह आरोप लगाता हूं कि जिन अधिकारियों के हाथ में यह काम है वे खुद गडबड घोटाले करते हैं मैं नहीं समझ पाता कि आखिर इतना नुकसान होता क्यों है। अगर सरकार अपने हाथ में किसी व्यापार को लेती है तो वहां उसको देखना चाहिये कि यह नफे में रहेगा या घाटे में। ऊन के काम में पिछले पांच सात सालों में मूल्यों में किसी प्रकार भी उतार चढाव नहीं आये हैं। फिर भी सरकार इसमें भी नुकसान उठाती है। प्राइवेट व्यापारी है वह ऊन का व्यापार करता है लेकिन वह घाटे में नहीं जाता। सरकार घाटे में क्यों जाती है। आखिर इसमें क्या बात होती है जिससे यह घाटा सरकार को भुगतना पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि अगर सरकार को घाटा होता है तो ऐसे व्यापार को अपने हाथ से छोड़ देना चाहिये। जहां सरकार ने व्यापार हाथ में लिये हैं वहां उसने अपने आपको मुसीबतों में डाल दिया है।

जो प्रोफिट होता है वह भी अधिकारी खा जाते हैं और जमा पूंजी भी खा जाते हैं और यह नुकसान सरकार गरीब जनता से टैक्सों के रूप में वसूल करके पूरा करती है। ऊन के व्यापार में काफी नुकसान सरकार को रहा है। आप इसको पूरा नहीं कर सकते। इसलिये अगर आप व्यवस्था ठीक तरह से नहीं कर सकते और जो भ्रष्टाचारी अधिकारी इसको चलाने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करके दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते तो फिर आपको यह व्यापार नहीं करना चाहिये।

यह बीकानेर ऊन की योजना जो हाथ में ली है यह भी सफल होने वाली दीखती नहीं है। योजना बढ़िया है उस इलाके की ऊन बारीक होती है। अगर ईमानदारी से और लगन से यह काम किया जावे तो काफी लाभ हो सकता है। तो यह ईमानदारी से अधिकारियों के देखने की बात है। यह मैं कहना चाहता था।

पंचायत राज के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। आप सामुदायिक विकास के जरिये से काफी रुपया खर्च करते हैं और कई योजनाएं भी हाथ में ली हैं। पर न वहां के गरीब ग्रामीणों की इन पंचायतों ने आवास समस्या हल की है न पीने के पानी की समस्या हल की है न रोजगार दिलाने की दिशा में ही कुछ किया है। तो आज लोग गांवों से निकलकर शहरों में आते हैं। तो इन ग्राम पंचायतों से और पंचायत समितियों से जितने काम होते हैं वे सारे बेकार गये। इससे पिछड़े तबके को भी कोई लाभ नहीं हुआ। मैं तो ऐसी हालत में यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन पंचायत समितियों को खतम कर दें। आज तो इनके पास केवल प्रधान और बी. डी. ओ. द्वारा जीपें तोड़ने के और काम नहीं रह गया है। आज आपका अधिकांश रुपया तो प्रशासन तन्त्र में ही समाप्त हो जाता है। तो ये दो तीन बातें मैं निवेदन करना चाहता था। सरकार इन पर ध्यान दें।

श्री सभापति : श्री किशनलाल वर्मा।

श्री किशनलाल वर्मा : सभापति महोदय, पंचायती राज को जिस उद्देश्य से स्थापना की गई थी वह सफल नहीं हो पाया है। न्याय पंचायतों से भी गांवों में सही न्याय नहीं मिल पाया। पंचायतों के जरिये जो विकास के काम होने चाहिये थे गांवों में वे भी नहीं हो पाये। न्याय पंचायतों तक के फैसले अधिकतर पार्टी बाजी के आधार पर होते हैं। विकास के नाम पर सरकारी पैसे को पानी की तरह बहाया जाता है इससे पूरी तरह से विकास नहीं हो पा रहा है। जितना पैसा खर्च होता है वह पूरा काम पर नहीं लग रहा है। आधे से ज्यादा पैसा बेकार जाता है। कई जगह प्रधान लोग और कई जगह सरपंच कमीशन खा जाते हैं ठेकेदारों से या उस एजेन्सी से जिनके द्वारा विकास के काम कराये जाते हैं। इस प्रकार बहुत भारी पैसे का दुरुपयोग होता है।

इसके अलावा कई जगह सरपंच लोग विकास के नाम पर हजारों की तादाद में पैसा ले लेते हैं और कई वर्षों तक उसे अपने पास रखते हैं। अपने घर काम में उसे ले लेते हैं बोरगत करते हैं घर मकान बनाते हैं और उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखते हैं। हजारों रुपयों की धनराशि कई सरपंचों के पास वर्षों तक रहती है और इस प्रकार कितना उसका दुरुपयोग होता है वह एक चीज सामने है। मैंने यह भी देखा है कि कई जगह बिना जरूरत के विकास के काम कहकर काम खोल दिये जाते हैं और उसमें पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। इससे जनता को कोई लाभ नहीं होता। न उस काम की आवश्यकता ही होती है। जैसे सिकराय पंचायत समिति में सरपंच ने और प्रधानजी ने अपना कमीशन पकाने के लिये पंचायत समिति के दफ्तर के सामने एक बहुत बड़ा चबूतरा बनवा दिया। आठ दस हजार उसमें खर्च करा दिया। उसके बनाने से काफी जगह और रुकी जिससे पंचायत समिति के दालान की शोभा भी खत्म हो गई। इसी प्रकार पेड़ लगाने का थामला का ठेका कई बार दे दिया। 65) 65) का ठेका दिया जाता है जब कि उसमें मुश्किल से दस बीस रुपया खर्च किया जाता है बाकी का पैसा आपस में बांटकर खा जाते हैं। फिर साल छः महीने में वे थामले खतम हो जाते हैं तो फिर दुबारा ठेका दिया जाता है इस तरह से जनता का पैसा हड़पा जाता है और उसका दुरुपयोग किया जाता है। इन बातों को कोई नहीं देखता। इस प्रकार से जो विकास के काम होते हैं वे भी पार्टीबाजी के आधार पर होते हैं। इस तरह से विकास का काम सही रूप से नहीं होता है। कहीं कहीं तो अनावश्यक काम करा दिये जाते हैं और कहीं कहीं निहायत आवश्यक होते हुए भी नहीं किये जाते। इस तरह से पार्टीबाजी के आधार पर काम होने से क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता पूरी तरह से।

इसका दूसरा कारण यह भी है कि बहुत से सरपंच प्रधान के खिलाफ गड़बड़ करते हैं। पैसा खा जाते हैं घोटाले करते हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही होने में भी बहुत वक्त लग जाता है। फिर टाइम लग जाता है और कार्यवाही नहीं हो पाती। फिर दूसरी बार चुने जाते हैं। इससे भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसलिये पंच हो सरपंच हो प्रधान हो कोई भी हो अगर गड़बड़ी करते हैं और उनकी गड़बड़ियां सामने आती हैं तो प्रशासन को उन मामलों में तुरन्त कार्यवाही करके तुरन्त फैसला करना

(श्री किशनलाल वर्मा)

चाहिये। तो इससे मैं समझता हूं दूसरों को सबक मिल सकता है और अधिक गडबडी होने से रुक सकती है।

पंचायतों में पंचायत समितियों में जो आज बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है गडबडियां हो रही हैं इससे लोगों में पंचायती राज के प्रति विश्वास उठता जा रहा है।

ये चुनाव समय पर भी नहीं कराये जाते। पहले भी अवधि बढ़ाकर किया गया। इस बार भी चुनाव कराने की बात थी। पर वह भी टल गई। फिर दो वर्ष की अवधि बढ़ा दी गई। इस वर्ष चुनाव कराना निश्चित था। पर सरकार ने अकाल का बहाना बना लिया। सरकार और जनता दोनों ने पूरी पूरी तैयारी कर ली। लाखों रुपया खर्च कर दिया। पर ऐन टाइम पर चुनावों को स्थगित कर देना ठीक नहीं था। इससे जनता में निराशा फैली है। चुनाव समय पर होना चाहिए इससे ठीक रहता है। कई जगह अकाल की स्थिति आपने बताई तो उनके लिए चुनाव नहीं कराये जाते। बाकी जगह तो चुनाव कराने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। वहां कराये जा सकते थे। लेकिन चुनाव नहीं कराये गये, यह ठीक नहीं है, अब भी मेरा निवेदन है पंचायत समितियों के चुनाव जल्दी से जल्दी कराये जायं, ज्यादा टाइम नहीं बढ़ाया जाय। चुनाव पहले भी कराये जा सकते थे और अब भी चुनाव कराये जा सकते हैं। जहां अकाल की समस्या नहीं है वहां चुनाव पहले कराये जायं। चुनाव में प्रधान का जो तरीका है उसको बदलना चाहिए, क्योंकि यह तरीका इस प्रकार का है जिसमें काफी भ्रष्टाचार बढता है। सही तरीके से जो पंचायत राज का मकसद है वह पूरा नहीं होता है इसलिए प्रधान के चुनाव का तरीका निश्चित रूप से बदलना चाहिए। विकास के नाम पर और सामुदायिक विकास के नाम पर जयपुर जिले में, पूर्वी राजस्थान में इसके लिए पैसा बहुत खर्च किया जाता है लेकिन विकास नहीं हो रहा है। अनुसूचित जाति के लिए जो विकास खण्ड खोले गये हैं वे करीब करीब उदयपुर में ही खोले गये हैं लेकिन यहां एक भी खण्ड नहीं खोला गया है, जो भी खण्ड खोले गये हैं वे उधर ही खोले गये हैं। यहां की जनता के प्रति, यहां के शिड्यूल कास्ट के लोगों के प्रति, यहां के किसान के प्रति, यहां के विधायक के प्रति हमारी सरकार का रुख ठीक नहीं है। इधर के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार है जिसकी वजह से इस जिले की उपेक्षा होती है। यहां के लोगों को जो हक और अधिकार मिलने चाहिए वहीं नहीं मिल पाते हैं।

पंचायत समितियों में काफी भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। कई जगह विकास का काम भी होता जा रहा है लेकिन भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ रहा है। पहले गांव में भ्रष्टाचार नहीं था लेकिन इन पंचायतों की वजह से भ्रष्टाचार पंचों और सरपंचों में समावेश कर गया है। पंचायत समितियों में जो सामान खरीदा जाता है उसमें काफी घोटाला होता है। उसमें फर्जी बिल बनाये जाते हैं, कमीशन बनाने के लिए किस किस प्रकार की कार्यवाही होती है उसको कोई देखने वाला नहीं है। चाहे जिस भाव से सामान खरीद लेते हैं, मनमाने तरीके से सामान खरीदते हैं। इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इस प्रकार पैसा नहीं खा सके और जनता के पैसों का दुरुपयोग न हो। इसके अलावा प्रधान और सरपंच भी

(श्री किशनलाल वर्मा)

ऐसे देखे गये हैं जो सरकार की ओर से शिड्यूल कास्ट को अनुदान मिलता है उसमें हिस्सा लेते हैं। कई जगह आधा हिस्सा लेते हैं, कई जगह तीन बटा चार हिस्सा लेते हैं और कई जगह वन फोर्थ हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं। पंचायत समिति सिकराय में लोगों ने बताया कि हमें पूरे पैसे नहीं मिले हैं। प्रधान जी ने और सरपंच ने इतने ही दिये हैं। इस प्रकार जो अनुदान का पैसा होता है, वह पूरा नहीं मिलता है।

इसी प्रकार जो तकाबी दी जाती है उसमें भी पूरा पैसा नहीं दिया जाता है। हमारे यहां जो चैक दिया जाता है वह पम्पिंग सेट खरीदने के लिये दिया जाता है, उसमें प्रधान जी और सरपंच 500रु० 1000 रु. बडी आसानी से खा जाते हैं। इस प्रकार का धन्धा खोल रखा है। पंचायत राज के लिए बहुत बड़े अफसोस की बात है। गरीब लोगों का शोषण किया जाता है। ऊपर बैठने वाले लोगों ने इस प्रकार का रवैया बना रखा है। भ्रष्टाचार दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। प्रधान अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, इस प्रकार की कई कार्यवाहियां सरकार के सामने आती हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता है। मैंने अभी देखा है। प्रधान कई जगह बी. डी. ओ. को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं जिससे वह मनमाने तरीके से खूब पैसे खा सकें और खूब घोटाले कर सकें। यदि मान लो विकास अधिकारी उनके साथ नहीं रहता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। अभी सिकराय के प्रधान ने वहां के बी० डी. ओ. पर 50 रु. जुर्माना कर दिया इस प्रकार की कार्यवाही होती है। सरकार ऐसे प्रधानों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती है। इस प्रकार के जो प्रधान हैं और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं उनके खिलाफ सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये, अगर सरकार कार्यवाही करे तो आगे उनकी इस प्रकार की हिम्मत न हो। आपके सरकारी अफसरों की खुले आम बेइज्जती होती है। उसके लिये कोई रुकावट होनी चाहिये ताकि उनको इस प्रकार का प्रोत्साहन न मिले।

इसके अलावा पंचायत समितियों में धांधली भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है–अभी मैं बताऊं तहसील सिकराय में गुमानपुरा मिडिल स्कूल खोलने के लिये पंचायत समिति सिकराय ने सुझाव दिया और राज्य सरकार ने मिडिल स्कूल खोल दिया लेकिन बीच में पंचायत समिति एक दूसरा निर्णय लेती है और पंचायत समिति के वहां के प्रधान दूसरा निर्णय लेते हैं पार्टी बाजी के आधार पर वे मिडिल स्कूल वहां नहीं चलाना चाहते हैं। वह इसलिए कि वहां का सरपंच हमारी पार्टी में आकर शामिल हो जाय तो चला सकते हैं। इस प्रकार की जो गडबडी और अव्यवस्था चलती है उसमें सरकार को देखना बहुत आवश्यक है।

पंचायत समितियों में जो जीपें हैं उनका दुरुपयोग बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जीपें अधिकतर प्रधान जी के व्यक्तिगत काम में आती हैं। कई जगह मुकद्दमों में पैरवी करने जाते हैं तो काम में आती हैं, अपने काम के अलावा अपने रिश्तेदारों के काम में भी आती हैं। पंचायत समिति के एरिया के बाहर

(श्री किशनलाल वर्मा)

जाते हैं, दूसरे जिले में भी जाते हैं तो जीप को ले जाते हैं। सरकार का पैसा होता है, सरकार का पेट्रोल होता है और काम उनका होता है। इस प्रकार की शिकायतें भी की जाती हैं लेकिन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ड्राइवरों की भी शिकायत की जाती है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। ट्रान्सफर भी सरकार कर नहीं सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था ठीक की जानी चाहिये। कोई व्यक्ति गड़बड करे तो उसके खिलाफ कार्यवाही होना आवश्यक है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इधर अध्यापकों के साथ कई जगह बड़ी ज्यादती होती है। पंचायत समितियों के जरिये उनके ट्रान्सफर में बड़ी दिक्कत आती है कई बार पंचायत समिति उनको लेती नहीं और कई बार पंचायत समिति उनको रिलीव नहीं करती। इसमें सरकारी अधिकारियों की बेइज्जती होती है। जो मनमाना तरीका अपना रखा है उसको ठीक करना आवश्यक है।

मैं समझता हूं कई जगह पंचायत समितियों में सहकारी समितियों का काम है उसमें भी बडा घोटाला है। सहकारी समितियों में कई फर्जी सोसायटियां बनी हुई हैं। हजारों रुपयों का गबन है। हमारे यहां सिकन्दरा में जो सहकारी समिति है उसमें हजारों रुपयों का गबन है। उसमें जांच करने के लिये कहा गया, सरकारी अधिकारी अपना टी. ए. डी. ए. बनाकर आ जाते हैं कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गई। इस प्रकार व्यवस्था खराब होती जा रही है। पंचायतों की व्यवस्था ठीक होने के लिए सरकार को ध्यान देना आवश्यक है।

मैं समझता हूं कि पंचायती राज की सफलता के लिए जो उनको पावर्स हैं वे भी बढाये जाने चाहिए। पावर्स दिन प्रति दिन पंचायत और पंचायत समितियों में कम होती जा रही हैं और पावर्स कम होने से उनकी दिलचस्पी नहीं रहती और वह काम नहीं होता है और वह उत्साह और प्रेरणा नहीं मिलती है आगे बढ़ने के लिए और तरक्की करने के लिए और साथ ही विकास के कामों के लिए जो पैसा है वह बहुत कम दिया जाता है उससे पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है। इसलिए जो सामुदायिक विकास के लिए पैसा दिया जाता है वह ज्यादा दिया जाये तभी जाकर विकास के कुछ काम हो सकते हैं।

इसके साथ ही भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार को ठोस कार्यवाही करने की आवश्यकता है तभी जाकर पंचायती राज की सफलता हो सकती है जिससे जो उसका उद्देश्य है, वह भी पूर्ण होगा।

न्याय दिलाने के लिए जैसी व्यवस्था न्याय पंचायतों में है ग्राम पंचायतों में है उसको भी थोडा देखने की आवश्यकता है कि जो भी वह फैसला करें उसकी रिपोर्ट या तो सरकार के पास जाये या सरकार का कोई भी अधिकारी उसको देखे तो उनको डर रहे कि जिससे वह पार्टीबाजी के आधार पर या गलत तरीके से कोई फैसला नहीं करें। इस प्रकार की बात होना आवश्यक है जिससे जनता को न्याय सही मिल सके और सस्ता भी मिल सके।

(श्री किशनलाल वर्मा)

जिला परिषद् और पंचायत समितियों को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है ताकि पंचायती राज सफल हो सके।

इसके साथ ही मैं थोड़ा अकाल के तहत जो कार्य कराये गये हैं उनके संबंध में भी निवेदन करूंगा कि जयपुर जिले में अकाल राहत कार्यों के तहत जो काम कराये गये हैं उनमें बहुत से अधूरे पड़े हुए हैं और उनको पूरा कराने के लिए कई बार आश्वासन भी दे दिया गया लेकिन वे अभी तक अधूरे पड़े हैं और उन पर काम शुरू नहीं हुआ है। जैसे कालवा गोजगढ़ नहर है उसकी खुदवाई की गयी थी उसको यदि पूरा नहीं कराया जाता है तो जितना पैसा लगाया है वह बेकार जायेगा और उसका उपयोग नहीं होगा। इसलिए उसकी पूरी खुदवाई की जाकर उस काम को पूरा कराया जाय। इसी प्रकार से सड़कों के काम हो गये हैं और थोड़े रह गये हैं। वह अधूरे पड़े हैं जैसे तहसील दौसा में दौसा से लालसोट रोड जो बनियाना होती हुई लवाण और तुंगा जाती है उसमें कई टुकड़े कच्चे पड़े हुए हैं और वह बिना बने हुए पड़े हैं उनको पूरा कराने के लिए कुछ काम भी हुए लेकिन उसको बन्द कर दिया गया और वह सड़क पूरी नहीं हुई। इसी प्रकार इसी दौसा लालसोट रोड में जो कच्चा रास्ता आलूदा पापड़दा होता हुआ खवा जाता है इस सड़क पर थोड़ा पैसा लगाया जाये तो यह काम भी पूरा हो सकता है।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पश्चिमी राजस्थान में जहां करोड़ों रुपये खर्च करके अकाल राहत के कार्य हुए हैं उसी प्रकार थोड़ा सा पैसा यहां भी खर्च कर दिया जाये तो जो अधूरे काम पड़े हुए हैं वे पूरे हो सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सरकारी योजनाओं में जो पूंजी की लागत आ रही है उसके लिए मेरा निवेदन है कि जो योजनायें सफल योजनायें हैं जिनमें घाटे की समस्या पैदा नहीं हों वही योजनायें चालू रखनी चाहिए और जिन योजनाओं में सरकार को घाटा होता है उन योजनाओं को जल्दी बन्द कर देना चाहिए या उनका कोई और उपाय किया जाना चाहिए। कई जगह इस प्रकार की योजनायें हैं कि जिनके लिए टैक्नीकल अधिकारी चाहिए और वहां नान-टैक्नीकल अधिकारी हैं और उसकी वजह से योजनायें सफल नहीं होती और उनसे लाभ नहीं होता इसलिए मेरा सुझाव है कि योजनाओं को सफल बनाने के लिए इसी प्रकार के अधिकारी रखे जायें ताकि जितना पैसा लगे उसका लाभ मिले और वे योजनायें पूर्ण रूप से सफल हों।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इंदलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा सु.) : माननीय सभापति जी, आज अकाल के बारे में भी मेरा कटौती का प्रस्ताव है। माननीय सभापति जी, अकाल हमारे देश में सदियों से पड़ रहा है। जब हमारा देश गुलाम था उस समय हम सोचते थे कि कभी हमारी सरकार आयेगी, कभी हमारा देश आजाद होगा, कभी हमारे को अकाल से छुटकारा मिलेगा परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है सभापति जी कि आज भी 22 साल की आजादी के बाद अकाल ज्यों का त्यों है। हमारे देश में

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

और हमारे प्रान्त में वैसे का वैसा ही कायम है। अगर सरकार अकाल को समाप्त करना चाहती तो 22 साल की लम्बी आजादी में राजस्थान केनाल जैसे निर्माण कार्य को आज तक पूरा करा दिया जाता तो इस प्रान्त में अकाल का नामोनिशान नहीं रहता। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकार अकाल को समाप्त करना नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि इस देश में बेरोजगारी बढ़े लोग भूखों मरें, लोग गुलाम रहें इस सरकार के। अगर सरकार की ईमानदारी होती तो सबसे पहले इस राजस्थान केनाल के कार्य को पूरा करती, छोटी सिंचाई के कार्यों को करती तो यहां का किसान दूसरे देशों को भी अन्न दे सकता था लेकिन सरकार की जो नीति है यह देश के लिये और यहां की जनता के लिए बड़ी घातक है। सभापति जी आप जानते हैं जब देश के सामने अन्न का संकट है तो हर देश के नागरिक का दिमाग अन्न की तरफ लगा हुआ है। आप जानते हैं महाराजा गंगासिंह गंगानगर जिले में छोटी गंग केनाल लाये। आप यह भी जानते हैं कि जब देश की आजादी खतरे में हुई नेफा लद्दाख में युद्ध शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री श्री जवाहर नेहरू ने देश के नागरिकों के सामने एक अपील निकाली कि देश की आजादी खतरे में है, देश को सोना चाहिए और सोने के द्वारा हम हथियार खरीद सकते हैं। तब गंग केनाल के रहने वाले काश्तकारों ने देश की आजादी की रक्षा के लिए पंडित जवाहर-लाल नेहरू की अपील पर ही उनको सोने से तोल दिया। वह करामात है गंग केनाल के पानी की जो वहां के काश्तकार हैं उनकी माली हालत अच्छी है इसलिए उन्होंने यह काम किया। उसके बाद सभापति जी देश की आजादी दुबारा खतरे में आई और उस समय के प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर जी शास्त्री ने भी अपील निकाली तो वहां के काश्तकारों ने देश के प्रधान मंत्रियों को दो तीन बार सोने से तोल दिया लेकिन राजस्थान के दूसरे जिलों में रहने वाले बाड़मेर और जैसलमेर और सीमा के जितने भी किसान हैं वह भी कोई कमजोर किसान नहीं हैं लेकिन राजस्थान सरकार की जो नीति है वह इस अकाल को समाप्त करने की नीति नहीं है। इस अकाल को देश में ही रखने की नीति है। अगर राज्य सरकार की नीति साफ होती तो सबसे पहला काम हमारे देश के लिए राज-स्थान केनाल का काम होता और सभापतिजी छोटे छोटे कुओं से सिंचाई करके लोग अन्न उपजाने की चेष्टा करते हैं और उनके लिए भी कुए बनाने के लिए राज्य सरकार की किसी प्रकार की नीति नहीं है। जो छोटे किसान अपने कुओं के जरिये अन्न उपजा सकें उसके लिए भी कोई नीति नहीं है। सभापति जी, आज हमारा देश अन्न के लिए भिखमंगा है यहां का कोई भी बड़ा आदमी चाहे वह प्रधान मंत्री हो या दूसरा हो दूसरे लोगों के सामने दलिया मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए 22 साल की आजादी में इस देश को नहीं छुड़ा सका। यहां के काश्तकारों को बढ़ावा नहीं दे सके, ऐसी सरकार को और क्या लानत दे सकते हैं। अगर यहां की सरकार अच्छी होती तो दूसरे देशों को अन्न दे सकते थे यहां के काश्तकार लेकिन इस सरकार ने हमें भिखमंगा बना दिया है। सभापति जी, अगर सरकार की इस अकाल को खतम करने के लिए नीति साफ होती तो गांवों में ज्यादा से ज्यादा बिजली पहुंचानी

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

चाहिए थी. उस बिजली के द्वारा लाखों की तादाद में कुए खुदे हुए हैं लेकिन बिजली नहीं मिलने के कारण आज वहां का काश्तकार काश्त नहीं कर सकता। सरकार बिजली ऐसे लोगों को देती है टाटा, बिड़ला और डालमिया जैसे लोगों को जो कि राज्य के एजेन्टों के रूप में काम कर रहे हैं। सभापति जी, अगर सरकार काश्तकारों की होती तो छोटे छोटे काश्तकारों को कुओं में बिजली लगाने के लिए सिंचाई की योजनाओं को कामयाब करती लेकिन सरकार की नीति बड़ी अजीब नीति है।

सभापतिजी, बीकानेर जिले में कुछ ऐसे हिस्से हैं नोखा तहसील में मेनसर, बीकानेर शहर का पूर्वी हिस्सा ऐसा है जहां लोगों ने खेती के लिए कुए खोदे हैं। नोखा तहसील में मेनसर इलाके में 7 ऐसे गांव हैं जहां पर 90 कुए ऐसे हैं जिनको काश्तकारों ने अपनी स्वयं की जेब से पैसा लगा कर खोदे हैं लेकिन राज्य सरकार की नीति समझ में नहीं आती है कि प्रत्येक साल हम बजट पास करते हैं लेकिन काश्तकारों को बिजली नहीं देते हैं। बिजली सरकार उनको देती है तो बड़े बड़े पूंजीपति, राजा-महाराजा और बड़े-बड़े उद्योगपति हैं। काश्तकारों को बिजली देने में सरकार का हमेशा से पक्षपात रहा है। यह मेरा सरकार पर चार्ज है।

श्री सभापति : आज बिजली की मांग नहीं है और आप चार्ज लगा रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आज मांग है अकाल को हमेशा के लिए खत्म करने की और अकाल किस तरह से खत्म हो सकता है? अकाल को इस देश से निकाल सकते हैं अगर काश्तकारों को कुओं में बिजली मिल जाय। इससे वे ज्यादा से ज्यादा नाज उपजा सकते हैं और दूसरों को अन्न दे सकते हैं। अगर अकाल को खत्म करना है और लोगों की माली हालत को बनाना है तो जिन गांवों में राजस्थान कैनाल नहीं पहुंचती है वहां के काश्तकारों को कुओं के लिये लोन दें, वहां के काश्तकारों को खेती के लिए बिजली दी जाय, ताकि हम भयंकर स्थिति से पार निकल सकें और खाने के लिए इस देश में अन्न उपजा सकें। सभापति जी, आज हमारे यहां अन्न की बहुत दिक्कत है इसलिए मैं चाहूंगा कि काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा बिजली देना चाहिए ताकि हम अकाल को खत्म कर सकें।

सभापतिजी, मैं चाहूंगा कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर के इलाके में ट्यूबवैल खुदवाये जाने चाहिए, ताकि ट्यूबवैल के जरिये लोगों को पीने का पानी मिल सके। अधिक मात्रा में ट्यूबवैल होंगे तो ट्यूबवैल के जरिये खेती भी की जा सकती है. ट्यूबवैल के जरिये घास पैदा किया जा सकेगा ताकि वहां पशुधन है उसके खाने के लिए घास हो सकेगा और मनुष्यों के खाने के लिए नाज भी ज्यादे से ज्यादा हो सके। परन्तु राजस्थान सरकार राजस्थान कैनाल के बारे में [illegible] ट्यूबवैल के बारे में आज तक पक्षपात [illegible] रही है. और बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जो पाकिस्तान से लगने वाली पश्चिमी राजस्थान की सीमा है उसके बारे में आज तक सरकार सौतेला व्यवहार करती रही है।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन).

(6.51 सायं)

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

मैं चाहूंगा, उपाध्यक्षजी, कि हमारे सीमावर्ती इलाके के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए और उन इलाकों में जल्दी से जल्दी राजस्थान कैनाल और ट्यूबवेल के जरिये अधिक से अधिक पानी का इन्तजाम किया जाना चाहिए ताकि वहां के काश्तकार कुओं और कैनाल के जरिये खेती कर सकें।

इसी तरह से उपाध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि जो लूणकरणसर की लिफ्ट स्कीम है वह बीकानेर तक राजस्थान सरकार ने मन्जूर की है, लेकिन मैं चाहूंगा कि उस स्कीम को बीकानेर से लेकर नोखा और नागौर तक जल्दी से जल्दी पहुँचाई जाय ताकि बीकानेर का पूरा जिला और नागौर का जिला ये जिले ऐसे हैं जिनमें पानी की भयंकर समस्या है वह हल हो सके। अगर छोटी नहर वहां पर ले जाई जा सके तो काश्तकार भी काम कर सकेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस स्कीम को बीकानेर से नोखा और नागौर तक लिफ्ट इरिगेशन को बढ़ाने की मन्जूरी दी जानी चाहिए।

सभापतिजी, पिछले साल फेमिन के द्वारा

एक माननीय सदस्य : सभापति कैसे कह रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल सड़कें जो अकाल में बनी हैं और जो अधूरी सड़कें हैं और जो कि महत्वपूर्ण है एक तहसील से दूसरी तहसील को जोड़ने वाली हैं मिलाने वाली हैं और जो एक जिले से दूसरे जिलों को जोड़ने वाली हैं। उन महत्वपूर्ण सड़कों को कम्पलीट कराया जा सके ताकि वे काम में आ सकें, और लोगों को मजदूरी मिल सके।

उपाध्यक्षजी, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो नोखा की तहसील को कोलायत से जोड़ने वाली हैं वह आज तक अधूरी पड़ी हैं। उस सड़क को डामर की करा दिया जाय फेमीन के अन्दर और उस पर दुबारा कान्क्रीट डाल कर रोड को तैयार किया जा सके तो वह कोलायत को नोखा से और नागोर को जोड सकती है। इसलिए, उपाध्यक्षजी, जो डूंगरगढ और नोखा दोनों तहसीलों को जोड़ने की महत्वपूर्ण सडक है। वह सड़क नोखा से कुबेर, बावना होती हुई डूगरगढ को जोडने वाली है। अगर उसको पूरा कर दिया जाय तो नोखा से डूंगरगढ तहसील जुड़ सकती है।

यह जो एक सड़क है जसरासर से सूरसर को जोडने वाली रोड है और सूरसर से आगे उसको नेशनल हाई वे में जोडा जा सकता है। राज्य सरकार यदि इसको फेमिन के अन्दर तैयार करा ले तो गंगानगर नजदीक हो सकता है और गंगानगर को सीधा नागौर से जोडा जा सकता है और नोखा से जोडा जा सकता है।

इसी तरह से, उपाध्यक्षजी, बीकानेर जिले में इस साल भी भयंकर अकाल की स्थिति है और राज्य सरकार की जो पॉलिसी है साढे बारह रुपये कम्पेन्सेशन की वह साढे बारह रुपये बिल्कुल कम मात्रा में हैं, और दरअसल में देखा जाय तो गरीब लोगों को आज तक किसी गांव में नहीं मिला है, क्योंकि गरीब लोग गांव छोडकर बाहर चले गये और जब बाहर में लोगों को

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

पता लगा कि राज्य सरकार ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है, लोग वापस आये क्योंकि राजस्थान कैनाल में काम पर नहीं लगाये गये तो वापस गांवों में आये तो उनको यह रुपया नहीं मिला, क्योंकि गांव के पटवारी ने लिख दिया कि घर बन्द है। इस तरह से गांव में रहने वाले जो हरिजन किसान और गरीब तबका है उन लोगों को यह सब्सिडी नहीं मिल सकी है। वे शख्स गांव के तहसीलदार और एस. डी. एम. के पास जाते हैं लेकिन वह सब्सिडो जो दो महीने की औरों को दी है वह उनको नहीं मिल सकी है। इस तरह की मांग वहां के लोगों ने राज्य सरकार को भेजी है और जिला परिषद् ने यह प्रस्ताव भी भेजा है, लेकिन आज तक उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए राजस्थान सरकार की जो इस तरह की नीति है उस नीति को बदल कर राज्य सरकार को जिलाधीश को आदेश देना चाहिए कि जिन हरिजनों को आज तक सहायता नहीं दी गई है उनको दो महीने की बकाया सहायता दी जाय, और आयन्दा के लिए उनको एक कार्ड बनाकर दिया जाय ताकि नियमानुसार उनको सहायता दी जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सहायता जो दी जा रही है इसकी मात्रा बहुत कम है। इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार की इस सहायता की मात्रा साढ़े बारह से 25 रुपये मासिक कर दी जाय, तो मेरे खयाल से यह अच्छा हो, नहीं तो, साढ़े बारह रुपये में उपाध्यक्षजी, यहां के जो बड़े रईस लोग हैं उनका तो साढ़े बारह रुपये में एक कप चाय ही नहीं आ सकेगा, लेकिन वहां के काश्तकारों के लिए साढ़े बारह रुपये मासिक की सहायता बहुत कम है इसलिए आपने यह जो सहायता रखी है उसको बराबर बढ़ा दिया जाना चाहिए।

इस तरह से, उपाध्यक्षजी, अकाल के वक्त में वहां काश्तकारों के खाने के लिए जो नाज दिया जा रहा है उसकी मात्रा बिल्कुल कम है। उनको 12-13 किलो मासिक दिया जाता है। तो आप जानते हैं, उपाध्यक्षजी, कि वहां के काश्तकारों के लिए तो 12 किलो नाज से 12 दिन निकल जायं आराम से तो बाकी के दिनों में वे क्या खायें। इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार उनकी मात्रा को 25 किलो कर दे ताकि वे लोग अपना पेट तो पूरा भर सकें।

राजस्थान कैनाल के काम में भी जो नाज की मात्रा आप दे रहे हैं वह बिल्कुल ही कम है, क्योंकि काम करने वाले मजदूरों को रोटी तो पेट में पूरी चाहिए पेट भर कर, लेकिन उन लोगों को खाने के लिए जो नाज दे रहे हैं उसकी मात्रा बहुत कम है। उसको भी .0 किलो कर देना चाहिए।

मैं आपके द्वारा पंचायतों के बारे में भी थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष जी, ग्राम पंचायत की जो हमारी राज्य सरकार की नीति है और जो उनकी दशा है वह बहुत ही अजीब हालत है। आपस में पार्टीबाजी राज्य सरकार की दखलन्दाजी के कारण हो रही है। जिला परिषद् को एक पोस्ट आफिस बना रखा है। साधारण डाकिये की तरह वह काम करे। न तो वहां पर कुछ काम होता है और न ही सरकार की नीति है कि जिला परिषद् को मजबूत करे। मैं चाहूंगा कि पंचायत समितियों और

# Page No. 139



(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)
ग्राम पंचायतों को आप अगर महात्मा गांधी को याद रखते हैं और आप अपने आपको उनकी औलाद मानते हैं · · · ·

एक माननीय सदस्य : औलाद !

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : गांधीजी के चेले हैं तो आपको चाहिए कि ग्राम पंचायतों को मजबूत करें, पंचायत समिति को मजबूत करें और जिला परिषद् को मजबूत करें। मैं चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में मिडिल स्कूल तक जिला परिषद् को मिलने चाहिए और काफी जो अधिकार हैं कलेक्टर के वे जिला परिषद् को मिलने चाहिए और कलेक्टर जिला परिषद् का सेक्रेटरी रहना चाहिए और तहसीलदार पंचायत समिति का सेक्रेटरी रहना चाहिए और पटवारी ग्राम पंचायतों का सेक्रेटरी रहना चाहिए, लेकिन आपकी जो नीति है वह बड़ी अजीब नीति है। ग्राम पंचायतों के सैक्रेटरो के अलावा पटवारी अलग, तहसीलदार अलग और विकास अधिकारी अलग। आपने भांति भांति के गुर बना रखे हैं। इससे क्या होता है कि पैसे का दुरुपयोग ज्यादा होता है और काम कम होता है। आपके विभाग का काम आपके नीचे एक डाइरेक्टर अकेला कर सकता है तो जिला परिषद् का काम कलेक्टर क्यों नहीं कर सकता है ? लेकिन आपने डिप्टी बी. डी. ओ. अलग रख दिया, तहसीलदार अलग रख लिया, पटवारी अलग रख दिया। मैं चाहूंगा कि इस तरह की आपकी जो पॉलिसी है इसको मजबूती के साथ बदल कर ग्राम पंचायत को आप मजबूत कीजिये। जब ग्राम पंचायत को मजबूत करेंगे तो देश भी मजबूत होगा और प्रान्त भी मजबूत होगा। इसके विपरीत यदि आप ग्राम पंचायत को तबाह करेंगे, पंचायत समिति को इज्जत नहीं देंगे और जिला परिषद् को पॉवर नहीं देंगे तो यह पंचायती राज कमजोर होगा और देश की माली हालत में भी सुधार नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि पंचायतों से जो निर्माण कार्य कराये जायं उनके लिए आप पूरी धनराशि दीजिये ताकि वह काम पूरे कर सकें। जो ग्राम पंचायत के जरिये कुए बनाये गये थे, वह आज बीस वर्ष के बाद भी अधूरे पड़े हुए हैं। आपने एक कुए के लिए दो हजार दे दिये जिसके कारण कुए अधूरे पड़े हुए हैं और दो हजार रुपये बेकार गये हैं, छः हजार रुपये दे दिये तो कुए बने नहीं। इस प्रकार जो निर्माण कार्यों में पंचायतों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, इस नीति को चेंज करके जो अधूरे कार्य आज हैं उनको आप पूरा करायें ताकि जो गांवों में रहने वाले लोग हैं उनकी पीने के पानी की समस्या हल हो सके। आज स्थिति यह है कि गांव के लोगों को गांव से काफी दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है और इस प्रकार वह अपनी प्यास मिटाते है। मैं चाहूंगा कि गांवों में जो कुए अधूरे पड़े हैं उनको आप पूरा करायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाषण को अधिक लम्बा न करके केवल इतना चाहूंगा कि राजस्थान से हमेशा के लिए अकाल को खत्म करने के लिए आप राजस्थान कैनाल को जल्दी से जल्दी पूरा करें, साथ ही ट्यूब वैल्स के द्वारा भी सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जायं और जो गांवों में कुए हैं, जिनके पास किसानों के खेत हैं उनको

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

बिजली दी जाय ताकि किसान अधिक अन्न उत्पादन कर सके और जिससे देश का कल्याण हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओम दत्त भाटी।

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा विचार आज अकाल राहत कार्यों के सम्बन्ध में प्रकट करना चाहता हूं। गत दो वर्ष से जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर इत्यादि जिलों में अकाल पड रहा है। गत वर्ष सरकार ने सतावन करोड रुपया अकाल राहत कार्यों पर खर्च किया। कई माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया कि ज्यादातर पैसा भ्रष्टाचार में गया। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि राजनीति के कारण पक्षपात से काम खोले गये, जहां पर खोलने चाहिए वहां पर नहीं खोले गये इस तरह के कांग्रेस की तरफ से भी आज आरोप लगाये जाते हैं। मैं भी यह आरोप लगता हूं। इसमें दो राय नहीं हैं कि ज्यादातर पैसा शुद्ध उपयोग में नहीं लाया गया। अब इसको साबित करने के लिए क्या कहा जाय? अकाल राहत मंत्री जी यह कहेंगे कि यह सब गलत बात है गत वर्ष भी उन्होंने यह कहा था। गत वर्ष भी मैंने कहा था कि अकाल राहत कार्य खोलने के लिए राजनैतिक पक्षपात किया। मैं तो यह कहूंगा कि बिहार में जिस प्रकार से एक जुडिसियल इन्क्वायरी हुई मंत्रियों के खिलाफ, उसमें छः मंत्रियों के खिलाफ, पक्षपात, नौकरियों में पक्षपात, भ्रष्टाचार आदि के आरोप लगाये गये। मैं यह कहूंगा कि ऐसी एक इन्क्वायरी अकाल राहत मंत्री भी करायें यदि वह अपने आपको शुद्ध साबित करना चाहते हैं अगर वह यह सिद्ध करना चाहते हैं कि अकाल राहत कार्यों में पैसे का दुरुपयोग नहीं किया गया है, चूंकि नहीं हुई अकाल राहत कार्यों में, तो निष्पक्ष इन्क्वायरी बैठाई जाय जिससे जनता के सामने यह बात साबित हो कि अकाल राहत मंत्री ठीक फर्माते हैं।

अब मेरा क्षेत्र जो है वह नगरपालिका क्षेत्र में है, लेकिन मैं आपको निवेदन करता हूं कि अकालग्रस्त क्षेत्र में पानी नहीं बरसा, तो जोधपुर में भी पानी नही बरसा, गांवों में भी नहीं बरसा तो अकाल जोधपुर में भी है। शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में भी है। गत वर्ष मैंने कहा था, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, पूंजला, बासनी, डिगाडी रूपावतों का बेरा, गोयलां की ढाणी इत्यादि–यह ठीक है कि ज्यादातर गांवों के क्षेत्र हैं वह पांच वर्ष हुए, नगरपालिका क्षेत्र में ले लिये गये हैं, लेकिन नगरपालिका द्वारा दिये जाने वाले कोई साधन उनको उपलब्ध नहीं हैं। मैंने गत वर्ष जिलाधीश की मीटिंग में बताया था कि इन क्षेत्रों में सडकें बनाना जरूरी है, क्योंकि लोग सात मील से आते हैं, दस मील से आते हैं, उस क्षेत्र में सडके कच्ची हैं इसलिए शहरों में आसानी से आ जा नहीं सकते। इसके ऊपर उस क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई और शहरों में काम नहीं है ताकि उन लोगों को शहर में काम और मजदूरी मिल सके इसलिये गांवों के अन्दर सडकों के अकाल राहत कार्य खोलने चाहिए। वे

(श्री ओमदत्त भाटी)

यह सडकें थीं, डिगाडी, सोभावतों की ढाणी भदासिया माता के थान तक, वह लालसागर से होती हुई नागौर सड़क से मिलती है, रूपावतों की ढाणी से तिवड़ी सड़क को कनेक्ट करती है । इसके लिए गत वर्ष बताया कि दो तीन सड़कें, माता का थान, रूपावतों की ढाणी व डिगाड़ी में अकाल राहत कार्य हाथ में ले लिये गये हैं । लेकिन बाद में एक भी कार्य नहीं खुलवाया गया है । जब मैंने कहा और दुःख प्रकट किया तो अकाल राहत मंत्री जी ने कहा कि आपके जोधपुर के वास्ते लाखों रुपयों का खर्च कर दिया, जवाई बाँध की नहर को ऊंचा कर दिया । मुझे ताज्जुब होता है उनकी बात सुन कर । वह अब भी फर्मा देंगे कि रामपुरा से पानी लाया गया है जोधपुर के वास्ते और पचास लाख रुपया उस पर खर्च कर दिया । यह सब बातें वह फर्मायेंगे, इसमें दो राय नहीं हैं । लेकिन डिगाड़ी रूपावतों की ढाणी, सोभावतों की ढाणी—इनके अन्दर क्या अकाल राहत कार्य खोले ? गत मीटिंग में हमारे मंत्री जी भी बैठे थे । मैंने उस समय कहा कि यह जो क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें भी साढ़े बारह रुपये मिलने चाहिए या उनके वास्ते कोई काम खोलने चाहिए । इन्होंने उस वक्त कहा था कि मैं इस बात को केबिनेट में रखूंगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार आन्दोलनों और झगड़ों में तो पैसा खर्च कर देगी लेकिन काम नहीं करवायेगी । पौकरन बीकानेर और फलोदी इत्यादि में झगड़े-आन्दोलन हुए तो साढ़े बारह रुपये नगरपालिका क्षेत्र में भी सेंक्शन कर दिये । लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि जोधपुर के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में आप काम क्यों नहीं खुलवाते हैं ? अगर नहीं खुलवाते हैं तो वहां के जो किसान हैं, जो खेतों पर काम करने वाले मजदूर हैं उनको भी साढे बारह रुपये देने चाहिए । दूसरी बात मंत्री महोदय यह फर्मायेंगे कि एक दो सडकों का काम शुरू किया ? मुझे तो इस समाजवादी सरकार की कार्यवाही से ताज्जुब होता है, वहां पर वित्त मंत्री जी ने अपना स्वागत कराया, ढोल, ढोल-कियां बजवाईं और कई तरह के झगड़े किये....

श्री फूलचन्द डागा : क्या किये, झगड़े किये ?

श्री ओमदत्त भाटी : नहीं नहीं । जैसा महाराजा के वक्त में होता था वैसा अब भी हो रहा है ।

श्री शंकरलाल : झगड़े किसे कहते हैं ?

श्री रामकिशन : कांग्रेस वाले झगड़े करते हैं ।

श्री शंकरलाल : आप उनसे पूछिये ।

श्री रामकिशन : आप समझते नहीं हैं ।

श्री ओमदत्त भाटी : हम कहते हैं कि अकाल राहत मंत्री फर्मायेंगे कि हमारे क्षेत्र में काम करवायें । लेकिन मुझे ताज्जुब होता है यह देख कर कि बजट पर बोलते हैं लेकिन बजट किसको कहते हैं, बजट क्या है, क्या नहीं है यह पता नहीं । वह कहते हैं कि हमने बजट बनाया है, उसमें हम इतने नल लगवा देंगे, इतनी सड़कें खुलवा देंगे, इतने काम करवा

(श्री ओमदत्त भाटी)

देंगे। नल, सड़क और काम कुछ नहीं है, उनका नारा केवल एक है कि वोट कैसे मिलेंगे। वोट के लिए वह पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कहां पर काम करने की जरूरत है या कहां नहीं-इसकी चिन्ता नहीं है। मुझे ताज्जुब होता है जब जिलाधीश महोदय यह कहते हैं, सुनिये ...

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : ऐसी बात तो नहीं है। मेरे क्षेत्र में तो नहीं है।

श्री ओमदत्त भाटी : नहीं करते होंगे। हमारे यहां जो जिलाधीश हैं, उनको मैंने कहा कि आप हमारे क्षेत्र को देखिये। तो 18 दिसम्बर 69 को तीन चार दफा कहने के बाद वह मेरे साथ गये। मैंने दो घन्टे उनको घुमाया और वह क्षेत्र बताया, जो ग्रामीण क्षेत्र है, गोयला की ढाणी। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा–डाक्टर साहब, यहां तो कुआ खुदना चाहिए। ठीक है, इसको उन्होंने नोट किया। मैं 18 दिसम्बर की बात कह रहा हूं। लेकिन दस दिन के बाद जब जिला परिषद् की मीटिंग हुई तब मैंने पूछा–जिलाधीश जी, काम शुरू हो गया? तो उन्होंने कहा कि सरकार सेंक्शन करे तो मैं शुरू करूं। आप देखिये, जिसको दो हजार रुपये तनख्वाह मिलती है वह पांच सौ रुपये का काम शुरू नहीं करा सकता। उन्होंने कहा कि परसराम जी आयेंगे तब इजाजत लूंगा। मैंने उनको रिमाइन्डर भी दिये लेकिन काम शुरू नहीं हुआ और अब फरवरी में वित्त मंत्री जी गये और वहां पर जलसा करवाया, दावतें खाई और ढोल-ढोलकी बजवाई और कुआ खुदवाने का हुक्म दिया। मैं कहता हूं, यह समाजवादी सरकार है या क्या सरकार है....

श्री रामनारायण चौधरी : समाजवादी !

श्री ओमदत्त भाटी : मेरे कहने का मतलब यह है न तो इन्हें बजट का पता है कि बजट किसको कहते हैं, कब सेंक्शन ली जाती है, कब सेंक्शन होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए। सारे काम अनियमित रूप से हो रहे हैं। इसलिए मैं अकाल राहत मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर अकाल राहत कार्य अधूरे पड़े हुए हैं उनको पूरा करवायें और जहां पर अकाल राहत काम नहीं खुलवा सकें तो क्योंकि जो ग्रामीण जनता है उसको मजदूरी शहरों में भी नहीं मिलती है इसलिए उनको आप साढ़े बारह रुपये दें।

दूसरा मैंने चारे के डिपो के बारे में कहा था लेकिन वह चारे का डिपो कहीं नहीं खोला है। घोसी लोग जिनके पास कि जानवर हैं, वे ऐसा कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण का नारा इन्दिराजी ने दिया है और वे नई रोशनी लाई हैं तो उसके माफिक ग्रामीण घोसियों को भी, घांचियों को भी जो पशु-पालन का धंधा करते हैं, उनकी ग्रामीण डेरी समझ कर उन्हें अनुदान, ऋण आदि देकर उनकी सहायता करनी चाहिये ताकि उनका पशु धन बढ़े और हमारे प्रान्त को दूध, दही और घी मिले।

चिकित्सा का जहां तक सवाल है यह बहुत ही आवश्यक चीज है। चिकित्सा में पिछले वर्ष में ठीक इलाज हुए और कई लोगों को मौत से भी बचाया। अकाल राहत मंत्री जी कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरा। आपने किसी को मुंह बांध कर तो पटका

(श्री ओमदत्त भाटी)

नहीं हर स्लो स्टारवेशन से लोग मरे हैं, कम डाइट मिलने से बीमारियां लोगों में फैली हैं और उनसे लोग मरे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब गर्मियां आ रही हैं, लोगों को अपौष्टिक भोजन मिल रहा है तो गर्मियों में इस कारण से लोगों में बीमारियां फैलने का पूरा खतरा है, इसलिये ग्रामीण लोगों को, अकालग्रस्त लोगों को मूंगफली तेल, गुड़ आदि चीजें देनी चाहिये। जो गर्भवती औरतें हैं, बच्चे हैं, उनको आज ठीक डाइट नहीं मिल रही है। मैं तो मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इन लोगों को खास तौर से गर्भवती औरतों को, बच्चों को तेल गुड़, मूंगफली देनी चाहिये जिससे कि स्लो स्टारवेशन, अनीमियां, गेस्ट्रोएनट्राईटिस, पीलिया आदि बीमारियां नहीं हों।

अब पानी का सवाल आता है। गेस्ट्रोअनट्राइटिस का खास कारण खराब पानी है। आज पानी डामर के ढोलों में रखा जाता है, वह धूप में गरम हो जाता है ऐसा गरम और बदबूदार पानी आप पीयेंगे तो अवश्य बीमार पड़ेंगे। इसलिये मूणों में पानी रखा जाना चाहिये, जैसे गांवों में प्याऊ लगाते थे, प्याऊ लगा कर लोगों को ठंडा पानी दें जिससे कि लोगों में बीमारियां पैदा नहीं हों।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी !

श्री रामनारायण चौधरी (मडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आज हम देश का शासन दिल्ली में बैठ कर और प्रदेश का शासन जयपुर में बैठ कर नहीं चला सकते। पंचायतों के जरिये हमें शासन को घर घर तक पहुँचाना पड़ेगा, तभी हमारा लोकतन्त्र मजबूत होगा। आज इस पंचायती राज पद्धति के विरोध में हम चारों तरफ यह सुन रहे हैं कि यह पद्धति बहुत खराब हो गई है कि इसमें काम करने वाले जनता के प्रतिनिधि पच, सरपंच, प्रधान और प्रमुख इतने भ्रष्ट हो गये हैं कि, जनता का वे लोग विश्वास खो चुके हैं और जनता का इस पद्धति पर से विश्वास उठ गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन विचारों का समर्थक नहीं हूं, मैं इन विचारों के खिलाफ हूं और पुर जोर शब्दों में इस प्रकार के विचारों का विरोध करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस पद्धति को मजबूत बनाना है। जो माननीय सदस्य सदन में या बाहर इस पद्धति के विरुद्ध प्रचार करते हैं मैं तो यही कहूंगा कि वे इस पद्धति को नहीं समझे हैं। मैंने विरोधी दल के नेता के प्रवचन सुने थे उन्होंने कहा था कि सरपंच शिक्षा के बारे में क्या व्यवस्था कर सकता है? पढ़े-लिखे अध्यापक पर एक अनपढ़ सरपंच प्रशासन चला सकता है ? ऐसी बातें कही। आज भी सदन में उसी प्रकार की बातें सुनीं। मेरी मान्यता है कि हमें पंचायती राज पद्धति को मजबूत करना है। आलोचना करने वाले माननीय सदस्यों को शायद पता नहीं है कि इस सदन में बैठने वाले कितने माननीय सदस्य पंचायती राज संस्थाओं से निकल कर आये हैं, उन्हें शायद यह भी पता नहीं कि कितने नगरपालिकाओं से इस सदन तक पहुंचे हैं। इसकी जानकारी तो माननीय सदस्यों को अवश्य होगी कि पंचायती राज मंत्री परशरामजी मदेरणा भी सरपंच थे और अपना राज-

(श्री रामनारायण चौधरी)

नैतिक जीवन राजनैतिक पार्टी के साथ सरपंच से शुरू किया था। काफी माननीय सदस्यों को यह जानकारी नहीं होगी कि आज भी इस सदन के माननीय सदस्य और उप शिक्षा मन्त्री राव धीरसिंह सरपंच हैं। मैं नाम किन किनके गिनाऊं। इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले अनेक माननीय सदस्य पंचायत पद्धति से ही चुन कर यहां आये हैं। जो इस पंचायती राज पद्धति की आलोचना करते हैं मेरे खयाल से वे जरूर इस पद्धति में हारे हुए, निराश, फ्रस्टेड हताश पोलिटिशियन्स हैं।

श्री मूलचन्द डागा : रामकिशनजी किसमें हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : रामकिशनजी तो पंचायती राज के समर्थक हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ये तो प्रमुख हैं, इनकी कुर्सी हिलती है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह एक दर्शन है, पद्धति है, जिसको हमें गौर से समझना पड़ेगा और हमें इसको समझने के लिए कांग्रेस के इतिहास में जाना पड़ेगा। कांग्रेस ने आजादी से पूर्व ही शासन की व्यवस्था और रूपरेखा रखी थी, उसमें गांधीजी की ग्राम राज की, पंचायत राज की प्रमुख व्यवस्था थी। हमें इस बात का अफसोस है कि गांधीजी जिस प्रकार का ग्राम राज, पंचायती राज, ग्राम पंचायत, ग्रामों का प्रशासन जिस प्रकार से चाहते थे वह रूप हम नहीं दे सके। इसमें इनका दोष नहीं योजना का दोष है, हमारा दोष है कि हम उसको समझ नहीं पाये। हम इतने स्वार्थी हो गये हैं कि यदि आज हम प्रधान या सरपंच का चुनाव नहीं जीतते हैं तो सारी पंचायती राज पद्धति के ही विरोधी हो जाते हैं और जो इस तरह से हारे हुए हैं उनको पंचायती राज के बारे में पूछेंगे तो वे यही कहेंगे कि इस पद्धति को बन्द कर देना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 72 में जब आप ग्राम चुनावों में जनता के पास जायेंगे और उसमें यदि आप हार गये, जनता ने आपको नहीं चुना तो आप इसी पंचायती राज पद्धति में जायेंगे। इस पंचयाती राज पद्धति को यदि हम समाप्त कर देंगे तो लोकतान्त्रिक पद्धति हमारे देश में समाप्त हो जायगी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि लोग यह कहते हैं कि ग्राम पंचायतों में और पंचायत समितियों में भारी भ्रष्टाचार है, घोटाले हैं। उपाध्यक्षजी, मैं यहां कोई आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि पंचायती राज के तथाकथित घोटाले और भ्रष्टाचार इन सबको आप एक बंडल के रूप में ले लीजिये और राजस्थान सरकार के किसी एक विभाग के घोटालों और भ्रष्टाचार से उस बंडल का मुकाबला कर लीजिये, पंचायती राज का वह बंडल उससे भारी नहीं होगा, हल्का ही होगा।

एक माननीय सदस्य : रामनारायणजी यह तो स्वीकार करते हैं कि राज्य सरकार के सभी विभागों में बड़े घोटाले हैं ?

श्री राम नारायण चौधरी : एक विभाग को ले लें···

श्री उपाध्यक्ष : पूरा पंचायती राज और राज्य सरकार का एक विभाग ?

श्री रामनारायण चौधरी : पूरा पंचायती राज, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् तक, इन सबको एक तरफ ले लीजिये और दूसरी तरफ राज्य सरकार के किसी एक विभाग के घोटालों को ले लीजिये, उस विभाग में उन सबसे ज्यादा घोटाले पायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें भी कई डिपार्टमेंट्स हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : एक को ले लीजिये, उससे पंचायती राज में कम ही घोटाले मिलेंगे।

आज होता क्या है कि एक सरपंच कोई मामूली सी गड़बड़ करता है तो उसका हाका बहुत होता है। वह सरकारी अधिकारी उसकी आलोचना करता है जिसने अपनी जिंदगी में कभी सच्चा टी. ए., डी. ए. नहीं बनाया, अपनी जिंदगी में कभी एक भी सच्चा मेडिकल बिल नहीं बनाया, वह सरकारी अफसर यह कहता है कि सरपंच भ्रष्टाचार करता है। तो आज योजनाबद्ध तरीके से देश में इस बात का, प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में इस बात की होड चल रही है कि लोकतंत्रीय पद्धति को समाप्त करना चाहिए और नौकरशाही का बोलबाला इसमें होना चाहिए। आज ग्रामीण पंचायतों को हमने कायम कर रखा है लेकिन ग्राम पंचायतों को हमने मान्यता नहीं दी। आप देखेंगे कि पुरानी व्यवस्था में, जोधपुर या बीकानेर या जयपुर किसी भी रियासत में गांव का जागीरदार जिसके 5–5, 10–10 गांव होते थे, वह जागीरदार होता था। वह अशिक्षित था, जिसको हस्ताक्षर करना नहीं आता था, अंगूठा टेकता था, ऐसा ही कामदार होता था, वह गांव में निकलता था, तो उसकी समाज इज्जत करता था, उसके सामने झुककर सलाम करते थे और जरूरत से ज्यादा आदर उसको मिलता था। क्यों मिलता था ? क्योंकि वह कामदार उस ठिकाने का प्रतिनिधि था जिस ठिकाने को तत्कालीन शासन ने मान्यता दे रखी थी। राज्य का अधिकृत प्रतिनिधि जागीरदार था और उसका कामदार था। तो एक अशिक्षित जागीरदार जो 10–20 गांवों का शासन चलाता था उसका समाज में आदर होता था और हमारी ग्राम पंचायत का निर्वाचित सरपंच, जिस समय ग्राम पंचायतें चलीं, तो पंच और सरपंच का मान बढा लेकिन धीरे धीरे हमने ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक और दूसरे अधिकारों की दृष्टि से पंगु बना दिया। हमने उनके पास कुछ भी नहीं छोडा। नाम के लिए ग्राम पंचायतें कर दिया, विकास के काम उनको दे दिए, प्लान हालीडे हो गया, ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पास काम नहीं रहा और जो लोकप्रियता उन संस्थाओं की बढ रही थी, वह रिवर्स गीयर में चलने लगी। हमने प्रशासनिक इकाई के रूप में पंचायत को नहीं माना, विकास के रूप में माना और अगर प्रशासनिक इकाई मानते और अधिकार देते और शासन का प्रतिनिधि हम मानते, तो ग्राम व ग्राम पंचायत स्तर पर यह हालत आज न होती। न्याय पंचा-

(श्री रामनारायण चौधरी)

यतें जिस समय ग्राम पंचायतों से गई उस समय से ग्राम पंचायतों का राज्य में मृत्यु का श्रीगणेश हुआ। उस समय सोचा नहीं गया इस बात को कि न्याय पंचायतें भी ग्राम पंचायतों से निकल जायंगी। तो इतने छोटे स्तर पर न्याय पंचायत अलग, ग्राम पंचायत अलग, यह नहीं चल सकता। तो मेरा निवेदन है कि ग्राम पंचायतों को पंचायत स्तर पर अधिकार दिये जाने चाहिए और हम छुट्टी दें उनको इस बात को कि वह गल्ती करें, हम अपील रखें, अपील निर्वाचित प्रतिनिधि के पास होनी चाहिए। ग्राम के पंच जो पंच परमेश्वर होते हैं वह जो निर्णय करते हैं उनकी अपील नौकर के पास जाय, यह सिद्धांत के विपरीत है, वह तो परमेश्वर का निर्णय है, उनके फैसले को एक वेतन भोगी कर्मचारी रद्द करे, यह उस पद्धति के खिलाफ है। तो किस प्रकार से पंचायती राज को, पंचायत पद्धति को पनपने देंगे ? पंचायत राज को मजबूत करने के लिए सरकार को कानून में व्यवस्था करनी चाहिये कि गांव के फैसले गांव में हों और उनकी अपील निर्वाचित प्रतिनिधि के पास होनी चाहिए। उसके बाद उसकी अपील सिवा जिला जज के और किसी के पास न हो। वहां भी सिर्फ निगरानी रखनी चाहिए। आज ग्राम पंचायतों के पास कोई अधिकार नहीं, ग्राम पंचायतें इंतकाल करती है, पटवारी नहीं करता है। एक मामूली कर्मचारी जो पंचायत का सचिव है वह पंचायत का हुक्म न मानकर इंतकाल न करे तो आप समझ सकते हैं कि ग्राम पंचायत कैसी है। आज पंचायत समिति निर्णय करे और विकास अधिकारी इज्जत न करे, विकास अधिकारी डिसेंटिंग नोट लगा दे, वह वर्षों तक पड़ा रहे, यह मखौल हमारे स्तर पर हो रहा है। हम मानसिक दृष्टि से इस बात के लिए कटिबद्ध नहीं हैं कि पंचायती राज वहां पनपे। हमने खेल कर दिया कि लोग उसमें लगे रहें, यह उचित नहीं। इस पंचायत राज पद्धति का पुनरावलोकन करें। सादिक अली कमेटी गठित की गई थी, उनकी सिफारिशें आउट आफ डेट हो गई हैं। बदली हुई परिस्थितियों में उनकी सिफारिशें प्रभावशाली नहीं हैं। तो पंचायती राज के अध्ययन के लिए एक आयोग नियुक्त करना चाहिए जिसमें वे माननीय सदस्य और वे प्रतिनिधि हों जो पंचायत राज को समझते हैं, उसके समर्थक हों और जो पंचायती राज को लागू करने के लिए पूर्णतः इस बात के लिए कटिबद्ध हों। इस प्रकार के विद्वानों व लगनशील कार्यकर्ताओं का आयोग मुकर्रर करना चाहिए जो अध्ययन करे कि क्या खामियां हैं और बदली हुई हालत में जब विकास इस गति से चल रहा है कि तमाम योजनायें पंचायत समितियों से वापिस ले ली हैं।

अब मैं अकाल के संबन्ध में निवेदन करना चाहता हूं अपने क्षेत्र के लिए। गत वर्ष भी अकाल था, सफलतापूर्वक हमने उसका मुकाबला किया, राज्य सरकार ने संभाला और दुर्भाग्य से इस वर्ष फिर अकाल राजस्थान के काफी जिलों में है, झुंझुनू भी उससे वंचित नहीं है। वहां 163 गांव अकाल में हैं लेकिन सभी गांवों में अकाल घोषित नहीं किया है। कुछ गांव ऐसे हैं जिनके लिए सरकारी रिपोर्ट्स जिस समय पहुंचो तब तक वे अकाल के अन्दर घोषित नहीं हो सके जिसके अन्दर झुंझुनू तहसील के

(श्री रामनारायण चौधरी)

भीमसर, सतावास, जयसिंहपुरा, कलां आदि 5 गांव ऐसे हैं जहां पर अकाल है लेकिन सिर्फ गुणाकर फैलाव के अन्दर 3-3 एकड़ कम होने के कारण जो टेक्नीकल बात थी उसके आधार पर अकाल में घोषित होने से रह गये। ग्राम पंचायतों व पंचायत समिति ने राज्य सरकार से निवेदन किया कि पुनर्विचार किया जाय। मैं समझता हूं सरकार ने जिलाधीश को आदेश दिये हैं, जिलाधीश ने जांच करवाई है तहसीलदार से, उन्होंने मौके पर जाकर देखा है कि अकाल पड गया है। मै अकाल सहायता मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस पर गौर करें और जो गांव अकाल के अन्दर घोषित नहीं हुए हैं, उनको घोषित करवाने की मेहरबानी करें।

जिन भी जिलों में अकाल है सभी के अन्दर आपने अकाल सहायता के कार्यक्रम करा दिये हैं सिर्फ झुंझुनू जिला ऐसा है जहां पर सहायता कार्यक्रम चालू नहीं किए हैं। मेरे जिले में 100 गांव ऐसे हैं जिनमें लगातार तीन साल से अकाल है, तो वहां के अकाल की भयंकरता और अकाल से पैदा होने वाली स्थिति की प्रचंडता को आप समझते होंगे। इस साल, गत वर्ष और उससे पूर्व भी अकाल पड़े जिसके कारण उनकी क्रय शक्ति, आमदनी बिल्कुल क्षीण हो चुकी है। इन इलाकों में जो भंडावर से आबूसर तक 20 मील का एरिया है, वहां तीन साल से भयंकर अकाल है। वहां को गत वर्ष की सड़क भी अधूरी पड़ी है उसको पूरा करवाया जाना चाहिए इस अकाल में।

दूसरा निवेदन यह करूंगा कि जिन इलाकों में इस साल अकाल नहीं है उन इलाकों में पिछले तीन-चार सालों में इतना रुपया खर्च कर दिया गया है — उदाहरण के तौर पर झुंझुनू से मलसीसर तक 22 मील की एक सड़क बनी है उसमें 35 लाख रुपया इस पर अब तक खर्च किया जा चुका है। 1952 के अकाल पर इस सड़क पर काम हुआ। 1964–65 के वर्ष में इस पर काम हुआ। 65–66 में इस पर काम हुआ और पिछले वर्ष भी इस पर काम हुआ है। इस तरह लगातार पिछले तीन-चार अकाल में इस सड़क पर काम हुआ है और 35 लाख रुपया खर्च कर दिया गया है। मैंने विभाग से भी इसकी जानकारी की है और अन्दाजन 35 लाख रुपये की राशि इन सब वर्षों में इस काम पर व्यय की गई है परन्तु आज वहां सड़क का नाम नहीं है। मिट्टी का काम हुआ है और बहुत सा सामान साइट पर डाला हुआ है उसमें चोरी हो रही है, उसका लोकेज हो रहा है। इतनी भारी राशि खर्च कर देने के बाद जो काम हुआ है उसके बारे में लोग पूछते हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : यह आपके निर्वाचन क्षेत्र की बात है। आप जागरुक नहीं हैं।

श्री रामनारायण चौधरी: मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार लगे हुए धन को बेकार नहीं जाने दें। आज उस इलाके में अकाल नहीं है। लेकिन इस मद में इतनी राशि खर्च हुई है कि हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं है और लोग हमसे पूछते हैं। इस तरह से सरकारी पैसा व्यर्थ जा रहा है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

(श्री रामनारायण चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने कथन को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (बैर) : उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास, अकाल और सरकारी व्यापार इन मांगों पर विचार हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस वर्ष जिस स्थिति में हम चल रहे हैं उस प्रकार की राजस्थान की स्थिति को देखते हुए हमें सोचना चाहिए। जहां तक पंचायती राज और सामुदायिक विकास का प्रश्न है, मैं पूछता हूँ आज किस लिये इसको चालू कर रखा है? इसकी उपयोगिता आज क्या है? यह पंचायती राज मंत्री महोदय बता दें तो बहस का सिलसिला ही दूसरा हो जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त हमने राजस्थान में विकास का कार्यक्रम शुरू किया था, जब यह कार्यक्रम शुरू किया था उस वक्त हमारे विचार में हिन्दुस्तान के गांवों के विकास की एक कल्पना थी कि हिन्दुस्तान के गांव जो स्वास्थ्य में पिछड़े हुए हैं, जहां आवागमन के साधन पूरे नहीं हैं, जो समाज शिक्षा के बारे में, उद्योग धन्धों के बारे में पिछड़ा हुआ है उसको समाज के उन्नत स्तर पर लाया जाये और इसीलिए हिन्दुस्तान में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम को लागू किया गया था। मैं पूछना चाहूंगा कि राज्य सरकार का जो मद है, उन मदों में इन कार्यों के लिए एक आध रुपया ही रखा गया है। स्वास्थ्य और आवागमन के साधनों को विकसित करने के लिये ······

(श्री रामनारायण चौधरी सभापति, पदासीन)

(7.34 सायं)

या अन्य दूसरे कार्यों के लिए इन मदों में क्या रखा गया है? फिर आप क्यों इस पंचायती राज से चिपके हुए हैं? यह आपका पूर्वाग्रह है चूंकि सुखाड़िया साहब ने और हमारे चीफ सेक्रेटरी ने इस प्रोग्राम को शुरू किया था और इसकी वजह से उनको पद्म विभूषण की उपाधि मिली थी–इसलिये इसको चलाना चाहिए। इस दृष्टि से इसको सोचेंगे तो हमारा नुकसान होगा। इस विभाग की इस कार्यक्रम की उपयोगिता आज क्या है? सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का सामुदायिक विकास का जो बजट है इस वर्ष का वह है 3 करोड 4 लाख 86 हजार का और योजना व्यय है 70 लाख 578 हजार का गैर योजना व्यय जब इस विभाग का इतना बड़ा है तो इससे ही अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस विभाग के पास काम नहीं है। सिचाई के लिए सामुदायिक विकास के पास पैसा रखा है और समाज शिक्षा पर 25 हजार रुपया रखा है। सिंचाई के लिए 1 लाख 45 हजार रुपया रखा है। 3 करोड़ 4 लाख का जहां बजट है उसमें से सिंचाई पर 1 लाख 45 हजार रुपया रखा है और मद में हमारे पास पैसा नहीं है और इससे आप कहीं यह सोचते हैं कि सिंचाई योजनाएं चालू होंगी, ऐसी बात नहीं है। जो स्टाफ है, जो इस वक्त लगा हुआ है उसके भत्ता, तनख्वाह आदि के लिए यह रखा हुआ है। हम केवल बैठे हुए लोगों को पैसा दे रहे हैं। एक तरफ तो राजस्थान सरकार की घाटे की स्थिति है, लोग गरीबी से कराह रहे हैं और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार कहती है हमने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को शुरू किया है, हम इसमें विश्वास रखते हैं। परन्तु मैं राज्य सर-

(श्री रामकिशन)

कार से पूछना चाहता हूं कि इसकी आज उपयोगिता क्या है ? इसके पीछे क्या तर्क है ?

सभापति महोदय, पिछले दस सालों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो काम हुआ है हम उसको देखें, उसका मूल्यांकन किया जाये ? हमारा पिछड़ा हुआ राष्ट्र है और हम उसकी तरक्की के लिए नये नये प्रयोग किये जा रहे हैं। जो प्रयोग हमारे सफल होते हैं उनको हमें मुस्तैदी के साथ अपना लेना चाहिए और जो असफल होते हैं उनसे हमें पीछे हट जाना चाहिए। इसमें किसी की नाराजी होने या न होने से हम काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा राष्ट्र, देश निरन्तर चक्कर में ही फंसता चला जायेगा। इसलिए जो नये नये प्रयोग हो रहे हैं उनका हमें निरन्तर चिन्तन करना चाहिए और उसके परिणामों के साथ परिवर्तन परिवर्द्धन करना चाहिये। अन्य देशों ने भी ऐसा किया है। मैं कहता हूं कि मरे हुए मुर्दे के साथ हमें कब तक चिपकना होगा ? इसको सरकार को सोचना चाहिये।

सभापति महोदय अभी कई माननीय सदस्यों ने यहां कहा कि हमें इस प्रणाली में विश्वास है इसमे लोकतन्त्र जिन्दा रह सकेगा। मैं भी इसका हामी हूँ। राज्य दिल्ली और जयपुर के भरोसे नहीं चलाया जा सकता। हम लोकतन्त्र चाहते हैं, आर्थिक ढांचे को विकेन्द्रित करना चाहते हैं। राज सत्ता का बंटवारा होना चाहिये। दिल्ली के हाथ में ही राज सत्ता नहीं होनी चाहिये। राजसत्ता ग्राम से प्रांत तक बट जाना चाहिये लेकिन जिस प्रकार से बंटवारा का ढांचा बना हुआ है वह मूल रूप से ही गलत है। मेरा इस संबंध में सुझाव है कि हमें पंचायत समितियां एकदम तोड़ देना चाहिये और जो पंचायतें हैं उनको हम विकास की एक बड़ी इकाई बनावें।

सभापति महोदय, जिला परिषदें हैं, मैं भी प्रमुख हूँ और भी कई प्रमुख इस सदन में हैं, उनको क्या कीमत है, उनको क्या अधिकार हैं ? अगर कोई विरोधी प्रधान है तो वह प्रमुख उस पंचायत समिति के कार्यालय में नहीं घुस सकता। अगर वह पंचायत समिति कोआपरेट नहीं करे तो प्रमुख उस क्षेत्र में भी नहीं जा सकता और प्रमुख चाहे तो वह उस पंचायत समिति में नहीं जा सकता...

**श्री सभापति** : यह आप अपना अनुभव बता रहे हैं....

**श्री रामकिशन** : मेरा अनुभव है यह भी बता रहा हूँ और जो सामूहिक है वह भी। राजस्थान सरकार यह कानून बना रही है....

**श्री सभापति** : यह आपकी अनुभूति नहीं है।

**श्री रामकिशन** : यह तो आपका अनुभव बता रहा हूं। मेरा अनुभव सुनना बाद में।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज की स्थिति में जिला परिषदों की कोई उपयोगिता नहीं है। हमारे यहां 3–4 क्लर्क हैं, एक सैक्रेटरी हैं और हमारी पंचायत समिति में एक असिस्टेन्ट सैक्रेटरी भी दे रखा है मैं खुद पूछता हूं आपके पास

(श्री रामकिशन)

क्या काम है ? वे संकोच करते हैं फिर भी कहते हैं काम बहुत है। परन्तु वास्तव में उनके पास कोई काम नहीं है। केवल डी.डी. ओ. सरपंचों को जांच करता रहता है। असिस्टेन्ट सेक्रेटरी चिट्ठियों का जवाब देता रहता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि पंचायत समितियों को तोड़ देना चाहिये और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की हैसियत से हमें जिले को एक मजबूत इकाई बनाना चाहिये। पहली ग्राम को, दूसरी जिले को, तीसरी प्रांतीय सरकार और चौथी केन्द्रीय सरकार इस चौमुखी राज्य का निर्माण हमें करना चाहिये और राज सत्ता को इन हिस्सों में बांट देना चाहिये। जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, वह अलग से है। एक तरफ आज पंचायत समितियों और जिला परिषदों को निर्जीव बना दिया गया है। इन दोनों का आज कोई अर्थ नहीं है। पंचायत समितियों को तोड़ कर हमें राजसत्ता को बांटना चाहिये।

सभापति महोदय, एक दूसरा निवेदन और है राजस्थान सरकार के मन में अगर कुछ कल्पना है तो वह ढांचा सदन के सामने रखें। यह जो निर्जीव संगठन है इसको बन्द कर इसमें व्यय होने वाला तीन करोड़ रुपया है उसको पानी और बिजली के लिये खर्च किया जाय इससे राजस्थान का ज्यादा कल्याण कर पायेंगे। इसके अलावा अगर आप बी.डी.ओ. आदि को नौकरी ही देना चाहते हैं तो उनको रोजगार भत्ते के नाम पर उनको कुछ एलउन्स दे दिया जाय। आज यदि आप यह जाकर देखें कि पंचायत समितियों के पास किस प्रकार का काम है तो आपको कहने के नाम पर तो वे कहेंगे काम तो है ही लेकिन अन्त में यह भी कह देंगे कि हमारे पास कोई काम नहीं है। चाय मंगाते रहते हैं समय काटते रहते हैं कभी अपनी जेब से तो कभी पंच और सरपंचों की तरफ से चाय मंगाया करते हैं और पीते रहते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं आप इस तरह के दफ्तर कब तक चलाना चाहते हैं? आप इनके पास ऐसा कौन सा काम देखते हैं जिससे आपको यह अनुभव होता है कि ये पंचायती राज को मजबूत बना रहे हैं। इनके लिये बजट में कोई प्रावधान नहीं है तो राज्य सरकार को पंचायत समितियों को तोड़ने में क्या हिचकिचाहट है ?

जहां तक पंचायतों और पंचायत समितियों में भ्रष्टाचार का सवाल है मैं पंचायत राज्य के समर्थकों से निवेदन करूंगा कि वे इसके काले पक्ष को छिपाने की कोशिश न करें। आज पुलिस में भ्रष्टाचार है, पी. डब्लू. डी. में भ्रष्टाचार है राजस्थान के किस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है यह भी कहा जाता है। मेरा यह कहने वालों से निवेदन है कि यदि तुम्हारा पड़ौसी चोर है तो क्या तुम भी चोरी करोगे ? हम यह निश्चित रूप से मानते है कि इन विभागों में भ्रष्टाचार है, कम और बेसी सब में यह व्याप्त है। पंचायतों में जिस प्रकार भ्रष्टाचार है क्या उसको मिटाने की जिम्मेदारी पंच और सरपंच की नहीं है। क्या इस भ्रष्टाचार के जिम्मेदार पंच सरपंच नहीं हैं ? यह तो सारे देश का ही ढांचा इस प्रकार का बना हुआ है दिल्ली से लेकर जयपुर तक ऊंचे लोगों में भ्रष्टाचार है तो वह नीचे से दूर हो यह हो नहीं सकता। अगर आप गंगा को साफ करना चाहते हैं तो पहले गंगोत्री को साफ करना होगा।

(श्री रामकिशन)

सिकराय से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि प्रधान लोग जीपों का उपयोग करते हैं। बेचारा प्रधान कभी कभी उपयोग कर लेता है वह देखता है जब मिनिस्टर लोग साग सब्जी लाने के लिये कार का उपयोग करते हैं तो प्रधान जिनको बीबीयां हजारों साल से जीपों में नहीं बैठी हैं यदि बैठ जाती है तो कोई बेजा बात नहीं होनी चाहिये। यह सारे घपले ऊपर से होते हैं। आज कोई मामला आता है स्कूलों के बारे में तो पहले तो प्रधान जी ने स्कूल खुलवा दिये फिर बाद में होता क्या है कि उनके ही कहने से अध्यापकों को वहां से वापिस हटा लिया। आज हम देखते हैं कि जिस जिस इलाके के मिनिस्टर हैं वे लोग अपने अपने ही क्षेत्र में बान्ध बनवाते हैं सड़कें बनवाते हैं, नहरें बनाते हैं जब ऊपर के लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं तो उसकी नकल नीचे वाले किये बगैर नहीं रह सकते। अगर आप स्वच्छ प्रशासन देना चाहते हैं तो आपका जो मंत्री-मण्डल स्तर पर प्रतिनिधि रहता है उसके यहां से जब सत्ता का दुरुपयोग शुरू होता है तो नीचे के लेवल तक उसका असर जायगा। जब आप ऊपर से सुधार करेंगे तब जाकर पंचायत समिति और जिला परिषद् लेवल तक सुधार हो सकेगा। अगर ऊपर से इस प्रकार के कार्य नहीं रुकते हैं तो केवल पंचायत संस्थाओं को ही इसके लिये दोषी ठहराना उचित नहीं होगा।

मैं अपने ही जिले की बात कहना चाहता हूं। 500 सरपंच हैं जिनमें 400 के खिलाफ गबन आदि के मामले लगे हुए हैं। कुछ तो टैकनिकल नेचर के हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको गंभीर भी कहा जा सकता है. . .

श्री सभापति : कुछ पोलिटिकल भी होंगे ?

श्री रामकिशन : मेरी कोई पोलिटिक्स नहीं है। समाज का कल्याण ही मेरी पोलिटिक्स है। मैं अन्य जिलों की बात नहीं करना चाहता मैं अपने जिले तक ही सीमित रखूंगा। पूरे भरतपुर जिले में भ्रष्टाचार कम है। क्योंकि यहां पर राजनैतिक दखल कम है। अलवर के 4 मंत्री हैं इसलिये हर सरपंच यह सोचता है कि मैं किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करता हूं तो मुझे कोई न कोई मंत्री जरूर बचा लेगा। भरतपुर के लोग यदि कोई पंच सरपंच भ्रष्टाचार करता है तो वह अपने बलबूते पर करता है। जब भरतपुर का यह हाल हो सकता है तो नागौर जिले का तो और ही बुरा हाल होगा, जोधपुर की स्थिति इससे भी खराब हो सकती है। अलवर इससे बच पाये यह हो नहीं सकता।

श्री मूलचन्द डागा : जोधपुर वाले तो हमेशा सजग रहते हैं वहां इस प्रकार के भ्रष्टाचार होने ही नहीं देते।

श्री रामकिशन : डागा जी खोपड़े का तेल लगाकर आते हैं क्योंकि मुवक्किलों से और तो कुछ नहीं मिलता है खोपरे का तेल दे जाते हैं जिसको लगाकर आते हैं और बीच बीच में अपना रोग शुरू कर देते हैं।

जब इस तरह की हालत हमारे प्रशासन की है तो किस आधार पर हम यह कहें कि इस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है।

(श्री रामकिशन)

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि सामुदायिक विकास योजना का जो हमने श्री गणेश किया है वह अमेरिकन पेटर्न पर किया है। स्वर्गीय पं. नेहरू वाशिंगटन दो एक बार गए वहां से यह चीज लाये, मास्को गए वहां से कुछ बातें ले आये टीटो से मिले वहां से कुछ ले आये, पीकिंग गये तो चीन से कुछ बातें सीख आये वास्तव में जो सामुदायिक विकास योजना हमने शुरू की है उसका पेटर्न अमेरिकन है जो हमारे देश के वातावरण और संस्कृति के अनुकूल नहीं है। यह जहां अमेरिकन पेटर्न हैं वहां रूसी ढंग की यह योजना है। हमारी हालत यह है कि जिस प्रकार की शिक्षा और संस्कृति हमारे यहां की है वह अनुकूल है नहीं। आज पंचायत राज संस्थाओं ने कुछ नहीं किया यह मैं नहीं मानता। इसके कारण गांवों में जागृति आयी है चेतना पैदा हुई है। खेती और उद्योग धन्धे बढे हैं। नये खाद और बीज के प्रति लोग जागरूक हुए है। मैं समझता हूँ इस प्रकार की जागृति जो आयी है उसका कारण पंचायतें और पंचायत समितियां ही हो यह बात भी नहीं है। जब लोग यह देखते हैं अमेरिका के लोग चन्द्रमा तक पहुंच रहे है वहां हमारे हिन्दुस्तान के लोग बीज और खाद का प्रयोग भी नहीं जानें यह बात संभव नहीं है। जहां सारा संसार वैज्ञानिक प्रगति कर रहा है उसका असर हमारे देश के किसान पर न हो यह बात नहीं है। उसका रिफ्लेक्शन पड़ता था वह पड़ा है। लेकिन जिस उद्देश्य से हमने सामुदामिक विकास योजना का कार्य शुरू किया है उसकी उतनी उपयोगिता अनुभव नहीं हुई।

आज हमारे बजट की जो स्थिति है उसको देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पंचायत समिति के लिये जो फण्ड्स थे उन सब को सरकार ने वापिस ले लिया है। जो कुछ उनके पास सेविंग्ज थीं उन सब को वापिस ले गई। आज पंचायत समितियों के पास क्या काम रह गया है केवल यह काम कि मास्टरों को इधर से उधर बदल दो। जो सरपंच जिससे नाराज है उसको ओबलाइज करने के लिये यह काम रह गया है इसके अलावा और कोई इनका अर्थ नहीं है। मैं तो इस पक्ष में हूँ कि पंचायत समितियों को तोड़ दिया जाय। आज जो यह कहा जाता है कि पंचायतों के पास प्राइमरी शिक्षा के चले जाने से वहां शिक्षा का स्तर गिर गया है मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। मैं समझता हूँ इस बिना पर यह कहा जाना कि शिक्षा के स्तर के गिर जाने के कारण अध्यापकों को सरकार के शिक्षा विभाग के अन्तर्गत दे दिया जाय मैं इससे सहमत नहीं हूँ आज जितना आराम अध्यापकों को पंचायतों के नीचे मिल रहा है उतना आराम उन लोगों ने कभी भी नहीं पाया है। समय पर कोई अध्यापक स्कूल में मिलता नहीं। मैंने सभापति महोदय, एक दफा एक दिन में 11 शालायें देखीं। जिनमें से दस में अध्यापक लोग गैर हाजिर मिले। आखिर यह बात क्यों होती है? मैंने जब सरपंचों को इस बारे में लिखा तो वे कहने लगे कि आपको प्रधान रहना है या नहीं। इन मास्टरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। मैंने कहा मुझे तो नहीं रहना है। तो वे कहने लगे हमें तो सरपंच रहना ही है। अगर इस तरह के मामले इन्स्पेक्टर पकड़ता तो उस पर कुछ न कुछ

(श्री रामकिशन)

एक्शन जरूर होता । अगर उस पर परसराम जी या जयकिशन जी चले जाते तो भी कुछ न कुछ एक्शन तो जरूर होता । जब उन्होंने मुझे कहा आयन्दा चुनाव जीतना है या नहीं जो इनका ट्रान्सफर करवाते हो ऐसी स्थिति में सभापति महोदय, मेरी स्थिति क्या होगी इसकी परवाह किये बिना मैंने कह दिया इनको सजा मिलनी चाहिये लेकिन वह नहीं मिल सकी । आज जो यह कहते हैं मास्टर पंचायतों के पास असुरक्षित हैं यह गलत है । जहां तक शिक्षा के स्तर का सवाल है उसमें सरपंच का कोई दोष नहीं और न पंचायत समिति का ही मैं दोष नहीं मानता ।

हमारी सरकार ने शिक्षा स्तर को सुधार के लिये भंडारी कमेटी का गठन किया था । उसको हम पढ़ नहीं सके । आज प्रधान लोग भी इनका ट्रान्सफर करवा नहीं सकते इस तरह से राजनैतिक ढंग के जो लोग हैं वे इन पंचायत राज संस्थाओं को कमजोर करना चाहते हैं और कोई झगड़ा है नहीं । अन्य किसी प्रकार के कष्ट हो पंचायत राज संस्थाओं म मैं ऐसा नहीं मानता ।

सभापति महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि इन पंचायत राज संस्थाओं के संगठन के बारे में सरकार पुनर्विचार करें । इसके बारे मे सादिक अली कमेटी बनाई गई । उस कमेटी ने जो अध्ययन किया क्या आपने जिला परिषद् और पंचायत समितियों के संबन्ध में जो निष्कर्ष निकाला गया, उसके बारे में कोई निर्णय लिया है । चार पांच साल मे तो उस कमेटी की रिपोर्ट आयी उसने जो सर्वे किया उस पर आपने कोई अमल किया है ? सरपंच और प्रधान की आप अवधि बढ़ाते जा रहे हैं आज राजस्थान का दुर्भाग्य है कि इन संस्थाओं के चुनाव के बारे में किसी को विश्वास नहीं रहा । लोकतन्त्र एक जीवित प्रक्रिया है, अगर हम इस प्रक्रिया को रोक देते हैं तो हम लोग नहीं बढ़ सकते । चुनावों की दो तीन बार घोषणायें की गई, परचे बना दिये गये, बेलट पेपर्स छाप दिये गये स्टाफ चुनाव के लिये भेज दिया गया लेकिन एक दिन पहले ही फैसला करते हैं कि चुनाव नहीं होंगे । मैं समझता हूं क्या राजस्थान के मंत्रि मंडल में मोहम्मद तुगलक ने क्या पुनर्जन्म ले लिया मैं जो समझता हूं इस प्रकार वे फरमान में कोई दिक्कत नहीं । ये इसी तरह के शेखचिल्ली के काम किया करते हैं । अगर आपको चुनाव करवाने नहीं थे तो दस बारह लाख रुपया खर्च क्यों किया ? इसके अलावा करोड़ों रुपया पंच सरपंच का लग गया चुनाव आदि के प्रचार में । इसलिये पंचायत मंत्री जी से निवेदन करूंगा वे अगला साल भी चुनाव कराने की स्थिति मे हैं या नहीं ? अगर वे इस स्थिति में चुनाव कराने के लिये तैयार नहीं हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

या तो यह कह दें कि मैं जो कहता हूं वह अन्य मन्त्री नहीं मानते, मुख्य मन्त्री नहीं मानते, कैबिनेट में अन्य मन्त्री नहीं मानते । तब तो हम समझ लेंगे कि आप कमजोर मन्त्री हैं और इसलिये आपको क्षमा किया जाता है । अब अगर आप चाहते हो कि इस साल चुनाव हों तो ठीक है कराइये और अगर नहीं चाहते इस साल भी तो ऐसे इस निर्जीव संगठन को कब तक चलाते रहोगे,

(श्री रामकिशन)

समाप्त करो। आप घोषणा कर दो इसकी।

फिर संसर्ग का असर भी पड़ता है। मैं अब तक परसरामजी को और तरह का मन्त्री मानता था। औसत मन्त्री से वे ठीक हैं। औसत दरजे के मन्त्री से वे थोड़ा ऊंचा हैं हम यह मानते थे। पर संसर्ग का असर आये बिना नहीं रहता ऐसा लगता है। जहां चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो वहां कीचड़ में कमल खिल सकता है यह असम्भव लगता है।

रूपवास पंचायत समिति का एक झगड़ा आपके पास था। आपने उसमें एक स्टे दिया। पर बगैर सुने वह स्टे कैंसिल कर दिया। ऐसा काम अगर हरिदेवजी कर देते तो मैं समझता कि वह उनकी आदत है। मथुरादासजी कर देते तो समझता कि बीस साल से जो पाप करते आ रहे हैं तो यह एक पाप और सही। पर आपको यह करने की हिम्मत कैसे हुई। केवल इसलिये कि एक आदमी आपके पास आया और कहने लगा कि अब तक तो मैं सिंडीकेट में था और अब इण्डिकेट में आ गया हूं यह मुझे दे दो। आपको स्टे की सुनना चाहिये था। दूसरी पार्टी को भी बुलाना चाहिये था, उसको भी सुनना था। फिर फैसला जो चाहे करते। पर आपने तो स्टे कैंसिल कर दिया बगैर सुने ही। ऐसी स्थिति है तो इस पंचायत राज की कमर विरोधी लोग नहीं तोड़ रहे हैं, जनसंघ नहीं तोड़ रहा है, स्वतन्त्र पार्टी के लोग नहीं तोड़ रहे हैं, अपने वचन और कर्म से आप स्वयं ही तोड़ रहे हैं। कहने वाला इतना घातक नहीं, जितना कर्म वाला घातक होता है। तो मैं पंचायत मन्त्री से यह निवेदन करूंगा कि इन सारे मामलों पर वे चिन्तन मनन करें। विचार करें। और अब किस ढांचे पर इसे वे ले जा रहे हैं इस पर विचार करें।

सभापति महोदय, एक सुझाव और है। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल आप बनाते हैं तो कलेक्टर का पद समाप्त कर दें। कलक्टर आखिर है क्या? जुडीशियरी को आप अलग करते जा रहे हैं। तो कलक्टरी को भी समाप्त करके इसके पद का डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का सेक्रेटरी बना देना चाहिये। साथ साथ बजट के मामले में भी परसरामजी की कृपा पर न रहें। राजस्व की आमदनी में से हिस्सा देने की बात मैं नहीं कहूंगा इसे स्टेट ले क्योंकि उसे और व्यवस्था करनी है। बाकी दूसरे जैसे जैसे कर रक्खे हैं उनका 25 प्रतिशत हिस्सा लोकल डवलपमेन्ट के लिये वहीं छोड़ दें सादी पुलिस और दूसरे काम डिस्ट्रिक्ट कौंसिल अपने पास रक्खे। बाकी सशस्त्र पुलिस प्रान्त अपने पास रक्खे। हम मानते हैं वे लोग गलती करेंगे। सरपंच और पंच गलती करेंगे तो छः सात मन्त्री आप में भी ऐसे बैठे हैं कि जो यह नहीं जानते कि बजट का पन्ना किधर से शुरू होता है। ये गलती कर सकते हैं तो वे भी कर सकते हैं। समाज के पिछड़े वर्ग को अवसर देंगे तभी वे भी सीखेंगे। कुछ गलतियां करके सीखेंगे पर सीखेंगे। उनको उत्साह, स्फूर्ति और कुछ करने की उमंग आवेगी।

जहां भ्रष्टाचार के मामले हैं निश्चित तौर पर उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिये। इससे लोकतन्त्र की प्रणाली मजबूत होगी। जब जब देश में लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुई तभी हिन्दुस्तान में

(श्री रामकिशन)

आक्रमणकारियों ने अपने पैर जमाये। मुगलों का भी आक्रमण तभी हुआ था और अंग्रेज भी तभी आ सके देश में। पर जब लोकतन्त्र मजबूत होता है सत्ता का उपयोग और आनन्द ग्रामवासी उठाते हैं, तो देश पर हमला होने की स्थिति में, अपने गांव और प्रदेश पर हमला होने की स्थिति में, सामूहिक संघर्ष भी उस आक्रमणकारी के विरुद्ध वे ही करेंगे। अगर उनको आप आर्थिक सत्ता और राज सत्ता से अलग कर देंगे तो ये प्रशासन चलाने वाले बड़े बड़े अधिकारी और सत्ताधारी युद्ध को सफलतापूर्वक नहीं चला सकते।

आज देश को अपनी सीमा पर चीन और पाकिस्तान से खतरा है उस सूरत में मैं और भी चाहूंगा कि पंचायत राज मजबूत बने। और करोड़ों लोग सही माने में इस राज सत्ता में हिस्सा लें। और देश का तेजी से निर्माण करने की कोशिश करें।

इसके साथ मेरे दो सुझाव और भी हैं। मैंने जिलाधीश का पद समाप्त करने की बात कही। सशस्त्र पुलिस को छोड़कर बाकी पुलिस को पंचायत राज के हाथ में देने की बात कही। हमारे देश का निर्माण करना है। किन्तु व्यवस्था है, धर्म और सम्प्रदाय की व्यवस्था है। उनको भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पर पांच हजार वर्षों से सड़ा हुआ पानी आसानी से नहीं निकल सकता। प्रधान और प्रमुखों में भी पिछड़ी जाति वालों के लिये रिजर्वेशन होना चाहिये। शिड्यूल कास्ट के इलाके हैं जन्मी तो उनमें से हैं, प्रधान पंच सरपंच भी होने चाहिये। ये आज बहुत कम हैं। इनमें से एक्जीक्यूटिव अधिकारी भी हों तो स्वाभिमान उनका भी जागेगा। अब हम पंचायती राज कानून में इस तरह का संशोधन करें जहां जितनी आबादी है उनमें दबे हुए पिछड़ी जाति के जो लोग हैं जो समाज में दूसरी तरह से सताये हुए लोग हैं उनके लिये वहां भी विधान सभा की तरह संसद की तरह व्यवस्था होनी चाहिये।

अकाल का जहां तक सम्बन्ध है, जब तक यह राजस्थान सरकार रहेगी अकाल रहेगा। दोनों चीजें साथ साथ जन्मी हैं, साथ साथ मरेंगी। ये दोनों तो जुड़वां भाई हैं। इस बारे में विस्तार से मैंने पहले जिक्र किया था। अब हम केवल अरण्य रोदन करते रहें इससे कुछ नहीं होगा। कोई कहता है मेरी सड़क अधूरी रह गई। 12॥ के बजाय 13॥ हो गया। अकाल के 22 सालों में उसको सम्पूर्ण रूप से रोकने में आपने कोई सफलता प्राप्त की हो ऐसा न सही, पर आंशिक रूप से भी रोकने में कोई सफलता आपने प्राप्त नहीं की। यह दुनिया के और देशों में भी आबहवा है। मत्र देश के अरब देश के ऐसे बेल्ट है वहीं यह बेल्ट है। वहां भयंकर अकाल क्यों नहीं पड़ते ? ईश्वर का यह प्रकोप बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर पर ही क्यों होता रहता है ?

मैं निवेदन करूंगा कांग्रेस वालों से जो इस राज को टिकाये हुए हैं कि अकाल इसलिये पड़ते हैं कि आपको यह भ्रम हो गया है कि अकाल अगर स्थायी रहेगा तो वहां वाले लोग वोट आपको देते रहेंगे क्योंकि आप उनसे कहेंगे कि देखो हमने तुम लोगों को काम दिलवाया है मजदूरी दिलवाई है, सड़कें बना दी हैं। अरब रुपया खर्च कर दिया है। तो

(श्री रामकिशन)
आप वहां स्थायी रूप से अकाल रहने देना चाहते हैं अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिए।

आज तक तो हुआ सो हुआ। जिस प्रकार कि राजस्थान नहर की स्थिति है, अंडरग्राउण्ड वाटर को ऊपर लाने की दिशा में आपकी प्रगति की स्थिति है बिजली, पानी और सड़कों के निर्माण की दिशा में आपकी प्रगति की स्थिति हैं, इससे लगता है इस रफ्तार से 25-30 साल में भी अकाल मिटाया नहीं जा सकता।

अब तक आपने जो किया सो किया। अब मैं जानना चाहता हूं आपसे कि इस अकाल का स्थायी तौर से या आंशिक रूप से भी समाप्त करने की आपकी क्या योजना है। दस बीस या तीस पर्सेन्ट कितना आप कम कर सकते हैं इसके लिए आपकी क्या योजना है। अभी योजना कमीशन की मीटिंग हुई थी। उसमें आपने डिसकस किया है। योजना का फाइनल शेप भी आपके सामने आ गया है। अनुदान ऋण या सहायता चौथी योजना के लिए आपको और दूसरों को कितना मिल सकता है, तामिलनाड, केरल, पश्चिमी बंगाल की क्या स्थिति थी क्या समस्याएं थीं उनकी और उनके लिए उनको क्या मिला? वे तो अपने जोर से जो उनको लेना था ले लिया। आपने क्या लिया? आपको क्या मिला? इन्दिराजी के बगल में खाली बैठकर और मिल कर चले आये। सिंडीकेट में थे पहले, अब इण्डिकेट में आ गये। बड़े प्रोग्रेसिव मुख्यमंत्री अपने को कहने लगे हैं पर वे आपको जानते हैं। आप उनको धमकी नहीं दे सकते। वे जानते हैं आप अपने स्वार्थ के लिए सत्ता के लिए उनकी गोद में चले गए हैं, और जब तक वे सत्ता पर रहेंगे आप कहीं जा नहीं सकते उनको छोड़कर तो आपके पास इसके सिवाय रास्ता क्या है। आप उनको कह नहीं सकते कि केन्द्रीय सरकार का यह प्रथम कर्तव्य है कि राजस्थान नहर योजना जैसी योजना राष्ट्रीय स्तर पर ली जाय। राष्ट्रीय योजना इसे बनाने पर आपने जोर दिया है? अकाल निवारण को राष्ट्रीय योजना के रूप में लेने के लिए आपने केन्द्रीय सरकार पर जोर नहीं डाला। यह मरूभूमि की अकाल निवारण की योजना सारे राष्ट्र की योजना होनी चाहिए ताकि दस पन्द्रह सालों में मौजूदा इस अकाल की भयंकरता कम की जा सके। पर यह हम नहीं कर सकते कि हमारा मन नहीं है। हमारे संस्कार वैसे नहीं हैं। और सरकार के पास अपना फन्ड नहीं है। सच्चाई से आप कोशिश करते हैं यह मैं मान लेता हूं पर आपकी हिम्मत नहीं है।

अकाल का प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान से आपकी सीमा लगती है। लोग इधर से उधर काम पर आते जाते हैं। युद्ध समाप्त है। हम चाहते हैं हिन्दुस्तान पाकिस्तान नजदीक आवें। हमारा तो सुझाव है कि सम्भव हो तो दोनों का एक महासंघ बने अगर दोनो सहमत हों तो। अगर यह स्थिति पैदा नहीं कर पाये तो हमारे फण्ड्स युद्ध सामग्री पर और उसकी तैयारियों पर खर्च होते रहेंगे।

श्री सभापति : कितना समय और बढ़ाया जावे? (अल्प विराम के अनन्तर) जब तक सदन के द्वारा मांग पारित नहीं की जावे तब तक के लिए सदन की कार्यवाही बढ़ाई जाती है।

(श्री रामकिशन)

मैं निवेदन कर रहा था कि हम पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की सीमा वाले राज्य हैं। यहां के नागरिकों की स्थिति सुधरती है तो हिन्दुस्तान महासंघ बनने की प्रेरणा मिल सकती है। पाकिस्तान वाले देखेंगे वहां सुधार हुआ है तो निश्चित ही उनका मन ललचायेगा। और नहीं जब वे ये देखेंगे कि यहां लोग तो कंगाल हैं, यहां के लोग भूख से मर रहे हैं तो पाकिस्तान के अन्दर आन्तरिक संघर्ष हो सकता है। मुझे पाकिस्तान के कई दोस्त मिले हैं जो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का महासंघ चाहते हैं....

एक माननीय सदस्य: जासूस मिले होंगे।

श्री रामकिशन: मैं तो पाकिस्तानी दोस्त कह रहा हूं। आपकी निगाह में वे कौन हैं मुझे पता नहीं। मुस्तफा को आप जानते हैं आप कौन हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आजादी में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। उनकी इच्छा है महासंघ जैसी स्थिति बने लेकिन जब हिन्दुस्तान के कंगाल चित्र को देखते हैं तो वे अपनी चिन्ता को दबा नहीं सकते। उनमें नई चेतना आई है। आज हम भरतपुर के लोग कष्ट उठाने को तैयार हैं, अलवर के लोग कष्ट उठाने को तैयार हैं, लेकिन सभापति महोदय राजस्थान की योजनायें बड़ी विलक्षण हैं।

अभी मैं जोधपुर गया था, माननीय उपाध्यक्ष जो साथ थे। मुझे ताज्जुब होता है जोधपुर के लोगों का धीरज कितना विशाल है। मैंने बहुत अध्ययन किया धीरज का क्या कारण है? या तो वे लोग यह सोचते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के कारण दन्ड भुगतना पड़ेगा या फिर वे यह सोचते हैं दुख-सुख का जोड़ा है, इन दो कारणों के अलावा मुझे कोई तीसरा कारण दिखाई नहीं दिया। इतना कष्ट सहने के बाद धीरज है। मैंने सभापति महोदय, 40–50 तालाब देखे जिनमें केवल तीन तालाबों में पानी था। यहां तो उल्टा हाल है जैसलमेर में खर्च करें बाढ़ों के लिए। हम भरतपुर के लोग चाहते हैं हमें बिजली दें तो भरतपुर में लगा रहे हैं नल। हमारे यहां 10 हाथ पानी है। मैं मानता हूं, सभापति महोदय, आज के युग में एक दिन का कष्ट देना भी औरत को जघन्य अपराध है लेकिन जब शताब्दियों से वहां की औरतें पानी दूर दूर से ला रही हैं तो और थोड़े दिन ला सकती हैं लेकिन बिजली को टाला जा रहा है। मैं कहता हूं उन बल्बों को वहां से हटाकर उन गांवों में लगा दो जहां खेती का सुधार हो सके। आज बिजली की समस्या, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में है वहां बिजली उपलब्ध कराइये। यह मेरा बहुत बड़ा सुझाव है लेकिन राज्य सरकार इस बात को सोचने के लिये तैयार नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान के अकाल के सम्बन्ध में विस्तार से न जाकर दो-तीन बातों की ओर ही जाना चाहूंगा। मैं एक बात माननीय पंचायत मंत्री जी कहना चाहूंगा आपको भरतपुर में बाढ़ रोकनी है तो उस काम को हाथ में लीजिये। आज भरतपुर में दो नदियां हैं उन पर बान्ध बना दीजिये। बाढ़ की समस्या का समाधान हो जायगा। चीन ने यांग-टी-सी नदी को रोका है और उसी से वहां प्रगति हुई है। मैंने पंचायत मंत्री महोदय से जितना मुझ से हो सकता था निवेदन किया, आम तौर पर मैं किसी मंत्री महोदय से बात नहीं करता हूं

(श्री रामकिशन)

लेकिन पंचायत मंत्री से जरूर निवेदन किया क्योंकि धरती के परसराम हैं और एक किसान के लड़के हैं। इस मारे मैंने उनसे बहुत कहा कि जो टूटे हुये बान्ध हैं उनकी ही मरम्मत करा दीजिये इससे आपकी इन्कम भी बढ़ेगी, किसान का नाज तेज बिकेगा, चारा तेज बिकेगा जिससे किसान की हालत सुधरेगी लेकिन उन बान्धों को आज तक नहीं बनाया गया। मेरा निवेदन है आप उन बान्धों को पंचायत समिति के पास न रखें। सारे बान्धों को सिचाई विभाग अपने हाथ में ले लेकिन बान्धों की हालत जैसी की जैसी रह रह है।

भरतपुर में एक नहर है, उसमें बाढ़ आती है। मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार वाले हिस्से को छोड़कर मनुष्य की हर जगह मदद करनी चाहिये। आज भरतपुर के सारे लोग मदद के लिये तैयार हैं। भरतपुर में अति-वृष्टि होती है और नहर का पानी बाढ़ में बदल जाता है। शहर का सारा जीवन उस नहर पर निर्भर हैं। हम कहते है उसकी मरम्मत हो करा दीजिये। जब राजस्थान सरकार से कहते हैं तो राजस्थान सरकार कहती है यह दिल्ली सरकार के अधीन है और जब दिल्ली की सरकार से कहते हैं तो दिल्ली की सरकार कहती है, राजस्थान सरकार के अधीन है और जब हम राजस्थान सरकार को सम्पूर्ण रूप से लिखते हैं तो राजस्थान सरकार कहती है हमें पता नहीं किस विभाग के अधीन है यह तो आज इनकी स्थिति है। सारा जन जीवन भरतपुर का उस नहर पर निर्भर करता है। नहर टूटी हुई पड़ी है। राजस्थान सरकार से कई प्रकार से निवेदन किया, आप यह मत सोचो कि भरतपुर वालों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिये। मैं पंचायत मंत्री जी कहना चाहूंगा आप इस दृष्टिकोण को अपने मन में न रखें आज आप जयपुर में कई विकास के काम कर रहे हैं, युनिवर्सिटी बना रहे हैं और कई चीजें बना रहे हैं लेकिन फिर भी आपको जयपुर से वोट नहीं मिलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है इस तरह से कभी चुनाव नहीं जीता जाता है। आप बड़े बड़े शहरों में देख लीजिये कहीं से भी कांग्रेस नहीं आई है। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर आदि कई शहरों में तो काफी सुविधायें उपलब्ध हैं वहां से आपको कांग्रेस को जीतना चाहिये लेकिन वहां भी कांग्रेस नहीं आ रही है, तो आप इस तरह की बात को न सोचें।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा वहां के टूटे हुये बान्धों का और नहरों का बजट में प्रावधान रखें। साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार व्यापार को अपने हाथ में करना चाहती है–काम आप एक भी नहीं छोड़ना चाहते हो। सब काम आप अपने हाथ में लें, इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा लेकिन आपकी प्रगति सब जगह शून्य है। 8 करोड़ का नाज खरीदने का आपने प्रावधान किया है लेकिन फिर भी नाज की कीमतों पर आपका नियंत्रण नहीं। यह हमारे हिन्दुस्तान के किसान का दुर्भाग्य है कि उसकी रक्षा नहीं हो सकती है, आपके कर्मचारियों की रक्षा है, सेठों की रक्षा है क्योंकि उनसे आपको चन्दा मिलता है। आज दो वर्गों की सुरक्षा नहीं है, एक तो बेचारे किसान की सुरक्षा नहीं और दूसरे उपभोक्ताओं की कोई सुरक्षा नहीं। जब फसल आई तो 30 रु. मन और आज बिक

(श्री रामकिशन)

रहा है 54 रु. मन। कीमतों में इतनी बड़ी लूट है। फसल के साथ कुछ और भाव हो जाते हैं और फसल के बाद भावों में बडी लूट हो जाती है तो मैं कहूंगा राज्य व्यापार क्या करती है ? केवल बफर स्टाक बना लें और कुछ नहीं कर सकते। मेरा सुझाव है नाज के थोक व्यापार के लिये आप सक्षम नहीं हैं लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। नाज के थोक व्यापार को लेने से कोई सही समाजवाद नहीं आता है। एक फसल से दूसरी फसल तक कितनी बढोतरी हो जाती है सभापति महोदय एक किलो अनाज पर एक फसल से दूसरी फसल तक एक आना बढ़ जाता है एक आना मन से अधिक फरक नहीं पड़ेगा इस तरह तीन रुपये से अधिक भाव नहीं बढ़े। आज दुनियां के देशों ने कीमतों पर नियंत्रण किया है। इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है और इससे दुनियां प्रगति कर पाई है आज कपड़े की कीमत बढ रही है, केरोसिन की कीमत बढ़ रही है लेकिन जिन चीजों को किसान बेचता है उनकी कीमत गिर रही है। काश्तकार को कीमत बान्धिये। किसी भी फैक्टरी की बनी हुई चीज है आप यह तय कर दीजिये कि लागत दाम से दुगनी कीमत नहीं होगी। सीमेन्ट के भाव बढ़ रहे हैं क्योंकि आप साहू शान्ति प्रसाद जी से चन्दा लेते हैं। मुनाफे का आप 10 प्रतिशत तो चन्दे में ले लेते हैं क्योंकि आपको चुनावों में इसकी जरूरत पड़ती है आज मैं शीप-बूल, डेयरी का जिक्र नहीं करना चाहता। नमक में आपका कोई व्यापार नफे में नहीं चल रहा है। किसी भी कामों में आपका कोई नियंत्रण नहीं है।

तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप फिजूल का झंझट क्यों ले रहे हैं। और आप यह कहते हैं कि हम करना चाहते हैं तो मैंने मिसाल दी है। आप अपने स्टेटिस्टिक्स उठाकर देखें। आप कभी भी कीमतों पर नियंत्रण नहीं कर पाये। मैंने भरतपुर के जिलाधीश को कहा कि गेहूं का 54 का भाव हो गया हैं। हालांकि भरतपुर के जिलाधीश बहुत अच्छे हैं, नेक है लेकिन वह कहने लगे कि मैं तो खोल दूंगा लेकिन यह जिला तो सरप्लस जिला है। अब वह सरप्लस है या डेफिसिट यह सवाल नहीं है। भरतपुर के गांवों में जो काश्तकार हैं उनके अलावा जो मजदूरी करते हैं, जो बाढ पीडित हैं उनके लिए सस्ते गल्ले की दुकानें खुलें। जिलाधीश महोदय ने कहा कि मैंने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है तो राजस्थान सरकार का जवाब आ गया कि भरतपुर जिला सरप्लस जिला है। मैं समझता हूं कि आपके लिए आपको क्या लालटेन दिखायी जाय। लालटेन से तो कोई असर होगा नहीं और फिर आजकल लालटेन से काम भी चलने वाला नहीं है आपको तो कोई एटोमिक पावर से रोशनी की जरूरत है जिससे आपका विवेक जाग सके। वहां के लोग भूखों मर रहे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में समझता हूं कि समय के हिसाब से फिर जिद नहीं करना चाहता हूं तीन मांगों पर जो सुझाव दिये हैं मैं समझता हूं राजस्थान सरकार उन पर विचार करेगी और नयी दिशा देगी और जो सुझाव दिये हैं मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी।

श्री सभापति : मैं समझता हूं सभी दलों की तरफ से माननीय सदस्य बोलने

(श्री सभापति)

वाले हैं। मेरा ख्याल है जब तक माननीय सदस्यों के लिए भाषणों की सीमा तय नहीं की जावेगी तो काम नहीं चलेगा।

श्री मूलचन्द डागा : अब तो होना ही चाहिये क्योंकि पहले बोल गए घन्टे घन्टे सभापति जी बात यह है ....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य दस मिनिट से अधिक समय नहीं लें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभापति महोदय, मुझे नहीं मालूम भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य की यह कामना है कि राजस्थान में अकाल बीस वर्ष और पडे

श्री शीशराम ओला : सभापति जी, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि पंचायती राज के संबंध में विचार विमर्श इस हाउस में हो रहा है और बहुत सारे ऐसे माननीय सदस्य बोल चुके हैं जो कि पूरी जानकारी पंचायती राज के बारे में नहीं रखते और इसकी व्यर्थ ही आलोचना की है और मेरा आपसे निवेदन है कि जो पंचायती राज के बारे में कुछ जानते हैं और उससे सम्बन्धित हैं उन्हें जरूर अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री रामकिशन : यह तो सदस्यों का अपमान है। सभी जानते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सब गांवों से आ रहे हैं। कौन शहर का है ?

श्री यशवन्त सिंह नाहर : सभापति महोदय माननीय सदस्य की यह कामना है या उनकी भविष्यवाणी है कि राजस्थान में बीस साल और अकाल पड़े। मैं यह कहना भी नहीं चाहता जो इस दुर्भिक्ष की योजनायें चल रही है मैं तो यह भी अनुभव करने लगा हूं कि दो साल बाद राजस्थान में दुर्भिक्ष इस तरह चलता रहा तो हम क्या नये काम खोल पायेंगे ? यह बहुत बडा प्रश्न है। इस लिए मैं आशा करता हूं कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य इस दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में भी केवल इसलिए नहीं कि गांवों में जहां अकाल हैं वहां नवयुवती महिला सिर पर पानी का घड़ा रख कर पानी लाये। मैं इस दुर्भिक्ष पर केवल निवेदन करना चाहता हूं कि यह पार्टी के पावर का प्रश्न नहीं है। बहुत बड़ी नेशनल समस्या है जैसा आपने भी कहा है इसलिए मैं यह चाहता था कि आप कोई ऐसा सुझाव देते कि राजस्थान से यह अकाल दो वर्ष, चार वर्ष पांच वर्ष में इसको हम समाप्त कर पाते। मैं अपने अज्ञान के आधार पर इस सदन में अभी यह नहीं बताना चाहता और न कहना चाहता हूं कि इस अकाल की भयंकर विभिषिका को मीट करने के लिए हमारे पास क्या चारा है। इसी तरह से धुन डालते जाना छोटे मोटे तालाब टेंक और सडकें बनाते जाना। क्या इससे हमारी समस्या हल हो पायेगी ? मैं नहीं जानता। मुझे बोलना था केवल पंचायती राज पर।

पंचायती राज की प्रगति के ऊपर राज्य की ओर से एक विवरण दिया जाता है और उस विवरण में इसके दो भाग एक तो सामुदायिक विकास है और दूसरा पंचायती राज। उसमें न जाने कितनी चीजें डाली गयी है–ग्रामीण, लघु सिंचाई, नलकूप, निर्माण योजनायें, दुग्ध वितरण करना और न जाने क्या क्या। तो मैं यह समझ रहा

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

हूँ कि इस पंचायती राज की स्थापना के बाद इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य या राजकीय अधिकारी या मंत्रीगण ने कभी सोचा कि हमें पंचायती राज को चलाना है ? कभी हम इसके ऊपर जागरूक रहे कि पंचायती राज की जो हमने स्थापना की और नागौर में एक दीपक जलाया था वह जलता रहे या उसे हम बन्द कर देना चाहते हैं ? मुझे यह लगा कि पंचायती राज की स्थापना के समय जो हममें उत्साह था धीरे धीरे वह कम हुआ है। इसलिए यह सामुदायिक विकास में से पंचायती राज एक आइटम रह गया, जिसके चुनाव करा दो, पंच लोग आ कर बैठ जांय, कुछ प्रार्थना कर लो और उसके द्वारा उन प्रार्थनाओं के बाद जो अनुदान, ग्रान्ट इन एड और भिक्षा जैसी चीज मिल सकती है तो वह मिल जाये। इसके अलावा पंचायती राज में आज मुझे कुछ दीखता नहीं है ।

इस सामुदायिक विकास योजना का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंश माना गया है एग्रीकल्चर । उसके बाद उस समुदाय में से सारी चीजें गायब हो गयीं । उद्योग गायब हो गए, सोशियल वैलफेयर गायब हो गया, कोआपरेटिव गायब हो गयी, नवयुवक मण्डल गायब हो गया, महिला उत्थान गायब हो गया, सोशियल जस्टिस गायब हो गया और केवल एग्रीकल्चर रह गया है और शायद उसके अलावा और कोई चीज ऐसी नजर नहीं आती । शायद एग्रीकल्चर के ऊपर हमारे यहां की 82 परसेन्ट पापूलेशन डिपेण्ड करती है उसका उत्थान कर दे कि खेती पैदा होती चली जाये तो हमारा कल्याण हो जायेगा और देश में सोशियल जस्टिस भी मिल जायेगा और हम बहुत आगे बढ़ते हुए चले जायेंगे यह मुझे एक स्वरूप नजर आता है। सरकार उस पर सोच रही है और निर्णय करने जा रही है। एग्रीकल्चर की हालत यह है कि मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि जब तक आपकी मेजर इरीगेशन फेसेलिटीज नहीं हैं तब तक नया अलाटमेन्ट बन्द करदें खेतों के सम्बन्ध में। अगर आप इन्टेन्सिव कल्टीवेशन करना चाहते है तो उससे देश का कल्याण होगा नहीं तो हम गरीबी को वितरण करेंगे। फिर भी मैं पंचायती राज के संबंध में बहुत कुछ आशावान हूँ। हमने सन् 52 के अन्दर जब सामुदायिक विकास योजना का काम प्रारम्भ किया था तब यह कम्युनिटि डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट का वेस था कि हमारा सरल समाज इसी तरह से आगे बढ़े।

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

(8-20 रात्रि)

उसकी आर्थिक अवस्था सुधरे उसकी सामाजिक अवस्था सुधरे।

आजादी से पहले जो हमारे ग्रामों की हालत थी, वह नक्शा भी था जिसको हम देखे तो मालूम पड़ता था कि गांव में दो ही आदमी थे एक जागीरदार और एक महाजन इनके अलावा सारी दीन जनता थी जिनको जागीरदार के दरवाजे के सामने जूते पहनकर निकलने की हिम्मत नहीं हो सकती थी। मां का करियावर है और माताजी लिख दिया तो 6 महीने की कैद। उनको कपड़े पहने का अधिकार नहीं था,

# Page No. 162



(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

चांदी के गहने पहनने का अधिकार नहीं था और शक्कर का भोजन नहीं बना सकते थे। 90 प्रतिशत जनता के साथ में इस तरह का अन्याय था। उस अवस्था में न हमारा कोई जमीन पर अधिकार था। तो 90 प्रतिशत जनता ने जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को देखा तो हमने यह देखा कि यह तो केवल इस आधार पर है। कम्युनिटी डेवलपमेंट को हमने एग्रीकल्चर बेस पर शुरू किया तो इसका नतीजा यह होगा कि जिनके पास में जमीन है वह तो इससे फायदा पा जायेंगे और जो लैण्डलेस व्यक्ति हैं उनको इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए हमने जो 1952 से 1959 तक सामुदायिक विकास योजना चलाई है तो उससे उन लोगों को ज्यादा लाभ था। 1959 में हमने पंचायती राज की स्थापना की है, क्योंकि हमने जनतन्त्र को अपनाया है। हमारे कांस्टीटयूशन में यह प्रोवीजन है आर्टिकल 40 में, जिसके आधार पर सेल्फ गवर्नमेंट को यूनिट मानकर पंचायत को, डेमोक्रेसी को गांवों तक पहुंचाने का आधार था। इसलिए हमने 1959 में पंचायत राज की स्थापना की इसके साथ-साथ हो हम यह चाहते थे कि गांवों का चतुर्मुखी विकास हो, उद्योग बढ़ें इनके अलावा हमारा समाज बढ़े, लेकिन हमारे यहां एक छोटी सी कहावत प्रसिद्ध हैं हंगरे छोरा पेट फोड़े····

श्री अध्यक्ष: हूँ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अभी भोजन किया और तुरन्त ही कहा जाता है बच्चे से कि टट्टी जा नहीं तो पेट फोड़ूंगा।

1959 के अक्तूबर में हमने पंचायती राज्य की स्थापना की है और थोड़ा समय नहीं गया कि हम लोग जो इस सदन में बैठे हैं वे कल्पना करने लगे हैं कि पंचायती राज एक गलत चीज है, यह एक ऐसी चीज है कि इससे देश डूब जायगा। इस तरह की विपक्ष के लोग और हमारे कुछ लोग भी आवाज लगाने लगे हैं कि इससे गांव में फासिज्म और डिसपर्शन पैदा हो जायेगा वहां पर लड़ाई-झगड़े हो गये हैं क्योंकि पंचायतों में इलेक्शन हो गये थे। हमने असेम्बली के लिए इलेक्शन, पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन, जनतन्त्र और पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी को अपनाया है। मेरा यह निश्चित मत है कि गांवों में जनतन्त्र की नींव है। इसलिए इसको हम मजबूत करें जैसा अभी भाई राम किशनजी ने कहा··· कि फासिज्म पैदा होता है, गांवों में संघर्ष पैदा होता है तो वह संघर्ष उस संघर्ष से अच्छा है जो कि गांवों में केवल जागीरदार और महाजन मिलकर 90 पर्सेन्ट लोगों को रौंदा करते थे। इसके पहले भी हमारे यहां संघर्ष था गांवों में। मैं मोरेलिस्ट और नीति वालों की बात नहीं कहना चाहता हूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि गांवों में जागीरदार और मनीलैण्डर के नीचे सारा गांव दबा पड़ा था और लोग जूते पहनकर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, जागीरदार निकलता था तो सारे गांव के लोग खड़े होकर नमस्कार करते थे और इस अवस्था में जब जीवन चल रहा था तब उस अवस्था में फासिज्म हमारे यहां पर था तो हमारे यहां पर संघर्ष था···

श्री मूलचन्द डागा : क्या सन्तोष हो रहा है पुरानी बात याद करके।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं निवेदन कर रहा था कि चुनाव की पद्धति से डरिये मत। एक नई चेतना आई है। नया इन्सेन्टिव गांवों में पैदा कर रहे हैं। नई चीज हमारे यहां आ रही है। कुछ दिनों पहले, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो सदस्य आये थे-एक कन्जरवेटिव पार्टी के थे, और उन्होंने यह पूछा कि चुनाव के खर्चे का क्या तरीका है, तब उन्होंने कहा कि हमारे गांव में हमारी पार्टी जिन्दा है, कन्जरवेटिव पार्टी भी जिन्दा है और लेबर पार्टी भी जिन्दा है। अगर पार्टियां गांवों मे जाकर वर्क करने लगें तो गांवों को एक चीज दे सकती हैं और हमारी समस्याएं समाप्त हो जायंगी। गांव में अगर पार्टीज जिन्दा हैं और वहां पर जनतन्त्र पनपा तो हमारा जीवन सुखी होगा, हमारे यहां एक अच्छी डेमोक्रेसी पनप पायेगी। तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि 59 में यह हुआ। उसके बाद में तीन-चार कमेटियां बन गईं इस बात को तय करने के लिए कि जनतन्त्र में पंचायतें सबल हो रही है कि नहीं और उसके अनुसार उद्योगों को हटा लिया, समाज-कल्याण को हटा लिया, और एक चीज और नजर आई है हमारे भंडारी साहब उसके चेयरमैन हैं...

श्री अध्यक्ष : No Pointing to the galeery.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : I am not going out.

श्री अध्यक्ष : गैलेरी की ओर संकेत नहीं हो।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं माफी चाहता हूँ।

कमीशन की रिपोर्ट आई है। मुझे पढ़कर सन्तोष हुआ कि उसमें ऐसी चीज नहीं दिख रही है। शिक्षा का बहुत बड़ा मद है और उस मद को हटाने के सम्बन्ध में चारों तरफ से चर्चा चली। अभी उधर से जनसंघ के माननीय सदस्यों द्वारा भी यह आपत्ति उठाई जाती रही है कि टीचर्स को हटा दें तो खोखला पंचायती राज होगा और जो सेल्फ-गवर्नमैंट की उसको युनिट बनाने जा रहे हैं तो उसमें से यदि शिक्षा को हटा लें तो क्या बच जायगा? भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि उसके बाद शरफअली थे उनकी रिपोर्ट....

श्री रामकिशन : सादिकअली।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सादिकअली की रिपोर्ट को अपना लें तो बहुत बड़ा काम हो जायगा...

श्री रामकिशन : शरफअली कलेक्टर तो नहीं रहें आपके यहां। बहुत याद आ रहे हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हटाने का बहुत बड़ा प्रश्न है....

एक माननीय सदस्य : शरफअलीजी याद आ रहे हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हटाने का अभी कोई प्रश्न नहीं है। मैं यह मानता हूं कि पंचायती राज किसी अवस्था में हो और कितने ही उसके ऊपर कमीशन कायम किये जायं, लेकिन

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

गांवों में विकास हुआ है, एक इन्सेन्टिव पैदा हुआ है, एक आज तूफान आया है गांवों में जिससे गांवों के लोगों में यह उत्साह आया है कि भीख मांगने की प्रवृत्ति उनमें से चली गई। नहीं तो मुझे मालूम है और भरतपुर में आने वाले माननीय सदस्य भी जानते हैं कि पहले लोगों में राजाओं के पास भीख मांगने की प्रवृत्ति रह गई थी कि अन्नदाता मां के अठे रोड बना दी जाय, म्हां के अठे सड़क बना दी जाय, और, अध्यक्ष महोदय—

एक माननीय सदस्य : उदयपुर की बोली बोल रहे हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : हम अन्नदाता के राज में भी रहे हैं और इस पंचायती राज में भी बैठे हैं तो अन्नदाता की कुतस्वीर है उसको भूल नहीं सकते। वह इतनी कड़वी तस्वीर है और इतनी दर्दनाक तस्वीर है कि उस समय के हमारे समाज की काली तस्वीर है जो कि हमारे समाज की नग्नता को सामने रख रही है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि लोअर कास्ट बिल्कुल उठने लगी है पंचायती राज के आने के बाद। वे अपने आप में यह फील करने लगे हैं कि इस पंचायती राज के द्वारा हम आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनमें यह प्रवृत्ति पैदा हुई है कि वे डिसेन्शन के द्वारा अपने गांव...

श्री अध्यक्ष : लोअर कास्ट में कौन हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : लोअर कास्ट उदयपुर में होती हैं इसलिए उनका ही ध्यान हुआ है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैंने इससे पहले भी निवेदन कर दिया था, अध्यक्ष महोदय कि हमारे यहां महाजन, ब्राह्मण और राजपूत जो हैं वे अपर कास्ट की श्रेणी में आते हैं और उसके नीचे ज्यादातर सब निम्न श्रेणी में आते हैं...

श्री अध्यक्ष : अब तो बराबर हैं ना आपकी दृष्टि में ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आज भी हम बराबर नहीं कर पा रहे हैं शायद तीन-चार इलेक्शन पंचायतों के और लड़ने पड़ेंगे तब जाकर वह स्थिति आयेगी। जहां पर मेजोरिटी में हरिजन हैं उनके भी सरपंच आते हैं राजपूत जागीरदार और अन्नदाता, घणी खमा आज भी चल रही है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माना इलेक्शन आज भी हमारे यहां का प्राइवेट है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 65 में इलेक्शन हुआ पंचायतों का सरपच प्रधान, प्रमुख, पंचों की गिनती कर लें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोअर कास्ट के पंच, सरपंचों की गिनती काफी संख्या में बढ़ो हैं, और यह मैं मानता हूं कि यह हमारे पंचायती राज की बहुत बड़ी सफलता है। हमारे समाज में एक नई चेतना सोशियल जस्टिस के बारे में जगी है, और इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि—पंचायती राज के मंत्री तो नहीं हैं

श्री मनोहरसिंह मेहता : आ गये मन्त्री महोदय।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अगर हम जनतन्त्र को जिन्दा रखना चाहते हैं, असेम्बली में बैठे रहना चाहते हैं तो इस जनतन्त्र, डेमोक्रेसी को गांवों में जाने दीजिये, डरिये

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

मत कि फासिज्म फैल जायगा। पंचायती राज पनपेगा उसी दिन जनतन्त्र सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, हम आज भी बड़े परम्परावादी और रूढ़िवादी हैं और जिस देश में परम्परावादी और रूढ़िवादी लोग होते हैं वह देश कभी लोकतन्त्र की दिशा में जा नहीं सकता है। लोकतन्त्र को जिन्दा रखना है तो सामुदायिक विकास को सही अर्थ में समझना होगा। सामुदायिक विकास का अर्थ यह नहीं है कि कृषि का इतना विकास हो, शिक्षा का इतना प्रसार हो। सामुदायिक का अर्थ इन्सान को पैदा करने का है, इन्सान में जागृति पैदा करने का है। गांव गांव में हरएक इन्सान को हिम्मत के साथ काम करने के लिए खड़ा करने का काम था। वह काम था सामुदायिक विकास का। इस देश में लोकतन्त्र को कायम रखना है तो आपको गांव गांव में जागृति पैदा करनी होगी। आज आजादी के बीस साल के बाद क्या जागृति पैदा हुई है ? आज भी इस देश में परम्परावाद और रूढ़िवाद के पुराने पचड़े में फंसे हुए लोग है और इन्सान में जागृति पैदा नहीं कर सके हैं। सामुदायिक विकास का एक ही काम था कि गांव गांव का हर आदमी खड़ा होकर कहे कि लोकतन्त्र मुझ पर कायम है और मैं लोकतन्त्र को इस देश में कायम रखने की हिम्मत रखता हूं। लेकिन आज बीस साल की आजादी के बाद भी यह काम नहीं हुआ और कहते हैं कि हमने इतना बीज बांट दिया है, इतनी खाद दे दी हो

एक माननीय सदस्य : जागरूकता पैदा कर दी है।

श्री मूलचन्द डागा : जिस दिन देश का इन्सान जागरूक होगा उस दिन वह पटवारी को खुदा नहीं मानेगा, उसमें शिक्षक के प्रति इज्जत होगी। यह सामुदायिक विकास का काम है। क्या इस सामुदायिक विकास का काम यह नहीं था कि गांव गांव में नवयुवक मण्डल बनें। मैं कहता हूँ कि वह देश भाग्यवान होता है जिस देश के युवक समय के साथ ऊंचे उठते हैं और समय के साथ चलना चाहते हैं। आज के नवयुवक में इस प्रकार की भावना उत्पन्न नहीं हुई है इसलिए हमें सरकार के सहयोग पर जिन्दा नहीं रहना चाहिए। आज ग्रामीण जनता सरकार के सहयोग पर जिन्दा रहना चाहती है इसलिए ही आजादी के बीस वर्ष बाद भी वह टैक्सेशन के द्वारा अपनी पूंजी गांव के विकास में नहीं लगाना चाहती: वह अपने हाथ मे कुए नहीं खोदना चाहती—वह तो सरकार की मदद चाहती है। कहते हैं कि मुल्क ने बीस वर्ष में इतनी उन्नति कर ली है, देश का इतना उत्थान हमने कर दिया है, इतनी प्रगति हो गई है, मैं कहता हूं कि आपको यह कहने से पहले सोचना होगा और समस्या के अन्दर गहरे जाकर सोचना होगा। आपने बीस साल के अन्दर ग्रामीणों को कंगाली की स्थिति में डाल दिया है, इसलिए हो आज ग्राम पंचायतें हर काम के लिए सरकार का मुंह देखती हैं और मंत्रियों की दया पर वह जिन्दा रहना चाहती हैं। आप गांवों में सामुदायिक भावना पैदा करना चाहते हैं तो पहले ग्रामीण व्यक्तियों के दिल, दिमाग के अन्दर यह भावना पैदा करनी चाहिए, उनके अन्दर बुद्धि बढ़ानी

(श्री मूलचन्द डागा)

चाहिए। आपका ग्राम पंचायत बनाने का उद्देश्य यह था कि गांवों में पूंजीवाद बढ रहा है; और आम आदमी पीछे रहता है, वह न होकर गांवों के अन्दर इन्सान ऊंचा उठे। लेकिन ग्राम पंचायतों के माध्यम से आपने ग्रामों में अपनी सत्ता को फैलाया हैं। मैं चाहता हूं कि गांव गांव में युवक मण्डल बनें जिनमें देश के लिए काम करने की भावना पैदा हो, उनके अन्दर आप इस भावना को जगायें और परम्परावादी और रूढ़िवादी लोगों को पीछे हटायें और नवयुवकों को सत्ता में आने का मौका दें। लेकिन आज आपने कितने नवयुवक मण्डल, युवक मण्डलों की स्थापना की है ? और नवयुवकों की कितनी इच्छाओं और अभिलाषाओं को पूरा किया हैं। लेकिन हम गांव गांव में नवयुवक मण्डल और युवक मण्डल स्थापित नहीं कर पाये और आज भी लोग परम्परावादी और रूढ़िवादी विचारधारा के होते हैं। आज दुनियां को देखें, आज चांद पर इन्सान उतर गया है लेकिन हम आज भी परम्परा और रूढ़ी की बात कहते हैं। मुझे दुःख होता है कि बढ़ते हुए जमाने के साथ हम कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आज जब यह कहते हैं कि इक्कीस वर्ष के युवक को मतदान का हक हो, उसके सरपंच बनने की बात हो तो आप कहते हैं कि नहीं, जब यह पच्चीस साल का हो जायेगा, तब इसको खड़ा कर सकेंगे। आज जो गांवों में पढ़े-लिखे लोग जाते हैं, वह इस मामले पर कायम रहना चाहते हैं, लेकिन आप उनको कुचलते हैं, उनकी शक्ति को कम करते हैं ताकि वह शक्ति का काम नहीं कर सके। मैं आपको कहता हूं कि आपने विकास योजनाओं के काम को प्रधान पर क्यों नहीं छोड़ा है, आपने क्यों बी. डी. ओ. को उसके ऊपर रख दिया है। आप जानते हैं कि केवल दो-तीन पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने कुछ टैक्स लगाये हैं और टैक्स वसूल किये हैं। इनके अलावा और गांव की पंचायतों ने विकास के काम में सहयोग नहीं दिया है। शुरू में लाख रुपया आपने पंचायतों को दिया। पंचायतों में कुछ काम हुआ वह सामने आया तो आपने वह सहायता बन्द कर दी। और आज लोगों को सरकार का मोहताज बना दिया है। हर आदमी कहता है और सरकार का मुँह ताकता है कि जब सरकार से पैसा आयेगा तब काम होगा। मैं कहता हूँ कि पंचायतों को स्थापित करने का मतलब यह नहीं था। इसके अलावा आपने जो न्याय पंचायत को अलग कर दिया है वह गलत कर दिया है। न्याय पंचायत की सारी पावर पंचायतों के अन्दर निहित होनी चाहिए। सामुदायिक विकास के सिद्धान्त के पीछे यह नहीं था कि न्याय पंचायत को अलग कर दें। आज सवाल यह है कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर स्वाभिमान जग पाये, और लोकतंत्र के अन्दर विश्वास कायम रह सके, सब लोग तन मन से मजबूत हों। इसके लिए मेरा निवेदन है कि जो बी. डी. ओ. है वह वहां का ही कोई कार्यकर्ता होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसमें काम करने की भावना हो, जो मनुष्य को ऊंचा उठाने के लिए काम करने वाला हो, जिसके रोम-रोम में देश प्रेम की भावना हो वह बी. डी. ओ. बने और डिस्ट्रिक्ट के अन्दर कलेक्टर वह बने जिसके दिमाग में देश को

(श्री मूलचन्द डागा)

ऊंचा उठाने की तमन्ना हो, इच्छा हो और जो सरपंचों को इज्जत देता हो। देश में सामुदायिक विकास तब होता है जब सरपंच के हाथ में हाथ डाल कर कलेक्टर खड़ा होता है। लेकिन वह आज इस तरह खड़ा होने को तैयार नहीं है। वह सरपंच को आज हिकारत की दृष्टि से देखता है। वह कहता है कि देश में लोकतंत्र बढ़ गया है, वह प्रजातंत्र की दुहाई देता है—यह गलत है और यह एक भ्रम फैलाने वाली बात है। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब कि लोगों के अन्दर सरकार द्वारा सरपरस्ती की भावना नहीं हो और लोगों का मूल्य बढ़ता हो।

एक और बात की तरफ मैं थोड़े में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि समय का अभाव है। आपने एक योजना बनाई है, पाली में बनाई है कि सड़कों का काम पूरा होना चाहिए। लेकिन जो सड़कों का काम चल रहा है। मेहरबानी करके जब आप जनता की दौलत, गाढ़ी कमाई को इन कामों पर खर्च करते हैं तो इस बात का ख्याल रहें कि कोई काम अधूरा न रह जाय। मैं चाहता हूं कि जो पाली से खैरवा और मारवाड़ जंक्शन तक आपने सड़क बनाई है वहां पर आप रोलर की व्यवस्था करें...

श्री अध्यक्ष : आप भी सरकार की तरफ ताक रहे हैं ख्वामख्वाह !

श्री मूलचन्द डागा : अकाल के समय में राहत के कार्य कराने का अधिकार है। भारत सरकार ने समझ रखा है कि वह राजस्थान में अकाल के लिए सहायता देते हैं। लेकिन साथ ही यह भी शब्द सुनते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो राजस्थान की अकाल की समस्या है, वह सारे हिन्दुस्तान की समस्या हो गई है और इसको इसी रूप में लेकर गवर्नमेंट को मदद देनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि हम तो सहायता देते हैं। मैं कहता हूं कि यह जो अकालग्रस्त जिले हैं इनमें अकाल क्यों पड़ता है, वह इसलिए ही कि वह जिले अविकसित हैं, वह पिछड़े हुए हैं। यह कारण है तो फिर उनको दौलत और रुपया सरकार से नहीं मिले तो यह विडम्बना है। ऐसी स्थिति में भी केन्द्रीय सरकार राजस्थान की अकाल की समस्या को अपना विषय नहीं मानती—मैं समझता हूं कि यह राजस्थान सरकार का काम है और भारत सरकार का काम है क्योंकि यह जिले पिछड़े हुए हैं। यहां के लोग बिना पानी के तड़पते है—यह केन्द्रीय सरकार के लिए भी शर्म की बात है कि हिन्दुस्तान की बीस साल की आजादी के बाद भी राजस्थान को अलग समझने के कारण यहां के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और केन्द्रीय सरकार समझती है कि उसने कुछ काम कर लिया है। मैं समझता हूं कि पिछड़े हुए इलाके के लिए साथ यह ज्यादती की है। जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनमें खूब दौलत खर्च की जाय, अरबों रुपये तब ही जैसलमेर जैसे क्षेत्र के अन्दर राजा महाराजा के समय की कंगाली को मिटा सकेंगे। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार भूल करती है अगर वह यह कहती है कि वह सहायता करती है। केन्द्रीय सरकार समाज के जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो पिछड़े हुए हैं उनका विकास करने को एक नेशनल प्राबलम समझें (समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री मूलचन्द डागा)

तीसरा सवाल जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ, वह मेरी दो तीन बातें हैं...

श्री अध्यक्ष : क्षेत्रीय भावना क्यों लाते हैं ? क्षेत्रीय भावना से दूर रहे।

श्री रामकिशन : आप आ गये घूम फिर कर वहीं।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये।

श्री मूलचन्द डागा : परसरामजी आप ध्यान दीजिये, आप एक टैंकर पाली तहसील में भेजने का कष्ट करें, वहां पर पीने का पानी नहीं है। पिछले दिनों पीने के पानी की इतनी बड़ी भारी तकलीफ हुई है, वर्णन करने में मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि आपका इशारा हो गया है। मेरा ख्याल है कि जो अकाल राहत के काम लिये हैं, वे किस के लिये हैं, रोड्स के लिये हैं उन को आप समय पर पूरा करिये, नहीं आपका ईल्डिंग का टार्जेट पूरा नहीं होगा। जो भी सिंचाई के काम लें उनको पूरा करना चाहिए—यह बहुत जरूरी है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका सिद्धान्त था, जो गरीबी से पीड़ित हैं, जो अकाल पीड़ित हैं उनको ही आप मेट और सुपरवाइजर बनायेंगे। लेकिन जो मालदार और ऊंचे घराने के लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं उनको आप मेट और सुपरवाइजर बना देते हैं...

श्री रामकिशन : डागाजी को सुपरवाइजर बना कर भेज दें।

श्री मूलचन्द डागा : इस प्रकार की हिदायत निकालें कि जो गरीब लोग हैं उनको आप मेट और सुपरवाइजर बनायें।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज इतना प्यारा नाम है और बापू की जो कल्पना थी और उनके स्वप्नों का जो भारत था, उसमें पंचायती राज का बड़ा स्थान था। वे चाहते थे कि सत्ता नीचे से आये, ग्राम स्वावलम्बी हों, गांवों के सब प्रकार के झगड़े गांवों में ही निबटें और वह एक पूर्ण इकाई हो। वहां की ग्राम सभा बिल्कुल विधान सभा की तरह हो, उसकी कार्यकारिणी हो और सारे के सारे गांव के झगड़े गांवों में ही निबटा दिये जायं, वहां उद्योग और शिक्षा का समन्वय हो। पर आज वहां सारे काम उल्टे हो रहे हैं, कोई काम सुल्टा नहीं है। जैसे रोगों का वात, पित्त और कफ इन तीनों का एक साथ ही आक्रमण हो जाता है, ठीक उसी तरह से आज पंचायती राज में जातिवाद, व्यक्तिगत स्वार्थ और पार्टीबाजी ये तीनों ही रोग एक साथ लग गये हैं। इसमें त्याग की आवश्यकता थी। पहले भी पंचायतों में लोग खड़े होते थे, पर वे घर घर जाकर नहीं कहते थे, गांव के सब लोग ही मिल कर उनको खड़ा होने के लिये कहते थे और उनको मजबूर करते थे कि आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। पर आज तो हालत ही दूसरी है। अभी अभी माननीय मित्र ने कहा कि भ्रष्टाचार कहां नहीं है, भ्रष्टाचार तो आज राज्य के अधिकारियों में भी है। पर हमको सोचना यह था कि हम में और अधिकारियों में भी अन्तर है और यही अधिकारी अंग्रेजों के वक्त में भी थे, अब आखिर इतने भ्रष्ट क्यों हो गये हैं। जब उन्होंने हमको भ्रष्ट देखा तो वे भी भ्रष्ट हो गये। मैं राज्य का और पंचायती राज

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

का माला से सम्बन्ध जोड़ता हूं। माला का जब एक एक फूल खिला हुआ होता है तो डोरे से पोते हैं, और फूल खिले हुए होते हैं तो सुन्दर माला गले में बड़ी शोभा देती है। पर आज फूल तो मुरझा गये हैं और सारा सम्बन्ध केन्द्र ही केन्द्र से है। केवल डोरा ही डोरा नजर आ रहा है। क्या है पंचायतों के हाथ में आज? वह तो आज आपकी दया पर आधारित हैं। आपने पंचायती राज इसी भावना से शुरू किया था पर आज आप बदलना भी चाहते हैं पर उसको बदल नहीं सकते। क्योंकि आपको कायम रहना है। यदि आप आज पंचायती राज का खत्म कर देते हैं तो कई प्रधान विधान सभा के लिये दावेदार होंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह बात तो नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : भाई मुझे अपने विचार तो कहने दो। मैं कोई आपके लिये नहीं कह रहा हूं या जो आज सत्ताधारी हैं, उनके लिये नहीं कह रहा हूं। अगर आज जनसंघ वालों का राज हो तो वे भी यही चाहेंगे कि किस तरह पिण्ड छुड़ायें। आज हो क्या रहा है, प्रधान के लिये, सरपंच के लिये खड़े होते है तो कितना खर्चा करना है? फिर हाल यह है कि पंचायतें सर्व सम्मति से एक चीज को पास कर देती हैं कि हमारे गांव में यह होना चाहिये पर क्या आपने कभी वह माना है? कभी नहीं माना। पंचायतें सर्व-सम्मति से पास कर देती हैं कि हमारे गांव में पूर्ण शराब बन्दी होनी चाहिये पर क्या कभी आपने माना है, जिला परिषद् ने पास किया पर आपने नहीं माना। आपको तो केवल टिकना है, मेवाड़ राज को टिकना था, महाराणा को टिकना था तो 16 और 32 के उमराव स्थापित कर दिये, वही आपने यहां पंचायती राज में किया है :

ज्यूं थरप्या मेवाड़ में, सोला बत्ती भूप।
वाऊं प्रमुख प्रधान रो, वो रो वो ही रूप॥

आपने प्रमुखों को सोलह उमरावों के रूप में स्थापित कर दिया और प्रधानों को 32 उमरावों के रूप में।

श्री अध्यक्ष : विधान सभा के सदस्य हैं, रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं, वे क्या हैं?

श्री मनोहरसिंह मेहता : वे उमरावों के भी बड़े उमराव हैं, वे तो राणाजी की स्थिति में हैं और ये सारे इनके भाई-बेटे हैं।

ग्राम राज, ग्राम स्वराज, पंचायती राज को कोई मारने वाला नहीं है, हम ही इसे मारने वाले हैं। हम अपने स्वार्थों को आगे रखते हैं। जो पंचायतों के, पंचायत समितियों के और विधान सभा के सदस्य बने हैं उनसे आशा की गई थी कि ये लोग ईमानदार रहेंगे। अगर कोई चादर काली है और उसके धब्बा लग भी जाय तो कोई नहीं देखता पर यह सफेद चादर है, इसमें तो थोड़ा सा भी धब्बा लगेगा तो वह धब्बा हर एक की नजर में आयेगा :

काली ने देवे कुंणीं, रिया मोकला दाग।
धोली चादर ऊपरे, फबे न कालो दाग॥

अगर हमें सच्चे पंचायती राज को जिन्दा रखना है तो हमें ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। शिक्षा पंचायत समिति को

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

दे रखी है, मगर इसके पीछे कल्याण करने की भावना होती तो दूसरी बात होती पर आज गांवों में देखिये, वहां क्या स्थिति है ? अगर किसी मास्टर ने सरपंच को, प्रधान को खुश रख लिया तो वह जहां जी चाहे घूमता रहे, उसको कोई परवाह नहीं पर अगर वह इनको खुश नहीं रख सकता तो फिर कितना ही निष्ठा और महनत से काम करे, उसको कोई नहीं पूछता । इसलिये भंडारी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वह बिलकुल ठीक है, शिक्षकों को बचाने के लिये, समन्वय बैठाने के लिये ठीक हो सकती है, इसलिए मैं उसका समर्थन करता हूं ।

अब मैं थोड़ा सा अकाल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । हमारे यहां आये दिन अकाल पड़ते रहते हैं । बीस साल हो गये अकाल पड़ते पड़ते हमें इसके लिए स्थाई हल निकालना होगा कि हमारे यहां अकाल ही नहीं पड़े और अगर पड़ें भी तो हम उनका किस तरह से मुकाबला करें । हमने कितने अकाल देख लिए पर हमने इनके हल के लिए कोई स्थाई कार्यक्रम हाथ में नहीं लिया । माफ करिये आज हमारी वृति यह हो गई है कि किस तरह से स्थाई अकाल पड़े ताकि हम चुनाव जीतें । अगर हमारी यही वृत्ति रही और अकाल पड़ता रहा तो सबके सब कामचोर हो जायेंगे, सबको भिखमंगे बना देंगे । इसलिए आप भगवान से यह दुआ मत कीजिये कि हमारे यहां पर अकाल पड़े। अकाल राहत मंत्रीजी उत्साही आदमी हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के स्थाई कार्य करिये जिससे कि फिर कभी अकाल न पड़े । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अकाल में भी भ्रष्टाचार है, मैं तो अहिंसा को मानने वाला हूं पर मुश्किल से तो पैसा आता है उसमें भी भ्रष्टाचार करें तो उन लोगों को आजन्म कारावास की सजा दें, कठोर से कठोर सजा दें ।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन जिन जिलों में अकाल नहीं है, उन जिलों को भी भूलें नहीं क्योंकि आपके लिए अकाल निवारण में वे बड़े उपयोगी हैं । उदाहरण के तौर निवेदन करूं कि मांडलगढ़ क्षेत्र में नदियों का जाल बिछा हुआ है वहां पर आप बांध बना सकते हैं, तालाबों का निर्माण हो सकता है, कुओं से सिंचाई करवा सकते हैं नदियों में जो बड़े बड़े दह हैं उनसे लिफ्ट इरिगेशन कर सकते हैं । इन योजनाओं को उस क्षेत्र में हाथ में लेने से हमारे जंगल हरे भरे हो सकते हैं और खाद्यान्नों के बारे में राजस्थान को आत्मनिर्भर कर सकते हैं । इसलिए आपको चाहिए कि एक एक कतरा पानी का जहां है, उस पानी को काम में लेने के लिए आप कोशिश करें । ऐसे क्षेत्रों में जहां अकाल नहीं है, पर अकाल को मिटाने के लिए बड़े उपयोगी हैं, वहां आप इस प्रकार के काम हाथ में लें ।

दो शब्द मैं व्यापार के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा । कृपा कर आप उसके प्रति ध्यान दें । राजकीय व्यापार के प्रति लोगों की सद्भावना बढ़नी चाहिए पर हम लोगों के दिलों में राजकीय व्यापार के प्रति निष्ठा पैदा नहीं कर सके हैं, इसलिए आज चारों तरफ राजकीय व्यापार बदनाम हो रहे हैं । जिस काम को आप हाथ में लें, उसमें खुशबू आनी चाहिए नहीं तो आज जो पंचायती राज का हाल है वही हाल राजकीय व्यापार का भी होगा ।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं थोड़ा सा मेरे यहां की पंचायत समिति के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैंने पहले भी निवेदन किया कि सफेद हाथी हैं। इन सफेद हाथियों जैसी पंचायत समितियों को जब तक बन्द नहीं करेंगे तब तक राजस्थान का कल्याण नहीं होने वाला है। पंचायतों और जिला परिषद् के बीच में पंचायत समिति को मत रखिये, तभी व्यापक काम होगा। ग्राम सेवक आज क्या कर रहे हैं? पंचायत समितियों में आज क्या हो रहा है? जो भी कर्मचारी जबसे पंचायत समिति में नौकर हुआ है वह जब कि पंचायत समिति खत्म होगी, या वह रिटायर होगा तब तक वह वहीं रहेगा। मेरे यहां के ग्राम सेवक की बात करता हूं, वह गेन्ली ग्राम का माण्डलगढ़ का रहने वाला है, और काम करे न करे, उसमें योग्यता है, तालाब के पेटे की जमीन जो गरीबों को मिलनी चाहिए थी, उसने अपने कब्जे कर रखी है, प्रधान का समर्थन है तो फिर कौन उसे रोकने वाला है। इस तरह के कई पापाचार हो रहे हैं। इस तरह के पापाचार को यदि आपको रोकना है तो पंचायत समितियों के अधिकारियों के और कर्मचारियों के तबादले करिये और जो मास्टर या अन्य कर्मचारी उसी तहसील का रहने वाला है, उसको वहां मत रखिए, तभी वे रात को स्कूल वाले गांव में रहेंगे।

बस मैं यही निवेदन कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(श्री रणजीतसिंह और शंकरलाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल! आपका नाम तो नहीं है लिस्ट में।

श्री शंकरलाल : मैंने लिख कर दिया था।

श्री अध्यक्ष : जो लिस्ट दी गई है उसमें आपका नाम नहीं है।

श्री शंकरलाल : मैंने बाद में दिया है साहब। मेरे 7 कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मैंने फैमिन के बारे में 17 कटौती प्रस्ताव रखे हैं। वास्तव में गत साल इतना भयंकर अकाल पड़ा कि उसके पश्चात् यह आशा की जाती थी कि इस वर्ष दुर्भिक्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि इस साल भी उतना भयंकर दुर्भिक्ष तो नहीं, फिर भी करीब दस हजार से अधिक गांवों में अकाल की स्थिति है जब कि गत वर्ष के अन्दर हमको करीब 2 हजार गांवों में अकाल घोषित करना पड़ा था।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं वे कार्यों के सम्बन्ध में रखे हैं। राज्य सरकार ने गत वर्ष में जिस प्रकार तेजी से काम किया था, इस समय उस तेजी से काम नहीं हो रहा है। साथ ही जो काम चालू किये गये हैं वे उपयोगिता के काम तो हैं, लेकिन उनके अन्दर दो चार दृष्टिकोण जो मुख्य हैं उनको मद्देनजर नहीं रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन यह करना है कि फैमिन वर्ष के अन्दर भी जो काम पहले अधूरे पड़े हुए हैं पहले उनको पूरा करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जहां तक मुझे पाली जिले का अनुभव है और मेरे निर्वाचन

(श्री शंकरलाल)

अब का अनुभव है, उनके बारे में अगर मैं लिस्ट दूं तो समय लगेगा, वैसे मैंने सूची मंत्री महोदय को दे दी है, यहां पर बहुत से ऐसे कार्य हैं जो गत फेमिन में अधूरे पड़े हैं। होता क्या है, अध्यक्ष महोदय, कि फेमिन में काम आरम्भ किया जाता है और फेमिन खत्म हो जाता है तो वे काम अधूरे रह जाते हैं और बाद में ऐसा कोई सरकार का विभाग नहीं है जो उन अधूरे कामों को पूरा करें। उदाहरण के तौर पर, जो सड़कें प्रारम्भ की जाती हैं वह अगर टूट जायें तो सार्वजनिक निर्माण विभाग उनकी मरम्मत नहीं कराता, न ठेकेदार कराता है, न मेन्टेनेन्स लिस्ट पर रहती हैं। फिर जब कभी वापस फेमिन आता है तब उनकी देख रेख होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जहां लाखों रुपये खर्च कर सड़क का निर्माण करें और उनको ऐसी हालत हो जाय कि उस सड़क पर चलकर दूसरे रास्ते से होकर लोगों को जाना पड़े केवल इसलिए कि वह सड़क टूटी हुई है, उनको ठीक नहीं करा सकते तो अधूरे कामों को पहले लेना चाहिए।

( समय–समाप्ति–सूचक घंटी )

दूसरा मैंने निवेदन किया था कि जो अकाल के अन्दर स्टाफ लगाया जाता है वह प्रारम्भ में पूरा नहीं होता। कुछ स्टाफ की कमी के कारण जो काम चलने चाहिए वह मन्जूर होने के बाद भी प्रारम्भ नहीं होते। उदाहरण के लिए अभी मुख्य मंत्रीजी 13 फरवरी को पाली जिले में आए थे। इन्होंने जो काम अकाल राहत के स्वीकृत किए, उनमें से कोई कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ। कारण बताते हैं कि स्टाफ की कमी है। जैसे भू-संरक्षण कार्य है, वह उपयोगी है लेकिन स्टाफ नहीं है। तो जहां तक स्टाफ का सवाल है बाद में जब मई का महीना आएगा उस समय ओवरसियर और इन्जीनियर भेजेंगे। वह 10-15 दिन काम करता चला जायगा तो स्टाफ पूरा लगाना चाहिए जिससे सुपरवीजन अच्छा हो। अगर 13 फरवरी के काम आज 24 मार्च तक चालू नहीं होते हैं तो स्वीकृत करने से क्या मतलब?

जो जो पुकारा होता है उसमें गत अकाल का भी कई जगह बाकी है। मेरे पास बहुत सी जगहों के नाम हैं जहां से शिकायतें आई हैं लेकिन समय की कमी के कारण...

श्री अध्यक्ष : दे दें मंत्रीजी को।

श्री शंकरलाल : जैसे जैतारन की सड़क है वहां 10-10 गैंगों के पैसे बाकी हैं लेकिन प्रश्न यह है कि वह रात को 11-12 बजे पेमेंट कराते हैं लोग उस समय 5-5 मील से नहीं आ सकते तो पेमेंट नहीं हो पाता है। इस तरह अनपेड वेजिज की समस्या रहती है। ये जो वेजिज दिए जाते हैं उन वेजिज में एक परिवार के पीछे दो आदमियों को काम में लगाना है। इस चीज को न तो स्ट्रिक्टली फोलो किया जा सकता है न गांवों में पूरे राशन कार्ड्स दिए गए हैं। कई जगह ऐसे आदमी लगाए जाते हैं जो बहुत एबुल हैं। इसलिए अकाल में जो लोग आए उनको काम पर लगायें, नहीं तो मिस्त्री सब कुछ होता है, चाहे तो सब को लगादे नहीं तो किसी को नहीं लगाता है।

राजस्थान कैनाल पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, जैसी हमें रिपोर्ट मिला, उन्होंने बताया कि वार्षिक छुट्टी देते हैं लेकिन मेरी

(श्री शंकरलाल)

सूचना है कि वहां 40 हजार मजदूर हैं, उनको वार्षिक छुट्टी नहीं दी जाती है। वहां पर जो अकाल सड़कों पर काम होता है, प्रेस्काइब्ड स्केल से ठेकेदार अपनो रेट्स से पेमेंट करता है। ठेकेदार ज्यादा पेमेंट करे, अकाल में कम हो, तो मजदूरों में इफीसियेन्सी नहीं आती है। काम दोनों जगह एक है लेकिन ठेकेदार मजदूरों को ज्यादा मजदूरी और अकाल के मजदूरों को कम मजदूरी मिले यह उपयुक्त नहीं है।

राजस्थान नहर पर जो प्रेगनेन्ट लेडीज हैं, उनको छुट्टी नहीं दी जाती है। जब डिलीवरी का समय आता है, उनको छुट्टी देने की बात करते हैं कि फेमिन कोड में लिखा है, तो भी वास्तव में छुट्टी नहीं दी जाती है।

इसके अलावा ऊंटों के गाड़ों को काम में नहीं लिया जाता है इसलिए लोगों को मजदूरी नहीं मिलती है·····

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री शंकरलाल : जिलाधीशों को कहीं कहीं पेय जल की व्यवस्था के लिए एक हजार के पावर्स दिए गए हैं लेकिन कहीं तीन हजार के पावर्स दिए हुए हैं। पाली जिले में पेयजल के लिए डीपनिंग आफ वेल्स के काम नहीं हुए और कलक्टर पम्प दे नहीं सकते। तो पाली कलक्टर को 3,000 की। पावर्स डीपनिंग आफ वेल्स के लिए दी जानी चाहिए जिससे डीपनिंग का काम हो सके।

यह जो रिपोर्ट मिली है अकाल की इसके अन्दर पाली जिले के बारे में देखेंगे तो जितने गांव राजस्थान में घोषित हुए हैं उनमें पाली में सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रभावित है। 853 में से 818 में अकाल घोषित हुआ है और 7,87,989 जन संख्या प्रभावित हुई है। बाड़मेर में 6.29 लाख जैसलमेर में 1.40 लाख·····

श्री अध्यक्ष : आप मंत्रीजी से बात कर लें।

श्री शंकरलाल : पाली जिले के अन्दर इतने ज्यादा गांव प्रभावित हैं कि वहां अकाल राहत के काम और ज्यादा खुलने चाहिए। अभी जो खुले हैं, वह अपर्याप्त हैं। कहीं तो रोटी रोजी का जरिया नहीं है।

(घण्टी)

इस बारे में कभी डिबेट होगी तो बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : उस समय आपका राइट रिजर्व रखा जायगा।

श्री शंकरलाल : पंचायती राज के बारे में बहुत बातें कही गई हैं लेकिन न्याय पंचायतों व पंचायतों की जो बात है, पंचायतों को न्याय का काम नहीं देना चाहिए। पंचायतों को आर्थिक विकास व मारल वेल्यूज को विकास करने के लिए लगायें लेकिन न्याय के मामले में वहां कन्फ्यूजन होता है, न्याय नहीं मिलता है और आजकल पंचायतों में कास्टिज्म, फेवरटिज्म चुनावों के कारण इतना हो गया है कि सिर्फ कृषि उत्पादन के अंदर पंचायतों को लगायें और जिला परिषदों को ज्यादा मजबूत बनाया जाय और जो पंचायत समितियां हैं उनकी हालत बहुत खराब है·····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। भाषण समाप्त हुआ।

श्री रणजीतसिंह (भौसियां) : अध्यक्ष महोदय, अकाल स्थिति के बारे में जो बहस हो रही है उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गत 10 सालों से पश्चिमी राजस्थान में लगातार अकाल की स्थिति रही है। कई गांव ऐसे हैं जहां 10 साल से अकाल है, किन में 9 साल से किन में 8 साल से। 4–5 साल से काफी गांवों में लगातार अकाल चलता आ रहा है और राज्य सरकार जितनी मदद कर सकती है, जितने उनके पास साधन हैं उतना करने की कोशिश कर रही है और उसके बाद भी अब गांव वालों की हालत इतनी नाजुक हो गई है कि लगातार 10 साल अकाल के निकलने पर उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनको न सरकार संभाल सकी न संभालने की स्थिति में है। सरकार अकाल के समय जगह जगह पर बांधों का काम चला रही है और साइल कन्जरवेशन के काम चल रहे हैं, इन पर इतने मजदूर नहीं लगा पा रहे हैं और उसी कारण सरकार ने दो जिलों, बाड़मेर और जैसलमेर में सहायता के रूप में जो 12।। रु० दे रही है जिसमें 50 प्रतिशत लोन और 50 प्रतिशत सब्सिडी है। अब आप खुद अन्दाज लगाइये कि 12।। रुपये में एक आदमी का गुजर कैसे हो सकता है। न तो गुजर हो सकता है और न कभी हुआ है। सिर्फ उन्हीं आदमियों को फायदा है जो साधन सम्पन्न हैं। मिलता सबको है। गरीब को तो मजदूरी न मिलने के कारण से 12।। रुपये में उसका गुजर होना ही मुश्किल है। दो जिलों में यह आपने दिया है उसका परिणाम आगे आने वाले महीनों में निकलेगा। क्या परिणाम निकलता है यह मालूम हो जावेगा। अब तक तो आदमियों ने अपने जेवरात, मवेशी बेच कर गुजारा चलाया है। अब हालत खराब हो रही है और सरकार ने उनको नहीं सम्हाला तो हालत बहुत खराब हो जावेगी। यही हालत जोधपुर, बीकानेर और चूरू जिलों में भी हो रही है।

आखिर यह भयकर अकाल पड़ते जा रहे हैं उनका समाधान क्या है? जब तक इसके समाधान पर आप नहीं पहुंचेंगे तो अकाल और पड़ेंगे। सड़कें बन गयीं, आगे क्या काम होंगे? 12।। रुपये दे रहे हैं आगे 20) रुपये, 30 रुपये दे देंगे। आखिर कब तक सरकार के ऊपर निर्भर रहेंगे? सरकार को योजनाबद्ध तरीके से इसके लिये सोचना चाहिये। राजस्थान जैसे गरीब प्रान्त के लिये यह वश की बात नहीं है कि वह इस प्रकार खर्चा सहन कर सके। ठीक है भारत सरकार से लेकर उधार सरकार दे देगी। लेकिन यह भी आखिर कब तक? इसलिये भारत सरकार को भी सोचना चाहिये और राजस्थान सरकार को भी सोचना चाहिये। डेजर्ट इलाका है। लेकिन इजराइल में भी तो डेजर्ट है। वह देश ट्यूब वैल के जरिये खेती करता है, गेहूं पैदा करता है और अंगूर पैदा करता है। और यहां हम पानी भी पीने को नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष : पंचायती राज पर आ जाइये।

श्री रणजीतसिंह : मजदूरी सरकार दे रही है उसको जो चुकाने की व्यवस्था है उसमें गत वर्ष काफी गड़बड़ियां हुई हैं। कुछ राशन कार्ड बना कर पी. डब्ल्यू. डी. के बजाय तहसील के जरिये पेमेंट कराया।

# Page No. 175



(श्री रणजीतसिंह)

कोई करप्शन नहीं हुआ। एक दो परसेंट को तो मैं मानता नहीं। इतनी कम मात्रा में मजदूर चल रहे हैं, परिचय-पत्र आप हर एक जगह नहीं बना सकते। मजदूरी देने की योजना है वह बड़ी कठिन है। तहसीलदार, उसके बाद कलेक्टर, ओवरसीयर, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, पन्द्रह दिन लग जाते हैं, दो दो महीनों से मजदूरों को पेमेन्ट नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : सदन की चिन्ता को माननीय मंत्री महोदय समझ गये हैं।

श्री रणजीतसिंह : जहां सरकारी दुकान न हो वहां पर मजदूरों को धान की व्यवस्था कर दी जाय। मजदूरी चुक जाय और धान की व्यवस्था हो जाय।

एक तरफ अकाल को दूर करने के लिए चिन्ता कर रहे हैं और दूसरी तरफ रामपुरा योजना बना कर शहर को पानी सप्लाई करेंगे। 85 प्रतिशत गांवों मे रहते हैं उनके लिए तो कोई योजना नहीं और 15 पर्सेन्ट के लिए 1600 कुओं को खत्म किया जा रहा है। वहां के लोगों को उनसे पानी नहीं मिल सकेगा। मुख्य मंत्रीजी पधारे थे और उनसे निवेदन किया गया था तो कहा गया कि मार्च महीने तक पानी नहीं लेंगे। एक तरफ फसल पक रही है और दूसरी तरफ पानी निकाल रहे हैं उन कुओं से। एक तरफ शहर के लिए 80 लाख रुपया खर्च किया जाय और दूसरी तरफ गांव वालों के पास पानी है उसको भी छीन लिया जाय इसलिए निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार किया जाय।

अब पंचायतों के ऊपर आ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब बाकी क्या रह गया है?

श्री रणजीतसिंह : इसी में पहले एक निवेदन और कर देता हूं। जितने भी मजदूरी काम हैं, सड़कें हैं तो किसी कान्ट्रैक्टर को कान्ट्रैक्ट न दिया जाय। किसानों ने टैक्टर खेती के उत्पादन के लिए खरीदे। अकाल पड़ गया। ट्रैक्टर वालों को काम दिला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : ट्रैक्टर का विषय समझ लिया गया है। तीसरा निवेदन करिये।

श्री रणजीतसिंह : पंचायतों के लिये निवेदन करना चाहता हूं। गांधीजी का यह सपना था

श्री अध्यक्ष : यह भी मनोहरसिंह ने कह दिया है।

श्री शंकरलाल : शायद दूसरा सपना हो।

श्री हेजरीसिंह : आप नेहरूजी का सपना बता दें।

श्री रणजीतसिंह : गांव स्वावलम्बी बनें। औषधालय खुले हैं, पाठशालायें खुली हैं, सहकारी समितियां खोली गयी हैं। पंचायतों के जरिये यह बने हैं लेकिन गांवों का विकास नहीं हो रहा है इसलिए यह कहा गया कि पंचायतों को खत्म कर दिया जाय इसके बजाय तो मैं यह कहूंगा कि पंचायतों को और सुदृढ बनाया जाय क्योंकि पंचायतें ही प्रजातन्त्र की नींव है।

श्री अध्यक्ष : श्री धीसाराम मोया।

# Page No. 176



श्री शीशराम ओला (खेतड़ी) : माननीय अध्यक्षजी, आज सदन में अकाल राहत कार्यों पर विचार विनिमय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : वह सब यहीं हो रहा है। विषय पर आ जायं।

श्री शीशराम ओला : सदन के सामने मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं।

पंचायती राज योजना की आलोचना माननीय सदस्यों ने दिल खोल कर की।

श्री अध्यक्ष : यह भी कह दिया।

श्री शीशराम ओला : मैं तो कभी कभी ही बोलता हूं।

यह कहा गया कि शिक्षा पंचायतों के हाथ में न दी जाय। इससे शिक्षा नाम की चीज नहीं रही है। मास्टर प्रधान और सरपंच को खुश करने में लगे रहते हैं। मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि दिल्ली में भी पंचायती राज है, राजस्थान में पंचायती राज है राजस्थान की असेम्बली भी तो पंचायती राज ही है, केन्द्रीय सरकार के अधीन आई. सी. एस. आई. ए. एस., आई. पी. एस. और बड़े बड़े-अधिकारी हैं। दूसरे ज्युडिशियल सर्विस के आदमी भी रह सकते हैं तो पंचायतों के अधीन मास्टर क्यों न रहें। यह ज्युडिशियल मेटर्स नहीं।

हम आज बात करते हैं कि पंचायतों में भ्रष्टाचार बढ गया है। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को कह देना चाहूंगा क्योंकि मेरा भी अनुभव है, मैं प्रधान, प्रमुख और सरपंच रह चुका हूं। मै कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य भूल गये हैं शायद। पंचायतों में स्टेन्डिंग कमेटीज रहती हैं, बाकायदा कार्यवाही रजिस्टर हैं। दूसरे पंच होते हैं। एक पैसा भी अनुदान का मिलता है तो पंचायतों के रजिस्टर में दर्ज होता है और पंचायतों की मिटिंग में नोटिस में लाया जाता है। इस पर कोई निर्णय होता है केवल प्रधान स्वयं निर्णय नहीं लेता है। अलग अलग मिटिंग की स्टेन्डिंग कमेटीज होती हैं। जैसे कृषि, एडमिनिस्ट्रेशन, शिक्षा की है, जिस किसी भी मद को स्वीकार करना होता है तो वह स्टेन्डिंग कमेटी ही करती है। सिकराय से आने वाले और दूसरे माननीय सदस्यों ने बताया कि पंपिंग सेट में एक हजार रुपया तक रिश्वत ली जाती है जो लोग गबन करते हैं उनको सजाएं मिलती हैं और उनके खिलाफ केसेज चलाए जाते हैं।

(व्यवधान)

माफ करना मैं तो कभी कभी ही बोलता हूं।

श्री अध्यक्ष : यही तो मुश्किल है कि कभी कभी आप बोलते हैं।

श्री शीशराम ओला : मुझे मेरे विचार रखने दीजिये। आप डिस्टर्ब करोगे तो मैं आप किसी को नहीं बोलने दूंगा। अध्यक्ष महोदय मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पंचायती राज के पास आज अगर कोई चीज रह गई है तो वह है केवल उनके स्टाफ की तनख्वाह बांटने का ही काम रह गया है। इसके अलावा उनके पास सार्वजनिक काम के लिये कोई पैसा नहीं है और जब पैसा ही नहीं है तो वा कहां से आयेंगे ? यह बात जो कही गई है वह यहां सोच समझकर नहीं कही गई

(श्री शीशराम ओला)
है अथवा उनको इस बात की जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा विकास मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि इस मृत प्राय: पंचायती राज को या तो समाप्त कर दें अथवा उसमें जान डालें और उसको स्वस्थ करें। अगर इसको स्वस्थ नहीं किया गया तो यह लाभप्रद नहीं होगा। यह नाम केवल नाम के लिये रह गया है। पंचायत समिति के पास आज कोई अधिकार नहीं है। पंचायती राज आज इस प्रजातंत्र की बेस, नीव, जड़ है। पंचायती राज को हम नहीं सम्भालेंगे तो मैं नहीं समझता कोई नींव के बगैर मकान टिकता है, इसी प्रकार जनतंत्र भी पंचायती राज के बगैर नहीं टिक पायेगा। गांवों में रहने वाले 80 प्रतिशत लोगों में अगर चेतना आई है तो वह पंचायती राज के जरिये आई है। उनको पंचायती राज के जरिये ही चेतना आई है और वे ऐसा महसूस करने लगे हैं कि वे आजाद हिन्दुस्तान के लोग हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय डागा सीट चेंज नहीं करेंगे।

श्री रामकिशन: मंत्री नहीं बनायेंगे तो दल बदल लेंगे।

श्री शीशराम ओला: आज अगर किसी काश्तकार के पास अच्छा बीज आया तो वह पंचायतों के जरिये आया है। आज अगर किसी किसान ने अपने खेत का विकास कर लिया है तो वह इस पंचायती राज के माध्यम से ही किया है। यदि किसी तरह की आलोचना की जाती है इस पंचायती राज की तो वे ऐसे लोग हैं जो अभी पंच, सरपंच रहे ही नहीं। मैं, अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आज एम. एल. ए. बनना आसान है किन्तु पंच, सरपंच बनना बड़ा कठिन है।

श्री अध्यक्ष: और प्रमुख बनना भी उतना ही कठिन है।

श्री शीशराम: इसलिए मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की बेबुनियादी बातें करना गैर वाजिब है। वे इस बात को महसूस करें कि पंचायती राज आज इस सारे ढांचे की नींव है। इसलिए इसको हम मजबूत करें। जैसी अभी भाई रामकिशनजी ने कहा..

श्री अध्यक्ष: आप माननीय कह सकते हैं भाई साहब यहां कहना उपयुक्त नहीं।

श्री शीशराम: माननीय कहता हूं लेकिन 'भाई साहब' शब्द माननीय से ज्यादा अच्छा है और दूसरे वे मुझसे स्नेह रखते हैं..

श्री अध्यक्ष: अब आप अकाल पर आ जाइये।

श्री शीशराम: तो उन्होंने जो विचार रखा है उनके विचारों से मैं सहमत हूं। यह तीनों तरह की जो शासन व्यवस्था है और वास्तव में हम विकेन्द्रीकरण चाहते हैं तो जिला स्तर पर पंचायती राज को मजबूत करें, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल को गठन करे के उसको मजबूत करें। स्टेट और केन्द्र की सत्ता के

(श्री शीशराम ओला)

अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमको मजबूत इकाई कायम करनी चाहिये। डिस्ट्रिक्ट पर जो व्यवस्था होनी चाहिये उसको हम मजबूत करें। वहां पर आज हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर होता जा रहा है। मैं नहीं समझता कि हमारे पंचायत मिनिस्टर में इतनी कमजोरी क्यों आ गई है कि आये दिन पंचायतों से अधिकार छीनते जा रहे हैं और ये ऐसा क्यों होने देते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप इसके पक्ष में तो हैं ही दूसरा विषय ले लें··।

श्री शीशराम : अध्यक्ष महोदय, इसी के द्वारा जनता ने, गांव के लोगों ने यह महसूस किया था कि वास्तव में कुछ काम हो रहा है और अब उनसे अधिकार वापिस लिये जा रहे हैं जब कि म्युनिसिपैलिटीज के पास जो अधिकार उनके पास पहले थे उनसे कहीं अधिक मिलते जा रहे हैं और पंचायतों के पास जो अधिकार थे वे छिनते जा रहे हैं और लोग साथ ही साथ बुराई भी करते जा रहे हैं वे ऐसे लोग हैं जिनका सम्बन्ध कभी पंचायतों से नहीं रहा है। माननीय डागा जी म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन रहे हैं परन्तु वे ग्राम पंचायतों की बुराई करें यह समझ में नहीं आता है।

श्री रामकिशन : वे बच्चे की तरह हैं · · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर! माननीय सदस्य! उपयुक्त नहीं है अभिव्यक्ति लेकिन माननीय सदस्य विरोध नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं क्या करूं।

श्री रामकिशन : बच्चा बना कर मैंने उन्हें और आकर्षक कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : दोनों ही अच्छे हैं आप। आप आरम्भ रखिये।

श्री शीशराम : अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन कर रहा था कि पंचायतों को और अधिकार दिये जायं और पंचायती राज के चुनाव की जो व्यवस्था है उसमें तब्दीली की जावे। पंचायतों का चुनाव, प्रधान का चुनाव यह बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है और इससे भ्रष्टाचार का एक जरिया बन रहा है। आज प्रधान का चुनाव जिस तरह से होता है उसमें सरपंचों को सौगंध दिलवाई जाती है सरपंचों को मकानों में रखते हैं। यह परम्परा गलत है इसलिए जैसे चुनाव सरपंच का होता है। वैसा ही चुनाव प्रधान और प्रमुख का होना चाहिये। ये सारे ही चुनाव एक साथ कराये जाने चाहिये जैसे एम. एल. ए. और एम. पी. का डाइरेक्ट जनता के द्वारा होता है, वैसे ही जनता के द्वारा इनका चुनाव डाइरेक्ट कराया जाना चाहिये ताकि भ्रष्टाचार जो इस गलत व्यवस्था के कारण होता है वह कम किया जा सके। इस गलत व्यवस्था के कारण सरपंचों को जमुना के किनारे बिठा देते हैं या और कहीं ऐसे ही तीर्थ स्थानों पर उन्हें ले जाकर उनको बंद कर दिया जाता है। तो इससे यह जो भ्रष्टाचार है वह कम हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से अब अकाल के सम्बन्ध में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। यह अकाल नाम की बीमारी सुनते सुनते कान में कीड़ा जमने लग गया है

(श्री शीशराम ओला)

यह क्या है ? पश्चिमी राजस्थान क्या है ? जो माननीय सदस्य कहते हैं, वह हम नहीं समझते। आखिर में यह सब क्या है ? इस बारे में हम सोचें। हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। यह राजस्थान बहादुरों का देश है। इसमें कई वीर पैदा हुए हैं और कई आदमी में हैं जिन्होंने राजस्थान का नाम कमाया है, कइयों ने परम वीर चक्र और वीर चक्र प्राप्त किये हैं...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य। समय दिया इसका मतलब यह नहीं है कि वीर गाथाएं गाना शुरू कर दें।

श्री शीशराम : मुझे माफ करेंगे। मैं दो मिनट में ही समाप्त करता हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान जो एक बहादुरों और वीरों का देश है उसको भिखारियों का देश इस अकाल ने कहलवाया, यह बात सुनकर हमें दुख और अफसोस हुआ। अफसोस हुआ हमको पंजाब के चीफ मिनिस्टर की अपील को सुनकर कि राजस्थान की औरतें भिखारी के रूप में घूम रही हैं। पंजाब के नागरिकों मेरा आपसे निवेदन है कि आप चंदा इकट्ठा करें और इनके भोजन की व्यवस्था करें। यह शर्म की बात है राजस्थान के लिये। इससे दूसरी शर्म की बात क्या हो सकती है ? अगर राजस्थान की ऐसी स्थिति है तो राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह न बांटे, राजस्थान के मिनिस्टर तनख्वाह न लें। राजस्थान की औरतों को भिखारी कहा जाये, यह गलत है इससे हमारी नाक कटी जा रही है। इसलिये मैं अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं दरअसल कुछ काम हुआ है या नहीं लेकिन अकाल के नाम पर राजस्थान में जो कुछ काम हुआ है उसमें बड़ा भारी घोटाला हुआ है। आज अगर इसकी खुली जांच करवाई जाये तो कई तरह का भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलेगा। किसी ने फर्जी रोल्स से तनख्वाहें ले ली हैं। इस तरह 58 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ है उसमें कितना रुपया सही तरह से खर्च हुआ होगा इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। आखिर कितना रुपया लगाते रहेंगे इस मिट्टी के काम में। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अकाल के नाम पर जो राशि आप खर्च कर रहे हैं वह योजनाबद्ध तरीके से ही किया जाये। इस तरह से खर्च करें कि उसका सही उपयोग हो और किसानों को भी राहत मिले। आप किसानों को कुए खुदवा कर दे सकते हैं और किसानों के लिये छोटे मोटे और कई काम कर सकते हैं। औषधालय, विद्यालय, स्कूल भवन बना सकते हैं ताकि जो रकम खर्च हो वह बाद में भी किसी न किसी रूप में सरकार के पास रहे अन्यथा जहां कहीं भी कार्य होगा उसका कोई उपयोग नहीं होगा। जैसे कि आपने जैसलमेर में $12\frac{1}{2}$ रुपया प्रति व्यक्ति देने का तय किया है। यह एक अच्छा निर्णय है और मैं ऐसा मानता हूं कि इससे इस भ्रष्टाचार में कुछ कमी आयेगी। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाये और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के बजाय तो घर बैठे लोगों को ही जो दुख से वास्तव में पीड़ित हैं उन्हें $12\frac{1}{2}$ रुपये का अनुदान दें तो अच्छा है बजाय इसके कि बेबुनियाद अकाल में कार्य खोल कर राजस्थान में लोगों को भ्रष्ट

(श्री शीशराम ओला)

बनाया जाय। कोई भी कार्य राहत के नाम पर किया जाये वह योजनाबद्ध तरीके से किया जाये वरना राजस्थान की नाक और कट जायेगी।

श्री महेन्द्रकुमार (पाडवा सु.): अध्यक्ष महोदय, जिला डूंगरपुर में चार-पांच साल से लगातार अकाल पड़ता आ रहा है। इस वर्ष भी डूंगरपुर जिले में अकाल है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि चार साल पहले जो अकाल पड़ा उससे भी भयंकर अकाल इस साल का है। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है। अनाज वहां बिल्कुल नहीं पका। कुओं में भी पानी नहीं तालाब और नाले सब में पानी सूख गया है। आज हर तरह से मुसीबतों में डूंगरपुर जिला घिरा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो काम अधूरे रह गये हैं उन पर मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाय और ये काम पहले करवाये जायं। अभी जो तालाबों पर काम चल रहा है उन पर केवल सौ पचास मजदूरों को लगाया जाता है इससे वहां के लोगों में बड़ा असन्तोष है। जब कभी लोगों को नये मस्टररोल पर लगाया जाता है तो दो हजार और तीन हजार के करीब मजदूर वहां आ जाते हैं लेकिन दिया केवल 100 को जाता है बाकी को छुट्टी दे दी जाती है। इस तरह से लोगों की हालत खराब होती जा रही है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा ऐसे एरियाज जो छूट गये हैं जहां न कोई तालाब है, न कोई दूसरे काम हैं वहां मजदूरों को लगाया जाय। मैं तीन-चार ऐसी सड़कों के नाम बताता हूं जिनको यदि शुरू कर दिया जाय तो वहां के लोगों को मजदूरी मिलेगी। इससे यह होगा जहां पहले अधूरे कार्य रह गये थे वे पूरे हो जायेंगे इन सड़कों के नाम इस प्रकार हैं:

(1) सूरातां से दामड़ी वाया आतरी रोड

यह दस मील लम्बी सड़क है।

(2) माधो गामड़ी से खेमपुर वाया घावड़ी पीपम्पदा रोड। यह 12 मील लम्बी है।

(3) मांडा माइन्स से पाडवा वाया लासोर यह थोड़ी सी अधूरी है इसको ले लिया जाय

(4) दोवड़ा से आसपुर वाया गनेशपुरा। आसपुर तहसील हैड क्वार्टर है इस सड़क को ले लिया जाय तो कम से कम दो तीन हजार मजदूर लग सकते हैं और यह काम दो महीने तक चल सकता है।

डूंगरपुर जिले में दो तीन साल से लगातार अकाल चलता आ रहा है वहां काम अधूरे रह गये हैं। इसका एक कारण यह है कि वहां पर काफी मात्रा में मजदूर नहीं लगाये जाते हैं, बरसात के दिनों में आप मजदूर ज्यादा लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस समय लोग अपने खेतों में चले जाते है इस तरह से सब काम अधूरे रह जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संख्या बढायी जावे और अधूरे काम है उनको बरसात के पहले तैयार करवाये जांय ताकि आने वाले सालों में उपयोगी सिद्ध हो सके।

अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले में जो कुछ काम हुए हैं उसके लिए विरोधी दल के नेता कहते हैं कि उसमें भ्रष्टाचार है

(श्री महेन्द्रकुमार)
मैं निवेदन करना चाहता हूं यह सब गलत है। वहां काम अच्छा हो रहा है, आदिवासियों के हित का काम हो रहा है अतः इस अकाल में जो काम हो रहे है उनमें ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को लगाया जाय यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री।
तीस से चालीस मिनिट में आप समाप्त करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा :(पंचायत मंत्री): अध्यक्ष महोदय आपने मुझे 40 मिनिट में अपना भाषण समाप्त करने की आज्ञा दी है मैं इससे भी जल्दी 25–30 मिनिट में ही अपने भाषण को समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस समय डिमाण्ड मूव की उस समय मुझे यह बताया गया था कि मैंने मांग संख्या 44 के स्थान पर मांग संख्या 24 पढा है। मैं समझता हूं मैंने गल्ती से इस प्रकार पढ दिया है तो मै आपकी अनुमति से इसको दुरुस्त करना चाहूंगा। 24 पढ दिया है उसके स्थान पर 44 पढा जाय।

मांग संख्या 44 पर चार माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। बैर से आपने वाले माननीय सदस्य ने अनाज के व्यापार के सम्बन्ध में कुछ मूल बातें सदन के समक्ष प्रस्तुत की है। कीमतों का सन्तुलन बनाने के लिए अनाज का व्यापार सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। इसके बिना कीमतों का सन्तुलन बना नहीं रहेगा। किसान को जब अपनी आवश्यकता के लिए अनाज की जरूरत होती है तब कीमतें बढ जाती हैं और जब वह अपना अनाज निकालता है तो कीमतें गिर जाती हैं यह राजस्थान की ही स्थिति नहीं समस्त देश की स्थिति इसी प्रकार की है। मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत हूं काश्तकार अपनी जरूरतों की चीजों को महंगी खरीदता है जब कि वह जिस जिन्स को पैदावार करता है बिचौलिये के कारण उसको उचित लाभ नहीं मिल पाता, यह स्थिति है इससे मैं इन्कार नहीं करता इसमें सुधार लाने के लिये भारत सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन किया है। उनकी इच्छा है कि अनाज का व्यापार हो, फूड कोरपोरेशन आफ इण्डिया के जरिये ज्यादा से ज्यादा सरप्लस अनाज खरीदा जाय ताकि किसानों को उचित दाम मिले।

हिन्दुस्तान ऐसा देश है जहां 75 प्रतिशत काश्तकार हैं। जिनको अपनी पैदावार का उचित दाम नहीं मिलता। रेमुनरेटिव और रिजनेबल नहीं मिलता इस तरह से उनकी हालत सुधर नहीं सकती। राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति यह इजाजत नहीं देती कि इतने बड़े व्यापार को सरकार अपने हाथ में ले। जो प्रोक्योरमेंट भारत सरकार करती है गेहूं और मोटे अनाज का उसमें राजस्थान का भी योग रहता है। मोटे अनाज का प्रोक्योरमेंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि मेक्सीकन गेहूं पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में बोया जाता है, इन क्षेत्रों ने मोटे अनाज को पैदा करना कम कर दिया है। इसलिये मोटे अनाज का प्रोक्योरमेंट नहीं होता और गेहूं का प्रोक्योरमेंट होता है। गेहूं सरप्लस है। पिछले सालों की अकाल की स्थिति को

(श्री परसराम मदेरणा)

देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि हमारे यहां अनाज की खरीद एफ. सी. आई करायेगा। इसके टारगेट्स 75 हजार टन का किया है। इनके द्वारा गेहूं की खरीद की जाती है किसानों को उचित दाम मिलने में मदद मिलेगी। भारत सरकार ने जो भाव तय किये हैं वे काफी रिजनेबल भाव हैं। 76 रु. प्रति क्विन्टल के जो भाव निर्धारित किये हैं उनसे किसानों का शोषण नहीं होने वाला है।

दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने ऊन के व्यापार के संबन्ध में कहा कि इसमें सरकार को निरन्तर घाटा होता जा रहा है। यह मैं भी मानता हूं हमको ऊन के व्यापार में थोड़ा बहुत घाटा हुआ है। ऊन का जो ग्रेडेशन किया जा रहा है हमारे यहां वह हिन्दुस्तान में अपने आप में एक नयी स्कीम है। ऊन का जो ग्रेडेशन होता है, अलग अलग प्रकार की ऊन को ग्रेड करके ऊन की खरीद में सरकार को नुकसान हुआ है। शीप एण्ड वूल डिपार्टमेंट ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया है इसकी खरीद में जो घोटाले का अन्दाजा लगाया जाता है उस पर रोक लगा दी जायगी। उम्मीद की जाती है कि आगे के सालों में यह घाटे में नहीं चलेगा।

अकाल के संबंध में भी कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। अकाल की विभिषिका खत्म करने के लिये सब से बड़ा मुद्दा जो उठाया वह यह कि आपने स्थायी हल इसके लिये क्या सोचा है? वैर, बाड़मेर और नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने व ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अकाल को रोकने के लिये स्थायी हल के लिये राज्य सरकार को सोचना चाहिए। इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार को ही नहीं इस बारे में पूरे सदन को सोचना चाहिए हम भी स्थायी हल के पक्ष में हैं, हम इस ओर कदम नहीं उठाना चाहते हैं यह बात नहीं है। जब अकाल पीडित क्षेत्र के विधायक इस बारे में मेरे सामने आते हैं तब वे यही कहते हैं कि हमारे यहां के लोगों को काम पर लगाया जाय। लेकिन जब यहां पर बोलने का अवसर आता है तो स्थायी हल की बात की जाती है और जब वे मेरे पास आते हैं तो कहते हैं हमारे यहां फलां सड़क का काम करा दिया जाय, इन सड़कों का काम आरम्भ कर दें, सोइल कन्जर्वेशन का काम शुरू कर दें, तो वहां अपने इलाके के आदमियों के लगाने की बात आ जाती है।

हजारों आदमी कैसे लग सकते हैं? सिंचाई के बान्ध नहीं बन सकते सड़कों के अलावा। पाश्चर डेवलपमेन्ट और सोइल कन्जर्वेशन के काम लिये गये। यही नहीं कि सड़कों के ही काम ले रहे हैं। सड़क पक्की भी बनी हैं। हजारों मील लम्बी मेटल्ड और डामर की सड़कों का काम हाथ में लिया है। सैकड़ों रोड रोलर काम कर रहे है। पिछले दो सालों से चार हजार किलो मीटर से भी ज्यादा करीब पांच साढ़े पांच हजार किलो मीटर सड़कें सभी तरह की हमने बनाई हैं और बाड़मेर वाले जानते कि हमने अब तक 64 के फेमीन से अब तक फेमीन वर्क्स में सड़क का इतना मैटेरियल इकट्ठा कर लिया है कि बाडमेर से दिल्ली तक सड़क बना दी जावे तो उसमें भी काम

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं आ सकता । हमें इसके लिये 12½ की योजना लागू करनी पड़ी । बैर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि हमने अकाल को रोकने के लिये आंशिक तौर पर भी कुछ किया या नहीं । काफी बड़े पैमाने पर स्थायी तौर से हल करने की दिशा में हमने कदम उठाये हैं । मीडियम और मेजर इर्रिगेशन के डैम खाली रह जावें, सिंचाई के कुए सूख जावें उनका सबसोइल वाटर कम हो जावे और फिर भी अकाल नहीं पड़े तो यह नहीं हो सकता । यहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है । पिछले साल हमने राजस्थान कैनाल का काम हाथ में लिया । 7 करोड का प्रोविजन किया और वहां के चालीस हजार लोगों को राजस्थान कैनाल पर ले जाने का काम करते हैं । लिफ्ट इर्रिगेशन का भी काम हाथ में लिया गया है । सिंचाई के साथ साथ पीने के पानी की कठिनाई भी है । इसलिये लूणकरणसर की लिफ्ट इर्रिगेशन का काम भी हाथ में लिया गया । इससे भी वहां के एरिया के लिये स्थायी हल हो सकेगा । इस पानी को नागौर तक लाने के लिये लोगों की मांग है । पर इस वक्त इस बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं । इर्रिगेशन मिनिस्टर ने कहा था कि वे इस योजना को नहीं ले सकेंगे । अभी इसमें भारत सरकार के टैकनिकल लोगों की सैंक्शन की भी जरूरत होगी, फिर पानी इतना है या नहीं, कितना इसमें खर्चा होगा प्लान में इसको ऐसा रख सकते हैं या नहीं इन सब मुद्दों पर इसको आगे लाने की योजना निर्भर करती है । इसी तरह सिचाई के छोटे मोटे हजारों काम लास्ट ईयर हाथ में लिये गये ।

इस साल भी सिंचाई के काम लिये हैं । पहले के जो भी इन्कम्पलीट हैं छोटे या बड़े उनको सब से पहले हाथ में लिया है । उनको हम कम्पलीट करेंगे । इससे जब कभी बरसात हो तो उससे पानी उनमें भर सकेगा और उनके पेटे में काश्त हो तो इर्रिगेट भी वह हो सकेगी ।

भूसंरक्षण का काम भी हाथ में लिया है । पश्चिमी इलाके में और खास तौर से पाली, जालौर, जोधपुर के इलाके में इस काम को अधिक हाथ म लिया है । दो-डेढ हजार ये काम और इसमें 10 पन्द्रह हजार लोग लगे हैं । टैंकर बनाने के बाद पानी का फ्लो रोक सकें तो अच्छा होगा ।

पाश्चर डेवलपमेंट का काम 12।। रुपये की स्कीम को लागू करने के बाद बन्द कर दिया था । पर इसे यूटीलिटी वर्क मानकर फिर लिया है ।

जंगलों को रिहैबिलिटेट करने के लिये अफारेस्टेशन का काम भी हाथ में लिया है ताकि अकाल के वक्त फोडर मिल सके ।

इर्रिगेशन वैल्स के लिए भी दो करोड़ रुपया भारत सरकार ने हमें दिया था तकावी के रूप में । जालौर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने भारत सरकार को लिख दिया है कि वहां कम खर्चे में काफी कुए खुद सकते हैं और भारत सरकार से निवेदन किया है कि इर्रिगेशन वैल्स को खोदने के लिए या जो इनकम्पलीट हैं उनको कम्पलीट करने के लिए कुछ करोड़ रुपया हमें देने चाहिये । मार्च तक उन्होने देने से मना कर दिया है । कोशिश में लगे हैं । सेण्ट्रल स्टडी टीम के सामने और पुरजोर शब्दों में इस मामले

(श्री परसराम मदेरणा)
को रखेंगे ताकि इरिगेशन वैल्स खोदे जाकर या इनकम्पलीट को कम्पलीट किया जाकर इस काम को और आगे बढ़ा सकें।

अर्बन और रूरल पाइप लाइन पानी के लिए डालने की बात भी हमारे हाथ में है। अरबन एरिया में भी तकलीफ है उसको हल करने के लिए हमने कई जगह पाइप लाइन का आगमेन्टेशन किया है। नई पाइप लाइन डाली है। $2\frac{1}{2}$ करोड़ की पाइप लाइन की सेंक्शन की है। करौली एरिया में भी 25-30 लाख की योजना ली है। ताकि पीने के पानी की समस्या का कोई हल इन एरिया में निकल सके।

फोडर बैंक का भी प्रॉविजन रखा है। ऐसा अकाल दुबारा रिपीट होता है तो स्टाक होना चाहिए ताकि हमें बाहर से घास नहीं मंगाना पड़े।

इसी तरह से पंचायत समितियों के छोटे मोटे तालाबों को रिपेअर करने में जहां उनके पास कम पैसा है तो फेमीन एरिया में पंचायतों को ऐसे तालाबों की रिपेअर कराने का काम कुछ हाथ में लिया है।

बर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि भरतपुर में बाढ़ से नुकसान होता है। पंचायत समिति के तालाबों का नुकसान 67 में हुआ था। 1967 में इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनी। इसकी वजह से इन तालाबों को रेस्टोर करने का पैसा भारत सरकार से हमें नहीं मिला था। पर भरतपुर-अलवर डिस्ट्रिक्ट में भी दिया है। दो साल पहले टूटे हुए को ओरिजिनल स्थिति में रेस्टोर करने की धनराशि नहीं दे सके। इरिगेशन हैड में अगले वित्तीय वर्ष में जो प्रावधान है उसमें से इन टूटे हुए तालाबों को ठीक करने के लिए ज्यादा धनराशि हो—इस ओर मेरा प्रयास होगा।

फेमिली में संख्या निर्धारित करने की और बात कही। स्वयं आड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य भी जानते हैं इस वर्ष पिछले साल जो भरतपुर की शिकायतें हुई और उसके अन्दर ऐसी शिकायतें भी थीं जिनमें एक यह भी थी और खास तौर से कारण भी थे कि बोगस अटेन्डेन्स थी। इसको कम करने के लिए यह स्टेप लिया था कि नाप निर्धारित किया जावेगा। और टास्क का भी काम इसलिए लागू किया था। अब टास्क लागू हुआ तो काम में कमी आई। मैजरमेन्ट में कमी आई तो कटौती हुई। यह भी देखा गया कि जिन गांवों में बे काम हैं उन गांवों के तो पूरे लोग लग जाते हैं पर आस पास के दूसरे गांवों में यूटीलिटी वर्क चालू नहीं हो सकते तो वहां के लोग मजदूरी से रह जाते हैं। तो यह किया गया कि एक परिवार में से दो आदमी लिये जावें और बाकी जो रह जावें उसमें आसपास के गरीब लोगों को भी अवसर मिले ताकि वे लोग अपना भरण-पोषण कर सकें। दूसरा आइडेन्टिटी कार्ड बन जावेगा तो बोगस अटेन्डेन्स वाली बीमारी बहुत हद तक मिट सकेगी।

इन दो कारणों की वजह से यह स्टेप लिया। यह माननीय सदस्य जानते हैं और आप स्वयं भी जानते होंगे, पिछले सालों में जो शिकायतें रहा है वह आपको इस साल नहीं मिलेंगी। दो-तीन क्वारीज की बात कही रामसर के बारे में पिछले तीन चार-साल से कह रहे हैं, उनके बारे में जांच के आदेश

(श्री परसराम मदेरणा)

कलेक्टर को दे दिये गये हैं। हमने टास्क को लागू करके, फेमिली के आइडेन्टिटी शुरू करके सुपरवाइजरी स्टाफ को बढ़ाया है। पहले 36 हजार पर एक्स. ई. एन. को लगाते थे, 8 हजार की लेबर पर ए. ई. एन. को लगाते थे और डेढ़ हजार पर ओवरसीयर को लगाते थे वहां अब इस साल बहुत चेन्ज कर रहे हैं। अब एक हजार की लेबर पर ओवरसीयर लगेगा और वह भी काम शुरू होते ही लगा दिया जायगा, एक हजार मजदूरों की भी आवश्यकता नहीं है जैसे ही काम शुरू होगा ओवरसीयर को लगा दिया जायगा। सुपरवाइजरी स्टाफ में स्ट्रिक्टनेस आ सके इसके लिये प्रबन्ध कर दिया गया है। 35 हजार पर एक एक्स. ई. एन. के स्थान पर अब साढ़े सत्तरह हजार पर रहेगा, 8 हजार पर ए. ई. एन. था वहां अब ढाई हजार पर रहेगा, 1500 पर ओवरसीयर था वहां अब एक हजार पर रहेगा और ओवरसीयर काम होने से पहले ही लगेगा। ओवरसीयर की इस प्रकार की व्यवस्था इसलिए की है कि सुपरवीजन अच्छी तरह से हो सके और करप्शन को ऐलीमिनेट कर सकें। बाड़मेर में एक लाख 70 हजार मजदूरों की व्यवस्था थी वहां के माननीय सदस्यों की और निर्वाचित प्रतिनिधियों की यह मांग थी कि वहां 3 लाख आदमी लगने चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि आप स्वयं सोचें इतने आदमी लगने पर सड़क पर क्या खर्च आयेगा और क्या नहीं आयेगा, यह आप जानते हैं। राज्य सरकार ने सोच समझ कर आदमी लगाये हैं। ज्यादा आदमी लगायेंगे तो स्टाफ की कटौती होगी और लोगों को परेशानी होगी। मैं समझता हूँ लोगों को इस समय एक कठिन समय से निकलना है, दुविधा में से निकलना है। हम ऐसा कर रहे हैं कि करप्शन को भी कम कर सकें और ज्यादा लोगों को सन्तोष दिला सकें। मेरा विश्वास है अब कोई करप्शन की शिकायत नहीं आयेगी। इस बात को अब की बार स्ट्रिक्टली ध्यान में रखा गया है। डिस्ट्रिब्यूशन और डिसबर्समेंट में भी हमने ध्यान दिया है, वहां पर किसी प्रकार का कोई करप्शन न हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। करप्शन के मामलों पर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर चैकिंग पार्टी लगा दी है और कोई करप्शन के मामले आयेंगे तो उन पर शीघ्र कार्यवाही की जायेगी। कहीं अटेन्डेन्स की कमी हो, दो पर्सेन्ट की कमी है, चार पर्सेन्ट की कमी है तो हमने कई जगह ओवरसीयर का एक्शन लिया है। इस समय 100 से ज्यादा मामले पुलिस में दिये हुये हैं और करीब 15–18 मामले एन्टी–करप्शन में चल रहे हैं। ये सब स्टेप इसलिए लिए गये हैं कि वहां पर लेबर ईमानदारी से काम कर सके और करप्शन को हमेशा के लिए हटा सकें।

जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान कैनाल के मामले को लेकर कुछ बातें कहीं। वहां पर जो काम होता है वह नाप पर होता है। दूसरी जगह जहां काम हो रहा है वहां नाप भी है और अटेन्डेन्स भी है लेकिन वहां सिर्फ नाप ही है। काम जितना कर सकेगा उतना ही उनको पैसा मिल जायेगा।

गर्भवती महिलाओं के बारे में अब तक ध्यान नहीं दिया गया था। अब हमने कलेक्टर को आदेश दे दिये हैं। उन्होंने हमें बताया है कि कैनाल के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। गर्भवती महि-

(श्री परसराम मदेरणा)

लाओं के लिए जो छुट्टी का प्रावधान है उन को मिल जायगा। यहां पर यह भी बताया गया कि आर. सी. पी. के ठेकेदारों से कम पैसे मिलते हैं। आर. सी. पी. की शिड्यूल है वह टास्क पर है और वह 100 क्यूबिक फीट पर है और फेमीन में 110 क्यूबिक फीट पर है। यह डबल से ज्यादा दे रहे हैं। घन फीट में ठेकेदार से यह रेट कैसे कम है, मैं समझता हूं ठेकेदार से बहुत ज्यादा रेट है और जरूरत से ज्यादा रेट दे रहे हैं। 110 क्यूबिक फीट पर 75 घनफीट है और हम उस पर तीन रुपये लगवा रहे हैं। वहां पर जो टास्क है वह बहुत ही मुनासिब है। राजस्थान में दूसरी जगह आर. सी. पी. के अलावा कहीं नहीं है।

एक मसला जरूर है और वह सोइल कन्जरवेशन का। एक पत्र मुझे मिला है सोइल कन्जरवेशन को ज्यादा तादाद में लिया है इस पर अब हम ध्यान दे रहे हैं। जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा राहत के काम हाथ में लिये जायं लेकिन हमारे पास टेक्निकल स्टाफ की कमी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के प्लान के अन्दर जो प्रोविजन है उसको पूरा करने के लिये जो स्टाफ है उससे कई गुणा स्टाफ चाहिये क्योंकि ज्यादा काम करवाना चाहते है। हमारे पास सब तरह टेक्निकल स्टाफ की कमी है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी उसमें भी एग्रीकल्चर के जो नार्म्स हैं वहां भी टेक्निकल आदमियों की कमी हैं इसलिए वहां भी सोइल कन्जरवेशन की प्राबलम है। और जब यह नहीं होता है तो फील्ड मैन नया अपाइन्ट करते हैं और जब नया आदमी अपाइन्ट होता है और टैम्प्रेरी आदमी लगाते हैं तो वहां गड़बड़ी होती है। सोइल कन्जरवेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टाफ लेने के बारे में मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से बात की है। उन्होंने भी मुझे ज्यादा से ज्यादा स्टाफ लगाने का आश्वासन दिया है और यह आश्वासन में माननीय सदस्यों को दे सकता हूं।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, पाली में मजदूर कम हैं दूसरे जिलों के मुकाबले में, स्वाभाविक तौर पर यह उनको गुरेज हो सकता है क्योंकि कुछ जिलों में मजदूर कम लगे हुये हैं। कुछ जगह ज्यादा मजदूर हैं। पाली में भी राहत कार्य खोले जायेंगे। आने वाला समय काफी मुश्किल का समय आ रहा है और वहां भी ज्यादा से ज्यादा काम देने की व्यवस्था की जाएगी।

यहां पर मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी आये झूंझुनू डिस्ट्रिक्ट में कुछ काम खोलने की बात कही और बताया कि 50 पर्सेन्ट क्राप डेमेज हो गई है। वहां पर करीब 162 गांव हैं जो फेमीन में डिक्लेयर हो गये है और जिन गांवों में अभाव की स्थिति है वहां पर जितने अधूरे कार्य हैं उनको फर्स्ट अप्रेल से पहले पहले हाथ में लेंगे। मैं चाहूंगा कलेक्टर को इस बात के आदेश दें कि रिलीफ एडवाइजरी कमेटी की प्रोसीडिंग्स और कलेक्टर की रिपोर्ट 30 तारीख तक आ जानी चाहिए ताकि एक तारीख से झूंझुनू में काम शुरू कर दिये जायं। हम नहीं चाहते हैं कि वहां तीन-चार साल से अकाल है और राहत के काम न चलें।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : जहां एक एक गांव के आधार पर आपने फेमीन डिक्लेअर किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप आरम्भ रखिये। (विराम) अब समाप्त ही कर देना।

श्री परसराम मदेरणा : एक बात बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि वहां पानी की बड़ी किल्लत हो गई है। यह स्थिति इसलिए खड़ी हुई कि पिछले साल हमें 40 ट्रक आर्मी से मिले थे। इस साल उन्होंने मना कर दिया। इसलिये यह दिक्कत आ गई। अब हम 100 ट्रक खरीदने की बात कर रहे हैं। पहले फारेन एक्सचेन्ज की दिक्कत थी लेकिन अब सरकार ने फारेन एक्सचेन्ज के लिए कह दिया है। बहुत से ट्रक हमारे पास आ गये हैं। इस एक तारीख से 15–20 टेंकर लग जायेंगे और जल्दी से जल्दी वहां भेजने की व्यवस्था करेंगे। यह सुविधा भी हो जायगी। 160-170 गाडियों में पानी देने की व्यवस्था कर रहे हैं ज्यादा भी जरूरत पड़ी तो ज्यादा गाड़ी भी दे सकते हैं। पानी की कठिनाई के लिए राज्य सरकार सजग और सतर्क है।

मैं फेमीन के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं।

यहां पर सामुदायिक विकास और पंचायती राज के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने काफी वजनी सुझाव दिये। खेतड़ी से आने वाले और बैर से आने वाले माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि पंचायती राज निष्प्राण हो गया है और इस मरे हुए से आप चिपके हुए क्यों रहना चाहते हैं, इसको छोड़ दीजिए। इस तरह की कुछ बातें कहीं। उन्होंने पंचायतों के संबंध में और भी दूसरी बातें कहीं। यहां पर कुछ विरोधाभासी बातें भी सामने आई। कुछ लोगों ने पंचायती राज की हिमायत की और कुछ माननीय सदस्यों ने प्रधानों और सरपंचों के बारे में यहां पर कुछ शिकायतें भी कीं। अध्यक्ष महोदय, यह बात सत्य है कि पंचायती राज संस्थाओं में पहले की अपेक्षाकृत शिथिलता और निष्क्रियता आई है और उस शिथिलता और निष्क्रियता के कई कारण है। उसमें सबसे बड़ा कारण है कि ज्यों ज्यों ये ब्लाक्स फर्स्ट, सेकिण्ड स्टेज से फोर्थ स्टेज में जाते रहे तो विभिन्न योजनाओं के लिए दिये जाने वाले अनुदानों में कमी आती रही और जो कमी आती रही तो उधर पंचायत समितियों में एक्टीविटीज भी सिकुड़ने लग गयीं। जनता द्वारा दिये जाने वाला सहयोग था पंचायती राज की स्थापना होते ही वह वातावरण नहीं रहा और जन सहयोग में भी कमी आई और उसके साथ ही साथ पंचायती राज संस्थाओं में जो जन प्रतिनिधि निर्वाचित हैं उनकी भी पंचायती राज की आस्था में कमी आई और कुल मिलाकर यही कारण था जिसकी वजह पंचायती राज संस्थायें निष्क्रिय हुई माननीय सदस्यों को जो उनके सुझाव है कि जिला परिषदों को मजबूत बनाया जाना चाहिए और माननीय सदस्यों के यह सुझाव थे कि जिला परिषदों की जगह डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनाई जानी चाहिए और उनको सशक्त बनाकर उसके फंक्शन्स और पावर्स बढ़ाये जाने चाहिए। पंचायत समितियों को हटा देना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों की यह राय थी कि न्याय पंचायत समितियों के साथ भी विलीनीकरण

(श्री परसराम मदेरणा)

कर देना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों की राय थी कि इसका विलीनीकरण नहीं किया जाना चाहिए, न्याय को टेम्पर विथ नहीं किया जाना चाहिए। अध्यापकों के बारे में प्रमुख जी भरतपुर के, जो कि सदन के माननीय सदस्य हैं, ने 5 अध्यापकों की बात कही सरपंचों ने डर दिया और सरपंच के फीयर की वजह से एक्शन नहीं ले सके। राज्य सरकार ने भण्डारी कमेटी बैठाई थी और उसकी रिपोर्ट माननीय सदस्यों को वितरित की गयी थी इसलिए कि माननीय सदस्य उस रिपोर्ट के बारे में अपनी अपनी राय देंगे। मैं समझता हूं कि उसके ऊपर एक ही माननीय सदस्य बैंर से आने वाले ने एक पर्सनल रिमार्क दिया। वह तो दार्शनिक का एटीट्यूड रखा और कहा कि बीमारी दूसरी है। एक जगह बीमारी नहीं है अगर आप शिक्षा के स्तर के गिरने की बात कहते हैं तो शिक्षा का स्तर प्राथमिक संस्थाओं में गिरा हो यह बात नहीं है। मिडिल स्कूलों में भी स्तर गिरा है, हायर सेकेण्डरी में भी गिरा है, कालेजेज में भी गिरा है और विश्वविद्यालय स्तर पर भी उसके स्टेन्डर्ड में गिरावट आई है। यह देश का एक व्यापक मसला है और उसी तरह से उसको देखा जाना चाहिए लेकिन यहां पर यह बात कही गयी . . .

श्री मनोहर सिंह मेहता : मैंने भी अर्ज किया था कि रिपोर्ट अच्छी है और उससे समन्वय होगा मास्टरों का।

श्री अध्यक्ष : आप उल्लेख कर दीजिए माननीय सदस्य का नाम।

श्री परसराम मदेरणा : पेय जल और इरिगेशन के बारे में पहले भी हम प्रावधान रखते थे। पेय जल के सम्बन्ध में इस साल के बजट में जो प्रावधान रखा है यह 5 लाख की जगह 15 लाख किया है। इरिगेशन का भी इसी तरह से प्रावधान पहले कम था उसको बढ़ाकर चौथी पंचवर्षीय योजना में ज्यादा रखने जा रहे हैं और खास जो कमी आई है वह आई है पंचायत समितियों में जो ऋण देने की व्यवस्था थी उसमें। पहले पूरा का पूरा ऋण पंचायत समितियों के मार्फत दिया जाता था--वह ऋण चाहे बीज का था, चाहे कोआपरेटिव का था। लेकिन आप स्वयं जानते हैं कि भारत सरकार की जो ऋण की नीति है वह बदल गयी है। लांग टर्म लोन लैण्ड डवलपमेंट बैंक के जरिये रूट कर दिया है। इसी प्रकार से दूसरे लोन मीडियम टर्म, शार्ट टर्म या लांग टर्म लोन कमर्शियल बैंक के थ्रू देने की भारत सरकार ने नीति बनाई है। उसी तरह के फर्टीलाइजर का जितना भी व्यापार था वह पूरा का पूरा कोआपरेटिव संस्थाओं के हाथों में दिया है इसलिए एक्टीविटीज कुछ कम दिखाई दे रही हैं। इसलिए केवल इकानामिक एक्टीविटीज से ही आप सफलता को आंकना चाहते हैं तो हम गलती करते हैं। पंचायती राज के पीछे जो फिलासफी थी वह यह थी कि न केवल ग्राम स्वराज्य हो बल्कि उसके साथ ही साथ लोगों में चेतना हो, सांस्कृतिक चेतना भी हो, आर्थिक उत्थान आप देखेंगे तो छोटे काम तो गांवों में हो सकते हैं लेकिन बड़े बड़े कामों का डवलपमेंट होता है जैसे राजस्थान कैनाल आयेगी तो जो गांव आयेंगे उनकी पूरी इकानॉमिक कन्डीशन बदल जायेगी। इसलिए बड़े काम, छोटे काम और गांवों में आवागमन के साधन

(श्री परसराम मदेरणा)
डवलप हो रहे हैं। आप कह रहे थे कि सड़कों का प्रावधान हो। वह चौथी पंचवर्षीय योजना में रखा गया है। मैं नहीं कह सकता कि चौथी पंचवर्षीय योजना का जो आउटले तय किया है नेशनल डवलपमेंट कौंसिल ने उसमें कितनी कमी उन्होंने की है 316 करोड़ में से और उसके फलस्वरूप किन किन मदों में कमी आ जायेगी हम उसको देख रहे हैं और हम इस ओर भी ध्यान रखेंगे कि पंचायती राज की एक्टीविटीज़ बढ़ें। हमने एक सम्मेलन बुलाया था जयपुर डिस्ट्रिक्ट का जिसमें सभी प्रमुख, प्रावधान और सरपंच आये थे। इसी प्रकार का सम्मेलन अगली साल राज्य स्तर पर हम बुलाना चाहते हैं और इस पंचायती राज के बारे में चिन्तन करना चाहते हैं कि किस प्रकार की स्थिति रहे। मैं इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट भी सरकार के विचाराधीन है। इस सिलसिले में जो भी प्रस्ताव पेश किये हैं वह भी विचाराधीन हैं। राज्य सरकार स्वयं सोचती है और माननीय सदस्यों का सहयोग मिलेगा तो सरकार निर्णय लेगी। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इन मांगों को पास करें।

(9.99 रात्रि)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,04,86,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 28

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 22,08,300,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 44

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,74,32,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 10 बज कर 1 मिनट पर दिनांक 25 मार्च, 1970 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

## परिशिष्ट 1

( तारांकित प्रश्न सं. 242 की सूची )

योजना आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक संकेत (इकॉनोमिक इंडिकेटर्स) जिलेवार 1961-62 से 1964-65 तक निम्न आइटमों के लिए संकलित किये गये थे:--

(1) कुल जन संख्या व जन संख्या की प्रति किलोमीटर सघनता ।

(2) कृषि में लगे हुए श्रमिकों की संख्या, कुल श्रमिकों की संख्या के अनुपात में ।

(3) प्रति कार्मिक पर जोत योग्य क्षेत्रफल ।

(4) प्रति कृषि कार्मिक पर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल ।

(5) कुल सिंचित क्षेत्र का समस्त बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत ।

(6) एक बार से अधिक बोये गये क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल के प्रतिशत ।

(7) प्रति व्यक्ति ग्रामीण जन संख्या के अनुसार कृषि उत्पादन का कुल मूल्य ।

(8) फैक्टरियों में नियोजित कार्मिकों की संख्या प्रति लाख जनसंख्या के अनुपात में ।

(9) एक हजार वर्गमील में सड़कों की लम्बाई ।

(10) प्रति लाख जन संख्या के अनुसार सड़कों की लम्बाई ।

(11) जिला पंजीकृत व्यापारिक गाड़ियों की संख्या ।

(12) 1961 की जन संख्या में शिक्षित जन संख्या का प्रतिशत ।

(13) शिक्षण संस्थाओं में जा रहे बच्चों का प्रतिशत (लड़के)

(14) शिक्षण संस्थाओं में जा रहे बच्चों का प्रतिशत (लड़कियां)

(15) तकनीकी प्रशिक्षण में प्रति दस लाख जन संख्या पर स्थानों (सीटों) की संख्या ।

(16) प्रति लाख जन संख्या पर चिकित्सालयों में रोगी शैय्याएं ।

योजना आयोग द्वारा बतायी गई प्रणाली से इन आईटमों के आकड़ों के आधार पर प्रत्येक जिले के पिछड़ेपन की जांच की गई जिसके फलस्वरूप जिला जालौर व सवाई-माधोपुर कुल मिलाकर (ओवर आल) सबसे पिछड़े पाये गये ।

---

# परिशिष्ट 2

( तारांकित प्र. सं. 244 की सूची)

## केम्पवार मजदूरों की संख्या और बकाया राशि की सूची

| क्रमांक | नाम अभिकरण | कैम्प का नाम | मजदूरों की संख्या | समय कब से | समय कब तक | रकम (रुपयों में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | वन विभाग | शून्य | शून्य | शून्य | | शून्य |
| 2, | कृषि विभाग (भू-संरक्षण कार्य) | शून्य | शून्य | शून्य | | शून्य |
| 3. | पी. डब्लू. डी. | चक विजय सिंहपुरा | 4 | 16–2–69 | 15–3–69 | 72.95 पै. |
| | | मानकासर | 3 | 16–5–69 | 31–5–69 | 670.00 पै. |
| | | मानकासर | 3 | 1–6–69 | 15–6–69 | 675.00 |
| | | नादडा | 19 | 1–7–69 | 15–7–69 | 2773.50 |
| | | मानकासर | 19 | 16–7–69 | 31–7–69 | 1405.00 |
| | | नोखडा | 33 | 16–7–69 | 31–7–69 | 5825.39 |
| | | मिठाडिया | 15 | 1–8–69 | 15–8–69 | 1125.00 |
| | | मानकासर | 15 | 1–8–69 | 15–8–69 | 1379.00 |
| | | टोकला | 100 | 16–8–69 | 31–8–69 | 500.00 |
| | | नोखडा | 1 | 23–8–69 | 25–8–69 | 12.65 |
| | | कानोलाई | 1 | 1–9–69 | 30–9–69 | 09.05 |
| | | टोकला | 2 | 16–9–69 | 30–9–69 | 13.00 |
| | | गडियाला | 3 | 16–9–69 | 30–9–69 | 12.35 |
| | | कांनोलाई | 1121 | [16–9–69 | 30–9–69 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मोटालाई | 377 | 16–9–69 | 30–9–69 | 24224.29 |
| | | नागोर | 1 | 16–9–69 | 30–9–69 | |
| | | | 1717 | | | 38696.53 |
| | | हमेरा | 975 | 16–7–69 | 31–7–69 | 3500.00 |
| | | उदासर | 824 | 16–7–69 | 31–7–69 | 17795.23 |
| | | कुबेर आगूनी | 1235 | 1–8–69 | 23–6–69 | 8393.00 |
| | | | | 1–8–69 | 15–8–62 | |
| | | रामसर | 1411 | 16–4–69 | 30–4–69 | 7739.60 |
| | | जामसर | 1053 | 16–8–69 | 31–7–69 | 6147.10 |
| | | सरेरा | 468 | 16–7–69 | 31–7–69 | 1750.00 |
| | | मालासर | 2131 | 16–7–69 | 31–7–69 | 1596.57 |
| | | रामसर बनिया | 798 | 16–4–69 | 30–4–69 | 8108.72 |
| | | साधासर | 51 | 1–6–69 | 15–69 | 3706.15 |
| | | | | 16–7–69 | 31–7–69 | |
| | | साधासर | 948 | 16–7–69 | 31–7–69 | 4438.55 |
| | | साधासर जादू बडी | 383 | 16–6–69 | 30 6–69 | 8113.25 |
| | | कुचोर आगूरी | 14 | " | " | 289.50 |
| | | बादनू मनसूरी | 878 | " | " | 1299.50 |
| | | उमदेसर | 382 | ; | " | 7087.00 |
| | | टोंक्ला | 42 | 16–8–69 | 31–8–69 | 524.00 |
| | | कानोलाई | 12 | 16–2–69 | 28–2–69 | 519.95 |
| | | नादडा | 181 | 1–7–69 | 15–7–69 | 1701.27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मारडा | 589 | 1-7-69 | 15-7-69 | 5413-43 |
| | | | 15048 | | | 150880·35 |
| | | मीठडिया | 41 | 1-11-68 | 24-11-68 | 307-74 |
| | | कोलायत | 34 | 2-10-68 | 6-1-69 | 207-73 |
| | | खारी चारणान | 1 | 16-11-68 | 30-11- 8 | 18·75 |
| | | जोगीरान | 21 | 7-10-68 | 31-10·68 | 51-66 |
| | | मण्डाल चारणान | 337 | 16-11-68 | 22-11-68 | 2520-15 |
| | | दीवंरी | 348 | 11-11-68 | 25-11-68 | 6090·57 |
| | | नोखा उर्स दया | 252 | 6-11-68 | 30-11-68 | 2985-49 |
| | | | 1034 | | | 12281-88 |

## परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न सं. 256 की सूची)

पंचायत देई को दिये गये गेहूं की सूची

| वर्ष | तादाद गेहूं | कीमत |
|---|---|---|
| 1956-57 | 700 मन गेहूं | 14560) रु. |
| 1957-58 | 900 मन गेहूं | 13962.60 पै. |
| | 1600 मन गेहूं | 28522.60 पै. |

## परिशिष्ट 4

### तारांकित प्रश्नों की सूची तहसील खेतड़ी

### प्रभावग्रस्त ग्रामों की सूची तहसील खेतड़ी

1. मालोठ
2. कुशलपुरा
3. स्योपुरा
4. गुजरवास
5. पिठोला
6. ढाणी हुक्मा
7. मीटेरा
8. ढोसी
9. ढाणी ढीमा
10. चून्दाडा
11. गोरीर
12. ढाणी भालोट
13. घूरोना
14. मोईसदा
15. बाकोटी
16. टीलावाली
17. दलेलपुरा
18. सेफरागंवार
19. हरडीया
20. खटकड
21. बडाऊ
22. रसूलपुर
23. दलौता
24. सोड्ली
25. काकडा
26. गोर्धनपुरा
27. ग्रमरपुरा खुर्द
28. सिघाना
29. बनवास
30. बसई
31. टीबा
32. किशनपुरा
33. ढाणी इलाखर
34. जमालपुरा
35. चींचडोली
36. गोठडा

# परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न सं. 245 की सूची)

निगम के द्वारा निम्न मार्गों का निरीक्षण कर राष्ट्रीयकरण किया गया है।

| क्रम संख्या 1 | मार्ग का नाम 2 |
|---|---|
| 1. | जयपुर—अलवर |
| 2. | जयपुर—मेड़ |
| 3. | जयपुर—शाहपुरा |
| 4. | थानागाजी—अलवर |
| 5. | जयपुर—भरतपुर |
| 6. | जयपुर—दौसा |
| 7. | जयपुर—महुवा |
| 8. | महुवा—भरतपुर |
| 9. | सिरोही—आबूरोड |
| 10. | सिरोही—सिरोहीरोड |
| 11. | सिरोही—सुमेरपुर |
| 12. | स्वरूपगंज—वासा |
| 13. | आबूरोड-माउण्ट आबू-देलवाडा |
| 14. | देलवाडा—अचलगढ़ |
| 15. | अजमेर—कोटा |
| 16. | अजमेर—नसीराबाद |
| 17. | अजमेर—देवली |
| 18. | अजमेर—केकड़ी |
| 19. | कोटा—देवली |
| 20. | कोटा—बूंदी |
| 21. | जयपुर—अजमेर |
| 22. | जयपुर—किशनगढ़ |
| 23. | किशनगढ—अजमेर |
| 24. | अजमेर—किशनगढ—हरमाडा |
| 25. | जयपुर—कोटा |
| 26. | जयपुर—टोंक |
| 27. | जयपुर—देवली |
| 28. | टोंक—निवाई |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 29. | जयपुर–निवाई–वनस्थली |
| 30. | आबू रोड–पालडी–मण्डार |
| 31. | अलवर–देहली |
| 32. | आबूरोड–पालडी–अनादरा |
| 33. | अलवर–मुबारिकपुर |
| 34. | अजमेर–बिलाडा–जोधपुर |
| 35. | अजमेर–ब्यावर |
| 36. | अजमेर–जैतारण |
| 37. | ब्यावर–जोधपुर |
| 38. | जोधपुर–पाली–सुमेरपुर |
| 39. | जोधपुर–पाली–ब्यावर |
| 40. | जोधपुर–पाली |
| 41. | जोधपुर–सोजत |
| 42. | पाली–ब्यावर–अजमेर |
| 43. | कोटा–झालावार–इकलैरा |
| 44. | रायसिंहनगर–रावतसर |
| 45. | रायसिंहनगर–पदमपुर |
| 46. | पदमपुर–गंगानगर |
| 47. | गंगानगर–हनुमानगढ़ |
| 48. | हनुमानगढ़–रावतसर |
| 49. | अजमेर–भीलवाडा |
| 50. | भीलवाडा–उदयपुर |
| 51. | जयपुर–अलवर (संशोधित) |
| 52. | जयपुर–भरतपुर (संशोधित) |
| 53. | सिरोही–अनादरा–मण्डार |
| 54. | फालना–साण्डेराव–तख्तगढ़–जालोर |
| 55. | एरनपुरा–सुमेरपुर–तख्तगढ़–जालोर |
| 56. | अलवर–तिराया–नगर–डीग–भरतपुर |
| 57. | अलवर–तिराया–लक्ष्मणगढ़–खेडली |
| 58. | अलवर–तिराया–जालुकी–पहाडी |
| 59. | नगर–डीग–भरतपुर |
| 60. | भरतपुर–डीग–कामा–पहाडी |
| 61. | जोधपुर–नागौर–नोखा–बीकानेर |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 62. | सिरोही-बालन्दरी-रामसीन |
| 63. | सिरोही रोड-सिरोही-रामसीन |
| 64. | किशनगढ़-पर्वतसर |
| 65. | उदयपुर-डूंगरपुर-रतनपुर |
| 66. | गंगानगर-हनुमानगढ़-पदमपुर-रावतसर |

## परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न सं. 252 की सूची)

विभिन्न पंचायत समितियों के अध्यापकों का विवरण दिनांक 1-9-63 के पश्चात् वेतन शृंखलाओं में हुए संशोधन के अनुसार राशि का भुगतान किया जाना है।

| क्र. सं. 1 | जिला 2 | पंचायत समिति 3 | अध्यापकों की संख्या 4 |
|---|---|---|---|
| 1. | उदयपुर | झाडोल | 32 |
| 2. | " | बड़गांव | 13 |
| 3. | " | खेरवाड़ा | 25 |
| 4. | " | गोगुन्दा | 23 |
| 5. | " | मिर्धा | 130 |
| 6. | " | आमेट | 39 |
| 7. | " | खनगोर | 7 |
| 8. | " | धराड़ा | 70 |
| 9. | " | छरियावद | 48 |
| 10. | " | रेलमगरा | 60 |
| 11. | चूरू | राजगढ़ | 20 |
| 12. | गंगानगर | श्रीकरणपुर | 3 |
| 13. | " | गंगानगर | 90 |
| 14. | " | सादूलशहर | 12 |
| 15. | अलवर | रैणी | 2 |
| 16. | " | बान्सूर | 25 |
| 17. | " | मण्डावर | 48 |
| 18. | " | रामगढ़ | 6 |
| 19. | " | लक्ष्मणगढ़ | 7 |
| 20. | जयपुर | आमेर | 11 |
| 21. | " | गोविन्दगढ़ | 15 |
| 22. | " | सांगानेर | 18 |
| 23. | " | बांदीकुई | 5[illegible] |
| 24. | " | कोटखावदा | 13 |
| 25. | " | सांभर | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 26. | जयपुर | कोटपुतली | 13 |
| 27. | ,, | चाकसू | 5 |
| 28. | ,, | बैराठ | 27 |
| 29. | ,, | शाहपुरा | 70 |
| 30. | कोटा | बारां | 14. |
| 31. | ,, | छबड़ा | 7 |
| 32. | ,, | सांगोद | 18 |
| 33. | ,, | अटरू | 13 |
| 34. | ,, | अन्ता | 25 |
| 35. | बाड़मेर | शिव | 2 |
| 36. | भीलवाड़ा | आसिन्द | 11 |
| 37. | ,, | सुधाना | 36 |
| 38. | ,, | शाहपुरा | 10 |
| 39. | ,, | रायपुर | 40 |
| 40. | ,, | मांडलगढ़ | 9 |
| 41. | ,, | कोटड़ी | 3 |
| 42. | सिरोही | शिवगंज | 1 |
| 43. | ,, | सिरोही | 11 |
| 44. | जालौर | जालौर | 3 |
| 45. | ,, | जालौर | 1 |
| 46. | पाली | पाली | 10 |
| 47. | ,, | सोजत | 13 |
| 48. | ,, | रानी | 29 |
| 49. | ,, | रायपुर | 15 |
| 50. | ,, | जैतारण | 9 |
| 51. | डूंगरपुर | आसपुर | 16 |
| 52. | ,, | सीमलवाड़ा | 20 |
| 53. | नागौर | मूण्डवा | 1 |
| 54. | ,, | डीडवाना | 38 |
| 55. | ,, | परबतसर | 13 |
| 56. | ,, | रियां | 27 |
| 57. | ,, | मेड़ता | 40 |

# Page No. 201



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 91. | नागौर | मांगल | 1 |
| 92. | ,, | डेगाना | 31 |
| 93. | ,, | कुचामन | 34 |
| 94. | जोधपुर | परलोबो | 8 |
| 95. | ,, | भोपालगढ़ | 15 |
| 96. | चित्तौड़गढ़ | छोटीसादड़ी | 30 |
| 97. | ,, | खन्दूका | 33 |
| 98. | ,, | भोपालसागर | 4 |

## परिशिष्ट 7

( तारांकित प्रश्न सं. 255 की सूची )

उर्दू छात्रों की संख्या 1963-64 से 1968-69 तक कक्षाओं के क्रम में:—

| क्रम सं. | विद्यालय का नाम | सत्र | पी.यू.सी. | प्रथम वर्ष | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | राजकीय महाविद्यालय, अजमेर | 1963-64 | 2 | 2 | 1 | – | 5 |
| | | 1964-65 | 2 | 5 | – | – | 7 |
| | | 1965-66 | – | 6 | 5 | – | 11 |
| | | 1966-67 | – | 5 | 6 | 3 | 14 |
| | | 1967-68 | – | 7 | 4 | 5 | 16 |
| | | 1968-69 | – | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 2. | राजकीय महाविद्यालय, टोंक | 1963-64 | 4 | 6 | 5 | 2 | 17 |
| | | 1964-65 | 2 | – | 3 | 2 | 7 |
| | | 1965-66 | 1 | – | 3 | 3 | 7 |
| | | 1966-67 | 2 | – | 3 | 2 | 7 |
| | | 1967-68 | 1 | – | 5 | 3 | 8 |
| | | 1968-69 | 3 | – | – | 4 | 7 |
| 3. | राजकीय महाविद्यालय, सीकर | 1963-64 | 3 | 2 | 1 | – | 6 |
| | | 1964-65 | – | 2 | – | – | 2 |
| | | 1965-66 | – | 3 | 2 | – | 5 |
| | | 1966-67 | 1 | 4 | – | 2 | 7 |
| | | 1967-68 | 1 | 2 | – | 1 | 4 |
| | | 1968-69 | – | 4 | – | – | 4 |
| 4. | मीरां कन्या कालेज, उदयपुर | 1968-69 | 13 | 15 | – | – | 28 |
| | | 1969-70 | – | 20 | 7 | – | 27 |
| 5. | राजस्थान कालेज, जयपुर | 1963-64 | 9 | 7 | 4 | 13 | 33 |
| | | 1964-65 | 4 | 6 | 1 | 1 | 12 |
| | | 1965-66 | 3 | 3 | – | 5 | 11 |
| | | 1966-67 | 6 | 1 | – | 2 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1967-68 | 8 | 6 | – | 6 | 20 |
| | | 968-69 | 4 | 6 | 4 | – | 14 |
| 6. | महाराणा भूपाल कालेज, उदयपुर | 1963-64 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| | | 1964-65 | 7 | 7 | 2 | 1 | 17 |
| | | 1965-66 | 12 | 3 | 7 | 2 | 24 |
| | | 1966-67 | 8 | 10 | 2 | 3 | 23 |
| | | 1967-68 | 3 | 8 | 5 | 1 | 17 |
| | | 1968-69 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 |

नोटः—मीरां कन्या महाविद्यालय, उदयपुर में उर्दू विषय सन् 1968-69 से ही पढ़ाये जाने लगा है।

## परिशिष्ट 8

(तारांकित प्रश्न सं. 8 की सूची)

झालावाड़ जिले में गत वर्ष अकाल राहत कार्य सरकारी स्तर पर चलाये गये उनकी अभिकरण वार सूची

| क्र. सं. 1 | अभिकरण जिसके द्वारा चलाया गया 2 | नाम कार्य व ग्राम 3 |
|---|---|---|
| 1. | सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभिकरण से। | 1 झालावाड़ रायपुर एप्रोच रोड<br>2 मनोहरथाना—राजगढ़ रोड<br>3 मनोहरथाना—गणेशपुरा—महाराजपुर रोड<br>4 बकानी—भाल्ता रोड (बकानी, गोविन्दपुरा)<br>5 झालावाड़—बकानी रोड मोलक्या से टीटोरिया)<br>6 बनवाड़ा—परोलिया रोड<br>7 कोटड़ी—पिड़ावा रोड<br>8 सालरी—रायपुर एप्रोच रोड<br>9 सुलिया—सुनेल, पिडावा, सोयत रोड (दोलतपुरा से पिडावा)<br>10 झालावाड से सुनेल रोड (सलोतिया से सुनेल)<br>11 लिंक रोड डाक बंगला से गिन्दौर (हवा सड़क)<br>12 बकरावाला से कुन्डी सडक<br>13 पिडावा एनीकट सडक<br>14 पाल कन्डया तालाब<br>15 झिनझिनी तालाब<br>1 सेमली हाट तालाब (मनोहरथाना) |
| 2 | सिंचाई विभाग के अभिकरण से | 1 काली सिंध बांध<br>2 डाऊन स्ट्रीम—परवन के अप वेयर<br>3 परवन बांध पर मिट्टी का कार्य |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | 4 कालो सिंध केनाल–लेफ्ट साईट |
| 3 | भूसंरक्षण विभाग के अभिकरण से | 1. पहाड़पुरा (98-69)<br>2. पहाड़पुरा (69-70)<br>3. झूमकी<br>4. चांदयाखेड़ी<br>5. जगन्नाथपुरी<br>6. गुन्दी क्षेत्र नं. 1<br>7. गुन्दी क्षेत्र नं. 2<br>8. गंगपुरा<br>9. नानौर<br>10. देवर<br>11. पहाड़पुरा क्षेत्र नं. 2<br>12. मदनपुरा |

झालावाड जिले में गत वर्ष गैर अकाल राहत कार्य सरकारी स्तर पर चलाये गये उनकी अभिकरण वार सूची

| क्र. सं. | अभिकरण जिसके द्वारा चलाया गया | नाम कार्य व ग्राम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभिकरण से | 1. पुलिस लाइन झालावाड़ का निर्माण कार्य<br>2. जी. टाईप एवं एच. टाइप क्वार्टर का निर्माण झालावाड़ ।<br>3. डिग्री कालेज बांरा का निर्माण कार्य<br>4. लेडो हैल्थ विजीटर क्वार्टर अटरू का निर्माण कार्य ।<br>5. लेडो हैल्थ विजीटर क्वार्टर मनोहरथाना का निर्माण कार्य ।<br>6. पाटन–सुनेल रोड |
| 2 | वन विभाग के अभिकरण से | 1. घास कटाई<br>2. भू-संरक्षण कार्य रायपुर बालगढ |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | भू-संरक्षण विभाग के अभिकरण से | 1. कुंवरपुरा भट्टजी |
| | | 2. रींछवा |
| | | 3. धोबडिया |
| | | 4. रेंतला |
| | | 5. सलावद |
| | | 6. पानवाला |
| | | 7. न्यासरा |
| | | 8. तारज |
| | | 9. शिरनियां |
| | | 10. मूंडला खेडा |
| | | 11. मोदिया खेड़ी |

# परिशिष्ट

(अ. ता. प्र सं. 311 की सूची)

कार्यालय विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, नागौर (राजस्थान)

भण्डार सामग्री का विवरण–पत्र

| खरीद की तारीख<br>1 | नाम वस्तु<br>2 | तादाद<br>3 | कीमत<br>4 |
|---|---|---|---|
| 16–10–69 | सचित्र विश्व कोष | 17 सेट | 1011.50 |
| 28–10–69 | अध्यापक मार्ग दर्शिका | 400 पुस्तकें | 400.00 |
| 22–10–69 | विद्यालय ग्रन्थ सूची | 77 पुस्तकें | ,, |
| 26–11–69 | श्री जयनारायण व्यास स्मृति ग्रन्थ | 76 ,, | ,, |
| 18–12–69 | नव विज्ञान | 136 ,, | ,, |
| 31–1–70 | सोमा और विजय | 30 ,, | 68 75 |
| 31–1–70 | स्वाधीनता के सेनानी | 30 ,, | 67.50 |
| 31–1–70 | अनुपम गाथायें | 30 ,, | 28.12 |
| 31–1–70 | विज्ञान की प्रगति | 30 ,, | 80.00 |
| 31–1–70 | अमर चुनरी | 32 ,, | 136.00 |
| 31–1–70 | डा. जाकिर हुसैन स्मृति ग्रन्थ | 32 ,, | 144.00 |
| 16–2–70 | महापुरुषों की जीवनियां | 72 ,, | 216.00 |
| 16–2–70 | सरकण्डे का रहस्य | 72 ,, | 72.00 |
| 16–2–70 | खोज की यात्रायें | 72 ,, | 116.64 |
| 19–2–70 | पानी | 32 ,, | 48.00 |
| 19–2–70 | आवाज | 32 ,, | 48.00 |
| 19–2–70 | होनहार बच्चे | 30 ,, | 48.00 |
| 28–10–69 | बालीवाल कवर | 142 | 1198.00 |
| 14–11–69 | फुटबाल कवर | 68 | 700.00 |
| 5–3–69 | सीड जर्मिनेशन चार्ट | 1 एक | 2.00 |
| 10–3–69 | रिटोर्ट स्टैण्ड | 1 एक | 2.50 |
| 17–3–69 | स्केल्टन आफ मैन चार्ट | 1 एक | 2.50 |
| 17–3–69 | रक्त संचार चार्ट | 1 एक | 2.50 |
| 17–3–70 | वाचन चार्ट | 2 दो | 5.00 |
| 21–3–69 | स्प्रिट लेवल | 1 एक | 0.65 |
| 20–3–69 | इबोनाइट रोड | 1 एक | 0.75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 20-3-69 | प्रिज्म | 2 | 10.00 |
| 20-3-69 | लिटमस पेपर बुक | 3 | 0.60 |
| 22-3-69 | फ्लास्क | 2 | 2.00 |
| 22-3-69 | फ्लास्क फ्लेट बोटम | 2 | 2.00 |
| 22-3-69 | फिनल 60 ऐंजिल | 1 | 0.82 |
| 22-3-69 | ट्यूविंग, रोड्गि और केपेलरी 200 ग्राम | 1 एक | 1.40 |
| 22-3-69 | थिसल फनल 12 लम्बो | 1 एक | 1.00 |
| 31-1-70 | टेनिकोइट रिंग | 70 | 142.39 |
| 22-3-69 | स्प्रिट लेम्प | 1 एक | 2.25 |
| 5-1-70 | बर्दिया | 102 | 2366.40 |
| 5-1-70 | ऊनी कोट | 60 | 2541.00 |

ह०
विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग,
नागौर ।

## परिशिष्ट 9

( अ. ता. प्र. सं. 312 की सूची )

माहवर विवरण श्री नन्द लाल जोशी, विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, नागौर

दिनांक 21 जून, 1969 से 2 फरवरी, 1970

| माह | मुख्य स्थान पर उपस्थिति के दिन | यात्रा के दिन | अवकाश के दिन (मुख्य स्थान पर) | अवकाश के दिन मुख्य स्थान से बाहर | आकस्मिक अवकाश के दिन | योग | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जून, 1969 | 8 दिन | × | 2 दिन | × | × | 10 | दिनांक 21-6-69 को वि. नि. के पद पर कार्यभार संभाला । |
| जुलाई, 1969 | 24 दिन | 2 दिन | 5 दिन | × | × | 31 | |
| अगस्त, 19 9 | 13 दिन | 13 दिन | 5 दिन | × | × | 31 | |
| सितम्बर, 1969 | 12 दिन | 15 दिन | 3 दिन | × | × | 30 | |
| अक्टूबर, 1969 | 14 दिन | 11 दिन | 3 दिन | 3 दिन | × | 31 | |
| नवम्बर, 1969 | 13 दिन | 8 दिन | 2 दिन | 6 दिन | 1 दिन | 30 | |
| दिसम्बर, 19 9 | 16 दिन | दिन | 2 दिन | 4 दिन | × | 31 | |
| जनवरी, (1970) | 14 दिन | 10 दिन | 2 दिन | 4 दिन | 1 दिन | 31 | |
| फरवरी, (1970) | × | 2 दिन | × | × | × | 2 | |

नन्दलाल जोशी,
विद्यालय, निरीक्षक,
शिक्षा विभाग, नागौर।

# परिशिष्ट 10

(अ. ता. प्र. सं 316 की सूची)

पंचायत समिति लाडपुरा में पंचायत समिति के सदस्यों पर बकाया ऋण की सूची

| क्रमांक<br>1 | नाम<br>2 | कार्य जसके लिये दिया गया<br>3 | दी गई रकम<br>4 | रकम देने का दिनांक<br>5 | बकाया रकम<br>6 | रकम का दुरुपयोग हुआ या नहीं<br>7 | विशेष विवरण<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री पन्नालाल, सरपंच, बनिदानी | मकान | 500.00 | 31-3-60 | 351.73 | उपयोग हो गया है | |
| 2. | ,, रामप्रताप, सरपच, भंवरिया | कुआ | 500.00 | 1-9-60 | 98.50 | ,, | |
| 3. | ,, लक्ष्मीनारायण, सरपंच, मांडलिया | मकान | 400.00 | 14-6-60 | 336.40 | ,, | |
| 4. | ,, रामगोपाल, सरपंच, काला खेड़ी | मकान | 500.00 | 10-6-60 | 53.50 | ,, | |
| 5. | ,, हरिवल्लभ, सरपंच, आखोड़ा | कुआ | 1500.00 | 31-3-61<br>16-8-61 | 1213.25 | ,, | |
| 6. | ,, जगदीशसिंह, प्रधान, गुमानपुरा, कोटा | पशुपालन | 4250.00 | 10-6-61 | 3512.87 | ,, | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | श्री हरिवल्लभ सरपंच, ग्राखोड़ा | बगीचा | 125.00 | 25-9-61 | – | ,, | समस्त रकम जमा हो गई। |
| 8. | ,, जमनालाल, सरपंच, सांगरिया | पशुपालन केन्द्र | 2700.00 | 28-2-63 21-3-63 | – | नहीं | एक चालू वसूली की कार्यवाही की जा रही है। |
| 9. | ,, सुखदेव सरपंच, किशनपुरा खाहिया | बैल | 500.00 | 16-2-63 | 811.98 | उपयोग हो गया | |
| 10. | ,, हरिवल्लभ, सरपंच, ग्राखोड़ा | पम्पिग सेट | 650.00 | 23-3-64 | 477.50 | ,, | |
| 11. | ,, हरिवल्लभ सरपंच, ग्राखोड़ा | ,, | 1800.00 | 11-9-65 | 739.78 | ,, | |
| 12. | ,, हरिवल्लभ, सरपंच, ग्राखेड़ा | बरसाने की मशीन | 625.00 | 27-3-65 | 430.55 | ,, | |
| 13. | ,, हरिवल्लभ, सरपंच, ग्राखेड़ा | भूमि संरक्षण | 1998.00 | 15-9-65 | 882.21 | ,, | |
| 14. | ,, रामगोपाल, सरपंच काला खेड़ी | कुग्रा | 1400.0 | 5-6-67 | 469 93 | ,, | |

## परिशिष्ट 11

(अ. ता. प्र. सं. 317 की सूची)

टेलीफोन लगने से लेकर जून, 69 तक माहवारी बिलों के खर्चे का विवरण

| क्रमांक | माह | राशि |
|---|---|---|
| 1. | अप्रैल, 68 | 57.80 |
| 2 | मई, 68 | 24.00 |
| 3. | जून, 68 | 9.00 |
| 4. | जुलाई, 68 | 53.00 |
| 5. | अगस्त, 68 | 16.50 |
| 6 | सितम्बर, 58 | 6.20 |
| 7. | अक्टूबर, 68 | 8.50 |
| 8. | नवम्बर, 68 | 15.50 |
| 9. | दिसम्बर, 68 | 14.50 |
| 10. | जनवरी, 69 | 6.50 |
| 11. | फरवरी, 69 | 5.00 |
| 12. | मार्च, 69 | 12.50 |
| 13. | अप्रैल, 69 | 7.00 |
| 14. | मई, 69 | 8.00 |
| 15. | जून, 69 | 9.75 |

# परिशिष्ट 12

## अ. ता. प्र. सं. 319 की सूची

सूची भाग 1 व 2

| क्र. सं. | नाम जिला | आयातित गेहूँ जो सन् 66 से अब तक प्राप्त हुआ | कितनी बोरी | बोरी कहां खराब हुआ वजन (क्वि.) | कारण जिससे आयातित गेहूँ खराब हुआ | गेहूँ खराब होने से जो हानि हुई (सम्भावित आंकी गई है) | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | अजमेर | 670174 बोरी | — | — | — | — | खराब नहीं हुआ । |
| 2. | अलवर | 75159 ,, | 647 | 503-00-000 | रेल्वे के खुले वेगनों में आने से वर्षा में भीगने के कारण | 2312-51 | — |
| 3. | बाड़मेर | 267329 ,, | — | 139-58-000 — | अवैज्ञानिक एवं अनुपयुक्त गोदाम व्यवस्था | — | निस्तारण होने के पश्चात् । |
| 4. | बून्दी | 47518 ,, | 34 | — | रेल्वे के खुले वेगनों में वर्षा से भीगने के कारण तथा घुन लग जाने के कारण । | 1832-70 | वास्तविक हानि का पता चल सकता है । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | बांसवाडा | 140732 बोरी | — | 5150-36-000 | गेहूँ की बिक्री न होने से एवं कच्चे गोदामों में रहने के कारण। | — | इसके निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है कार्यवाही पूर्ण होने पर ही नुकसान का अनुमान लग सकेगा। |
| 6. | भरतपुर | 244696 ,, | — | — | — | — | खराब नहीं हुआ। |
| 7. | भीलवाड़ा | 149524 ,, | 1704 | — | गोदाम में अधिक समय तक स्टाक रहने के कारण। | — | निस्तारण होने के बाद ही नुकसान का पता चल सकता है। |
| 8. | बीकानेर | 186063 ,, | 102 | — | खपरा लग जाने के कारण। | 2173-30 | खपरा लग जाने पर छनवाया गया जिससे 102 बोरी खराब हुई। |
| 9. | चुरू | 252360 ,, | 311 | — | खुले वैगनों में वर्षा में भीगने के कारण। | — | हानि का पता पड़े हुए माल को नीलाम करने पर लगाया जा सकेगा। |
| 10. | डूंगरपुर | 160372 ,, | 33 | — | अधिक वर्षा के कारण जमीन से गोदामों में पानी निकलकर भीगने के कारण। | 2000-00 | — |
| 11. | चित्तोड़गढ़ | 114061 ,, | — | 103-80-964 | वर्षा के मौसम, चूहों के खाने तथा लगा हुआ होने के कारण। | 7107-02 | — |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | गंगानगर | 125132 ,, | 24 | — | खुले वैगनों में वर्षा के कारण खराब हुई। | 1140-00 | | — |
| 13. | जयपुर | 650124 ,, | 1391 | — | ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण बन्द करने व गोदामों में अधिक दिन पड़े रहने तथा वर्षा में खुले वैगनों में प्राप्त होने के कारण। | 13910-00 | | — |
| 14. | जोधपुर | 428000 बोरी | — | — | — | | — | खराब नहीं हुआ। |
| 15. | जैसलमेर | 284750 ,, | 151 | — | गोदामों में छेद हो जाने तथा वर्षा 1967 में गोदाम का कुछ हिस्सा गिर जाने के कारण। | | | नुकसान का अन्दाजा नीलामी पर उठाने पर ही लगाया जा सकता है। |
| 16. | जालौर | 109945 ,, | — | — | — | | — | खराब नहीं हुआ। |
| 17. | झालावाड़ | 55473 ,, | 83 | — | खुले वैगन में वर्षा में भीग जाने के कारण। | | — | नुकसान का क्लेम रेलवे विभाग को समय पर ही पेश कर दिया गया तथा पत्र व्यवहार जारी है। |
| 18. | झुन्झुनूं | 242186 ,, | 5 | — | सीलन के कारण। | | — | ,, ,, ,, |
| 19. | कोटा | 134867 ,, | — | — | — | | — | खराब नहीं हुआ। |
| 20. | नागौर | 181614 ,, | 724 | — | वर्षा से भीगने के कारण तथा कीटाणु लग जाने के कारण। | | — | रासायनिक जांच सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है तथा रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही नुकसान का अन्दाजा लगाया जा सकेगा। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | पाली | 174484 बोरी | 137 (1967) | 78-90-500 | वेयर हाउस गोदाम पाली में 1967 में बाढ़ के फलस्वरूप खराब हुआ। | 3392–92 | – – |
| 22. | सवाई-माधोपुर | 102563 ,, | 1644 | 1389-34-600 | गेहूँ लम्बे समय से संग्रहीत रहने के कारण भण्डार व्यवस्था निगम गोदाम में रखा हुआ है। | – | माल गोदाम में ही संग्रहीत है अतः प्रति वर्ष होने वाली हानि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। |
| 23. | सीकर | 213849 ,, | 669 | 480-05-500 | खेमे से खुले वेगन में भीगा हुआ प्राप्त हुआ। | – | हानि का अन्दाजा इसके निस्तारण, देने पर चल रहे क्लेम का निर्णय तथा खाद्य निगम द्वारा क्षति पूर्ति किये जाने पर ही आंका जा सकता है। |
| 24. | सिरोही | 174310 ,, | – | – | – | | खराब नहीं हुआ। |
| 25. | टोंक | 91279 ,, | 601 | – | खुले बेगनों में आने तथा वर्षा में भीग जाने के कारण। | 3854-0 | क्षति पूर्ति के लिये रेल्वे को दावा भेजा गया। |
| 26. | उदयपुर | 370684 ,, | 276 | – | तहसीलों में गोदाम कच्चे होने से व फ्यूमीगेशन प्रभावशील न होने से तथा अजमेर भीलवाडा से अनाज खराब प्राप्त होने के कारण। | – | निस्तारण होने के पश्चात् ही नुकसान का अन्दाजा लगाया जा सकेगा। |

## परिशिष्ट 13

(अ. ता. प्र. सं 320 की सूची)

श्रमिक (फेमिन) की सूची

तारीख 15–2–70 की

(क) बीकानेर लूनकरणसर लिफ्ट नहर

| विवरण | श्रमिक | मजदूरी भुगतान करने की तारीख |
|---|---|---|
| 1. लिफ्ट नहर आर. डी 175 (महाजन) | 1245 | प्रत्येक परिवार माह में दो बार |
| 2. ,, आर. डी 200 | 650 | को 110 सी.एफ.टी. (15) दिन के बाद |
| 3. ,, आर. डी 220 | 1560 | जमीन की खुदाई भुगतान किया जाता |
| 4. ,, आर. डी 260 | 1500 | करने पर फेमिन है। |
| 5. ,, आर. डी 310 | 1200 | दर से (रु0 3–75) |
| 6. ,, आर. डी 322–5 | 2100 | का भुगतान किया |
| 7. ,, आर. डी 327–5 | 2048 | जाता एवं इससे |
| 8. ,, आर. डी 332–5 | 1600 | ज्यादा काम पर |
| 9. ,, आर. डी 337–5 | 2100 | राजस्थान नहर |
| 10. ,, आर. डी 356 | 1800 | परियोजना के |
| 11. ,, आर. डी 375 | 2500 | शिड्यूल्ड रेट्स से |
| 12. ,, आर डी 0451 | 1475 | भुगतान किया |
| 13. ,, आर. डी 0471 | 1911 | जाता है। |
| योग:– | 21689 | |

मुख्य नहर:–ख

| | |
|---|---|
| 1. लिफ्ट नहर आर. डी. 228 | 1113 |
| 2. ,, आर. डी. 583 | 1024 |
| 3. ,, आर. डी. 538 | 1531 |
| 4. ,, आर. डी. 545 | 1242 |
| 5. ,, आर. डी. 550 | 965 |
| 6. ,, आर. डी. 555 | 488 |
| 7. ,, आर. डी. कैम्प मियावाली | 50 |

| | | |
|---|---|---|
| 8. लिफ्ट नहर | आर. डी. 585 | 987 |
| 9. ,, | आर. डी. 590 | 1502 |
| 10. ,, | आर. डी. 607 | 2000 |
| 11. ,, | आर. डी. 620 | 405 |
| 12. ,, | आर. डी. 639 | 1432 |
| 13. ,, | आर. डी. 672 | 809 |
| 14. ,, | आर. डी. 682 | 1054 |
| 15. ,, | आर. डी. 750 | 1236 |
| 16. ,, | आर. डी. 912 | 1843 |
| 17. ,, | आर. डी. 942—43 | 1134 |
| | योगः— | 18808 |
| | | 21689 |
| महा योग (क+ख) | | 40497 |

## परिशिष्ट 14

(अनुपस्थित तारांकित प्रश्न संख्या 321 की सूची)

पंचायत समिति केकड़ी क्षेत्र में तालाबों की फहरिस्त जिन पर अकाल राहत कार्य सन् 1969 में कराये गये और उन पर किया गया खर्च।

| क्रमांक | नाम तालाब | राशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | छापरिया तालाब देवगांव | 1660) रु. |
| 2. | छोटा तालाब मौलकिया | 11050) रु. |
| 3. | पारा प्रोजेक्ट II | 2181[illegible]) रु. |
| 4. | कल्याण सागर पारकिया | 10111) रु. |
| 5. | मड़मोडता तालाब जूनिया | 9530) रु. |
| 6. | शिवसागर उगमखेड़ा | 15687) रु. |
| 7. | नया तालाब गुलगांव | 10144) रु. |
| 8. | देहू सागर आपरिया | 3624) रु. |
| 9. | बड़ा तालाब चीटोयावास | 9688) रु. |
| 10. | गोपालसागर जालिया | 3334) रु. |
| 11. | गोपाल सागर गोपाल पुरा | 17855) रु. |
| 12. | छूंडिया तालाब भेवदकलों | 6873) रु. |
| 13. | दातोलाई तालाब उगाई | 13643) रु. |
| 14. | भूटिया तालाब उगाई | 22722) रु. |
| 15. | ढूढ तालाब पिपलाज | 16866) रु. |
| 16. | काकरिया तालाब घटियाली | 10500) रु. |
| 17. | गणेशसागर टांकावास | 14554) रु. |
| 18. | बजरू तालाब सलारो | 2423) रु. |
| 19. | बड़ा तालाब मंढा | 9683) रु. |
| 20. | नया तालाब भेवदा कलां | 10600) रु. |
| 21. | बड़ा तालाब खारा | 15328) रु. |
| 22. | बड़ा तालाब आलोली | 19900) रु. |
| 23. | शीर्ष सागर सवास | 7936) रु. |
| 24. | मोटालाव तालाब मोटोलाव | 4937) रु. |
| 25 | नानका तालाब मगेरा | 14075) रु. |
| 26. | कल्याण सागर करोंच | 19497) रु. |

# Page No. 220



| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 27. | लोडकिया तालाब गोरदा | 9230) रु. |
| 28. | गुलाब सागर पन्द्रे हुड़ा | 442) रु. |
| 29. | बड़ा तालाब तालेड़ा | 19620) रु. |
| 30. | माधोसागर | 14893.60 |
| 31. | शिवसागर | 5000.00 |
| 32. | गुदालिया तालाब | 9902.00 |
| 33. | सांइजी की नाडो | 14406.85 |
| 34. | कल्याण सागर | 9988.90 |
| :5. | नया तालाब | 9967.94 |
| 36. | नया तालाब | 9904.47 |
| 37. | बालासागर | 9972.95 |
| 38. | श्याम तालाब | 9452.92 |
| 39. | धोलाई सागर | 10357.05 |
| 40. | करमी सागर | 9999.58 |
| 41. | छुप्पनजी का तालाब | 10035.39 |
| 42. | अमरती सागर | 9999.56 |
| 43. | कादेड़ा तालाब | 10123.31 |
| 44. | डेढ तालाब | 7925.33 |
| 45. | बड़ा तालाब | 16253.39 |
| 46. | करनो सागर | 19999.34 |
| 47. | काण्डिया तालाब | 9987.48 |
| 48. | बालरा सागर | 9959.75 |
| 49. | आलोला तालाब | 10000.00 |
| 50. | भेरो सागर | 4999.00 |
| 51. | वगत सागर | 10241.96 |
| 52. | गादिया तालाब | 10062.54 |
| 53. | नया तालाब | 8000.00 |
| 54. | संग्राम सागर | 8830.56 |
| 55. | मेवदा खुर्द तालाब | 4706.60 |
| 56. | नीमेड़ा तालाब | 12905.90 |
| 57. | बोहरा तालाब | 9769.75 |
| 58. | भिनाय केकड़ी सड़क | 11575.66 |

## शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 24 मार्च, 1970)

| स्तंभ सं. | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | प. म. 2.31 को | म. प. 2.31 बजे |
| 3 | 12. | श्री प्रोमदत्त भाटी | श्री श्रीमदत्त भाटी |
| 4 | 11. | श्री वृद्धिचन्द जै | श्री वृद्धिचन्द जैन |
| 5 | 9 | अको | अंको |
| 6 | अन्तिम | ाता | आता है |
| 11 | अ्तिम से 5 | अदि | आदि |
| 18 | 15 | श्री हाडा | श्री कशरीसिंह हाडा |
| 20 | 1 | यय | व्यय |
| 21 | 8 | सन् 167 में 12723 | सन् 1967 में |
| 25 | अन्तिम से 3 | ी विट्ठल प्रसाद शर्मा | श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा |
| 41 | ,, 12 | संग्रहित | संकलित |
| 80 | 14 | श्री देवीलाल बुरासिया ककड़ी : | श्री देवीलाल बुरासिया (केकडी) : |
| 82 | 8 | रात्रि | रात्री |
| 87 | 11 | whch | which |
| 87 | अन्तिम से 11 | अर | असर |
| 89 | 8 | सदय | सदस्य |
| 89 | 11 | वितरि | वितरित |
| 90 | 15 | सरलेट | सरक्यूलेट |
| 93 | 7 | बाकादा | बाकायदा |
| 98 | 9 | प्रतवेदन | प्रतिवदन |
| 104 | 9 | उसे | उससे |
| 109 | 17 | श्री रमासाद लड्ढा | श्री रामप्रसाद लड्ढा |
| 113 | 3 | लेवलंग | लेवलिंग |
| 114 | 2 | कौ | की |
| 117 | 3 | इग्जैमिन | एग्जामिन |
| 131 | शीर्ष | (ी सतीशचन्द्र अग्रवाल) | (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) |
| 132 | अन्तिम से 4 | कम्मेनशेन | कम्पेन्शशन |
| 133 | ,, 9 | दियां | नदियां |
| 135 | ,, 3 | गया | किया |
| 138 | 13 | सन्तष | सन्तोष |
| 141 | 2 | श्री रामचन्द आय | श्री रामचन्द्र आर्य |
| 143 | 18 | कहा जहां | जहां जहां |
| 144 | 17 | रसोर्सेज | रिसोर्सेज |
| 147 | अन्तिम से 13 | चान्दाकराा | चान्दकरण |
| 151 | ,, 3 | हुं | हूं |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 158 | अन्तिम से 5 | श्री लमचन्द वैद | श्री लाभचन्द वैद |
| 159 | " 9 | बाक | बाकि |
| 164 | 8 | मां ों | मांगों |
| 172 | 8 | हन | होनें |
| 177 | अन्तिम से 11 | श्री यशवन्तसिंह नोहर | श्री यशवन्तसिंह नाहर |
| 178 | 3 | अनुमोदन् | अनुमोदन |
| 204 | 6 | मील | मिल |
| 205 | 9 | 10 | 100 |
| 207 | 9 | यख्या | संख्या |
| 208 | अन्तिम से 12 | घरियवाद | धरियावद |
| 209 | 9 | समस्थाओं | संस्थाओं |
| 216 | अन्तिम से 9 | दासीन | उदासीन |
| 217 | " | नर्माण | निर्माण |
| 224 | 7 | ब बी | की बिक्री |
| 229 | 19 | नाहर | नहर |
| 231 | 16 | सन्बन्धी | सम्बन्धी |
| 239 | 13 | 00 | 100 |
| 244 | 10 | बेवीगेबल | नेवीगेबल |
| 244 | 14 | वह तो योजना तो | वह योजना तो |
| 246 | 6 | कोई | कई |
| 248 | 11 | फिशयन्ट | एफिशिएन्ट |
| 252 | 1 | तरीके डेमोक्रेटिक | तरीके से डेमोक्रेटिक |
| 252 | 9 | अधिकार | अधिकारी |
| 257 | शीर्ष | (श्री डूंगाराम राजोया) | (श्री डूंगाराम राजोरिया) |
| 260 | 11 | थामले | मामले |
| 269 | अन्तिम से 10 | जवाहर नेहरू | जवाहरलाल नेहरू |
| 279 | अन्तिम से 12 | लगता | लगाता |
| 289 | 12 | फगड़े | झगडे |
| 305 | 7 | री | मेरी |
| 305 | 15 | दोष नहीं मानता | दोष मानता |
| 305 | 16 | को | के |
| 305 | अन्तिम से 6 | सादिक अला कमेटी | सादिक अली कमेटी |
| 307 | अन्तिम से 2 | कर्मवाला | कर्म करने वाला |
| 310 | 12 | मरगी | मरेंगी |
| 310 | अन्तिम से 13 | मत्र | मित्र |
| 310 | अन्तिम से 6 | आपकी | आपको |
| 311 | शीर्षक | अनुदा ों | अनुदानों |
| 311 | अन्तिम से 14 | शेष | शेप |
| 311 | अन्तिम से 9 | वे | उन्होंने |
| 312 | 6 | योना | योजना |
| 312 | 9 | राष्ट्रय | राष्ट्रीय |
| 312 | 15 | सकते कि | सकते क्योंकि |
| 314 | अन्तिम से 10 | मंत्रीजी कहना | मंत्री जी को |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 314 | अन्तिम से 5 | यांग-टी-सी | यांग्सी |
| | | | रही |
| 315 | 13 | रह | बदल जाता है |
| 315 | अन्तिम से 14 | मदल जा है | अपने |
| 316 | „ 13 | अहने | (श्री निरंजननाथ अध्यक्ष, पदासीन) |
| 322 | 19 | (श्री अध्यक्ष पदासीन) | gallery |
| 325 | „ 5 | galeery | निवारण |
| 340 | 9 | f वारण | किया |
| 358 | अन्तिम से 6 | कि । | इसक |
| 358 | „ 2 | इस | जानते हैं कि |
| 364 | „ 5 | जानते कि | डिस्ट्रिक्ट |
| 366 | „ 10 | ठिस्ट्रिक्ट | बाड़मेर |
| 368 | 6 | ब्राडमेर | झालावाड़ |
| 386 | 15 | झालावार | |